

साज्जा स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छात्रीसागढ़

১০৪৮

पर्यावरण, बन और प्राकृतिक संसाधन

पर्यावरण भवन, सीएटल-३८, नवा ताप्तीपुर बोर्डर गार, लिला-कल्पा (गोप)

E-mail: tezuka00@gmail.com

विषय— नाम सतीश विश्वेन्द्र गुप्ताकुम जापिति (पूर्वई पुस्ती), कलारीगढ़ की विनाय 13 / 10 / 2009 को लिखने वाली वैदिक कला कार्यकारी विवरण

1

प्राची वार्षिक शिविरमा मुख्यकान लाभिति (एकाईय वी), जलसिंगढ़ की ५०वीं शिविर विशेष १३/१४/२०२३ को दो दिनों गोदावरी जलसे प्राची वार्षिक शिविरमा मुख्यकान लाभिति की अवधान में संपन्न हुई। शिविर में लाभिति के विस्तृतिकृत वारपाठों से यात्रा किया-

1. श्री एन.कौ. परवानग, साराजय, राज्य कालिक विदेशी मुद्रांकन समिति
 2. श्री विजयन शिंह धूप, सदस्य, साराजय कालिक विदेशी मुद्रांकन समिति
 3. श्री गणेश कुमार भैंसाह, सदस्य, साराजय कालिक विदेशी मुद्रांकन समिति
 4. श्री श्री. रामेश वेंकट, सदस्य समिति, साराजय कालिक विदेशी मुद्रांकन समिति
समिति द्वारा एवं विदेशी में समितिका विषयी एवं विद्वान्मुद्रांक विद्वार किया बदा-

[View larger image](#)

450वीं, 451वीं, 452वीं, 453वीं एवं 450वीं रोड वर्क्स
दिनांक 22/08/2023, 25/08/2023,
26/08/2023 एवं 27/08/2023 के कार्यालयी
दिवाळी के अनुसार हम खोला देते हैं।

याज्ञ नारदीक विशेषज्ञ मूलध्योक्तन समिति (एसडीएसी), भारतीयसभा की 480वीं, 490वीं, 495वीं एवं 496वीं बिलों क्रमशः विनाय 22/09/2023, 25/09/2023, 26/09/2023 एवं 27/09/2023 की संभास दृष्टि की। समिति को इनगत उपचार विधि विभाग का कामीकरणीय विवरण दीया गया था तथा यह विभिन्न समिति की सभास दृष्टि प्रक्रिया दिया जाएगा। चाहा विभिन्नी विभिन्नी उपचार दृष्टि

卷之三

पीएच/पुस्तक लेखिकी एवं अधिकारीय परिवेशात्मकी
संकोषी उत्तराधीन कानूनिक सम्बन्ध यद्यपि अधिकारीय
संस्थानीय / दीक्षितार्थ/अन्य व्यवसायक निवेदन विभाग
प्राप्त।

१. नेपाल एकीफल वर्षोले रिलिंग प्रोबलम जारीपन रिमिटेक, दाम-सिगरी एवं कानका, उडील-सिला, रिता-कलीदारखाल (कानिकालय का गर्वी अन्तर्गत २०११) शीर्षकहरू आवेदन - प्रयोगल सम्बन्ध - दूषकारी/सीधी/आर्थिकी/ ५३८३४९/२०२२, दिनांक ०१/०८/२०२२ द्वारा दीक्षित आवेदन ठेगु आवेदन किया गया है। प्रस्ताव का विवर - परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कानिकालय के दाम-सिगरी एवं कानका, उडील-सिला, रिता-कलीदारखाल का केत्राना-५४.७

मिशनर ने लागूलाइसेंस की एक नीति रिडिक्षन फ़िल (Non-redundancy Reduction Plan) राशि-25,000 टके अधिकों के लिए दौड़ाओआर हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग राशि 54 लाख रुपये है।

लागूलाइसेंस प्रसारक को एसटीएसी, भूतीकार्य के जामन फ़िल्स 08 / 10 / 2023 द्वारा प्रकल्पीकरण हेतु सूचित किया गया।

वैधक का विवरण –

(अ) विधिती वी 400 की बाबत द्वारा दिनांक 12 / 10 / 2023:

प्रकल्पीकरण हेतु एक वी विधिती विधिता नहीं हुए। विधितीकरण प्रसारक के पश्च दिनांक 11 / 10 / 2023 द्वारा सूचित ही नहीं है कि आविष्कारी कानूनी से आज दौड़ाओ के लागूलाइसेंस दिया जाना चाहिए नहीं है। आज आमती आविष्कारी वैधक मैट्रिक्स में यह प्रसार करने हेतु अनुरोध किया गया है।

विधिती द्वारा विवार दिनांक लागूलाइसेंस विधिता के विवेच किया गया है कि विधितीकरण प्रसारक को पूरी तरह विधित जनकारी एवं जामना सुनाया जानकारी / विधित उपकारीकरण दिये जाने हेतु विधित किया जाए।

विधितीकरण प्रसारक को लागूलाइसेंस सूचित किया जाए।

2. वैधक लागूलाइसेंस स्टोर की ओर (प्रो:- श्रीमती राधिका कीरत कर्मचारी), राम-बागलुरी, राहगीत-आरा, विला-रामगुरु (सहित्यालय का नामी छालोंक 2012) श्रीमतीकी आवेदन – इंटीज़ाल नंबर – एमआईए/ श्रीमती/ एमआईए/ 438810 / 2023 दिनांक 01 / 08 / 2023 द्वारा दौड़ाओर हेतु आवेदन किया गया है। प्रसारक का विवरण – यह पूरी तरह विधित गुण वाला (वीथी विधित) व्यापार है। व्यापार नाम-बागलुरी, राहगीत-आरा, विला-रामगुरु फ़िल्स पार्ट एंड एक्स्प्रेस राशि 700, कुल विनियोग-0.91। वैधक मैट्रिक्स में है। व्यापार की आविष्कारी उत्तरांग राशि-14,377.5 टके अधिकों है।

व्यापार व्यवसाय के वर्णन, उन एवं जलवायी गंभीरता, नहीं दियी हुए विधिता विनियोगदाता दिनांक 28 / 04 / 2023 द्वारा किया गया है, जिसके प्रिय 4 में विवर दिया गया है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEWA shall be re-appraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble N.G.T in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEWA between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEWAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

एक वीथीका विनियोग के तहत विधितीकरण प्रसारक द्वारा दिया गया विधित समायात विनियोग द्वारा दिया गया विधित विधितीकरण के कुल अनुशासन (re-appraisal) हेतु एकाहें एकी, विधितालय के काम की नियामन आवेदन किया गया है।

लागूलाइसेंस विधितीकरण प्रसारक को एसटीएसी, भूतीकार्य के जामन दिनांक 08 / 10 / 2023 द्वारा प्रकल्पीकरण हेतु सूचित किया गया।

प्रैतक का निरापद -

(३) तमिलि की सारी प्रैतक दिनांक १२/१०/२०२३-

प्रत्युत्तीकरण उत्तु भी मनवीय शिव अंगों, अधिकृत प्रतिभित्ति उपलब्ध नहू। तमिलि द्वारा नस्ती, इन्हुत जानकारी के अन्वेषण एवं वर्तित बनने पर दिन निम्न लिखी पढ़ि-
यह—

१. पूर्व में सारी पर्यावरणीय रक्षिति जारी दिनांक—

- पूर्व में दूना पानार (प्रैतक अभियान यात्रा क्रमांक २५२, दूना दीवार का २.५० एकड़, क्रमांक-१८,२०० टन प्रतिलिंग उत्तु पर्यावरणीय रक्षिति दिना सारीष पर्यावरण यात्राका फिल्म प्रतिक्रिया, दिन-पायार द्वारा दिनांक १०/०२/२०१७ की जारी की गई)। यह रक्षिति जारी दिनांक से दिनांक २०/११/२०२२ की अवधि तक ही थी।

परियोजना प्रत्यायक द्वारा कलापा गया ही पाला-मर्यादा, पर्यावरण, इन और उत्तरायन अभियान गवर्नर, गई दिल्ली द्वारा जारी अधिकारिया दिनांक १०/०१/२०२१ अनुसार—

"B4. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरीका अधिकारिया के अनुसार पर्यावरणीय रक्षिति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक २०/११/२०२२ तक ही है।

- परियोजना प्रत्यायक द्वारा पूर्व में सारी पर्यावरणीय रक्षिति की सारी के प्रभाव में की गई कलापाई की स्व-उन्नतिया जानकारी इन्हुत की गई है।
- प्रतिक्रिया जारीकरण नुसारेपन नहीं हिस्या गया है।
- पर्यावरण उत्तरायन (प्रैतक यात्रा), दिन-पायार की जापन क्रमांक २५८८/४५३/८४/२०२३ पायार दिनांक १०/१०/२०२३ द्वारा दिया जारी होने के बाद उत्तरायन की जानकारी दिनांकुमार है—

वर्ष	उत्तरायन (टर्क)
२०१९-२०	११,४९७
२०१९-२१	१८,२००
२०२०-२१	१३,००५
२०२१-२२	१४,६१३
२०२२-२३	८,३३७

तमिलि का यह है दि पर्यावरणीय रक्षिति प्राप्त होने की उत्तरायन से दिनांक ३१/०३/२०१९ तक एवं दिनांक ०१/०४/२०२३ से अद्यतन लिखी तक दिये गये उत्तरायन की जानकारी अभियान दिनांक से प्राप्त कर इन्हुत दिना जाना आवश्यक है।



1. नाम पंक्तियत का सम्बन्धित प्रमाण पत्र – एलेक्ट्रन एवं इकाई की संकेत में याम पंक्तियत अनुसूली का दिनांक 06/10/2009 का अन्वयित प्रमाण पत्र प्रक्षुप्त किया गया है।
 2. सालाना बोधन – यहाँ पराम लिख अधिकारिय लघवी यांत्रिक प्रक्रम एवं अन्वयित मोडेलोंट प्राप्त इमुग्न लिखा गया है, जो अनुसूल-संचालक (प्र.प.) सालानामय, चीरिशी तथा उभियमें नवा अवगुन बदल गया है पुँ इकाम इमांक 1219/संग्रही/साल-अनुसूल/बजार/2019(4) या याप्तुर, दिनांक 29/09/2022 द्वारा अनुमोदित है।
 3. 800 ग्रीटर की परिषि में लिखा गदान – अधीक्षण कर्त्तव्य (संग्रही यांत्रा) लिखा-याप्तुर के इकाम इमांक 1219/संग्रही/बजार/2022 याप्तुर, दिनांक 16/09/2022 के अनुसार अन्वयित गदान से 800 ग्रीटर की पीतर अवगिता हो गदाने, दीर्घाल 180.057 होक्टेक है। अन्वयित प्रक्रम के दीर्घन चरियोंसना प्रक्रमक द्वारा गदान या कि यांत्रिक में अन्वयित गदान की अवगित गदाने हुई कलस्टर शेष में कुल 88 गदानी का याच्चा 181.828 होक्टेक है। लिखा द्वारा कलस्टर संटीक्विल गदी गदाने एवं अपको यांत्रा आदेदन की गदाना दीओआर याच्चा गदाने एवं इकाम ईओएर जला करती तक 8-9 मज्ज गदिया हो जा रही है और इस दीर्घ में अन्वयित कलस्टर शेष में या तो कुछ गदीग गदानों को लिए आज्ञा पत्र जाती हो जात है या किस कुछ गदानी का पद्धत अवधि यांत्रा ही जाता है या यांत्रा/इकाम द्वारा गदान लिखा कर ही जाती है। इस कालम से इकाम ईओएर जम्म गदाने तात्पर कलस्टर शेष का याच्चा परिवर्तित हो जुम्ह होता है। जला इन्वीक्यु यांत्रों से इकाम ईओएर, जम्म गदाने से पूर्व अन्वयित लिखा के अनुसार अन्वयित संटीक्विल प्रक्रम के अनुसार कलस्टर का गदान गदी इकाम ईओएर, लिपेट याच्चा गदाने जाने हेतु अन्वयित अविभिन्न दीओआर, जी गदी में सम्भित गदों का अनुयोग है। जला से लिखी समिति यांत्रा हुई।
 4. 200 ग्रीटर की परिषि में लिखा गदानायिक शेष/संरक्षण – कार्यीलय कर्त्तव्य (संग्रही यांत्रा) लिखा-याप्तुर के इकाम इमांक 1219/संग्रही/बजार/2022 याप्तुर, दिनांक 16/09/2022 द्वारा याकी इकाम पत्र अनुसार याका गदान से 200 ग्रीटर की परिषि में नाला लिखत है।
 5. शुभि एवं दीर्घ का लिखाल – शुभि एवं दीर्घ दीनती दीनियर बोर्ड के नाम रह है। दीर्घ दीन 10 वर्षी अवधि दिनांक 29/11/2012 से 28/11/2022 तक की अवधि तक ही थी। अपराधक दीर्घ दीन 10 वर्षी अवधि दिनांक 29/11/2022 से 28/11/2032 तक की अवधि हेतु लिखालित है।
 6. अन्वयित सर्वे लिपेट – वर्ष 2019 की अन्वयित सर्वे लिपेट (Annual Survey Report) की इति प्रक्षुप्त ही रही है।
 7. यांत्रिक याकी लिपेट – वर्ष 2019 की अन्वयित याकी लिपेट (Annual Survey Report) की इति प्रक्षुप्त ही रही है।
 8. यांत्रा लिखा का अन्वयित प्रमाण पत्र – अन्वयित यांत्रा के दीर्घन परिवर्तना अनुसार द्वारा याका अन्वयित प्रमाण पत्र के संकेत में अनुयोग लिखा गया कि आंदेदिल शेष के कलस्टर में यांत्रिक याका गदान (लिखा का इमांक 871, 872 एवं 873, कुल इकाम 210 लिपेट) को यांत्रा लिखा द्वारा याकी अन्वयित प्रमाण पत्र की ही अन्वयित अन्वयित हेतु याका लिखे जाने हेतु अनुयोग लिखा है, लिखो अनुसार कर्त्तव्यक उपराज्यकालिकानी, याप्तुर यनकाल, याप्तुर में याप्तुर इमांक/बजार/वा/3109 याप्तुर, दिनांक 10/12/2022 की जानी

अन्तर्राष्ट्रीय ग्रन्थालय पर उत्तराखण्ड का संग्रहालय भैरव नामकी नींव से १५ किमी, बागेश्वर जनपद की सीमा से ८८ किमी, एवं कल्होन नदी के उद्गम योग्यालय की सीमा से ३५२ किमी की दूरी पर है।

8. यहांलक्षणी संरक्षणकी की दूरी – निकटतम आवासी घास-यानसुनी 350 मीटर, नक्षत्र घास-यानसुनी 1.0 किमी, एवं अपवाहन संबंधी 4.6 किमी की दूरी वर्तने लिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.7 किमी, एवं राजमार्ग 3.5 किमी दूर है। पौसामें नदी 200 मीटर, बाहर 840 मीटर एवं तालाब 440 मीटर दूर है।

9. पर्यावरणविभाग/वैदिकियता संवेदनकालीन सेवा – पर्यावरणवा प्रश्नावाचक द्वारा 10 किमी की दूरी में गोदावरीय गोदा, राष्ट्रीय यानसुन, अन्यायाल्प, कन्दीय यानसुन निकटतम द्वारा लोकित विद्युतिकाली वीट्युट्ट इलिका, पर्यावरणविभाग संवेदनकालीन सेवा का लोकित वैदिकियता सेवा लिया जानी होना प्रतिक्रिया लिया है।

10. गवान गोदा एवं गवान का लियन – दूरी में विद्युत्यानिकाल लियाँ 1,34,350 एवं एवं यानसुन लियाँ 43,233 रुपया। गवान में विद्युत्यानिकाल लियाँ 1,34,350 रुपया एवं यानसुन लियाँ 43,233 रुपया हैं। लोकों की 7.5 मीटर लोकी शीघ्र पहुंची (गवान का लिए इत्यनिकाल केरवी) का संबंधल 2,482 रुपयानीटर है। गोदा गवान सेवी मैट्ट्युन्ट्युट लिये हो उत्त्यनन लिया जाता है। उत्त्यनन की इत्यानिक विकाल गवानी 10 मीटर है। लोकों सेवा में ऊपरी गिट्टी/ओडार बहन उपयोगिता नहीं है। बैठ की ऊपराई 3 मीटर एवं ऊपराई 3 मीटर है। गवान की कमानित आयु 4 वर्ष है। लोकों सेवा में गवान उत्त्यनित नहीं है एवं इन्हीं का उत्त्यनन का प्रश्नावाचक नहीं लिया जाता है। लोक हिंसा से लियिंग एवं बाटों का लोकिट्टा लिया जाता है। गवान में आयु इत्यनन लियाँ हैं तथा का लियाँ लिया जाता है। पर्यावरणविभाग यानसुन का लियाँ लियाँ लियाँ हैं।

स्थान	प्रत्यक्षित संख्या (०-०)
उत्तम	14,977.5
द्वितीय	14,977.5
तृतीय	14,977.5
चौथा	4,721.25

- प्रति काम्पिंग - चरित्रेवना हेतु अवश्यक जल की जाति के अनमोदित प्रतिदिन होती है। जल की अपूर्णी पुः-जल के गवाहम से ही जाती है। इस बन्धन सेट्टल अवश्यक वाला अवधिरेटो का अवश्यिता इनाम जब प्रस्तुत किया जाता है।
 - कृषारोपण कर्त्ता - लीज सेट की जीवा में जाते औं 7.5 मीटर की पहुँची में कृष 483 नग कृषारोपण किया जाता है, जिसके के 200 नग कृषारोपण किया जाय जाए, औं 383 नग कृषारोपण किया जाता है। जीवित का जना है कि लीज सेट के जाते औं 7.5 मीटर की जीवा पहुँची में कृषारोपण हेतु जीवों का जोखन प्रतिक्रिया एवं जिवाई तथा नस-नसाव के लिए 5 लाई का प्रटक्कार जल का विवरण विकल्प प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना अवश्यक है।
 - खाद्यान की 7.5 मीटर की जीवी जीवा पहुँची में उत्तरानम - प्रस्तुतिकरण के द्वितीय जीव सेट को कैंट्रल-एल से देखने पर जीवित हो सकता यह ताक्ष आजा कि लीज सेट के दक्षिण दिशा में 7.5 मीटर जीवी जीवा पहुँची उत्तरानम को लिए प्रतिवर्षित करें। लगातार पूर्ण जल से उत्तरानम है, जिसका उत्तरानम अनुप्रयोगित कराती प्रतान में नहीं किया जाय जाए। इस लीज सेट के जाते औं 7.5 मीटर लीजी

सीमा पट्टी में लिये गये सत्रहित होते हैं कि उल्लेख करते हुए जानक विधि में विद्युत की बढ़ने का सारोंगित अनुभवित रखने पर्याप्त विकास जाना चाहिए है। प्रतिवर्षित 7.5 बीटर लीडी सीमा पट्टी में उल्लेख विकास जाना पर्याप्तीय लीडीपर्टी की जरूरी का उल्लंघन है। आइटी उपरान्त नियन्त्रित जानक उपरान्तक उपरान्ती विकास जाना चाहिए है। जान दी रुक्त सत्रहित होते हों पुनर्भव लिये जाने हेतु रेटेलिंग पर्याप्त विकास जाना चाहिए है।

15. उल्लेखीय है कि जानक उपरान्त, पर्याप्तता, यह एवं उल्लंघु वरिष्ठता जानक, नहीं विद्युतीय द्वारा जीव की सहायिता होनेवाले हेतु जानक पर्याप्तीय जीव जीव की जरूरी है। इसे जानक जीव के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 6 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the regulation made in approved mine plan."

जानक जानक जीव की अनुसार यात्रा लीज सीमा के बीच 7.5 मीटर लीडी जीव में विकास जाना चाहिए है।

16. प्रस्तुतीकरण की दीर्घन परियोजना इत्याकृत द्वारा जानक यहा लिये गये लीडी सीमा की बाहर जानक 300 हेक्टर यात्रा लीज सीमा जाने के कारण जानक द्वारा जानी 1,31,000 करोड़ रुपये अवैधता जीवी जान विकास यात्रा है, जिसकी उल्लेख कर्तव्यता करोवार (विनियोजन जानक), विन-वायपुर के जान विनांक 13 / 09 / 2023 द्वारा जीवी यात्रा में विकास यात्रा है।

17. प्रस्तुतीकरण की दीर्घन परियोजना इत्याकृत द्वारा जानक यहा लिये गये लीडी सीमा की बाहर जानक जनांक 100 में अवैधता द्वारा जानक जानिए है, जिसकी सीधीय जायिलय, भूतीजाग्र जनांक जीवक जीव, यायपुर द्वारा युवा यात्रा उल्लेख 18,200 हेक्टर प्रतिवर्ष हेतु यात्रा एवं यात्रा जाननी विनांक 23 / 01 / 2019 की जारी जीवी जारी है। यात्रा एवं यात्रा जाननी नीतीजेकरण विनांक 12 / 06 / 2023 के अनुसार विनांक 28 / 11 / 2023 याक जीवी जाननी हेतु जारी है।

18. लीज सीमा के बाहर विकास जानक से होने वाली युवा यात्रा की विकास जीव जायाकरण के संबंध में जानकरी इंजिनीयर, विकेट के जान विकास यात्रा जायाकरण है।

19. प्रस्तुतीकरण की दीर्घन परियोजना इत्याकृत द्वारा जानक यहा लिये गये जीवी के अन्तर्गत विकास इसप्रकृति / लीडी / एमजार्ड / लाइन / 2021) में जाने वाली जानक जाननी को जनांक में जानित करते हुए विकासाकृत जानक जाननी का कार्य 15 दिसंबर 2021 से 15 जानू. 2022 के बाद विकास यात्रा। जायाकरण विकासाकृत जानक जाननी की जूहना जीवी जीवी। जायिलय विकासाकृत (विनियोजन जानक), विन-वायपुर द्वारा जीवी ज्ञान यात्रा में जायेगित जानक जाननी 500 बीटर की दीर्घन अवैधता जाननी में जानक जाननक जाननी है। जानक जायेगित जाननक यात्रा विकासाकृत यात्रा का यात्रा है, जिसके लिए इंजिनीयर, विकेट यात्रे में जायेगित जाननक यात्रा विकासाकृत यात्रा का जारी जारी है। परियोजना इत्याकृत द्वारा जान एकलिंग विकासाकृत जानक जाननी का जारी जारी है। जानक जाननी का इंजिनीयर, विकेट यात्रा लिये जाने हेतु अनुरोध विकास यात्रा है। जानक जाननी जायेगी जाननी है।

29. समीक्षा एवं विवादी, विविध बैठक, यह नियमों द्वारा प्रत्येक प्रक्रिया विवर मात्र सरलातर, सर्वोत्तम, तभी और उत्तम परिकल्पना संभवतया, यह नियमों द्वारा उच्च (अधिकांश) प्रक्रियालय ने 18/03/2018 तक (अथवा 2018 की अपेक्षा) में नियमों 13/09/2010 की परिवर्त आदेश ने युक्त रूप से नियमनुसार नियमित रूप से रखा है।-

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समीक्षा द्वारा विवादी समस्त संविधानों के नियमनुसार विवर दिया गया:-

- समीक्षा कलेक्टर (समीक्षा जगत) विवर-उत्तराखण्ड की जातक 1219/प्र. नि./प्रक. /2023 द्वारा, दिनांक 18/03/2023 के अनुसार आदीत घटना से 800 मीटर की बीतर अवस्थित हरा जातक, लंबाई 180.867 हेक्टेयर है। समीक्षा कानून (एयर-एनामूली) का जातक 0.821 हेक्टेयर है। इस प्रकार समीक्षा कानून (एयर-एनामूली) की विवरण युक्त जातक 181.688 हेक्टेयर है। जातक की कीफा से 800 मीटर की परिमि वे स्थीरत/संवादित जातकी का युक्त क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर से कमिक का वहस्तर नियमित होने के कारण यह जातक बीज बोनी की जानी जाती।
- साईन सीज बीज की जातक और 7.5 मीटर की सीज फौज की युक्त मात्र में दिये गये उत्तराखण्ड की जातक इस बीज की उपचारी प्राप्ति (Remedial Measures) की संख्या में जातक सीज बीज के जातक याहानियोग विवादनात्मकी के बायक उत्तराखण्ड विवरण हैं। अतिरिक्त योगी का युक्त क्षेत्रफल जारी के दिये समुक्ति योगी की विवादित कानूने द्वारा संघर्ष संघर्षक, संघर्षनात्मक, भौमिकी जाता समीक्षा, इंद्राजाली जातक, तथा राष्ट्रपुर जातक नाम, विवर-उत्तराखण्ड (वित्तीयामाद) को दिया जाता है।
- प्रतिक्रिया 7.5 मीटर बीजी सीज फूटी में अंगूष्ठ उत्तराखण्ड विवर जातक का यो जातक यह जीव उत्पादन विषमनुसार अवश्यक कार्यकारी दिये जाने हैं। संघर्षक, संघर्षनात्मक, भौमिकी जाता विवादित को एवं पर्यावरण की कृति वर्तुपने हैं। अतिरिक्त पर्यावरण संस्थान मंडल, तथा राष्ट्रपुर जातक नाम की विषमनुसार अवश्यक कार्यकारी दिये जाने हैं। यो विवर जातक।
- समीक्षा द्वारा विवादी समस्त संविधानों से प्रकल्प भी लेटेगारी का यो जातक का कानून जातक वार्तात, प्राप्तिक, तभी और उत्तराखण्ड परिवर्तन गवर्नराम द्वारा जारी, 2016 में प्रकाशित लैंगिक टाई और विवरण (टीवीआर) भी ई-आई-ए/ई-एम-पी दिये जाने द्वारा/एकाईरिटीव विवरणात्मक दृष्टिविवरण अपना है। आई-ए/एकाईरिटीव, 2008 में दीर्घि भेजी गई जा सीमित लैंगिक विवरण द्वारा दिये जाने वाली विवरण की अनुसार की गई।

- Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
- Project proponent shall submit the previous year certified production details from 01/02/2017 to 31/03/2018 & from 01/04/2023 to till date.

- iv. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA registration from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.
 - v. Project proponent shall submit a revised approved quarry plan should be submitted after calculating the reserves in the latest situation, mentioning the excavated area in the 7.5 meter wide boundary strip around the lease area.
 - vi. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
 - vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
 - viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and areas to be fenced.
 - ix. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
 - x. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
 - xi. Project proponent shall submit the copy of panchamsa and photographs of every monitoring station.
 - xii. Project proponent shall submit the restoration plan of previously mined out area in safety zone.
 - xiii. Information regarding arrangements for controlling dust emissions from crushers located outside the lease area should be submitted in the EIA report.
 - xiv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
 - xv. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
 - xvi. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
 - xvii. Project proponent shall submit point wise compliance report as per the office memorandum issued on 28/04/2023 by the Ministry of Environment, Forest and Climate, Government of India, New Delhi.

- xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xvii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/09/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02/08/2017.
- xviii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

पर्यावरण विभाग द्वारा अनुमति प्राप्तिकान (एस.ओ.आई.इ.) के अनुसार सूचित किया गया।

1. ऐकाई वित्तीय संगठन (प्र-सीधी अभियान समूह), एस-वित्तीय, लाहौर-पाली, फिल्ड-बलीदाराजान-भाटापाना (अधिकारिय का नाम बनाक 2014) अधिकारीय आवेदन - प्रोटोकल गम्भीर - एकाईए/ सीडी/ एमआईए/ 438804/2023, दिनांक 02/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय संस्थानी हेतु अधिकारीय आवेदन किया गया है।

प्रकल्प का विवर - यह प्रकल्पित गेत (पीप चरिय) गांव है। गांव एस-वित्तीय, लाहौर-पाली, फिल्ड-बलीदाराजान-भाटापाना किंतु गांव और ग्रामीण क्षेत्र 450, कुल क्षेत्रफल-49 हेक्टेक्स में प्रस्तावित है। उत्तरानन्द नदी से जल लेना प्रस्तावित है। गांव की अधिकृत क्षेत्रफल गांव-45.250 एकड़ीय प्रतिक्षेत्र है।

उत्तरानन्द पर्यावरण उन्नतानन्द की एकाईए, जलीयांगड़ के द्वारा दिनांक 08/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकारण हेतु सूचित किया गया।

प्रकल्प का विवर -

- (a) समिति की कार्यी बैठक दिनांक 12/10/2023:

प्रस्तुतीकारण हेतु भी विस्तर नहीं अपेक्षित प्रस्तुतियाँ दूजा। समिति द्वारा नाटी, प्रश्नात जलाधारी का अन्वेषण एवं परीक्षण खनने का निम्न नियमीय गांव-

- पूर्ण ने जारी पर्यावरणीय कर्तीकृति संस्कृती विवरण - इस खदान को पूर्ण ने पर्यावरणीय कर्तीकृति जारी नहीं की गई है।
- गांव पर्यावरण का क्षमताप्राप्ति प्रमाण पत्र - उत्तरानन्द के संस्कृत में छात्र पर्यावरणीय का दिनांक 17/11/2016 का क्षमताप्राप्ति प्रमाण पत्र प्रश्नात फिल्ड किया गया है।
- विनाशकित/सीमांकित - उत्तरानन्द कर्तीकृत, क्षमित जलाना की जाती द्रग्मान् पर्यावरण यह खदान विनाशकित/सीमांकित नहीं घोषित है।
- उत्तरानन्द गोपनीय - यह देश की गोपनीय पर्यावरण प्रश्नात विद्या गया है, जो एस-वित्तीय क्षेत्र (संस्कृत, एस.), फिल्ड-बलीदाराजान-भाटापाना के द्वारा उपलब्ध



1008/वी ३-८/नक. ०४/२०२३ बलीदारपात्र, दिनांक २८/०७/२०२३ द्वारा
अनुसृतिरूप है।

१. ५०० घीर की परिमि में नियम संदर्भ – कार्यालय कलेक्टर (जनरल गवर्नर),
बिल्ड-बलीदारपात्र-भारतपात्र के ज्ञानन इमारत १००८/वी ३-८/नक.
०२/२०२३ बलीदारपात्र, दिनांक २८/०७/२०२३ के अनुसार आधिकृत संदर्भ की
५०० घीर की परिमि अधिकृत अन्य ऐत जाहानी की संख्या निम्न है।
२. २०० घीर की परिमि में नियम कार्यालयिक होता/संरचनाएँ – कार्यालय कलेक्टर
(जनरल गवर्नर), बिल्ड-बलीदारपात्र-भारतपात्र के ज्ञानन इमारत १००८/वी
३-८/नक. ०२/२०२३ बलीदारपात्र, दिनांक २८/०७/२०२३ द्वारा जाही इमारत
का अनुसार यहा संदर्भ के २०० घीर की परिमि में १००% की कार्यालयिक होता
जैसे उद्दीप जाहानी, तुल. बांध, एनीलट एवं जल अनुसृती आदि प्रीरितिरूप
निम्न नहीं है।
३. एस.ओ.आई. का नियम – एस.ओ.आई. जीमरी अग्रिम जाहाना के नाम पर है,
जो कार्यालय कलेक्टर (जनरल गवर्नर), बिल्ड-बलीदारपात्र-भारतपात्र के ज्ञानन
इमारत १००८/वी ३-८/नक. ०२/२०२३ बलीदारपात्र, दिनांक २८/०७/२०२३
द्वारा जाही की गई, जिसकी वैधता जाही दिनांक के ६ मही तक है।

एस.ओ.आई. का नियम, जनरल जाहान नियम, नज़ारत, यातायदी बदल, जल
जाहानपुर बदल बदल द्वारा एस.ओ.आई. जीमरी जाहाना ऐत (एस.ओ.आई. एवं
जाहानपात्र) नियम २०१० द्वारा संशोधित अग्रिमसूचना दिनांक ०८/०८/२०१० के जाही
की गई है। इस अग्रिमसूचना के नियम ५ अनुसार “जाहानन पद्धति” की
कालावधि-जाहाना ऐत की उत्तरानन है। उत्तरानन पद्धति याच की कालावधि
के लिए प्रयुक्त जिम्मा जाहाना। याच की की जापति की जाहाना उत्तरानन पद्धति
नियोग के नवीनता दिनांक की जिम्मा जाहाना।” का उल्लेख है।

४. याच नियाम का अनावर्ति प्रथा एवं यह – अग्रिमसूचना के दोषान घीरोंका
प्रयोगानन द्वारा प्रयुक्त कंट्रोल फँक्चुन से देखने का आधिकृत संदर्भ के दो
होते ही हूड़ी जाहाना ३ घीरी हुड़ी का नियम होता याच एवं है। जापति का
यह है कि नियमानन एवं होता ही आधिकृत होता ही हूड़ी का फँक्चुन कली हुए
कार्यालय यान्माननलियादि का अनावर्ति प्रथा एवं अनुग्रह जिम्मा जाना
जाहानपात्र है।
५. नियमीकृत यह नियोग – एवं २०१० की नियमीकृत यह नियोग (District Survey
Report); की प्रति अनुग्रह की गई है।
६. नहानपुरी कालावधि की हूड़ी – नियमानन जाहानी याच-जीमरी १३८ किमी
संस्कृत जाम-जीकारी १५५ किमी, एवं अन्यान्य अलंक ३५.५ किमी की हूड़ी पर
नियम है। उद्दीप जाहानी १२.२५ किमी, एवं तालापार्व २७.३५ किमी, दूर है।
गोदा ५८० घीर, तालाब १.४ किमी, कोहन बांध २३.३० किमी, लोह नियम ३५
किमी, एवं एकीनोट ९.२ किमी, दूर नियम है।
७. जाहान जाहान एवं जाही की जाह एवं जीकारी एवं जाहान की जाही जाह की हूड़ी –
अन्यान्य अनुसार जाहान जाह एवं जाही की जाह की जीकारी – अधिकाराम १.१६५
घीर, यान्मानन १.०८० घीर एवं जाहान जाह की जीकारी – अधिकाराम २६१
घीर, यान्मानन ३४३ घीर एवं जाहान जाह की जीकारी – अधिकाराम १५८ घीर,
यान्मानन १११ घीर जाही है। जाहान की जाही जाह की नियमी से दूरी
अधिकाराम ४२५ घीर, यान्मानन ५०५ घीर है।

12. वादाम स्तर पर ऐत की बोट्टर्स – आवेदन अनुसार स्तर पर ऐत की गति – 6.36 मीटर ताका ऐत चानन डी इमारिंग गहराई – ३ मीटर लंबाई एवं ५० अनुप्रीक्षित पर्याप्ति प्राप्त अनुसार वादाम से बहुमेहत ऐत की गति – ८८.३०० पर्याप्ति है। ऐत उत्तराखण्ड में इमारिंग स्तर पर वादाम में उपलब्ध ऐत चान की बोट्टर्स प्राप्ति के लिए इमारिंग स्तर पर ३ मीटर ऊँचा वादाम आवासीय वालिका गहराई का वापस कर, घनिया विभाग से इमारिंग वादामी प्रदूषण की गई है। इसके अनुसार ऐत की उपलब्ध औरत बोट्टर्स १.२५ मीटर है। ऐत की वालिका गहराई में पर्याप्त भी प्रदूषण दिया गया है।

13. वादाम शेष वे ऐत चान की लेवल्स – ऐत उत्तराखण्ड में इमारिंग स्तर पर वालिका चान की चाढ़ी चान ३५ मीटर ऊँचा ३५ मीटर के लिए निर्दिष्टी वर दिनांक ०५/०६/२०२० को ऐत चान के वर्तमान लेवल्स (Level) लिए, उन्हें घनिया विभाग से इमारिंग स्तर पर वालिका चान की वालिका / वालिका प्रदूषण दिये वर्दे हैं।

14. कौशिक पर्यावरणीय वारिता (C.E.R.) – परियोजना प्रवर्तनक द्वारा वारिती की वापस विभाग से चाढ़ी चान की प्रदूषण दिया गया है।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent:	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
Following activities at, Village- Riwadih				
27.30	2%	0.54	Plantation at Village Pond	0.75
			Total	0.75

15. गोदूर्ज वे अवैत चान की चाढ़ी ओर प्राप्तियां (आप, वाटल एवं चानुग) में प्रदूषण प्रवर्तन अनुसार चुना ५० नम चुन चुन से चान की चाढ़ी ओर अवैतित है। ऐसे ५० नम चुनों के लिए लगि ४,००० चानों, चौसिंग के लिए लगि ६,००० चानों, चान के लिए लगि २,००० चानों, चिंचांग चान सह—चान अदि के लिए लगि १५,००० चानों इस प्रवर्तन प्रक्रम की में चुन लगि २७,००० चानों तथा आपांगी ४ लीं में चुन लगि ५०,००० चानों में प्रदूषण वाले का विवरण प्रदूषण दिया गया है। परियोजना प्रवर्तनक द्वारा चान वाली चानीह के सहायि उपलब्ध वालांगीय वादाम त्रिवेता अन्तर्गत २३२, सीजफल १,६४ (विकेपर) के ताला में जानकारी प्रदूषण की नहीं है।

16. पुकाठीयन कर्त्ता – गढ़ी की तर वर चान पकाता लिंगांगी के सहायि उपलब्ध तालांगीय भूमि त्रिवेता अन्तर्गत २३२/१, चुन लींजपाल ३५.१११ लिंगांग में २५ लिंगांग में १,००० नम पुकाठीयन कर्त्ता में प्रदूषण दिया गया है, जो विभावुल है।



विवरण	प्राप्ति का (अवधि)	दूसरी प्राप्ति का (अवधि)	सुलगी का (अवधि)	कमाई का (अवधि)	प्रति लाभ (अवधि)
इन्हें निकाले हुए वार्षिक लोटान संकाय/पहुंच मार्ग के उत्तरान सूल उत्तरान के निकाले हुए जब निकाला	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
दूसरी प्राप्ति (50 प्रतिशत जीवन एवं हिस्से वाली) हिस्से वाली	1,00,000	—	—	—	—
मरी के दाट पर जागाईन सूल में (1,000 नम.) कुलांगन हिस्से	50,000	—	—	—	—
जाम जामाना-जामान लोट, सैकड़ा दाट पर अन्य अन्यान्य जाम	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
जाम जामाना-जामान लोट, सैकड़ा दाट पर अन्य अन्यान्य जाम	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000
कुल राशि = 14,40,000	4,40,000	2,50,000	2,50,000	2,50,000	2,50,000

17. परियोजना प्रशासक द्वारा गोईआर की तहत जमावित कर्ता के लाई दूरी का
लोगों के सुपरिना संबंधित यात्रा प्रशासन की बहुमूली प्रतिशत जापा जाए, जिसीही
फोटोडाक नहिं जामकारी प्रशासन लोगोंही हिस्से वाले जाने जाने
प्रतिशत नियोंट में समावित जन प्रस्तुत नियों जाने जाने जापा जाए (Notarized
undertaking) प्रस्तुत जिता जाए है।

18. परियोजना के जिन-जिन स्थानों से प्राप्तिदिव जाट प्रशासन होंगा, जहाँ जानी
एवं नियमित जाट निकाल की घटना जिसे जाने जाने जापा जाए (Notarized
undertaking) प्रस्तुत जिता जाए है।

19. जामान लोट के जामा-जामा नहीं तट एवं यात्रा मार्ग में जामन जूलांगन नियों जाने
एवं लोगों वीची का सारांगीत ५० (Survival rate) ५० जीवन सुनिश्चित नियों
जाने जाने जापा जाए (Notarized undertaking) प्रस्तुत जिता जाए है।

20. जामीनानु जायदी पुनर्वाप नीति के तहत जामीन लोगों को जामाना नियों जाने
हिस्से वाले जापा जाए (Notarized undertaking) प्रस्तुत जिता जाए है।

21. परियोजना प्रशासक द्वारा नियों भी प्रशासक का दृष्टिकोण का जाम जाकरिक
जाल स्वीकृत, जामान, नहीं, नहान में नहीं जिसी जाम एवं इसके जामान नियों जाने
जाने जापा जाए (Notarized undertaking) प्रस्तुत जिता जाए है।

22. परिवीक्षण प्रस्तावक द्वारा इस काशय का समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उन्होंने लिखा द्वारा काशय की वासिता और नामांतरण प्रकल्प देख के अंतर्गत किसी भी नामांतरण में लिखा नहीं है।

23. परिवीक्षण प्रस्तावक द्वारा इस काशय का समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उन्होंने लिखा द्वारा काशय, वासिता, का और जातीजाती वासिताएँ बाकी वासिताओं का जापा, 804(6), लिखा 14./03./2017 के अंतर्गत और प्रत्येक दावे प्रकल्प लिखा नहीं है।

24. भारतीय सूबीम कोर्ट द्वारा लिखा 02./08./2017 की common cause vs. Union of India आदि petition (CJ) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने वाला जापा पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. भारतीय सूबीम कोर्ट द्वारा लिखा 08./01./2020 की आदि petition (B) Civil No. 114 (2014 common cause vs. Union of India & Ors. वे दिये गये लिखा निर्देश का पालन किये जाने वाला जापा पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. परिवीक्षण प्रस्तावक द्वारा इस काशय का समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि अनुसन्धानित प्रत्येक दीवाना में दिए गई नियम विवरिती का पालन किये जाने वाला जापा पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. परिवीक्षण प्रस्तावक द्वारा इस काशय का समझ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उन्होंने लिखा द्वारा काशय की वीचन सांटेपेल और वार्डिमो वार्डिलार्डन 2010 एवं ट्रान्सलोर्डिट एवं गोडिलोर्डिप वार्डिलार्डन परिव दोपह 2020 के द्वारा दो दावे पालन किया जाएगा।

28. वासिताएँ वासिताएँ ने दिये गये छाती का पालन किये जाने एवं भारतीय प्रत्येक वासिताएँ वासिताएँ वे दावे किये जाने वाला जापा पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. परिवीक्षण प्रस्तावक द्वारा दावा पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि अनुसन्धान उक्त दीवाने 186 लिखा अस्ताताल 36.80 लिखा में एवं अकादी लोक 186 लिखा की दूरी दूर है जो कि दूसरे गोप लामिज अधिनियम 2016 में लायें वासिता दूरियों के लिये है। अतः लामुल, अस्ताताल एवं जाकादी लोक में दूसरे दावे किया जाना सम्भवतः की नितान्तरण हैं तथा लिखा दावा पत्र किये जाएंगे—

 - खदान लोक के अस-काल नहीं लट एवं घटुव वारी में जाते और वाया लूकीयन किया जाएगा, जिससे लामुल, अस्ताताल एवं जाकादी लोक में दूसरे दावे होंगे।
 - भुज(दमट) के नितान्तरण के लिए दैन की दावा करी वो लिक्काव लिखा जाएगा, जिससे लामुल, अस्ताताल एवं जाकादी लोक में दूसरे दावे होंगे।
 - हमारे द्वारा लामिज का वारिहाय लाकालोर्डिन दी दूँक कर लिया जाएगा, जिससे वाली में वालन की लामिज न हो।
 - हमारे द्वारा वाली का वारिहाय लामुल एवं जाकादी लोक से होना नहीं किया जाएगा, जिससे लामुल, अस्ताताल एवं जाकादी लोक में दूसरे दावे होंगे।
 - हमारे द्वारा लामुल एवं जाकादी लोक में दैन लगातार व्यवस्था वर्तित रखाया जाएगा।

३८. इसके द्वारा इस समूह के परिवेशक समाज की २ विभिन्न रक्ति ग्रीष्मीयता की उल्लंघन समाज के बाहरी और आम के विभिन्न प्रकारियों, जासुन एवं कठाहन आदि के पौरी का दृश्य एवं सुन्धान हेतु विभिन्न रक्ति २ वर्षीय तक समूह द्वारा भास्त दिया जाता।
३९. समूहों का विभिन्न रक्ति-व्यवाच एवं घूल आदि से सूक्ष्म हेतु विभिन्न व्यवहार विषय जारी, लैंड, अवधी, असुन आदि परं घूस का व्यवाच जारी होता।
४०. परिवेशक प्रस्तावक द्वारा जारी ज्ञान की दैराच एवं उत्कृष्टता का बार्थ जहाँ विषय जारी बनाता रखते पात्र (Nonarrested undertaking) प्रस्तुत विषय गया है।
४१. लैंडिंग का नाम है जिस लैंड के नीचे गैर वार्डिंग लैंड में जीव सम्पन्न जाना आवश्यक है। लैंड लैंड के बाहरी कोणी उत्तर विषय साईन के बाहर में लैंड के सुन्दरी गद्दाचार आवश्यक है। ताकि लैंड लैंड जहाँ में रुपरुद्धिगोपन नहीं होती।
४२. ग्रीष्मीय कर्तव्य एवं जहाँ लैट में कृषाणेपन कार्य के विभिन्न एवं वर्धकात्मक हेतु विषय-विभिन्न विभिन्न (प्रोफरेड्टर/इंटीभिटि, याम प्रबाहार की व्यापकीयता/इंटीभिटि एवं विषय प्रस्तावन का व्यापक वर्धकात्मक व्यवहार जारी रखने की व्यापकीयता/प्रोफरेड्टर) विभिन्न विषय जाना आवश्यक है। साथ ही ग्रीष्मीय कर्तव्य जहाँ लैट में कृषाणेपन का बार्थ पूरी विषय जारी के कारण गठित विषय-विभिन्न विभिन्न से व्यवहारित करना आवश्यक है।
४३. ऐसा उत्कृष्टता विषय में एवं भवाई का बार्थ लैंडल द्वारा उत्कृष्टता जाना आवश्यक है। लैंडिंग का नाम है जिस लैंड की से वह भवी जाहाज की लैंडी के है। ऐसे भवाई का बार्थ विषय विषय में ही भवाई नहीं। भवी जाहाज के जहाँ में विषय की अनुपस्थिति नहीं होती।
४४. परिवेशक प्रस्तावक द्वारा ३ नीटन की ज्ञानर्दन एवं उत्कृष्टता जीव अनुपस्थिति जारी है। अनुपस्थिति उत्कृष्टता विषय में उत्कृष्टता विषय जारी बाले लैंड की विभिन्न हेतु उत्कृष्टता लैंडी अवश्यक जारी एवं उत्कृष्टती आवश्यकी का समरोक्त जहाँ विषय गया है। जहानाही जहाँ नहीं है तब उसमें व्यापकता में जासून्यात १५ मीटर गलवाई के व्यविधि लैट का पुरावाच जौने की जरूरत गया है।

परिवेशक द्वारा विचार विषयों दृष्टिकोण संक्षेपमयी से विषयानुसार विवेद विषय यह—

१. आवीर्दित व्यवहार (याम-विवाहीक) का दरना ५० हेक्टेयर है। दरदान की गीता में ५०० नीटन की परिवेशक में लैंडल/व्यवहारित जाहाजी का ज्ञान लैंडल ३ हेक्टेयर या उससे ज्यादा होने की जारी यह व्यवहार १-२ फैटी की जहाँ नहीं।
२. परिवेशक प्रस्तावक ऐसा जाहाज लैंड में जागानी १५ फैट में विस्तृत यह उत्कृष्टता (Distressed Study) जासून्या, जहाँ विषय के पुनर्गठन (Replenishment) कारण सही जाहाज, ऐसा उत्कृष्टता जा जहाँ नदीताल, जहानीय व्यवहारी, जीव एवं जून जीवों परा प्रभाव तथा नहीं की जागी जीव उत्कृष्टता की प्रभाव की जहाँ जाहाजी ज्ञाना हो सकते।
३. लैंड लैंड की सतह का विवाहाई बाटा—
 १. ऐसा उत्कृष्टता जांचने के बहुत उत्कृष्टतानुसार विवेद विषय विषय विषयी का जहाँ में विषय की सतह के लैंड (Levels) का सही ज्ञान उसके जाहाजी उत्कृष्टता एवं जाहाज विषय जारी।

- iii. गोपनीयता (अवधूत) / सम्पर्क माल में ऐसे संस्कृत वार्ताएँ जारी की जूदी इन्हीं विद्युत विन्दुओं में वाहिनी लौज की तरह उच्च लौज की अवस्थामें हवा बहाववाहीमें 100 लीटर तक तक वाहन लौज की वाहन/वाही गत (दैनिक और) से 100 लीटर तक की लौज में वही वाहन की सारी (Levels) की जहाँ पूरी विद्युत विन्दुओं पर फिल्म लाईगा।
- iv. इसी प्रकार ऐसे सामने लगावाते समझौते के जूदे (ईवी गत) की अविभावना/जूदे की प्राप्ति प्राप्ताता) इन्हीं विद्युत विन्दुओं पर ऐसे सामने की सेवाएँ (Levels) की प्राप्ति लिया जाएगा।
- v. ऐसे सामने को पूरी विद्युतिल विन्दुओं पर ऐसे सामने की सेवाएँ (Levels) की प्राप्ति की जाती रहताही एवं तक विवर लिया जाएगा। गोपनीयता (अवधूत) की अवधूत विवर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं श्री-समझौते की अवधूत अवधूत 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अधिकारी समीक्षा एवं एकाईजारीएर, अलीशनर को प्रस्तुत लिया जायेगे।
4. विवरण का हीजो वीरोंति संविधान की दूरी का चलाकू जानों हुए कार्यालय वाहनवाहीविवाही का अवधूत व्यवाय पर वीरोंति एकाईजारीएर, अलीशनर में अवधूत का से प्रस्तुत जाने की जाती की अविभावन पर्यावरणीय सीधूरी की सारी अनुशंसा की जाती है।
5. अधिकारी द्वारा लिया जाने वाली संविधानमें से जाती लैकडीह नीचे जाती (श्री-वीरोंति अविभावन वाहन), जाटी लैकडीह जानों 450, श्री-लैकडीह, वाहनील-जाटी, विसा-वाहनीवाहन-वाहनात, कुल लैकडीह जानों 4.5 लीटरवर में लगावान द्वितीय का जूल 60 लैकडीह जानोंमें ही ऐसे लगावान अधिकारी 1.5 लीटर वीरोंति वाहन लौजित जाती हुए जूल 44.100 घनमीटर व्यविधानी ऐसे लगावान द्वितीय पर्यावरणीय सीधूरी, जानों पट्टों का विवरण की जारीत ही पाये वीरोंति वाहन की अविभावन द्वितीय-01 में जानों जाती की अविभावन द्वितीय वाहन की अनुशंसा की गई। ऐसे की युद्धां अभियान द्वारा (Maneuver) वीरोंति वाहनी। विस वीरोंति (River Bed) में वाही वाहनी का व्यविधान वाहनवाही रहेगा। लैकडीह में विस वीरोंति युद्धां वाहनी (Excavation bed) में अधिकारी वाहन वीरोंति का व्यविधान द्वितीय द्वितीय द्वारा लिया जाएगा।
6. वाहनवाही वीरोंति वाहनवाही वाहनवाही, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं द्वितीयवीरोंति वाहनवाही वाहनवाही वाहनवाही वाहनवाही, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) की अनुवाद वाहनी से पालन गुरुभिराता विषय प्राप्त।
7. वाहनवाही वाहनवाही वाहनवाही वाहनवाही (एकाईजारीएर) अलीशनर की वाहनवाही वाहनवाही विषय वाहन।
8. वीरोंति विस विवरण (अवधूतवीरोंति वाहन वाहन, श्री- वीरोंति वाहन वाहन), श्री-वीरोंति, वाहनील-वाहन, विसा-वाहन वाहन वाहन (वाहनवाही वाहन वाहनी वाहन 2016)
- वीरोंति वाहन - वाहन वाहन - एकाईजारी/ वीरोंति/ एकाईजारी/ 2020/ 2023, विवाह 02/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय सीधूरी द्वितीय वाहन विषय वाहन।



प्रकाश का विवरन् – यह पूर्ण से संतुष्टि की सम्भालन प्रकाश (वीवर अधिक) बदलाव का अस्तुतीय प्रकाश है। संतुष्टि का उपयोग एवं-पुरानी लकड़ी-दीवार का, जिस-दीवार का बदल दीवार का विवर यह है और यहां प्रभाव १८४/२ वृत्त छाता-३२४ हेक्टेयर में है। बदल की यूल अवधिक उत्तरानन छाता-१.५५.८०० अडियर है।

उत्तरानन अविवेचन का बदलाव की एक ही दीवार उत्तरानन के इच्छा विवर ०५/१०/२०२३ द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु दीवार विवर गया।

दूसरा का विवरन् –

(१) अधिक छी व्यापी विवर १२/१०/२०२३

प्रस्तुतीकरण हेतु छी व्यापी यूल यूला प्रोप्रोटर उत्तरानन है। अधिक छी व्यापी यूल यूला प्रोप्रोटर का अवलोकन एवं विवरण तथा पर विषय विवर यह है—

१. बांधालक, लोधियाँ तथा खानियाँ बाट यहां का यूल यूल के पु. आवन छाता १७२/व्यापी ८०/१५. यूलायूल/नक्का ०४/२०२१ यहां यापनुर विवर १०/०१/२०२३ द्वारा दीवार विवर द्वारा (इसे— छी व्यापी यूल यूला यूला) की लीकूर बदलाव बदला छाता १८४/२ सेक्टर १.४३ हेक्टेयर एवं बदला छाता १८४/२ सेक्टर १.४२ हेक्टेयर का यूल सेक्टर १.४४ हेक्टेयर हेतु यामेत्तम विवर गया है।

२. यूल में जारी पर्यावरणीय स्थिति विवरन्—

१. पूर्ण में दीवार की यूलिक विवरण, इसे छी व्यापी यूलीय की सम्भालन प्रकाश बदलाव यह ही ओर यहां प्रभाव १८४/२ वृत्त छाता-१.४२ हेक्टेयर, छाता-३२.८२३ टन प्रतिहर्व द्वारा विवर यहां पर्यावरण बदलाव विवर बांधिकरण, जिस-दीवार बदल दीवार का बांधालक यूलीय स्थिति विवर ०१/१२/२०१६ की जारी की गई।
२. बांधालक कांस्ट्रक्टर (अधिक याता), जिस-दीवार बदल दीवार की याता छाता-६००/स्थिति/व्या./२०२३-३४ दीवार का विवर २०/०९/२०२३ द्वारा विवर यही में दीवार यहां पर्यावरण की जानकारी विवरण्यात है—

वर्ष	सम्भालन (हेक्टेयर)
२०१८-१९	२.३८७
२०१९-२०	१०.६६८
२०२०-२१	११.६१३
२०२१-२२	१४.०००
२०२२-२३	१९.५६३

३. पूर्ण में दीवार की यूलिक विवरण, इसे छी व्यापी यूलीय की सम्भालन प्रभाव बदलाव यह ही ओर यहां प्रभाव १८४/२ वृत्त छाता-१.४३ हेक्टेयर, छाता-३१.१३६ टन प्रतिहर्व द्वारा विवर यहां पर्यावरण बदलाव विवर बांधिकरण, जिस-दीवार बदल दीवार का बांधालक यूलीय स्थिति विवर ०१/१२/२०१६ की जारी की गई।
४. बांधालक कांस्ट्रक्टर (स्थिति याता), जिस-दीवार बदल दीवार की याता छाता-६००/स्थिति/व्या./२०२३-३४ दीवार का विवर २०/०९/२०२३ द्वारा विवर यही में दीवार यहां पर्यावरण की जानकारी विवरण्यात है—

वर्ष	प्रत्याहरण [प्रतिशत]
2018-19	8.784
2019-20	13.388
2020-21	11.105
2021-22	11.440
2022-23	10.885

१. लाभगत में 206 करोंकी का संघरण कर प्रतीकाकृत अधिक जानकारी उम्मुक्ति दिया गया है।
२. यूटी ने जारी प्रतीकाकृत स्टीम्पूरि के लाई के प्रत्याहरण में की गई कारबोलही की जानकारी एवं कृत बीड़ीए वार्डलय, चापा सरकार वर्डलय, वन एवं जलवाया परिवर्तन संस्थालय, राष्ट्रपुर से प्राप्त कर प्रकृत नहीं की गई है। स्टीम्पूरि का नह है तो उपरिवर्तन का प्रकारक हासा एक्सीकूल बीड़ीए कारबोलय, चापा सरकार वर्डलय, वन एवं जलवाया परिवर्तन संस्थालय, राष्ट्रपुर से यूटी में जारी प्रतीकाकृत स्टीम्पूरि का प्रत्याहरण प्रतिवेदन प्रकार कर प्रकृत दिया जाना आवश्यक है।
३. स्टीम्पूरि का नह है तो यूटी में जारी प्रतीकाकृत स्टीम्पूरि दिनांक 07/12/2018 से दिनांक 31/12/2018 तक दिये गए उत्तरानन की जानकारी जानकारी खानिक दिनांक के प्रभावित करावर उम्मुक्ति दिया जाना आवश्यक है। इस ही यूटी में दिये गये उत्तरानन की जानकारी दिन में उल्लंघित करी हुये खानिक दिनांक के प्रभावित करावर उम्मुक्ति दिया जाना आवश्यक है।
४. राम चंद्रवत का अनावर्तित प्रवास करा – उत्तरानन एवं कालार के संबंध में राम चंद्रवत खुल्ली का दिनांक 04/01/2023 का अनावर्तित रामान कर प्रकृत दिया गया है।
५. उत्तरानन दीजना – कठीनी जलन (उत्तराननमेहन) दिया इन्हायारेसेट रिंजिसेट जलन एवं कठीनी जलन प्रकृत दिया गया है, जो उप-वार्डलय (एप्र). दिना-दिनार कालार कालार के पु. जामन दिनांक 170-180/खानिक/पलायी अनु./एप्र./2023 कालार दिनांक 28/04/2023 द्वारा अनुमोदित है।
६. 300 बीटर की वर्तिये में दिया जाना – कर्मचारी वर्डलय (खानिक जामन), दिना-दिनार बहार दीजना के जामन दिनांक 170/खानिक/एप्र./2023-24 दीजनार, दिनांक 11/05/2023 अनुसार अवैदित तदान से 300 बीटर की वर्तिये अवैदित रामानी की संख्या दिया गया है।
७. 300 बीटर की वर्तिये में दिया जाना वर्डलय (खानिक जामन) – कारबोलय कर्लोटर (खानिक जामन), दिना-दिनार बहार दीजना के जामन दिनांक 171/खानिक/एप्र./2023-24 दीजना, दिनांक 11/05/2023 द्वारा जारी जामन दिया अनुसार बहार तदान से 300 बीटर की वर्तिये में कोई भी वार्डलय की वर्तिये नहीं दीजना दीजनार दिया गया है।
८. यूटी एवं लीज का दिवाल – एवं जासकोंप खुली है। जासकोंप वर्डलयी नम्बर वर्डलयी अटल नगर जहा राष्ट्रपुर के पु. जामन दिनांक 172/खानि 02/एप्र. जासकोंप/एप्र. 04/2021 नवा राष्ट्रपुर दिनांक 10/01/2023 द्वारा उत्तराननी जहा सम्मेलन (summarisation) केरांते दिया दिनांक दो- दो वर्डलयी

मुन्हार सुरना के नाम पर लिया गया। अमलगतित (amalgamation) लैज लेव
की डिटॉल लिंगांग 26/01/2027 तक है। लैजी वा समर्गित
(amalgamation) लिंगांग लिखा गया है।

सं.	पट्टेदार का नाम	संख्या प्राप्ति	संवैधानिक संख्या (ट्रांसलेट)	कारण
1.	मेसांह लिंगांग, दो- की रामेश सुरना सुरना	909 / 2 (प्र०)	1.42	लिंगांग 21/01/1997 से 26/01/2027 तक
2.	मेसांह लिंगांग, दो- की रामेश सुरना सुरना	909 / 2 (प्र०)	1.42	लिंगांग 21/01/1997 से 26/01/2027 तक
समर्गित चक्रांत कुल संख्या				3.24 हेक्टेएर

पूर्व में लैज लेवांह पुनिक लिंगांग लैजांग, दो. की आर्थिक स्थितीय की बाज़ पर
की लिंगांग लैजांग लिंगांग 09/04/2021 की लैजांह लिंगांग लिंगांग, दो-
की रामेश सुरना के नाम पर लिया गया।

8. डिस्ट्रीक्ट कारी लिंगांग - कारी 2019 की डिस्ट्रीक्ट कारी लिंगांग (District Survey Report) की जांच प्राप्ति की गई है।
9. जन लिंगांग का अनावलित प्रभाव पर - कार्यालय वन्नामालालिंगांग, लैजांग
प्राप्ति, लिंगा-लैजांग की प्राप्ति छापा/कार्टा./4016 लैजांग, लिंगांग
09/07/2022 के जारी अनावलित प्रभाव पर अनुसार अवैधित वा लिंगांग
जन लैज की सीमा की 1 किमी. की दूरी पर है।
10. भवान्युजी भौतिकपट्टी की दूरी - लिंगांग लैज की जाम-जूली 1.8 किमी., लैज
जाम-जांसी 1.5 किमी. एवं अन्यान्य जाम-जांसी 0.6 किमी. की दूरी पर लिया
है। लाईटिंग जामांग 24 किमी. एवं लैजांग 6 किमी. दूर है। लैजांग की 2.7
किमी. दूर है।
11. परिवेशीकृतीय/जीवविविधता संवैधानिकीय सीमा - परिवेशीकृत प्रभावक द्वारा 10
किमी. की प्राप्ति में अनावलित सीमा, राष्ट्रीय चक्रांत, अभ्यासालय, लंग्हीय
प्रदूषण लिंगांग सीमा द्वारा प्राप्ति लिंगांगीय भौतिकपट्टी तथा परिवेशीकृतीय
संवैधानिकीय सीमा का घोषित योग्यतांका द्वारा लिया जाने वाली लिंगांग लिंगांग है।
12. जामांग जामांग एवं जामांग का लिंगांग - लिंगांगलिंगांग लिंगांग 13.04.2023 तक एवं
भवान्युजी लिंगांग 6.37.2023 तक है। लैज की 7.5 कीटर लैजी की सीमा पट्टी
(त्रांसलेट) की लिंग उत्तिकृत कीटर का लैजांग 6.127.5 कर्मचारी है। जामांग
जामांग सीमी लैजांगलिंगांग लिंगी से जामांगल लिया जाता है। चू-जाम से जामांगल
की अविकलन जामांग 6 मीटर तक जाम जामांगल हैं। यांगी सीमा की अविकलन
जामांग 37 कीटर है। लैज सीमा में जामी लिंगांग लिंगांग नहीं है। लैज की कालाई 3
कीटर एवं लैजांग 3 कीटर है। जामांग की अविकलन जामांग 4 तरी है। लैज हिंग से
लिंगांग एवं लैजांग जामांग लिया जाता है। लैज सीमा में कालांग जामांग है।
लिंगांग लैजांग 630 कर्मचारी है। जामांग में जामांग प्रदूषण लिंगांग हैं। जामांग का
लिंगांग लिया जाता है। जामांग प्रदूषण अविकलन का लिंगांग लिखा गया है।

क्रम	प्रस्तावित राशियाँ (₹)
प्रथम	1,66,855.00
द्वितीय	1,67,841.65
तृतीय	1,67,325.95
चौथा	1,66,833.40

14. जल संग्रहीति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा इन सभी उपक्रियाएँ होगी। जल की आवृत्ति याम पंचांग द्वारा दीकों के प्रभाव से ही जाती है। इस बाबत यह पंचांग का अनावरण प्रयाप्त कर इसका लिया गया है।

15. कुलसंग्रह खारी – लीज बोर की सीमा में जली और 7.6 मीटर की ऊंचाई में 1,246 नग त्रुष्णांशुक लिया जाएगा। इसका इसलिए अनुमान दीकों के लिए राती 1,14,840 लाख, पांचिंग के लिए राती 3,48,000 लाख, जलद के लिए राती 13,060 लाख, शिवार्थी एवं रक्षा-संवर्धन अटी के लिए राती 3,75,000 लाख, इस प्रयोग वज्र की में कुल राती 8,55,800 लाख तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राती 4,55,800 लाख से हेतु आवश्यक खारी का विवरण इसका लिया गया है।

16. खदान की 7.6 मीटर की ऊंची सीमा छट्टी में उत्तरानन – लीज बोर की जली और 7.6 मीटर की ऊंची सीमा छट्टी में उत्तरानन खारी जी लिया गया है।

उत्तरानन कर्तीकर (जनरिज लाभ) लिस्ट-दीक्षिण बहाव दीक्षिण की आपस कम्पनी 487 / जनरिज / न.प. / जमा.01 / 2022-23 दीक्षिण, दिनांक 25/11/2022 द्वारा जारी पर अनुमान ऐप (Scope) लिस्ट हेतु स्थिति दीक्षिण की जाह्न लगभग नाम 250- प्रबन्धित जनरिज का उत्तरानन उत्तरानन लिया गया है। यहां के साथ ये दोनों लिस्ट दीक्षिण उत्तरानन का प्रकल्प हरी लिया जाकर जली 122,500/- अधिकारी प्रतिवित कर रही रासूल की गई है।

17. कोर्पोरेट एंविरोनमेंटल रिपोर्ट (C.E.R.) – परियोजना प्रवर्तनक द्वारा भी इंडिया (Corporate Environmental Responsibility) हेतु सीरिज के साथ लिस्ट की जानकारी लिया गया रासूल लिया गया है—

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
45	2%	0.90	Following activities at Village- Dhundi	
			Farmer Nirmal	5.20
			Total	5.20

18. लीज बोर के अन्तर्द्वारा परियोजना लिया गया की तात् (अंडेल, नीम, आम, अनुम, जामुन, अमलाता, लादांग आदि) का उत्तरानन हेतु रासूल प्रवर्तन अनुमान 95 लाख रुपयों के लिए राती 3,300 लाख, दी-गारी के लिए राती 10,000 लाख, जाद के लिए राती 750, शिवार्थी तथा रक्षा-संवर्धन अटी के लिए राती 145,000 लाख, इस प्रवर्तन प्रयोग की में कुल राती 1,63,250 लाखों तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राती 3,57,400 लाख से हेतु आवश्यक खारी का विवरण इसका लिया गया है। परियोजना प्रवर्तनक द्वारा यह पंचांग पुस्ती के साथसे उत्तरानन घोषित किया गया है।



स्थान (संस्करण अन्वयक 12A, संस्करण 0.05, बिलेट 5) के संबंध में जनरली प्राप्ति जारी की गई है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रदूष कर्ता विवरणीयिक यात्रा अनुसार यात्रा शीर्ष के 7.5 मीटर ऊपरी सीधी सीधा पट्टी (उत्तराधिन के लिए प्रतिशतीय केर्ड) में प्रदर्शित हो सकता है। समिति का नाम है कि उत्तराधिन के लिए प्रतिशतीय 7.5 मीटर ऊपरी सीधी सीधा पट्टी को उत्तराधिन सीधी सीधा के बीच यात्रा जारी रखना अनिवार्य है। अतः उत्तराधिन अनुसार कर्ता यात्रा (Surface plan) को संशोधित कर जनरली विभाग की प्रमाणित यात्राएँ प्रदूष विभाग द्वारा अनुमति दी जाएं।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवंटित यात्रा हेतु प्रस्ताव अनुसार यात्रा का समयीन युक्ताधेन विवेचन करने के लिए योग्य विवरों का इस अवधि देखायें। यह-यहां कर्ता हुए यात्राधिन रेट (survival rate) 90 परियोजना गुणीरित विवेचन करने वाला एक एवं प्रत (Notarized undertaking) प्रदूष विभाग द्वारा है।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण सीधीसीधी प्राप्त होने के प्रस्ताव अनुसार यात्रा के छोड़े ही क्षेत्र अधीक्षण दर्जे का इस्तमाहित जारी है एवं समानीय समिति के नाम अनुरा विवेचन के अनुसार यात्रा करने कानून वाला एवं प्रत (Notarized undertaking) प्रदूष विभाग द्वारा है।
21. अलाइस्टर का नाम और लीसीएस एस. द्वारा अधिकृत विस्तोरक साक्षीर यात्रा (Explosives Licensee Holder) द्वारा करने वाला एवं प्रत (Notarized undertaking) प्रदूष विभाग द्वारा है।
22. अलाइस्टर द्वारा उत्तराधिन के विवरण हेतु नियमित यात्रा विभाग विवेचन करने वाला एवं प्रत (Notarized undertaking) प्रदूष विभाग द्वारा है।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनियोग करनेवाला नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाधकीय विवरों द्वारा सीधाकर्ता का यात्रा सुनिश्चित विवेचन करने वाला एवं प्रत (Notarized undertaking) प्रदूष विभाग द्वारा है।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनियोग करनेवाला अधीक्षण के अनुसार विविध यात्रा एवं युक्ताधेन विवेचन करने वाला एवं प्रत (Notarized undertaking) प्रदूष विभाग द्वारा है।
25. जनरल सुनिट की अधीक्षण के बाहर कर्ता यात्रे का एवं सुनिट का यात्रा एवं यात्रे करने वाला एवं प्रत (Notarized undertaking) प्रदूष विभाग द्वारा है।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यात्रा विवरणीय यात्रा एवं यात्रा विवरणीय यात्रा करने वाला एवं प्रत (Notarized undertaking) प्रदूष विभाग द्वारा है।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दूरित यात्रा का प्रयोग प्रदूषित यात्रा रखी, यात्रा अधीक्षण, नहीं, नामा नहीं विवेचन करने वाला एवं प्रत (Notarized undertaking) प्रदूष विभाग द्वारा है।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यात्रा एवं (Notarized undertaking) प्रदूष विभाग द्वारा है कि उनके विस्तोरक द्वारा परियोजना/यात्राएँ से संबंधित कर्ता की अवधारणीय अवधारणा के अंतर्गत विवेचन की आवश्यकता नहीं है।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यात्रा एवं (Notarized undertaking) प्रदूष विभाग द्वारा है कि उसके विस्तोरक यात्रा यात्राएँ, यात्रा एवं यात्रा विवरणीय यात्राएँ

की अधिकृतता का। आदेश, दिनांक 14/03/2017 के अन्तर्गत यहां प्रकाशित कर दिया जाएगा है।

३०. वालनीय गुरुदीप कोटे द्वारा दिनांक 02/06/2017 की common cause vs. Union of India wrt petition (C) 114 of 2014 में दिए गये निर्देश का चलन दिया जाएगा इस समय पर (Notarized undertaking) प्राप्त किया गया है।
३१. वालनीय गुरुदीप कोटे द्वारा दिनांक 08/01/2020 की wrt petition (C) Civil No. 114 / 2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिए गये दिया निर्देशों का चलन दिया जाएगा इस समय पर (Notarized undertaking) प्राप्त किया गया है।

निम्नों द्वारा दिया गया चलान वालनीय गुरुदीप द्वारा किया गया—

१. दक्षिणांक संविधान वालनीय गुरुदीप कोटे द्वारा यहां प्रकाशित वालनीय गुरुदीप, रामगढ़ से दूर्घाँ में जाए वालनीय गुरुदीप का चलन उत्तिष्ठान द्वारा कर द्वारा किया गया।
२. दूर्घाँ में जाए वालनीय गुरुदीप दिनांक 07/12/2016 की दिनांक 31/03/2018 तक दिए गए उत्तरानन की वालनीय वालनीय गुरुदीप का चलन उत्तिष्ठान द्वारा कर द्वारा कर द्वारा किया गया। उत्तरानन की वालनीय वालनीय गुरुदीप कोटे दूर्घाँ वालनीय दिनांक 31/03/2018 का उत्तरानन प्राप्त किया गया।
३. उत्तरानन के दिए उत्तिष्ठान रा.डि. गेटर वीडी वीथ पट्टी की उत्तरानन द्वारा के गेटर उत्तरानन वालनीय वालनीय गुरुदीप का वालनीय वालनीय गुरुदीप द्वारा कर द्वारा किया गया।

प्राप्तीका वालनीय वालनीय/दक्षिण वालनीय होने वालनीय वालनीय की जाएगी।

वालनीय वालनीय को उदान्मुख गुरुदीप दिया गया।

५. मेहरां विलीय विलक्षण विलिंग (वालनीय वालनीय वालनीय), राज-कोरीनाली, राजनीति-वालनीय वालनीय, विला-वालनीय (वालनीय वालनीय वालनीय वालनीय) वालनीय वालनीय — प्राप्तीका वालनीय — वालनीय/ वीडी/ एवलाउट/ वालनीय/ वालनीय/ ३०२३, दिनांक ०३/०६/२०२० द्वारा वालनीय गुरुदीप दूर्घाँ लोटेन किया गया।

उत्तरानन का दिनांक — यह उत्तरानन वालनीय वालनीय (वीडी वालनीय) द्वारा है। उत्तरानन राज-कोरीनाली, राजनीति-वालनीय वालनीय, विला-वालनीय विला वालनीय वालनीय १११, ११२ एवं ११३(पर्टी), गुरुदीप सेक्टर-२.७२ गेटेनर में प्राप्त किया गया है। उत्तरानन की वालनीय वालनीय वालनीय ८,००,०९८ रुपये वालनीय है।

उदान्मुख वालनीय वालनीय को एकई एकी, वालनीय वालनीय को वालनीय दिनांक ०६/०६/२०२० द्वारा प्राप्तीका वालनीय वालनीय द्वारा दूर्घाँ दिया गया।

दृष्टवा का दिनांक —

- (अ) वालनीय की वालनीय दिनांक १२/०६/२०२०:

प्रस्तुतीकरण हेतु वी संसद चुनाव मिश्न, अधिकार प्रतिनिधि चालिका द्वारा। सभिति द्वारा नहीं, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान सभिति के संहार में एवं जापा कि आर्थिक कलेक्टर (अधिकार जापा), वित्त-जापाक के बाप्तन छम्बक ७८०/वा०३०/का०/२०२३ द्वारा, दिनांक ०५/०९/२०२३ अनुसार आवेदित खदान में ५०० मीटर के बीच अवलिक्षण। खदान संख्या २०२० दिए गए हैं। सभिति के संहार में यह जापा जापा कि उक्त कलेक्टर के बीच एक अन्य प्रस्तावित नीति होती है एवं जापा कि यह नहीं है, विस्तार अवलोकन कार्यस्थल कलेक्टर (अधिकार जापा), वित्त-जापाक द्वारा प्रस्तुत अन्य प्राप्ति नहीं है। इस आवेदित खदान में ५०० मीटर के बीच उक्त प्रस्तावित नीति होती है एवं जापा कि यह नहीं है। सभिति द्वारा प्रस्तावित नीति होती है कि उक्त कलेक्टर के बीच एक अन्य प्रस्तावित नीति होती है एवं जापा कि यह नहीं है। वित्त-जापाक संघर्ष संघर्षकों का बुल द्वारा दिनांक १२/१०/२०२३ के बाप्तन संघर्षकों का अनुसृत किया गया। जापा कि द्वारा अनुसृत को जापा किया गया है।

सभिति द्वारा वित्ती प्रबन्ध संविहानकों से परिचयका जालाजाह के अनुसृत की संविहान करते हुए आवेदित प्रकल्प को वि-वित्त/वित्त किये जाने की अनुसृत की गई तथा इंडिपॉर्ट नोटिफिकेशन २००८ (या संहीनिता) को जापा जापा करते हुए युवा आवेदन करने की अनुसृत की गई।

इस जापाक प्रबन्धका द्वारा अवलोकन एवं अनुसृत करने के बाप्तन वित्तीकरण को जापा जापा किया जाए।

८. नेताजी लक्ष्मिनगर सेक्टर नं०८ (वी—बीकी जापाकी जिल्हा), या०—लक्ष्मिनगर, जापाकी वा वित्त—गारामगुरु (प्रतिक्रिया का नहीं जानकार २०१७)

जापाकीन आवेदन — प्रबन्धका नम्बर — ए०४४४५/ ल०१०१/ ए०४४४५/२०२३, दिनांक ०५/०९/२०२३ द्वारा पर्यावरणीय सभिति हेतु जापाकीन आवेदन किया गया है।

प्रबन्धका विवरण — यह प्रस्तावित वित्त (वीन लूगित) जापा है। खदान या०—लक्ष्मिनगर, जापाकी वा वित्त—गारामगुरु वित्त खदान ज्ञानका ३४४३, बुल संख्या०८ हेतु दिए गए हैं। जालाजाह द्वारा नहीं से वित्त जापा जापाकी है। खदान की आवेदित उत्तरान ज्ञाना—६०,००० चालीसठ डिस्ट्री है।

जापाकीर विवेदन उमाजाह को ए०४४४५ से जापाकीर को जापा दिनांक ०५/१०/२०२३ द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

दृष्टका वा विवरण —

(अ) सभिति की जापा के दिनांक १२/१०/२०२३

प्रस्तुतीकरण हेतु वी प्रकाश द्वारा जापा, अधिकार प्रतिनिधि उपसंचार द्वारा। सभिति द्वारा नहीं, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर विस्तरित पाई गई—

१. यहाँ में जापा पर्यावरणीय सभिति कोकी विवरण— इस जापा को यहाँ में पर्यावरणीय सभिति जापा नहीं की गई है।

2. इस विवाहत का अनावृत्ति दस्तावेज़ - एकलमय के संबंध में याम वर्षावा लाभिन्स्ट्रुट का दिनांक 11/06/2017 का अनावृत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. विश्वासित/सीमित - कार्यालय कलेक्टर (विभिन्न जातीय) को आवंटित पैदा रायगढ़ हेतु विश्वासित/सीमित जाती दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. उत्तमता घोषणा - नाईपिंस याम प्राप्तुता किया गया है, जो चंडूखा-संचालक (एप्र.) संचालनालय, जीमिती का लाभिन्स्ट्र., या रायगढ़ एटल नगर विला-रायगढ़ के द्वायन नं. 4888/वार्षि. 02/एप्र./रायगढ़/नं. 08/2023 या रायगढ़ दिनांक 20/07/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की वर्तिति में विश्वासित कार्यालय - कार्यालय कलेक्टर (विभिन्न जातीय), विला-रायगढ़ के द्वायन उम्मीद 727/वार्षि. 02/एप्र./2023 यामस्ट्रुट दिनांक 28/08/2023 की अनुसार आवंटित कार्यालय में 500 मीटर के वैतर विविधत अन्य ऐत खातानी की घोषणा कियी गई।
6. 500 मीटर की वर्तिति में विश्वासित वार्तितिक कंट्र./संस्थान - कार्यालय कलेक्टर (विभिन्न जातीय), विला-रायगढ़ के द्वायन उम्मीद 728/वार्षि. 02/एप्र./2023 यामस्ट्रुट, दिनांक 28/08/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार एकत्र कार्यालय के 500 मीटर की वर्तिति में कोई भी वार्तितिक कंट्र. द्वारा पुरु राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राज राजीत वाले या जाति वार्तितिक राजमे वासी संस्थाना क्षेत्र का अन्य उत्तिवितिक द्वारा वर्तित नहीं है।
7. राज्योंत्तर का विवाह - राज्योंत्तर दीवारी वार्तितिक विश्वासित का नाम यह है, जो कार्यालय कलेक्टर (विभिन्न जातीय), विला-रायगढ़ के द्वायन उम्मीद 600/वा/वार्षि./एप्र. वीलार्टी/नं. 08/2023 यामस्ट्रुट, दिनांक 31/08/2023 द्वारा जारी की गई, विश्वासित वार्तिति 6 मह द्वारा दीया गया है।

उत्तीर्णक वायाल, वालिय वायाल विवाह, मजलसाय, महाबद्धी खवन, नवा रायगढ़ एटल नगर द्वारा वार्तितिक वील वार्तितिक कार्यालय ऐत (उत्तरायन एवं वायाल) विवाह 2018 हेतु संस्थान अविस्तृता दिनांक 08/08/2023 की जारी की गई है। यह उत्तीर्णक वायाल के विवाह 4 अनुसार "उत्तरायन फट्टे" की वार्तावार्ती-वायाल ऐत के उत्तरायन हेतु उत्तरायन फट्टा याच का की वार्तावार्ती के लिए प्रदान किया जाएगा। याच का की वार्ती की वायाल उत्तरायन फट्टा विवेक के पार्टीयन दिनांक से विवाह जाएगा।" का घोलेता है।

8. इस विवाह का अनावृत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय दर्वाजावार्तिकारी, वायाला उत्तरायन, विला-रायगढ़ के द्वायन उम्मीद/वार्षि./नं. 08/वायगढ़, दिनांक 08/08/2017 से जारी अनावृत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार आवंटित कंट्र. का दीप की दीपा से 10 दिनों दूर है।
9. विस्ट्रीवाट वार्ती रिपोर्ट - वर्ष 2018 की विस्ट्रीवाट वार्ती रिपोर्ट (District Survey Report) की दीपी अनुप्राप्त की गई है।
10. रायगढ़ उत्तरायन वार्ती की दूरी - विवाहाम जायादी राज-लाभिन्स्ट्रुट 400 मीटर, रायगढ़ राज-लाभिन्स्ट्रुट 1.5 किमी, एवं उत्तरायन वायगढ़ 10 किमी की दूरी पर विद्यत है। राष्ट्रीय रायगढ़ 6.5 किमी एवं उत्तरायन 11 किमी दूर है।
11. वायाल वायाल का नदी की याट की घोषाई एवं वायाल की नदी उट से दूरी - आदेदन अनुसार वायाल वायाल पर नदी की याट की घोषाई - अविकल्प 627



बीएस न्यूज़लैंग 274 बीएस तथा लाइन फोल की विवरी – अधिकारी 210 बीएस न्यूज़लैंग 313 बीएस एवं लाइन फोल की विवरी – अधिकारी 263 बीएस न्यूज़लैंग 502 बीएस दरवारी नहीं है। लाइन की जाँच के लियारे के दूरी अधिकारी 71 बीएस न्यूज़लैंग 04 बीएस है।

- स्वास्थ्य पर रेत की गोटाई - अपैदन अनुसार स्वास्थ्य पर रेत की गोटाई - 3.5 बीटर तक रेत खाने की प्रस्तावित गोटाई - 2 बीटर दर्शाई गई है। अनुसारित भार्टमिंग प्राप्त अनुसार स्वास्थ्य में गोटाईवाले रेत की मात्रा - 1,00,000 एकलीटर है। रेत खाकरने के प्रस्तावित स्वास्थ्य पर वर्तमान में जालखाता रेत स्वास्थ्य की गोटाई यामयी के लिए प्रस्तावित स्वास्थ्य पर 3 गोटे की अनुसार स्वास्थ्य की वास्तविक गोटाई यामयी के लिए प्रस्तावित जालखाती जालखाती की वास्तविक गोटाई यामयी का मापन कर, लमिज़ लियान और इंगारित जालखाती जालखाती की वाह है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध गोटाई 3.5 बीटर है। रेत की वास्तविक गोटाई के लिए लिया गया है।
 - साफ्ट लीवर में रेत सतह की सेक्सेस्टर - रेत खाकरने के दौरान प्रस्तावित स्वास्थ्य एवं अनुसारित जाल के बारे में ताक 35 बीटर गुणा 35 बीटर के लिए लियन्डुली पर दियाएँ 32/08/2023 को रेत सतह के वामान सेक्सेस्टर (Leveller) लेन, कर्णे लमिज़ लियान से प्रभावीकरण घटाना और लालित जालखाती, दस्तावेज़ प्रदूषण लिये गये हैं।
 - वार्षिक यांत्रिकीय दरविज़ (C.E.C) - दरविज़ जालखाती द्वारा संभिति के साथ लियान और यांत्रिकीय लियान प्रस्तावित घटान लिया गया है।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
64.00	2%	1.28	Following activities at, Village- Lafinkhund Plantation ₹ 1,365 Village pond Total 1,365	

15. श्रीडुर्लाल के अंतर्गत व्यवसाय के खासों और व्यवसायीय (आप, इमारती, जानूर आदि) लेने प्रकृत व्यवसाय जानूराम बुल 150 नग दीर्घी के लिए राति 10,000 रुपये, चौकिंग के लिए राति 80,000 रुपये, बाड़ के लिए राति 1,800 रुपये, लिपावट व्यवसाय वस्तु-व्यवसाय आदि के लिए राति 12,000 रुपये इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में यह लागत 84,000 रुपये रखा जायगायी । जब ऐसे यह लागत 80,000 रुपये हो तो यह व्यवसाय व्यवसाय का लिपावट प्रकृत लिपावट नहीं होता है। परिवेशना व्यवसाय का द्वारा यह प्रत्येक लाभिकार्यालय की सहमती दरवाजां प्राप्तिया रखने लिया जाना चाहिए 3000 लोअरल 0.70 हेक्टेयर) के क्षेत्र में उत्तमकालीन प्रकृत वाई होती है।

16. व्यवसायीय वाई — वर्षी के लाठ पर वाम पश्चिम लाभिकार्यालय की सहमती दरवाजा लाभकालीय भूमि (व्यवसाय व्यवसाय 3412, बुल लीजाल 5.21 हेक्टेयर में हो तो व्यवसाय व्यवसाय की सहमती दरवाजा लाभकालीन व्यवसाय दिया जाता है, जो निम्नलिखित

विवरण	प्रथम दर्शन (करारी)	द्वितीय दर्शन (करारी)	तृतीय दर्शन (करारी)	चौथा दर्शन (करारी)	पंचम दर्शन (करारी)
सामान्य भूमि में (1,000 माला) कुलाधीनम् दर्शन	कुलाधीन (10 परिसर जीवन वर्ष) दर्शन दर्शन	70,000	7,000	7,000	7,000
	परिसर दर्शन दर्शन	40,000	—	—	—
	सामान्य दर्शन दर्शन	5,000	500	500	500
	सिवाय एवं एक-एकांक दर्शन दर्शन	18,000	18,000	18,000	18,000
कुल दर्शन = 2,83,000		1,81,000	26,500	26,500	26,500

17. गोप्यकार के तहत सामान्य दर्शन की जगत-जात वर्षीय दर्शन पूर्ण वर्ष में सामान्य कुलाधीन दर्शन दिये जाने एवं संपूर्ण दर्शन की संपूर्ण काट दर्शन-एक दिये जाने वाला जात समान्य यज्ञ (Notarized undertaking) प्रमुख दिया जाता है।

समिति कुला दिवार दिवारी उपर्युक्त कालिकाति से विभागकुला दिवारी दिया जाता-

1. कामयालय कलेक्टर (अधिकारी जात) की अधीक्षित होने वाला ही दर्शन-दीर्घालय संबंधी दातानीक दाता का प्रमुख दिया जाता।
2. परियोजना की दिन-दिन चलती ही व्युत्थिति इसके उत्तराधीन होना उन चलती पर निर्धारित जल विहारालय की व्यवस्था दिये जाने वाला जात समान्य यज्ञ (Notarized undertaking) प्रमुख दिया जाता।
3. उत्तराधीन आठां दुर्लभता वीर्यों की व्याप्त व्यावर्तिक लोगों की संवागार दिये जाने हेतु जात समान्य यज्ञ (Notarized undertaking) प्रमुख दिया जाता है जिसका दिवार कुला व्यवस्था से बदलाव कोर्ट व्यावायालीक प्रकल्प देख की अतार्दित दिल्ली की व्यावायालय में अधिकत जाती है।
4. परियोजना प्रशासन कुला दूष आण्य का जात समान्य यज्ञ (Notarized undertaking) प्रमुख दिया जाए है जिसका दिवार कुला व्यवस्था से बदलाव कोर्ट व्यावायालीक प्रकल्प देख की अतार्दित दिल्ली की व्यावायालय में अधिकत जाती है।
5. परियोजना प्रशासन कुला दूष आण्य का जात समान्य यज्ञ (Notarized undertaking) प्रमुख दिया जाए है जिसका दिवार कुला व्यवस्था से बदलाव कोर्ट व्यावायालीक प्रकल्प देख की अतार्दित दिल्ली की व्यावायालय में अधिकत जाती है।
6. अनन्दीय गुरुदीप कोटि द्वारा दिनांक 02/08/2017 की common cause vs. Union of India & Ors. petition (C) 114 of 2014 में दिये गये दिवार का जात समान्य दर्शन दिये जाने वाला जात समान्य यज्ञ (Notarized undertaking) प्रमुख दिया जाता।
7. अनन्दीय गुरुदीप कोटि द्वारा दिनांक 08/01/2020 की गई petition (50) Civil No. 154 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिवार दिवारी का व्यवस्था दिये जाने वाला जात समान्य यज्ञ (Notarized undertaking) प्रमुख दिया जाता।

8. अंतिमोत्तम प्रस्तावक हाथ से लगाय का जावा वार [Notarized undertaking] प्रस्तुत किया जाए जि अनुमोदित उत्तरानन दोषका में दिए गईनेहल विवेचन के उत्तित नियमों के उल्लंघन किया जाएगा।
9. अंतिमोत्तम प्रस्तावक हाथ से लगाय का जावा वार [Notarized undertaking] प्रस्तुत किया जाए जि वारान में उत्ता वारान की शीर्षक रास्ट्रीयवाल सीह नामित वाईकलडैन २०१६ एवं इन्डोनेशियन एवं नामितकिंग वाईकलडैन कीर सेप्ट २०२० में वारानामी का वारान किया जाएगा।
- उपर्युक्त वारित वारानामी/वारानामेय प्राप्त होने सम्भव वारानी वारानी की जाएगी।
- परिवोजना प्रस्तावक को उत्तरानन शुभित किया जाए।
- T. ऐसामी लामिलार रोप्य गढ़ीन और—की अधिक वृक्षाव फिल्], याम—लामिलार, तहसील—वारानाम, विला—वारानाम (लामिलार का नमी इनाम २०१०)
- बीमाराईन जावेवन — इवानल नम्बर — एमाराई/ सोनी/ एमाराई/ ५००००६/२०२०, दिनांक ०४/०८/२०२० हाथ पर्यावरणीय नवीकृति हेतु बीमाराईन जावेवन किया जाए है।
- इसाम का विवरण — यह प्रस्तावित वेत (वीच वारित) वारान है। वारान याम—लामिलार, याम वारायत उत्तर, तहसील—वारानाम, विला—वारानाम प्रस्तुत इनाम ४८, युक्त होउपल-३४ हेल्टेवर में उस्तातित है। वारान वारानामी नम्भा के किया जाना प्रस्तावित है। वारान की आंदित वारानन शम्भा—५५,००० घनमीलर प्रतिवर्ग है।
- उत्तरानन परिवोजना प्रस्तावक को एकटैर सी. उत्तराननद्व के इन्हन दिनांक ०५/१०/२०२० हाथ प्रवृत्तिमान हेतु शुभित किया जाए।
- वित्त का विवरण —
- (अ) उभिति की वारी वेतक दिनांक १२/१०/२०२०:
- उत्तरानीकरण हेतु जी की वेत्तन वृक्षाव चीहान, अंडिकृत प्रस्तावित वारिता तुर। उभिति हाथा नमी उत्तराननी का अद्वीक्षण एवं वारितान करने पर विस्त विधि चाहौ गढ़—
१. यूर्त में जावी वारितानीय नवीकृति भांडी विवर— इस वारान को यूर्त में वारितानीय नवीकृति जावी नहीं की जाए है।
 २. शाम वारायत का अवायति प्रस्ताव यज्ञ — उत्तरान के लाल में शाम वारायत उत्तरान का दिनांक १२/०४/२०१० का अवायति प्रस्ताव यज्ञ प्रस्तुत किया जाए है।
 ३. विवाहित/ शीघ्रवित — वारितान कलावर (विवित वारान) से अवायति तो उत्तरान हेतु विवाहित/ शीघ्रवित लांकी उत्तरान प्रस्तुत नहीं किया जाए है।
 ४. उत्तरानन खोजना — वारितान प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए है, जो संग्रह—वारानक (खाद्य) वारितान वारितानी जी उत्तरान अटल वारान की इनाम श्री ५५१/ अगि ०२/०८/२०२०/०३, ०३/२०२० वारा वारान, दिनांक २८/०८/२०२० हाथ अनुमोदित है।

- ii. 500 बीटर की परिसीम में नियत वासान – कार्यालय कलोकटर (खण्डित जगह), चित्ता–महासंगुद के छातान इमारत 725/खण्डि./न.का./2023 महासंगुद, दिनांक 28/08/2023 के अनुसार जांची जाता था। 500 बीटर के ग्रीष्म अवधित अन्य रेत वासानी की संखा निम्न है।
- iii. 300 बीटर की परिसीम में नियत सार्वजनिक शेष/संरक्षणात् – कार्यालय कलोकटर (खण्डित जगह), चित्ता–महासंगुद के छातान इमारत 725/खण्डि./न.का./2023 महासंगुद, दिनांक 28/08/2023 द्वारा जांची प्रमाण पर अनुसार जाता जाता जाता था। 300 बीटर की परिसीम में जोई की सार्वजनिक शेष योंके गश्तीय उपकरण, प्राकृतिक जल वर्षा बोंब या जल चरिदू करने वाली संरक्षण अवधा अन्य कोई प्रतिविधित शेष निर्मित नहीं है। यह ऐसा जाता था कि 400 बीटर अपलूप्ति में पुन नियत है।
- iv. एस.डी.आर. का नियत – एस.डी.आर. की अवृद्धि बूजान सिंह की जात यह है, जो कार्यालय कलोकटर (खण्डित जगह), चित्ता–महासंगुद के छातान इमारत 725/खण्डि./न.का./2023 महासंगुद, दिनांक 01/09/2023 द्वारा जांची की जाते नियती अवृद्धि के बाहर हुए थे हैं।
- एस.डी.आर. जाता जाता जिम्मा, खंडित जगह, खंडित जगह, यहांगढ़ी जात, यहांगढ़ी अटल नाम द्वारा एस.डी.आर. जो खण्डित जगहाना तो (जलजमान एवं जलजाम) नियम 2019 हेतु संतोषान अधिकृतना दिनांक 09/08/2023 की जांची थी रही है। जल अधीकृतना के नियम 4 अनुसार “जलजमान अटल” की जलजामानी–जलजमान ऐत के जलजमान हेतु जलजमान अटल योंके यही जाताजाती के लिए प्रदान नियम जारी। यात्र योंके यही जाताजाती की गवाना जलजमान अटल नियोजन की नियमान नियमान से नियम जारी।” का वर्णन है।
- v. यह नियाम का अनावृति प्रमाण पत्र – कार्यालय बनावहताभियां, जाताजात जलजमान अटल, चित्ता–महासंगुद के छातान इमारत 725/खण्डि./न.का./20/5111 महासंगुद, दिनांक 11/10/2023 से यही अनावृति प्रमाण पत्र के अनुसार अवृद्धित शेष यह शेष की लीफ से 1.3 फिटी दूर है।
- vi. नियमीकरण फर्म रिपोर्ट – वर्ष 2019 की नियमीकरण की रिपोर्ट (Planned Survey Report) की इसी प्रस्तुत की जाती है।
- vii. महायजूली संरक्षणात्मकी की दूरी – नियमान जाताजाती जात–खण्डिताना 400 बीटर महायजूली जात–खण्डिताना 1.5 फिटी, एवं जलजमान जातीयान रोड 7 फिटी की दूरी पर नियत है। रोडीय जाताजाती 2.5 फिटी, एवं जाताजाती 40 फिटी दूर है।
- viii. जलन स्थल यह नदी के जाट की औद्योग एवं जलान जीवी जाट से दूरी – अवृद्धिन अनुसार जलन स्थल यह नदी के जाट की औद्योग – अवृद्धिकरण 212 बीटर, न्यूनतम 132 बीटर तथा जलन स्थल की लंबाई – अवृद्धिकरण 6259 बीटर, न्यूनतम 4749 बीटर एवं जलन स्थल की औद्योग – अवृद्धिकरण 79 बीटर, न्यूनतम 44 बीटर रक्षाई रही है। जलान जीवी जाट के जिनारे से दूरी अवृद्धिकरण 40 बीटर, न्यूनतम 9 बीटर है, जबकि जलानी नदी जाट से न्यूनतम दूरी 7.5 बीटर रक्षाई नदी के जाट की औद्योग का 10 प्रतिशत होना चाहिए।
- ix. जातान स्थल यह ऐत की औद्योग – अवृद्धिन अनुसार स्थल यह ऐत की वहाँरी – 3.6 बीटर जाट यह जलन की अनावृति वहाँरी – 3 बीटर रक्षाई रही है। अनुवृत्तित वहाँरी प्राप्त अनुसार जलान में नाहानेवाल ऐत की मात्रा – 45,000 लिंगीटर है। ऐसा जलजमान हेतु जलावृत्ति स्थल यह योग्यान में उपलब्ध ऐत जाता

की नीताएँ जानने के लिए, इसलिए यहां पर ५ वर्षों (२०१८-२०२३) सौदकर्म याकड़ी वास्तविक गणनाएँ का यापन कर, खानिक रिपोर्ट और वास्तविक जानकारी इसका की जाती है। इसके अनुसार ऐसे जीव व्यापक मैट्रिक्स २०१८ मेंद्रव हैं। जो की वास्तविक गणनाएँ हेतु यापनाएँ जीव व्यापक मैट्रिक्स की जानकारी है।

१३. वायान लोअर में ऐसे साथ की लोअरलेवल - ऐसे जानकारी हेतु वास्तविक याकड़ी वास्तविक याकड़ी के याती तरफ २५ मीट्रिक्स २५ मीट्रिक्स के लिए विभिन्नों जन दिनांक ०२/०६/२०२३ को ऐसे साथ के यांत्रिक लोअरलेवल (Levels) लेवल उन्हीं खानिक रिपोर्ट के व्यापकीयतान्वयन यापनाएँ प्रोटोकॉल वालिक जानकारी/वायानाकार्य प्रस्तुत किये जाते हैं।
१४. वैर वाईरिंग लोअर - नदी के याती की जीवां अधिकारी २५ मीट्रिक्स न्यूनतम १०० मीट्रिक्स है, जबकि वायान की नदी याती के लियारे ही दूरी अधिकारी ५५ मीट्रिक्स न्यूनतम १५ मीट्रिक्स अधिकारी की याती की जीवां का १० अधिकारी दूरी याती के लोअर में यापन नहीं किया जा सकता। यापनेकान्युनान नदी याती की न्यूनतम ७.५ मीट्रिक्स अधिकारी नदी के याती की जीवां का १० अधिकारी दूरी अधिकारी हुई १.५५ वर्गमीट्रिक्स वैर वाईरिंग लोअर रखा जाता है। एकीकृत यापन में ५५२ मीट्रिक्स की दूरी पर अनप्राप्तिग ने किया है। जो यापनेकान्युन अनुसार पुल आकृतियां वे किया होते ही यापन यायान के पुल की दूरी जम से जम ३०० मीट्रिक्स होन्हा आवश्यक है। अतः पुल की ताफ़ की यापन में १,०५० वर्गमीट्रिक्स में वाईरिंग लोअर रखा जाता है। इस यापन लोअर लोअर में कुल २२२ वर्गमीट्रिक्स की वैर वाईरिंग लोअर रखा जाता है। यह ऐसे जानकारी का याती यायान के दौर ३८,७४३ वर्गमीट्रिक्स लोअर में किया जाया जाना चाहिए है। यापनेकान्युन का याती वाईरिंग यापन में किया जाता है।
१५. कौरिक्ट पर्सिलेटिव रिपोर्ट (C.E.R.) - परियोजना प्रकारक इस वीड्युल (Corporate Environmental Responsibility) हेतु नीतियों के साथ लियारे ही याती यापनेकान्युन विभिन्न जानकारी प्रस्तुत किया जाता है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
			Following activities at nearby Village-Ukhra	
२३	२%	०.४६	Plantation of Village pond	०.४६
			Total	०.४६

१६. जीर्णज्ञान के अन्तर्गत याती के याती और यापनाएँ हेतु (अन्म, अन्युन एवं अन्यस्ती) प्रस्तुत यापन अनुसार ७० याती लोअर के लिए याती ३,८०० याती, यानिक याती २६,००० याती, याती के लिए याती ७०० याती, यानिक्याती याती ८५०-याती अधिक के लिए याती ३,४०० याती, याती प्रकार प्रथम याती में कुल याती ३५,६०० याती याती यापनाएँ ५ याती में कुल याती ५०,२५० याती हेतु यापनाएँ याती का लियारा प्रस्तुत किया जाता है। वरियोजना प्रकारक इस याती यापनाएँ याती के अधिक याती-जानिकारी हेतु याती यापनाएँ एपर्सनल यापनाएँ क्याम्प

(दिन-लक्षणकाल के बादवा इनमि 100 में वित्त राज्य) के संघर्ष में जानलाली जाएगी की गई है।

17. कुलदीप वर्मा – नदी के लिए यह यात्रा पर्यावरण विभाग के साथसे उपलब्ध लालचीय भूमि (दिनवा इनमि 200, यूल शोलाल 200 विकेंड) में 800 नगर कुलदीपन जलने हेतु प्रसार दिया गया है, जो विभागुल है—

विवरण	प्रथम वर्ष (लाली)	द्वितीय वर्ष (लाली)	तृतीय वर्ष (लाली)	चौथा वर्ष (लाली)	पंचम वर्ष (लाली)
नदी दर में (100 नग)	कुलदीपन (10 लाली) जीवन दर) हेतु लाली	50,000	5,600	5,600	5,600
	कर्मिय दर)	51,000	—	—	—
	प्राप्त दर)	8,000	800	800	800
	विभागीय एवं-प्रधान मंत्री हेतु लाली	18,000	18,000	18,000	18,000
कुल राशि =	2,66,000	1,53,200	24,400	24,400	24,400

18. दीड़ा-आर. के गहरे रासा लालन सेवा के लक्ष्य-यात्रा नदी दर, यांत्र लाली में साधन कुलदीपन विवेद जाने एवं संवित चौकी को संवित कर देख-देख विवेद जाने वाला जायज पर (Notarized undertaking) जाएगा दिया गया है।

संविति द्वारा दिया दिली रासायन विवेदनीय से विभागुल विवेद दिया गया—

1. कर्मसूलव लालेकटर (व्हिडिय लालार) की आवेदित रूप लालार में दिनहावन/सीमांकन कंकड़ी दस्तावेज आवार एवं प्रस्तुत दिया जाए।
2. परिवोजन से जिन-जिन लाली के पश्चिमिय एवं उत्तरीय होंगा, उस लाली पर विद्यमान जल विकास की याताया दिये जाने वाला जायज पर (Notarized undertaking) जाएगा दिया जाए।
3. अलीगढ़ जाली तुलादार वीको के लक्ष्य कुलदीप लाली को संजगत दिये जाने हेतु रासा यात्रा (Notarized undertaking) जाएगा दिया जाए।
4. परिवोजन प्रस्तावक द्वारा इस आवार का रासा यात्रा (Notarized undertaking) प्रस्तुत दिया जाए जि उसके दिलदू यात्रा लालार, पर्यावरण, दून और ललालाय परिवेदन संवालय की अधिकारता वाला 804(3), दिनांक 24/03/2017 के अधीन जोड़े लालेकटर का प्रत्याय लालित नहीं है।
5. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा इस आवार का रासा यात्रा (Notarized undertaking) प्रस्तुत दिया जाए जि उसके दिलदू यात्रा लालार, पर्यावरण, दून और ललालाय परिवेदन संवालय की अधिकारता वाला 804(3), दिनांक 24/03/2017 के अधीन जोड़े लालेकटर का प्रत्याय लालित नहीं है।
6. मनवीय सुदीप छोट द्वारा दिनांक 02/08/2017 की common cause vs. Union of India with petition (C) 114 of 2014 में दिये गये विद्यमान पालन दिये जाने वाला रासा यात्रा (Notarized undertaking) प्रस्तुत दिया जाए।



- i. वानरीद सुधीम कोट द्वारा दिनांक 09/01/2022 की अवृत्तिपत्र (S) Civil No.114/2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये फॉर्म लिटिज़ का वाचन दिया जाते रहते रहते पात्र (Notarized undertaking) अपना दिया जाए।
- ii. वरिष्ठोंका प्रत्याक्ष द्वारा इस वाचन का लाभ प्राप्त (Notarized undertaking) अपना दिया जाए जिस अनुसंधान वाचनम् कोडना में दिए वानरीद सिवाई का ऐ प्रतिक्रिया दिया ही वाचन दिया जाएगा।
- iii. वरिष्ठोंका प्रत्याक्ष द्वारा इस वाचन का लाभ प्राप्त (Notarized undertaking) अपना दिया जाए जिस वाचन में तथा युनिक की दीवान कार्टोग्राफी लेट बाईमिंग एक्सिल्स्ट्रक्चर 2018 एवं थ्रोरॉल्ड एवं वीविलिंग ग्राउंडस्ट्रक्चर की ओर दिन 2022 के प्रत्याक्षों का वाचन दिया जाएगा।

युनिक वीविल यानवली/इकायेव द्वारा ही वाचन आणी वाचनाही नी जाएगी।

वरिष्ठोंका प्रत्याक्ष को वाचन सुधीम दिया जाए।

- iii. वेता लिखित साईप सटीक कर्तवी द्वारा—की असलायम दीवान, एम-वीविल, एमील-जगदलपुर, विला-वलार (सहितस्त वा वाती दिनांक 2018) अभियानक आवेदन — आवेदन नम्बर — एमवीव/ वीवी/ एमवील/ 439161/2022, दिनांक 04/08/2022 द्वारा वाचनार्थी वीविल द्वारा आवेदन दिया गया है।

प्रत्याक्ष का विवर — यह दूर्घात सम्बद्ध द्वारा प्राप्त (एम एमिय) वाचन है। एम-वीविलांग, एमील-जगदलपुर, विला-वलार विला वाचन दिनांक 25. युल एक्सिल्स-२३७ द्वारा दिया गया है। वाचन की अवृत्ति वाचनम् वाया—३३.४१२.६ द्वा दिलाई गयी है।

भावा वाचन की वाचनांग, जब एवं वाचनांग विवरण यह विली द्वारा वाचन दिनांक 28/04/2023 वाती दिया गया है, विली विवा ५ में दिया गया है—

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be re-appraised through SEAC/SEMA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2018 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by DEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEMA, within a time period of one month from issue of the OM."

यह वाचन विवेद्यम् के द्वारा विवेद्यम् द्वारा दिया गया वाचन वाचन वाया प्राप्तिकरण से जाती वाचनार्थी वीविल की दुन अनुसंधान (re-appraisal) द्वारा एमवीव/ एमील वाचनार्थी की वाचन विवेद्यम् आवेदन दिया गया है। वाचन सरिष्ठोंका प्रत्याक्ष को एमवीव/ एमील वाचन दिनांक 08/10/2022 द्वारा अनुसंधान द्वारा सुधीम दिया गया।

वित्त का विवरण -

(v) संस्थित की बाबती वित्त दिनांक 12 / 10 / 2023:

प्रस्तुतीवाले हेतु भी समीक्षा नहर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। संस्थित हावे बाबती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं चरीकान करने पर यह विवरण पाँच बाटु़-

1. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति कामका विवरण -

- i. हेतु में जारीवाल बदल बदल जाता इमांक 55 दूसरे दिनांक 12/12/2023 ईंटरेस्ट राहता-33.4125 टक दरिखाई हेतु वित्त जारी पर्यावरण जानकारी विवरण प्रगटलग्नुर, वित्त-बदल द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 03 / 12 / 2016 की जारी की गई।
- ii. वरिष्ठोंवाला वस्तुका द्वारा पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी का बदल में की गई कार्रवाई की जू-जमानी जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- iii. वरिष्ठोंवाला वस्तुका द्वारा बदला गया हि 500 वर्ग फीट का गुणावरण वित्त गया है। संस्थित का यह हि यह संस्थित वित्त एवं योगी की जारीवाल का फोटोयात्रा परिवर्त जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
- iv. कार्यालय बोर्ड (वरिष्ठ जारी) प्रगटलग्नुर, वित्त-बदल के जापन इमांक 500/वरिष्ठ/वरिष्ठ/03/दरवा/2023 जावलग्नुर, वित्त-बदल 03 / 03 / 2023 द्वारा वित्त जारी में वित्त एवं वस्तुका भी जानकारी विवरणहुआ है।

वर्ष	वस्तुका विवरण (वरिष्ठीतर)
2018-19	1,107
2019-20	716
2020-21	1,610
2021-22	745
2022-23	563

- संस्थित का यह हि पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 03 / 12 / 2016 से दिनांक 01 / 03 / 2016 तक वित्त एवं वस्तुका की वास्तविक साजे की जानकारी वरिष्ठ विभाग से प्रमाणित करकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. प्राप्त विवाहत का कानूनीत प्रमाण यज्ञ - वस्तुका एवं जावन के जांचे में जाम विवाहत विविधतावाले का दिनांक 18 / 04 / 2007 का अन्यायित प्रमाण यज्ञ प्रस्तुत किया गया है।
 3. वावनन दोषना - जावन एवं विवाह विवाह की बोर्ड वावन विवाह इन्हावायतीमें वेनवेट वेन दर्शुत किया गया है। यो दोषनी अदिकारी वित्त-बदल बदल दोषावाह की इमांक इमांक 183/वरिष्ठ/2016 दोषावाह दिनांक 07 / 03 / 2016 द्वारा अनुमोदित है।
 4. 500 वर्ग फीट की जस्ती में वित्त वावन - कार्यालय बोर्ड (वरिष्ठ जारी) प्रगटलग्नुर, वित्त-बदल के जापन इमांक 648/वरिष्ठ/वरिष्ठ / 02 / 2023-34 / दरवा / 2023 जावलग्नुर, वित्त-बदल 10 / 07 / 2023 के अन्वार अन्यायित वावन के 500 वर्गफीट के वित्त वावनी की जावन विवाह है।



5. 250 फीटर की परिसीम में नियत सहायताप्रदाता संघ/संस्थाएँ — जनरल्स कॉर्पोरेशन (एनिल गडकी) जगदलपुर निवास-बाजार के द्वारा जनरल्स 900/परिसीम/संघि/परि/12/2023-24/परि/2023 जगदलपुर निवास 10/07/2023 द्वारा जनी प्रदान या यह अनुसार द्वारा जनरल्स के 250 फीटर की परिसीम में लौटे भौमि सहायताप्रदाता संघ द्वारा दीर्घ समय से जनरल्स की प्रतिक्रिया नहीं दिलाई जाती है।
6. चूर्ण एवं लौज का नियन्त्रण — यह जनरल्स भूमि है। लौज की जागरूकता बीचा के बाहर यह है। लौज की 10 वर्ग अक्षर निवास 10/07/2023 से 17/07/2017 तक की अवधि है ऐसे की। जामाचाल लौज की 20 वर्ग अक्षर निवास 10/07/2017 से निवास 17/07/2017 तक की अवधि है ऐसे नियन्त्रित नहीं है।
7. डिस्ट्रीक्ट जनी रिपोर्ट — कर्म 2010 की डिस्ट्रीक्ट जनी रिपोर्ट (District Survey Report) की इसी प्रकृति की नहीं है।
8. एवं नियन्त्रण का अनुपायित प्रभाव यह — जनरल्स या जनरल्सकारी, जनरल्स जागरूक जनरल्स, जगदलपुर के जापन इनाम/पार्टि/250 जगदलपुर निवास 25/05/2007 से जनी अनुपायित प्रभाव यह प्रकृति दिया गया है। जनरल्स लौज के नियन्त्रण अनुपायित के 9 बाहर यह नियन्त्रित है। यहां कुछी की जागरूकता यही यही जनरल्स जनरल्सकारी के अनुपायित उपर्याहा की नियन्त्रण याकू जागरूक प्रभाव यह (Motivated undertaking) प्रकृति दिया जाना जाना चाहिए है।
9. नहावदूरी जागरूकी की दूरी — नियन्त्रण जानी याम—नियन्त्रण 250 फीटर प्रकृति या—नियन्त्रण 250 फीट एवं अन्यान्य जगदलपुर 10 फीटी की दूरी पर नियन्त्रित है। नाट्यीय जागरूक 25 फीटी दूर है। हांसाली नहीं 250 फीट की दूरी पर नियन्त्रित है।
10. परिसीमावधीय/प्रैक्टिकल जागरूकता जागरूकता संघ — परिसीमा प्रकृतका द्वारा 10 फीटी की दूरी में जागरूकता संघ जागरूक जागरूक अन्यान्य प्रदूषण नियन्त्रण की दूरी याकू याकू परिसीमावधीय/प्रैक्टिकल एवं परिसीमावधीय जागरूकता की 10 फीट जागरूकता संघ नहीं होना जागरूकता नियन्त्रित है।
11. जामन जायदा एवं जामन का नियन्त्रण — नियन्त्रित जामन रिक्ती 4,82,970 रु. याकूलित रिक्ती 3,28,122 रु. एवं नियन्त्रित रिक्ती 2,77,310 रु. है। लौज की 7.5 फीटर लौजी लौज पहुंची जानवरन के लिए परिसीमा संघ का जामन 5,441 याकूलित है। जामन जामन संघी याकूलित रिक्ती से जामन नियन्त्रण जाता है। जामन की प्रकृतिका अधिकार गहराई 10 फीटर है। लौज संघ में जाली नियन्त्रित/जामन जामन की गहराई 10 फीटर एवं याकू 5,200 याकूलित है। याकू की गहराई 3 फीटर एवं लौजाई 3 फीटर है। जामन जामन की जामन अनु-11 वर्ग है। लौज संघ में जामन जामन नहीं है एवं हांसाली जामन का जामन नहीं नियन्त्रण है। यीक नियन्त्रण से नियन्त्रित एवं कंट्रोल जामन नियन्त्रण जाता है। जामन में याकू प्रदूषण नियन्त्रण के द्वारा जामन नियन्त्रण जाता है। याकूलार प्रकृतिका जामन का नियन्त्रण नियन्त्रित है।

वर्ग	प्रकृतिका जामन (रु.)	वर्ग	प्रकृतिका जामन (रु.)
जामन	20,647.5	जामन	30,802.5

स्थिति	21,907.5	संख्या	21,042.5
टूटीय	26,792.5	जात्यन्	21,192.5
पर्याप्ति	28,432.5	नवम्	32,175.0
प्रत्यय	30,517.5	दशम	33,412.5

12. जल अपूर्ति – परियोजना हेतु जलालय कल की जाता 3 घण्टींप्रति दर्ती है। जल की अपूर्ति बोरोडी से ही आएगी। 2 घण्टींप्रति दर्ती है जू-जल की उपचारिता हेतु लैंडल यात्रक वीटर अवॉर्डटी के अनुसार जल का प्रबन्ध किया गया है। तो 1 घण्टींप्रति दर्ती हेतु जल अपूर्ति ल्योत एवं सर्वोत्तम विभाग की अनापूर्ति इनाम एवं जलालय किया जाना आवश्यक है।

13. शूलालय कार्य – लैंड सेतु की ओर में जाके और 7.5 मीटर की पट्टी में 500 नए शूलालय किया जाएगा। प्रबन्ध प्रत्याप अपूर्ति गोदी के लिए याती 35,000 करबे, खेडिये के लिए याती 2,00,000 करबे, खाद के लिए याती 6,000 करबे, निर्माण एवं रख-रखाव अदि के लिए याती 14,000 करबे, इन प्रत्येक शूल याती 2,95,000 करबे प्रत्येक वर्ष हेतु एवं शूल याती 68,000 करबे अपूर्ति याता वर्ष हेतु प्रत्याप एवं का विभाग प्रबन्ध किया गया है।

14. जलान वी 7.5 मीटर की दीवी शीमा बद्दी में जलानन – लैंड सेतु के जाने और 7.5 मीटर की दीवी पट्टी में जलानन कार्य नहीं किया गया है।

15. कोर्पोरेट एंविरोनमेंट रिप्लिक (C.E.R.) – कोर्पोरेट (Corporate Environment Responsibility) के तहत परियोजना उपचारक द्वारा याती जलानन एवं जलालय उपचार विभाग द्वितीयां वे 50 नए शूलालय का विस्तृत इनाम प्रस्तुत किया गया था। विभाग परियोजना में 50 नए शूलालय कर्मने हेतु उपचार की जाती होने के काले उक्त प्रकार की समिति द्वारा अमान्य किया गया है। अधिक जाना है कि ही कोर्पोरेट (Corporate Environment Responsibility) के तहत शूलालय हेतु याता जलानन को रहन्मी रखनी की भूमि के जलान जानकारी एवं एक्सप्रेस एवं लैंड सेतु का जलान एवं विस्तृत प्रस्तुत कर्तित याताकारी जलालय किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा जलानन जानकारी से विस्तृत जलान विवेद किया गया यह—

1. संभिल किये गये 600 नए शूलों की वर्गीकरण का परियोजना वाहित याताकारी जलालय किया गया।
2. यूई वी याती जलानन दीवीय दिनांक 23/12/2016 से दिनांक 25/03/2018 तक लिए जाए जलानन वी जालानीक याता की याताकारी जलान विवेद से व्यापनित कर्तव्य प्रबन्ध किया जाए।
3. जलानी मिल्ही/जोड़न वाले प्रकार की जलालय प्रबन्ध किया जाए।
4. तो 1 घण्टींप्रति दर्ती हेतु जल की अपूर्ति कर्तव्य एवं सर्वोत्तम विभाग से अनापूर्ति इनाम एवं प्रत्यय का जलालय किया जाए।
5. लैंड सेतु की दीवार अवरिका कूटी की जायजाकरता रखने वाली कटाई जलालय अवरिकी से अनुमति उपलब्ध की जिसे जाने जलान जाल याता (Notarised undertaking) जलालय किया जाए।
6. कोर्पोरेट (Corporate Environment Responsibility) के तहत शूलालय हेतु याता प्रत्यापक वाला जानकारी रखनी की यूमि के जलान जलान एवं याता का जलानेक वाली हुए विस्तृत प्रस्तुत कर्तित याताकारी जलालय किया जाए।



7. वार्षिक अनुमति की संरक्षण का एवं उत्तमता प्राप्तान् नई विवरों द्वारा दिनांक 26/04/2023 के जारी अधिकारी अनुमति में दिये गये नियम का निरूपण प्राप्त होने वाला बाबत पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
 8. निरूपित नीति की ओर अनुमति द्वारा दिया जाने एवं संरक्षित गैंगों का संतुष्टिकाल ऐट (Satisfactory term) का अधिकारी अनुमति में दिये गये बाबत पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
 9. अधिकारी का कार्य की अधिकारी द्वारा अधिकृत विवरोंका संरक्षण पत्र (Explosive License Holder) द्वारा कार्य की जाने वाला बाबत पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
 10. अलीशंगक आदर्श पुनर्वास नीति की द्वारा संवर्धन लोगों को संतुष्टिकाल दिये जाने वाला बाबत पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
 11. अधिकारीजन की जिन-जिन कालों से पहुंचितिव इन्हें उत्तमता होना, उन सभी पर अधिकारी जल विफलता की अवधारणा में जाने वाला बाबत पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
 12. अधिकारीजन प्रस्तावक द्वारा लागिया विषयों के उद्द्योग वाराण्सी विवरों द्वारा संवर्धन का कार्य की अधिकारी विषयों जाने वाला बाबत पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
 13. अधिकारीजन प्रस्तावक द्वारा कार्य का दूषित जल का प्राप्त वास्तुरिक जल संबंध, सामाजिक, जनी, नाता व नहीं विषयों जाने एवं इसकी संवर्धन विषयों जाने वाला बाबत पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
 14. अधिकारीजन प्रस्तावक द्वारा इस आदर्श का अनुरोधित (Undertaking) उन्होंना किया जाए जिसके विषय इस अवधारणा की संवर्धनीय प्रक्रिया एवं की अनुरोधित विषयों की व्यवस्थाएँ में उत्पन्न होती है।
 15. अधिकारीजन प्रस्तावक द्वारा इस आदर्श का अनुरोधित अनुरोधित (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए जिसके विषय वाराण्सी सरकार, पर्यावरण, जल और उत्तमता विभागों संबंधित की अधिकृत विवरों का दिनांक 02/05/2017, विवरों 14/03/2017 के अन्तर्गत कोई उल्लंघन का प्रतीक लिया जाता है।
 16. भारतीय सूचीन कोटि द्वारा दिनांक 02/05/2017 की common cause vs. Union of India with petition (C) 114 of 2014 में दिये गए नियमों का पालन किया जानी। इस बाबत अनुरोधित (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
 17. भागीदार सूचीन कोटि द्वारा दिनांक 08/01/2020 की wti petition (वडी) CM No. 114 of 2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये विषय विवरों का पालन किया जाएगा। इस बाबत अनुरोधित (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
- सामंजस्य परिषद् भारतीय/प्रधानमंत्री प्रति हीरों उपराज भागीदारी की जाएगी।
- अधिकारीजन प्रस्तावक की उत्तमता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाए।



9. वेसर्ट बीलींग कंपनीज, याम-देलारी, तहसील व निला-तापार (सरियोजन का नम्बरी उन्नांक 2500)

बीनलटून आवेदन — प्रधानमंत्री नम्बर — एसएसए/बीली/आईएएस/436122/2023, दिनांक 10/07/2023 द्वारा दीक्षित और आवेदन नियम विधा द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकृत आवेदन में करिती होने से ज्ञान दिनांक 26/07/2023 द्वारा जानकारी प्रकृत करने द्वारा निर्दिष्ट नियम विधा द्वारा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना दिनांक 04/08/2023 को बीनलटून प्रकृत की गई।

प्रकृत वा नियम — परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत याम-देलारी, तहसील व निला-तापार नियम विधा द्वारा नंबर 41, युल बीनलटून-एट इन्स्टीट्यूट में ऐग्जाक्युशन द्वारा एक संस्थाग मित बीन-बीनल बीनलटून कमाता-20,000 टन प्रतिवर्ष एवं प्रस्तावित हीट चार्टिंग सेविंग मित घु एप्पलान कमीत कमाता-10,000 टन प्रतिवर्ष) युल कमाता-30,000 टन प्रतिवर्ष द्वारा आवेदन नियम विधा द्वारा है। परियोजना का युल नियमित रूपये 2.76 करोड़ होगी।

तदानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एसईएगी, अबीलगढ़ के द्वारा दिनांक 05/10/2023 द्वारा प्राप्तुरीकरण द्वारा प्रमिल नियम विधा द्वारा।

विवर का नियम —

- (अ) करिती की बहावी विवर दिनांक 13/10/2023

प्रस्तावितना द्वारा कोई भी अतिरिक्त व्यवसित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक की यह दिनांक 13/10/2023 द्वारा युलता ही नहीं है कि अन्यरिहार्त जालनी से आज विवर में प्रस्तावितना नियम विधा द्वारा नहीं होती है। आज आगामी आदेशित दिनके में सभी ग्राम करने द्वारा अनुरोध नियम विधा द्वारा है।

करिती द्वारा नियम विधान करनारा बालू-बीती को नियम नियम विधा द्वारा कि परियोजना प्रस्तावक की युली ने जाती गई वर्तित जानकारी एवं समस्त मुख्यालय जानकारी/दस्तावेज जारीत प्रस्तावितना दिनों जाने द्वारा निर्दिष्ट नियम विधा द्वारा।

परियोजना जानावक को तदानुसार युलित नियम विधा द्वारा।

10. वेसर्ट बी द्वारा फ़ैक्ट्रीज प्राईट नियमित, याम-सराट्यारी, तहसील-तापार, निला-तापार (सरियोजन का नम्बरी उन्नांक 2600)

बीनलटून आवेदन — प्रधानमंत्री नम्बर — एसएसए/बीली/आईएएस/437234/2023, दिनांक 19/07/2023 द्वारा दीक्षित और आवेदन नियम विधा द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकृत आवेदन में करिती होने से ज्ञान दिनांक 31/07/2023 द्वारा जानकारी प्रकृत करने द्वारा निर्दिष्ट नियम विधा द्वारा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वारित जानकारी दिनांक 04/08/2023 को बीनलटून प्रकृत की गई।

उपरान का नियम — परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत याम-सराट्यारी, तहसील-तापार, निला-तापार, युल बीनलटून-2 इन्स्टीट्यूट में ऐग्जाक्युशन बील सेलिंग नियम कमाता-30,000 टन प्रतिवर्ष द्वारा आवेदन नियम विधा द्वारा है। परियोजना का युल नियमित रूपये 3.88 करोड़ होगी।

तदनुसार परियोजना प्रकल्पक को एकाईएसी, कर्नाटक के द्वारा दिनांक 05 / 10 / 2023 द्वारा अमुखीकरण हेतु सूचित किया गया।

वित्त का विवर -

(५) जमिन की ४५वीं वेतक दिनांक 12 / 10 / 2023-

प्रमुखीकरण हेतु कोई भी घटियिक लागि नहीं हुए। परियोजना प्रकल्पक द्वारा कोई अनुरोध पर इच्छा नहीं किया गया है।

कमिशन द्वारा विवर दिखाई दरवाज़ा बांधनकाली से विवेच किया गया है कि परियोजना प्रकल्पक द्वारा वाहित जनकाली एवं अनुरोध पर इच्छा होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रकल्पक को उचानुसार सूचित किया गया।

11. शुक्र चौथे शहर (श्री-कीरती बाबी जग), राम-शुक्र, रामेश्वर-शास्त्र, विजय-उत्तमपुर (परियोजना का गठी कालांक 2020)

जीवनकृत जावेदन - उपराजन नाम - एसआरए/ श्रीषी/ एसआरए/ 438273 / 2023, दिनांक 04 / 04 / 2023 द्वारा परियोजना की विधि हेतु अनियन्त्रित जावेदन किया गया है।

प्रकल्प का विवर - यह प्रकल्पक है (भूमि नामिय) वाहन है। वाहन राम-शुक्र, रामेश्वर-शास्त्र, विजय-उत्तमपुर जिला के श्रीषी उपराजन कालांक 2742, शुक्र शोभानगर-५ हुमेंटेप में स्थानित है। उपराजन जनकाली के किया जाना उत्तमरूप है। वाहन की जांचें द्वारा उपराजन अमाता-1,42,500 रुपयोंटर प्रतिवारी है।

उचानुसार परियोजना प्रकल्पक को एकाईएसी, कर्नाटक के द्वारा दिनांक 05 / 10 / 2023 द्वारा प्रमुखीकरण हेतु सूचित किया गया।

वेतक का विवर -

(६) जमिन की ४५वीं वेतक दिनांक 12 / 10 / 2023-

प्रमुखीकरण हेतु श्री अमितेंद्र शाहर, अविकृष्ण द्वितीयिक जनकाली हुए। जमिन द्वारा नहीं इच्छा जनकाली का उपराजन एवं जावेदन करने पर विष्य किया जाए नहीं -

१. यूं में जारी जनकालीन लीकूरी बाबी विवर - इस वाहन की यूं में पर्यावरणीय स्थिति जारी नहीं की जाती है।
२. यान वंशवाहन का जनकाली उपराजन पर - उपराजन की जांच में यान वंशवाहन शुक्र (हुमेंटेप) का दिनांक 28 / 04 / 2019 का उत्तमरूप प्रवाल पर इच्छा किया गया है।
३. विवरान्वित/ श्रीमान्वित - जारीलाल बद्रीहट्टर, विवरान्वित जाना को इच्छा उपराजन यह उचानुसार यह वाहन विवरान्वित/ श्रीमान्वित का जारी किया गया है।
४. उत्तमपुर चौराजा - जिला वेतक चौराजा शाहन उत्तमपुर विवर का है, श्री रामेश्वर-शास्त्र (रामेश्वर) जनकालनालय, श्रीमान्वित जाना उत्तमपुर अदल नगर के उपराजन क्र. 4021/ श्रमि 02/ ८८/ दृष्टिभूमि/ अम. 03 / 2023 वाले उत्तमपुर, दिनांक 14 / 04 / 2023 द्वारा अनुरोधित है।

6. 200 मीटर की वर्गित में लिया गया - कलाईकर कलेक्टर (वर्गित राशि)। निम्न-लग्नुपर के ज्ञान अन्तर्क ५३३/संभि./न.ज्ञ./१०/२०२३ लग्नुपर दिनांक १०/०३/२०२३ के अन्तर्गत वार्षिक ग्राहन में 200 मीटर की भीतर अवधिक ज्ञान देता ग्राहनी की संख्या निम्न है।
7. 200 मीटर की वर्गित में लिया गया वर्गित लाइनिंग क्लोइ/वार्षिक राशि - कलाईकर कलेक्टर (वर्गित राशि), निम्न-लग्नुपर के ज्ञान अन्तर्क ५३३/संभि./न.ज्ञ./१०/२०२३ लग्नुपर दिनांक १०/०३/२०२३ द्वारा जारी प्रमाण पर अनुसार एवं ग्राहन के 200 मीटर की वर्गित में क्लोइ की वर्गित लाइनिंग क्लोइ वार्षिक राशि, ज्ञान एवं वर्गित एवं ज्ञान आनुपरि आदि उत्तिलील क्लोइ निर्मित नहीं है।
8. एक्स्ट्रोडाइट का नियम - एक्स्ट्रोडाइट बीमी ग्राहनी ग्राह के नाम पर है, जो जारीकरण कलेक्टर (वर्गित राशि), निम्न-लग्नुपर के ज्ञान अन्तर्क ५३३/संभि./१० वीतानी (वित्ती वार्षिक)/२०२२-२३ लग्नुपर दिनांक १०/०३/२०२३ द्वारा जारी की गई, जिसकी वित्ती जारी दिनांक से १ वर्ष की अवधि तक है।

एक्स्ट्रोडाइट दाखल, उत्तिलील नियम, अंतर्कर, ज्ञान अन्तर्कर ज्ञान द्वारा उत्तिलील नीति लाइनिंग ग्राहन के (उत्तिलील एवं ज्ञान अन्तर्कर) नियम २०१० द्वारा लाइनिंग उत्तिलील दिनांक ०९/०३/२०२३ को जारी की गई है। उसका अधिकारका के नियम ५ अनुसार उत्तिलील एवं ज्ञान अन्तर्कर एवं ज्ञान अन्तर्कर-ज्ञान अन्तर्कर दिनांक द्वारा उत्तिलील एवं ज्ञान अन्तर्कर की कालावधि के लिए प्रदल लिया जाता है। यहाँ वर्ष की अवधि की ग्राहनी अनुसार उत्तिलील एवं ज्ञान अन्तर्कर की प्रतीक्षा नीति लिया जाता है।

9. डिस्ट्रीब्यूट वर्ष रिपोर्ट - वर्ष २०१० की डिस्ट्रीब्यूट वर्ष रिपोर्ट (District Survey Report) की इसी प्रस्तुति की वर्ष है।
10. ग्राहनार्थी ग्राहनार्थी की दृष्टि - ग्राहनार्थी ग्राहनार्थी प्राप्त-वार्षिक ७०० मीटर एवं वाम-कुलतम ८८८ किमी, अद्युत वाम-कुलतम २ किमी, एवं अस्पताल अवधि २२ किमी की दृष्टि पर लिया है। ग्राहनार्थी ग्राहनार्थी ११.१ किमी एवं ज्ञानार्थी १६५ किमी, दूर है। नाम १ किमी, एनोडेट ३८६ किमी, नाम ७०० मीटर, ज्ञान ७०० मीटर, ज्ञान ८४ किमी, एवं ग्राहनार्थी ग्राहनार्थी ७८६ किमी दूर लिया है।
11. ग्राहन ग्राहन पर जारी के ग्राह की घोषित एवं ग्राहन की जारी तट से दूरी - अनुसार अनुसार ग्राहन ग्राहन पर जारी के ग्राह की घोषित - अधिकारम १,२५० मीटर, न्यूताम १,१३० मीटर तथा ग्राहन ग्राहन की जारी - अधिकारम ३०८ मीटर, न्यूताम ३०४ मीटर एवं ग्राहन ग्राहन की घोषित - अधिकारम १७० मीटर, न्यूताम १६४ मीटर जारी नहीं है। ग्राहन की जारी तट के लियानी की दृष्टि अधिकारम ५८५ मीटर, न्यूताम ३८५ मीटर है।
12. ग्राहन ग्राहन पर जारी की घोषित - अनुसार अनुसार ग्राहन पर जारी की घोषित - ६.१ मीटर तथा जारी ग्राहन की प्रत्यागति ग्राहनार्थी - ३ मीटर जारी नहीं है। अनुमोदित वार्षिक न्यूताम अनुसार ग्राहन में घोषित ग्राहन की ग्राहन - १,४२,८०० एवं ग्राहन है। जो उत्तिलील द्वारा प्रत्यागति ग्राहन पर अनुसार में प्राप्तव्य ज्ञान ग्राहन की घोषित ग्राहनी के लिए प्रत्यागति ग्राहन पर ६ मीटर (२०८०) घोषित ग्राहनी ग्राहनी ग्राहनी ग्राहनी का ग्राहन कर, वर्गित नियम से प्रत्यागति ग्राहनार्थी ग्राहन की वर्ष है। इसकी अनुसार ग्राहन की ग्राहनार्थी ग्राहनी ६.१ मीटर है। जो वर्ष ग्राहनी ग्राहनार्थी द्वारा फ़ैलाया वर्ष है।

12. बहाने कीर्ति ने दो वर्षों के संक्षेप में जो उत्तराखण्ड के प्रदेशीय राज्य एवं प्रसारित राज्य के बारे मात्र 25 पैट्र युक्त 25 पैट्र के द्वारा लिखी गयी हिन्दी (03/04/2023 को दो वर्षों के अंतराम लेवल्स Levels सेवा, बारी लाइज विभाग के प्रशासनीक रूप से उपलब्ध प्रोटोकॉल सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं)।

13. शोधित पर्यावरणीय व्यविधि (C.E.R.) – पर्यावरणीय प्रसारक द्वारा जनित वार्षिक विभाग से बारी जानकारी प्रस्तुत दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
51.15	2%	1.023	Following activities at Village- Kured	
			Plantation at Village pond	1.30
			Total	1.30

14. शोधित के अन्तर्गत वारी के बारे में जूलाई-अक्टूबर (आम, कटाव, फार्म आदि) द्वारा उत्तराखण्ड अनुसार रुप्त 70 नम विकासी से 20 नम युवा युवती वालाओं के बारे में विवरित है। जो 50 नम युवाओं के लिए राशि 5,000 रुपये, जीवित के लिए राशि 1,500 रुपये, स्कूल के लिए राशि 2,500 रुपये, जिवाह राशि 100-150 रुपये आदि के लिए राशि 25,000 रुपये इस प्रत्येक व्यक्ति में रुपये 40,000 रुपये तक अग्रसी 4 लाख में रुपये राशि 80,000 रुपये द्वारा जूलाई-अक्टूबर (फुटोंस) के सहभागी वालों तक प्रदान किया जायगा जूलाई-अक्टूबर 246, जीवित 1.07 हेक्टेक्टर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

15. जूलाई-अक्टूबर कार्य - वारी के तह यह वारी जूलाई-अक्टूबर (फुटोंस) के सहभागी वालों तक सहभागी भूमि (विकास अवधि 2124, युवा शोषणकाल 4.50 हेक्टेक्टर में से 2.5 हेक्टेक्टर) में 1,000 नम जूलाई-अक्टूबर वालों द्वारा प्रदान किया गया है, जो निम्नानुसार है-

विवरण	अधिकारी कर्म (लाखरुपये)	प्रियोनी कर्म (लाखरुपये)	दूसरी कर्म (लाखरुपये)	वार्षिक कर्म (लाखरुपये)	पर्यावरण कर्म (लाखरुपये)
प्रदान करने वाले पर्यावरण के दीर्घन समयावधि/पर्यावरण वारी से उत्पादन युवा वालों के लिए जूलाई-अक्टूबर	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
वारी के तह वारी जूलाई-अक्टूबर वारी से उत्पादन युवा वालों के लिए जूलाई-अक्टूबर	1,00,000	—	—	—	—

(1,000 रुपय)	संग्रहीत कर्ता	वैध प्रतिवेदन कार्य कार्य	1,00,000	—	—	—	—
		वैध कार्य कार्य	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
		विधायक दल कार्य-कार्य कार्य कार्य	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000
		कुल कार्य =	14,50,000	4,50,000	2,50,000	2,50,000	2,50,000

16. परिवोरता प्रतागत द्वारा जीर्णज्ञान के तहत प्रतिवेदन कार्यों के बारे में उन्होंने वैध प्रतिवेदन कार्य की संविधान संबंधित दायरे प्रतागत की अवधिमुख विधिवेदन द्वारा वैध विधिवेदन कार्य की संविधान संबंधित है जो इसे जाने वाले विधायिक विधें वाले वाक्य वाक्य पर (Notarized undertaking) प्रमुख लिया गया है।
17. परिवोरता ने विध-विध कार्यों की अवधिमुख वाक्य वाक्य हीना, जान वाली पर विधिवेदन वाले विधायिक वाक्य वाक्य विधें जाने वाक्य वाक्य पर (Notarized undertaking) प्रमुख लिया गया है।
18. वाक्यान को जान-जान भवी तर एवं यह यहाँ गर्व में वाक्य वृक्षावेदन विधें जाने एवं वैध विधिवेदन का जानविधि दर (Survival rate) 90 वैधिकता अवधिमुख विधें जाने वाक्य वाक्य पर (Notarized undertaking) प्रमुख लिया गया है।
19. परिवोरता अवधी युवाओं वैधि के तहत ज्ञानीय लोगों की संज्ञान विधें जाने हैं वाक्य वाक्य पर (Notarized undertaking) प्रमुख लिया गया है।
20. परिवोरता प्रतागत द्वारा विधी की वाक्य का वृक्षित वाक्य का वाक्य प्राकृतिक वाक्य वैधायिक, वाक्यावली, वाक्यावली वाक्यी वाक्यावली में वाक्य विधें जाने वाक्य वाक्य पर (Notarized undertaking) प्रमुख लिया गया है।
21. परिवोरता प्रतागत द्वारा ज्ञान वाक्य का वाक्य पर (Notarized undertaking) प्रमुख लिया गया है जिसको विश्व वाक्य वाक्यान से संबंधित कोई व्यावाहरणीय वाक्य है जो विधिवेदन की व्यावाहरण में संचित नहीं है।
22. परिवोरता प्रतागत द्वारा युवा वैधिक वाक्य पर (Notarized undertaking) प्रमुख लिया गया है जिसको विश्व वाक्य वाक्यावली, वाक्यावली वाक्य और वाक्यावली परिवर्तनीय मंजूरावय नी अधिकृतवाक्य कार्या 806(3), विधायिक 14/03/2017 के अंतर्गत वैध वाक्यवाक्य का वाक्यवाक्य लिया गया है।
23. वाक्यावली युवीन वैधि द्वारा विधायिक 02/08/2017 की common cause vs. Union of India and petition (C) 114 of 2014 में विधें गये विधें वाक्य का वाक्य विधें जाने वाक्य वाक्य पर (Notarized undertaking) प्रमुख लिया गया है।
24. वाक्यावली युवीन वैधि द्वारा विधायिक 08/01/2020 की writ petition (S) Civil No. 114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में विधें गये विधायिक वाक्य वाक्य का वाक्य विधें जाने वाक्य वाक्य पर (Notarized undertaking) प्रमुख लिया गया है।

25. परिदृश्यना प्रस्तावक द्वारा इस आवश्यकता स्वाक्षर पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि अनुमोदित उत्तराधिन वीचारक में शिरो नाईपेटल रिपोर्ट का 60 घोषित रिपोर्ट ही उत्तराधिन दिया जाएगा।
26. परिदृश्यना प्रस्तावक द्वारा इस आवश्यकता स्वाक्षर पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि बहादुर में उत्तराधिन की वीचारक संस्टैटिव भीड़ नाईपेटल नाईपेटल इन्स्टीट्यूट 2018 एवं इन्डियानोटर्स एवं नोटरीज़ नाईपेटल इन्स्टीट्यूट की संख्या 2020 की प्रस्तावनी का उत्तराधिन दिया जाएगा।
27. उत्तराधिन वीचारक में शिरो बड़े बड़ी का उत्तराधिन दिया जाने एवं उत्तराधिन प्रस्तावक कार्यक्रम में उभयं करनामे उत्तराधिन उत्तराधिन पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. परिदृश्यना प्रस्तावक द्वारा उत्तराधिन पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आईडिल खबर की स्थूल 2 फिल्मी, अन्तराल 22 फिल्मी एवं आवादी लीड 750 फीट की दूरी पर है जो कि बहुत लोन चार्टर नाईपेटल 2018 में वर्णित उत्तराधिन द्वितीय है, आ बहुत, अन्तराल एवं आवादी लीड में उभयं वर्गमय होता है। उक्त कर्त्ता की स्थूल अन्तराल एवं आवादी लीड में होने वाले उभयं उत्तराधिन के नियमकरण हेतु दिया रखाय दिये जाएं—
- i. उत्तराधिन लीड के आवा-वाह नहीं हैं एवं यहाँ वार्ता में यहाँ लोन उत्तराधिन दिया जातेगा, जिससे स्थूल, अन्तराल एवं आवादी लीड में उभयं वर्गमय होगा।
 - ii. लूप(लिंक) के नियमकरण के लिए ट्रैकर के द्वारा यानी को नियमकरण दिया जावेगा, जिससे स्थूल, अन्तराल एवं आवादी लीड में उभयं वर्गमय होगा।
 - iii. हमारे द्वारा याहाँ का परिदृश्यन कर्त्ता एवं आवादी लीड से होकर यही किया जावेगा, जिससे स्थूल, अन्तराल एवं आवादी लीड में उभयं वर्गमय होगा।
 - iv. हमारे द्वारा स्थूल एवं आवादी लीड में लीन उत्तराधिन उत्तराधिन कानून जारीता।
 - v. हमारे द्वारा स्थूल में परिदृश्यन लागत की 2 इंचिल याति लीड्स एवं कर्टर की तहत उत्तराधिन की बाती और उत्तराधिन के विभिन्न प्रबालियों, आयुष एवं कर्टर आदि की वीचारक संघ द्वारा युक्त हेतु नोटरीज़ द्वारा 6 वर्षों तक समर्पित रेस्ट्रायल किया जातेगा।
 - vi. लालवी का उपयित गांव-गांव एवं गुल अदि से सुखा हेतु नोटरीज़ जल नियमकरण दिया जावेगा, ठोक, आवादी, स्थूल अदि एवं लूप का उभयं वर्गमय होगा।
29. परिदृश्यना प्रस्तावक द्वारा बड़ी जट्ठु की दीवाने ऐ उत्तराधिन तत्त्व बाये नहीं किये जाने उत्तराधिन तत्त्व पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. वार्षिकी का नहा है कि लीड लीड की वीचारक गैर नाईपेटल लीड में लीन लोन उत्तराधिन आवश्यक है। लीन लीड की बाती बोनी उत्तराधिन लाईन के मध्य में लीड्स के उत्तराधिन आवश्यक है जाकि लीन लीड गार्डी में उत्तराधिनीकरण हो सके।

- वीडियो कार्य एवं नहीं तट में प्राप्तानेमन कार्य के अधिकारियों द्वारा नवीकरण और फि-पर्सनल सेलिंग (फ्रैमराइटर/इंसिटिउट, यात्रा प्रशासन की नवीकरणकारी/इंसिटियोली एवं वित्त इकायान वा उत्तीर्णान्वय पर्यावरण प्रशासन के नवीकरणकारी/इंसिटियोली) गठित विद्या ज्ञान उद्योगकार है। यात्रा की वीडियो कार्य एवं नहीं तट में प्राप्तानेमन का इन्हें एवं विद्या ज्ञान की संरक्षण गठित फि-पर्सनल सार्विकी की यात्राओं पर ज्ञान उद्योगकार है।
 - ऐसा उत्तरानन ऐक्यात्म विद्यि से एवं भवाई का कार्य औबर द्वारा उन्नयन यात्रा प्राप्तानेमित है। यार्गिती का यात्रा है कि जोकह यौवों को भवाई यात्रा की बोली को है। ऐसा भवाई का कार्य ऐक्यात्म विद्यि से ही जर्वाई जाते। यात्री यात्रुओं के नदी में जोकह की अनुभवी यात्री होंगी।
 - विशेषज्ञता इकायानक द्वारा उ गीटर की याहताई तक प्रक्षेपन की अनुभवी यात्री है। अनुभवीता उत्तरानन योजना में उत्तरानन विद्या ज्ञाने वाली होती हीव की उपर्याक्ष यात्रा यात्री यात्रायान कार्य एवं उत्तरानेमन कार्यकारी यात्रायात्री का यात्रायात्रा नहीं विद्या यात्रा है। यात्रायात्री यात्री नहीं है तथा इल्ली उपर्याक्ष में यात्रायात्रा १.६ गीटर याहताई से उपर्याक्ष तोता यात्रा यात्रायात्रा नहीं विद्या यात्रा है।

ਲਖਿਤ ਹਾਥ ਲਿਖਾ ਲਿਖਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਾਲਿਆਵਿੰਦੀ ਜੋ ਮੈਂਨਾਗੁਰਾਹ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਾ ਕਥਾ -

- कल्याणित जलान (जल-सूख) का रखना उत्कीरण है। जलान की गति या ३०० मीटर की चौड़ी में विस्तृत/संगतित जलानों का जल हीजल उत्कीरण उत्कीरण का लाभों का होने की कहान यह जलान ही-१ की ओर से आयी थी।
 - वीरेंद्रना प्रवालन ऐत जलान की ओर में आगती १५ वर्षों में विस्तृत यात जलान (Brahmaputra Study) करनें। ऐत की पुनर्वापन (Replenishment) जलान की आवश्यकी, ऐत जलान का नदी, नदीता, जलानीय जलानों, और एवं सूख जीवों पर जलान जला नदी की पानी की दुष्प्राप्ति पर ऐत जलान की जलान की जली जानकारी प्राप्त की जाए।
 - लीज संच की जलान का लेवलाई आदा –
 - ऐत जलान प्राप्त जलों की पूरी जलानामुखार विभिन्न विह विन्दुओं पर नदी में ऐत की जलान की जलों (Levels) का जरी कर, उसके जलान जलान दसई अवृद्धि एवं अतीतान की जलान विही जायें।
 - लीज-जलान (जलानवर/जलानवर यह में ऐत जलान जलान करने की पूरी इनी विह विन्दुओं में वार्षिक लीज की जलान लीज के अपलौम एवं अधारलौम में १०० मीटर तक जलान लीज की जलर / नदी तक (जीवों और) से १०० मीटर तक की लीज में नदी जलान की जलों (Levels) का जरी पूरी विभिन्न विह विन्दुओं पर विश्व जायेगा।
 - इसी प्रकार ऐत जलान एवं जलान के पूरी अवृद्धि यह के अविव जलान/पूरा की जलान जलान) इनी विह विन्दुओं पर ऐत जलान की लेवल (Levels) का जलान विहा जाएगा।
 - ऐत जलान की पूरी विभिन्न विह विन्दुओं का ऐत जलान की लेवल (Levels) की जापान जलानी ८ वर्षों तक विश्वा विहा जाएगा। लीज-जलान की अविव विवाह २०२३, २०२४, २०२५, २०२६, २०२७, २०२८ एवं दी-जलान की आवश्यक जलानी २०२४, २०२५, २०२६, २०२७, २०२८, २०२९ तक अविव जल की एवं अवृद्धि एवं अतीतान की जलान विह विन्दुओं पर जाएगा।

4. समिति द्वारा नियम नियम कालान्वयी की नीति के अनुसार यहां पर्याप्त नहीं है।
— शीतली बहारी भवा, पाटी और जलवा इमारत 2742, पाथ-कुमार,
लहरीदार-जालं, जिला-लखपुर, कुल लोड लोडगढ़ ८ हाउटेंसर में उत्कर्षन में
यह दोष का कुल ५० प्रतिशत कालान्वयी में ही ऐसा उत्कर्षन अधिकातम १५ प्रतिशत
की वरदाई तक शीतला वाही हुए, कुल ५५,००० प्रतिशत अधिकातम ऐसा उत्कर्षन
हैं एवं उत्कर्षन की वरदाई जलवा यहां के नियमान्वयी की उत्कर्षन की अनुकूलता
की गई। ऐसा की बुदाई अभीली कुआ (Manually) की जाएगी। नियम नीति
(River Bed) में भारी जालानी का विस्त अधिकातम होता। जील लोड में नियम नीति
बुदाई वरदाई (Excavation bed) ही लोडिंग वर्ड तक ऐसा उत्कर्षन द्वारा
द्वारी हात लिया जाएगा।

5. सहीनेवल संस्करण नामित नीतिकोड गाइडलाइन 2016 (Sustainable Sand
Mining Management Guidelines 2016) एवं दूसरोंमें एवं वीनिटीग
गाइडलाइन्स परिवर्तन नामित, 2020 (Endorsement & Monitoring
Guidelines for Sand Mining) की अनुवार कराई ही जलवा सुनिश्चित नियम
जाए।

पाल्य लक्षण्य पर्यावरण उभाव आवश्यक प्रतिकाम (एनडीआईए) सहीनेवल की
उत्कर्षन सुनिश्चित नियम जाए।

12. नीति कालान्वय द्वारा नियम (नीतिकी अवधि कील), पाथ-कुमारीयार,
लहरीदार-जीतगढ़, जिला-लीलगढ़-सुन्दरदार-गाम्बू (उत्कर्षन की जाती उम्मीद
2022)

शीतलानी वाहेन — प्रतीक्षा यमा — प्रवाहांग/ शीतली/ एनडीआई/
एनडीआई/ २०२२, दिनांक ०५/०८/२०२२ हाता ही ओडिया हैं उत्कर्षन लिया जाता है।
प्रवाहांग का लियरन — यह प्रतीक्षा वृत्त पाल्य (शीतल क्षमिता) जाएगा है। उत्कर्षन
याम-कुमारीयार, लहरीदार-जीतगढ़, जिला-लीलगढ़-सुन्दरदार-गाम्बू लियत पाटी और
जलवा इमारत ४८, कुल लोडगढ़ ८ हाउटेंसर में उत्कर्षित है। जलवा तो आरेश्वर
उत्कर्षन उम्मीद ३०,००८ टन प्रतिवर्ष है।

उत्कर्षन उत्कर्षितना प्रसारक की एनडीएसी, सहीनेवल की जायन नियम
०५/१०/२०२२ हाता प्रस्तुतीकरण हैं एवं सुनिश्चित लिया जाया।

वित्त वाह नियम —

(अ) समिति की बहारी नीति दिनांक १३/१०/२०२२

प्रस्तुतीकरण हैं एवं भी उत्कर्षन मतील पर्यावरण उत्कर्षित हुए। समिति द्वारा नहीं, प्रस्तुत
जानकारी का अपलोडन एवं परिवर्तन कराने पर नियम लियत पाटी गई—

१. यूई में जारी पर्यावरणीय लीकेटि लोकेटि लियरन— इस जायन की यूई में
पर्यावरणीय लीकेटि जारी नहीं की गई है।
२. जाम खेलवारा का अनावर्ति उम्मीद वर्ष — उत्कर्षन की लोड में जाम खेलवारा
प्रतिवर्ष का दिनांक १४/०३/२०२२ का अनावर्ति उम्मीद वर्ष प्रस्तुत लिया जाता
है।

- उत्तराखण्ड योजना - कानूनी रूप से प्रदूषक नियम द्वारा नियमित नहीं किया जाता है। जो यो-संबंधित अधिकारी, विज्ञा-दूर्ग के द्वारा उनके 44/व्यापि 09-01-2023 द्वारा, विनाम 11/04/2023 द्वारा अनुचित है।
- 600 मीटर की विभिन्नीय में वित्त लाभान् - कानूनीत्व वालोंकार (व्यापि योग्य), विज्ञा-दैवान्ध-पूर्वान्धार-पार्श्व के द्वारा उनके 129/व्यापि 02/2023 विनाम 11/07/2023 अनुचित अधिकार लाभान् से 600 मीटर की विभिन्नीय अधिकारी उल्लंघन 4.32 द्वारा अनुचित है।
- 200 मीटर की विभिन्नीय में वित्त लाभान्धिक होता/वार्तावाहक - कानूनीत्व वालोंकार (व्यापि योग्य), विज्ञा-दैवान्ध-पूर्वान्धार-पार्श्व के द्वारा उनके 129/व्यापि 02/2023 विनाम 11/07/2023 द्वारा उल्लंघन विभिन्नीय वार्तावाहक लाभान् से 200 मीटर की विभिन्नीय में विभिन्नीय लाभान् की विभिन्नीय वार्तावाहक, वार्तावाहक, अनुचित, अनुसार, अनुसार, एवं एवं एवं एवं अनुचित और अनिवार्य विभिन्नीय वार्ता विभिन्नीय नहीं है।
- भूमि एवं एकांकीकारी का विभाग - भूमि एवं एकांकीकारी, बैकांत लाभान्धिक के द्वारा नहीं है। एवं और अनुचित वालोंकार (व्यापि योग्य), विज्ञा-दैवान्ध-पूर्वान्धार-पार्श्व के द्वारा उनके 16/व्यापि 02/2023 की द्वारा, विनाम 14/02/2023 द्वारा उल्लंघन की गई, विकासी विभाग याति विनाम से एक लों की अधिकारी नहीं है। वाटकालीन लों की एवं प्रमुख की गई है, विकासी अनुचित लाभान् की अधिकारी नहीं है, एवं अवशिष्ट अनुचित, एवं अनुचित नहीं है, एवं उक्त लों की अधिकारी नहीं है।
- दिनांकित वार्ता विवेद - एवं 2023 की दिनांकित वार्ता विवेद (District Survey Report) की प्रति प्रश्नाएँ की गई हैं।
- कम विभाग का अनावृति प्राप्तान् एवं - कानूनीत्व वालोंकारी उन कम विभाग विभिन्नीय विभाग, वालोंकार विभाग, विज्ञा-वार्तावाहक विभाग के द्वारा उनके 25/व्यापि/व्यापि/व्यापि, 25 (पाठ-३)/800 विभाग, विनाम 18/04/2022 की जाति अनावृति प्राप्तान् एवं अनुचित को एवं एवं की सीमा से 4.79 फिली की दूरी पर है।
- प्राप्तव्यानी संवेदनाओं की दूरी - विभागान् अधिकारी छान-कुर्सीपार 450 मीटर, अनुसार-कुर्सीपार 450 मीटर की दूरी पर विभाग है। वाटीय वालोंकार 25 फिली एवं उल्लंघन 2.5 फिली, दूरा विभाग है। अनुचित नहीं 6 फिली, दूरा है।
- परिविहारिकीय/वैतानिकीय लोडेनालील लों - परिविहारिका प्रवालान् द्वारा 10 फिली की विभिन्नीय में अनावृत्यीय सीमा, उच्चीय विभाग, अनुचित, अनुसार, अनुसार अनुचित लों द्वारा प्राप्तिकी विभिन्नीय लोडेनालील लों का प्राप्तिकी विभिन्नीय संवेदन वाली होना अनिवार्य विभाग है।
- स्थान वालों एवं खनन का विभाग - विभागीयविभाग विभाग 4,86,700 रुपये अनुचित विभाग 2,70,250 रुपये एवं विभागीयविभाग विभाग 2,43,250 रुपये है। लोंका की 7.5 मीटर, विभिन्नीय विभाग विभाग के विभिन्नीयविभाग लोंका का लोडेनालील 6.120 फिलीनील है। और उन वालों की विभिन्नीयविभाग विभाग से उल्लंघन विभाग प्रवालान्। अनुचित विभिन्नीयविभाग विभाग 12 मीटर है। लोंका लोंका में लाली विभिन्नीयविभाग विभाग नहीं है। लोंका की कालाई 1.5 मीटर एवं लोंका 1.5 मीटर है। अनुचित विभिन्नीयविभाग अनुचित 6.1 फिली है। लोंका लोंका में उल्लंघन प्रवालान् विभाग नहीं है।

यह विवर से लिखित एवं बाटुल समीक्षा किया जाएगा। उदान में यहु सम्पूर्ण प्रियोजन हितु यस सा विवरण किया जाएगा। वर्तिव समस्तिक योजना का विवरण निम्नानुसार है—

संख्या	प्राकाशित प्रत्यक्षन इन्हें
1	30.036
2	30.036
3	30.036
4	30.036
5	30.036

12. यस अनुसृति – परियोजना हेतु आवश्यक भूमि की कार्य का अन्तिम स्थौरीय होती। वर्तिव योजना हेतु आवश्यक यात्रा की अनुसृति के बहुत एवं अनुसृति कोटि यात्राकाली / एसोसिएज प्रक्रिया किया जाना आवश्यक है।
13. युआरीयन कार्य – लैंड कोर्स की सीधा में यात्री और 7.5 मीटर की पट्टी में 1254 नग युआरीयन किया जाएगा।
14. यात्रान की 7.5 मीटर की बीची सीधा पट्टी में युआरीयन – लैंड कोर्स की यात्री और 7.5 मीटर की बीचा पट्टी में युआरीयन यात्रा नहीं किया गया है।
15. अनुसृतिकालीन के दौरान परियोजना प्रक्रियाकारी द्राघि बनाया गया है। यह विस्तारान्वय यात्रा युआरीयन का कार्य अनुसृत 2023 में प्रारंभ किया जाएगा।
16. यात्राकालीन दून बी.टी., चित्तियल दैर, नई फिल्डी द्राघि कर्मचार पार्किंग विकास यात्रा यात्राकारी, पर्यावरण, यात्रा और जलसंग्रह परियोजना विवरण, नई फिल्डी एवं अन्य विवरणकारी एवं अनुसृत (प्रियोजनकारी के 125/ अंक 2019 दाता अन्वय) में दियोग 13/07/2016 द्वारा परियोजना में युआरीयन किया गया है।
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEADA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease area exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environmental clearance.

समिति द्वारा किया गया योजना कार्रवाही से निम्नानुसार निम्न विधा—

1. वर्तीवाय योजना (यात्री यात्रा), जिस-दैरगढ़-सुरुक्तिकार-गमड़ी के जायन कालांक 125/ अंकि. 02/ 2023, दियोग 11/ 07/ 2023 अनुसृत आवेदित यात्रान के 300 मीटर के बीचा अवधिक 3 यात्रानी, बीचाला 4.162 हेक्टेयर है। आवेदित की 300 मीटर के बीचा अवधिक 3 यात्रानी, बीचाला 4.162 हेक्टेयर है। यह यात्रा यात्राकारी योजना (यात्रा-युआरीयन) का यात्रा 125/ दियोग है। यह यात्रा यात्राकारी योजना (यात्रा-युआरीयन) का यात्रा 125/ दियोग 0.781 हेक्टेयर है। यात्रान की बीचा से (यात्रा-युआरीयन) को यात्रान कुल यात्रा 5.781 हेक्टेयर है। यात्रान की बीचा से (यात्रा-युआरीयन) की यात्रानी की कुल यात्राकारी यात्रा 5.781 हेक्टेयर 300 मीटर की यात्रानी की यात्राकारी यात्रा 3.162 हेक्टेयर है। यह यात्रान की यात्रा की बीची होती है।
2. यात्रिति द्वारा योजना कार्रवाही से योजना 'बी' के दोनों का होने के योजना भास्तु यात्राकारी, पर्यावरण, यात्रा और यात्राकारी यात्राकारी योजना की अनुसृत 2019 में प्रारंभित दैरगढ़ी टारी और दियोग (टीसीएस) की इस्तेवा / इंसारी लिंगट और दैरगढ़ी/एसोसिएज योजनाविहित इन्यासार्गीट वारीएसी / इंसारी लिंगट परियोजना/एसोसिएज योजनाविहित इन्यासार्गीट वारीएसी अन्वय इंसारी/ यात्राकारी योजनाविहित, 2000 में यात्रित देशी 100% का योजना दैरगढ़ी इंसोजार

(the ground water) & the mining discharge by flow mitigation shall be in the soft rock unit of project area:-

- i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- ii. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.
- iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
- iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- v. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- vi. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- vii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- viii. Project proponent shall submit the copy of panchamsa and photographs of every monitoring station.
- ix. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- x. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 604(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xi. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
- xii. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 80% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xiii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

को निर्दिष्ट प्रतिवर्ष अवधि अनुदान (पर्सिस्यूल) अनुमति के संगत रूप से।



परियोजना प्रकारकी द्वारा उत्तीर्ण आविष्कार सामग्री/दस्तावेज़ प्राप्त प्रक्रमणीय में अवशेषक वर्तमान विधार कर पर्यावरणीय सीमुद्धि / दीर्घोंगार / अथवा अवशेषक विनेय विधा जाना।

१. नीति की गुलामी वालीकैदा लिमिटेड, विश्वासी बीसीएस लेन्ड, एम-विश्वासी, राहगील व विला-महालनुद (विश्वासीलन का नमूना दाखिल १०५)

अंगतटीन आदेदन - पूर्ण में वर्धेवाल नमूना - एसडाई/ शीटी/ आईएनडी/ २१८१/२०२२, दिनांक ०३/०२/२०२२ द्वारा दी दीर्घोंगार द्वारा आदेदन दिया गया है। अपाराधिक प्राप्तवाय - एसडाई/ शीटी/ आईएनडी/ २९६१/१४/२०२२, दिनांक ०३/१२/२०२२ द्वारा जानी दीर्घोंगार में वालोंकाल द्वारा आदेदन दिया गया है। अंगतमान में वर्धेवाल नमूना - एसडाई/ शीटी/ आईएनडी/ ४०२५५०/२०२२, दिनांक २९/१०/२०२२ द्वारा पर्यावरणीय सीमुद्धि प्राप्त करने के द्वारा पाइयांतर के आईए. लिमिटेड प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रकारका द्वारा विश्वासी अंगतटीनिक लेन्ड, एम-विश्वासी, राहगील व विला-महालनुद विधा पर्यावरणीय - २१२, २१३ एवं २१४, गुल लेन्डकल - ५.२५ एकड़ा में विश्वासी विश्वासी गुल लेन्डकल (विश्वासी), दिग्गज गुप्त लेन्डकल (विश्वासी) विश्वासी - १.००,००० वर्गमीटर द्वारा विश्वासी द्वारा आदेदन दिया गया। परियोजना का गुल विश्वासी विधा २०५ वर्षों की है।

एआईएसी, अंगतटीन के आवाग दाखिल ७३२, दिनांक १७/०८/२०२२ द्वारा प्रकारण दी-१ लेटेन्टी का दीने के काल्य भवत नमूना के पर्यावरण का और वर्धेवाल वर्धितीय प्राप्तवाय, नई विली द्वारा आदेदन २०१५ में प्राप्तिपात्र लेटेन्टी दम्भी शीफ लिमिटेड (दीर्घोंगार) द्वारा दीआईए/इएसपी लिमिटेड और एसडाईलेन्ड/एसडाईलिमिटेड विश्वासीलन इन्वेस्टमेंट वलीयोंना अपका दीआईए नीटियोंकोर्ट, २००८ में दीनी दीनी (दीर्घोंगार) लेन्डकल वर्तितांत्रिका द्वारा दीआईए दीर्घोंगार (लोक गुलावड़ लालित) द्वारा दिया गया है।

स्वयमान एआईएसी, अंगतटीन के आवाग दाखिल ७३६, दिनांक २३/०९/२०२२ एवं दाखिल ४१७, दिनांक ०८/०९/२०२२ द्वारा पूर्ण में एआईएसी, अंगतटीन की आवाग दाखिल ७३२, दिनांक १७/०८/२०२२ के दीनी दीर्घोंगार में "दीर्घोंगार (लोक गुलावड़ लालित)" को काल्य पर दीर्घोंगार (विश्वासी लेन्ड गुलावड़) एवं लेन्डकल ५.२५ लेन्डकल को काल्य पर ५.२५ एकड़ा द्वारा दीर्घोंगार में वालोंकाल द्वारा दिया गया।

दाखिलन संस्थान परियोजना प्रस्तावका को एआईएसी, अंगतटीन के आवाग दिनांक १८/०९/२०२२ द्वारा प्रस्तुतीकरण द्वारा सूचित दिया गया।

विधावी का विवरण -

(१) जनरिति वर्षी वाली दिनांक १९/०९/२०२२:

प्रस्तुतीकरण द्वारा दी विधम गुलावड़ दीर्घोंगार एवं वर्धेवाल वालोंकाल के दीन में सेवनी समृद्धि विश्वासीलेन्ड लिमिटेड, अंगतटीन, गुलावड़ की दीन से दी विश्वासी गुलावड़ वर्धिता दूर। जनरिति द्वारा नहीं प्रस्तुत वालोंकाल का वालोंकाल एवं वालोंकाल काली पर विधम विधिये पाया गई-

१. दीन एवं दायु सम्बन्धी -

- दीर्घोंगार वालोंकाल वालोंकाल वालोंकाल नंबर, दायुपुर गो वालोंकी-व्युद्धिएंद्र लेन्डकल दीर्घोंगार वालोंकाल वालोंकाल - १५,००० वर्गमीटर द्वारा प्रतिवर्ष वालोंकाल वालोंकाल

- 3,000 बीट्टिक टन प्रतिवर्ष एवं नियम संस्थानिक - 6,000 बीट्टिक टन प्रतिवर्ष हेतु एल एवं वायु सम्पति नवीनीकरण दिनांक 14/07/2001 की जारी की गई है, जो दिनांक 30/04/2003 तक वैध थी। नवीनीकरण का एवं उसे किया जानवारी करने हेतु एल एवं वायु सम्पति नवीनीकरण की द्वारा जारी किया जाना आवश्यक है।
 - * नवीनीकरण का एवं उसे किया जानने में सहायिता इकाईयों सेवा उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण नियम संस्थान भेदभाव द्वारा जारी करने के पासमें जो एवं कर्तव्यों की विन्दुकान जानवारी कर्तव्याग्रह पर्यावरण नियम नियम से इसका कर जाया जाना आवश्यक है।
 - 2. सीधे का नियम - उत्तीर्णगढ़ सेवा इकाईयों वैद्यकीयता कार्यपालन नियमित्वा के दिनांक 29/10/2010 के द्वारा नियमों की तुलनी परिवर्तन सहित जारी किया गया है। सीधे इन्द्रिय नियमों औदीरिक सेवा नियम-संबंधित, सीधकल 6.28 एवं चूमि में उल्लेख स्थापना अदि जारी हेतु अवधि नियम गया है, जिसकी फैला दिनांक 29/10/2010 से दिनांक 24/10/2029 तक है।
 - 3. नियन्त्रण नियम क्रियान्वयनी संस्थी जानवारी -
 - * नियन्त्रण जानवारी एवं-विकासी 360 बीटा एवं वायु जान-विकासी 360 बीटा दूरी का नियम है। नियन्त्रण ऐसे संवाहन क्षेत्रोंमें 2 किमी की दूरी पर लिया जाता है। जानवारी नियन्त्रण नियमनालय, याना, राजसूय 40 किमी की दूरी पर लिया जाता है। वायुज्ञानिक 360 बीटा दूर है। कंट्रोल की 3.06 किमी, जानवारी 3.06 किमी, चूमार वही 3.06 किमी दूर है।
 - * तुम्हारी जानवारी वन 6.88 किमी, एवं स्वरित संतुलित वन 8.67 किमी, दूर है।
 - * जीवितोंवाला जनवाहन द्वारा 15 किमी की दूरीमें जीवितोंवाली जीव, उत्तीर्ण प्रदान, अव्याधिय, कंट्रोल प्रदूषण नियन्त्रण कीर्ति द्वारा प्राप्ति नियमों कीव्युटेक दृष्टिया, जानिवारीवाली नियन्त्रणील कीर्ति या प्राप्ति जीवितोंवाला द्वारा लिया गयी होना परिवर्तित नियम है।
 - 4. कार्यविधि संगुला नियावक, कार्य तथा एम नियम, जिस उत्तीर्णगढ़ राजसूय के द्वारा द्वारा द्वारा 1984/नयानी/136/2008 नामानु दिनांक 18/02/2008 द्वारा कार्यविधि संघातक, उत्तीर्णगढ़ सेवा इकाईयों वैद्यकीयता कार्यपालन और जान-विकासी में औदीरिक कीर्ति के अधिनियम के कानून में पड़ जाए नियम है।
 - 5. उत्तीर्णगढ़ सेवा इकाईयों वैद्यकीयता कार्यपालन के द्वारा उत्तीर्णगढ़ सीर-व्यापारी-इनी/एक्सट्री/03/6556, दिनांक 06/12/2009 द्वारा उत्तीर्ण नियमों द्वारा हेतु लेख एक्सट्रीटी औदीर जारी किया गया।
 - 6. औदीर एक्सट्री सेवामें -

S.No.	Description	Area (in SQM)	Percentage (%)
1.	Main Plant Building	4,944	23.11
2.	Parking, Other areas, Open & Road Area	9,717.9	26.73
3.	Green Area	10,730.3	50.16
	Total	31,392.2	100

REFERENCES

S.No.	Name of Raw Materials	Quantity (MTPA)	
	Existing Products for Micronutrients		
1.	Acetic Acid	220	
2.	Caustic Soda	170	
3.	Ethylene Additive	35	
4.	Hydrochloric Acid	2,200	
5.	Soda Ash	2,500	
6.	Zinc Oxide	225	
7.	Amorphous Silica Powder	4,500	
8.	Sulphuric Acid	450	
Proposed Products for SSP + TSP			
1.	SSP Unit	Rock Phosphate / Bone Ash	590
2.		Sulphuric Acid (con 98%)	411
3.	TSP Unit	Rock Phosphate / Bone Ash	590
4.		Phosphoric Acid (con 98%)	411

3. युवती वा युवतीन् युवती वा युवती -

S.No.	Products	Quantity (MTPA)
Existing Products		
1.	Micronutrient Product (Zinc Sulphate, Mixture of Micronutrients etc.)	15,000
2.	Barbed Wire	3,000
3.	Mixed Fertilizer	6,000
Proposed Products		
1.	Single Super Phosphate (SSP) / Triple Super Phosphate (TSP)	1,60,000

१. परियोजना इतावक द्वारा अनुसूचित के दीर्घ समय से या जो दीर्घ परियोजना का वार्षिक यूनिट में वर्तींग एप्लीकेशन में हो जाना चाहिए ताकि यह वार्षिक दीर्घ को फिल्टर में बैठा जाएगा। वर्तींग उत्पाद वार्षिकलीन में हो जाना चाहिए ताकि यह दीर्घ को फिल्टर में बैठा जाएगा। फिल्टर उपर्युक्त दीर्घ परियोजना की वर्तींग कार्यक्रम, दूसरीदेश के भवित्व में वैध नियमों में बैठा जाएगा। दीर्घ परियोजना ($30\% \text{ P}_2\text{O}_5$ content), ८०% concentrated H_2SO_4 , और एक एकीज (३२%) एवं पानी के साथ रियोक्सर (Reactor) में रियोक्सन (Reaction) करता हो जाने वाली एक रियोक्सन (Cutting) एवं ट्रान्स्फोर्मर (Transformer) की वक्तव्य में विभिन्न गुण दीर्घ परियोजना जाएगा। यह वार्षिक एकीज के रियोक्सन (Reaction) के दीर्घ जरूरि होने वाले विनेन के विभिन्न दीर्घ रियोक्सन प्रक्रिया अपनाये जाने का उद्देश्य है।

20 to 30% of fluorine from rock phosphate is generated in gas form during the reaction between Sulphuric Acid and Rock Phosphate. HF and SiF_4 are soluble in water, thus it gets absorb in water easily. The SF_6 , easily get scrubbed in the presence of water. The emissions are recovered as H_2SiF_6 in the scrubbing system.

The SiF_4 reacts with water to form Hydro-fluorosilicic acid and silica. Silica reacts with HF to produce additional SiF_4 , which reacts with water, involving following reactions:




312 72 268 96



80 60 104 36

The fluorosilic acid is strong and poisonous acid, which decomposes under high temperature. This fluorosilicic acid is to be used in the acidulation process, replacing some of the sulphuric acid. Thus, the fluorine is recycled back into the fertilizer product to form fluospar, reaction is given below:



This leads to the saving of sulphuric acid to the tune of 20 kg per ton of superphosphate produced. Silica is separated in first phase of scrubbing.

द्वितीय सुपर फोस्फेट कार्बन जले हैं और यह अम्लीक (30% P₂O₅ content) की रकम पर यह अम्लीक (30% P₂O₅ content) एवं 98% concentrated H₂SO₄, की रकम पर 34% concentrated H₂PO₄, की उपलब्धि दिया जाएगा।

10. बायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – इसकी वापरकार्य है कि बायु प्रदूषण नियंत्रण है ताकि संचयन के रूप में राष्ट्रीय वायु की गुणवत्ता 30 मीटर स्थिति दिया जाना चाहिए है। एकलवी/ट्रैक्सी स्कैवर में बायु प्रदूषण नियंत्रण है और यह सफोंटर एवं कोर्स स्टैब स्ट्रिप द्वारा दिया जाना चाहिए है। यहाँ तक कि इसकी वायु की गुणवत्ता 40 मीटर स्थिति दिया जाना चाहिए है। यहाँ तक कि इसकी वायु की गुणवत्ता चाहिए है।

11. दूसरा अधिकारी व्यवस्था व्यवस्था –

Sr.No.	Name of Hazardous / Solid Waste	Cat. As per Haz. Rules- 2016	Quantity (After Expansion)	Disposal Method
1.	Used/Spent Oil	5.1	0.4 KL/Year	Collection, Storage & Use within premises as lubricant / oil to registered recycler.
2.	Descended Containers /Barrels	23.1	Whatever generated	Collection, Storage & reuse for packing of products or disposal by selling to approved recycler.
3.	Silica	-	6.72 MTPD	Used as filler for SSP
4.	Coal Ash from Boiler	-	-	Should be sent to Brick Manufacturer.

परिसंचरण एवं रान्य अधिकारी (उपर्युक्त विभाग वाली संभवतः) नियम, 2016 की तात्पुरता सहित पर्यावरण संबंध विभाग से प्राप्तिकरण जाएगा दिया जाना चाहिए है।

12. जल प्रक्षेपण व्यवस्था –

- * जल व्यवस्था एवं रक्षा – वर्तमान व्यवस्था की विविधता संबंधित है कि जल विवर यह 30 घनमीटर अधिकारी जल की आवश्यकता होती है। परियोजना है कि जल में यह 42 घनमीटर (एक टार्ट्स) जल की आवश्यकता होती है। जिसमें से अधिकारीका उपयोग है 34 घनमीटर अधिकारी, जोकि उपयोग है 10 घनमीटर अधिकारी एवं जीव विवर है 8 घनमीटर अधिकारी उपयोग दिया जाएगा।

संवर्धनिक एवं परीक्षणीय दृष्टिकोण से इस उत्तर का प्रस्तावित है। जानकारी इसकी अद्यतीतीमें भी नहीं दी जाएगी।

- जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – औद्योगिक घटिया से दृष्टिकोण की नीति 14. बायोट्रैक व्यवस्था होती है। औद्योगिक दृष्टिकोण है तु वर्तमान में प्रस्तावित दृष्टिकोण (न्युट्रिटिविनेशन विकास) से उपयोग दिया जाना प्रस्तावित है। उपयोग उपलब्ध जल का सामग्रीय पुनरुत्थापन में दिया जाएगा। प्रतिक्रिया से जागीर नियंत्रण टिक्कार (Biofix Quota) को नियंत्रण विकास विट में उपलब्ध दृष्टिकोण को टिक्कार एवं MAF को पुनरुत्थापन में सामग्रीय दिया जाना प्रस्तावित है। वार्षिकजन्म से उपयोग घोटा दृष्टिकोण जल की जाना 15. बायोट्रैक प्रतिक्रिया व्यवस्था होती है। जिसके जरूरार है एवं एपोडीजना वार्षिक आवश्यक लीकेज ट्रैकेट फ्लोट की जानकारी प्रस्तावित है। उपयोग जल का उपयोग व्यवस्था में दिया जाना प्रस्तावित है। दूसरा नियंत्रण विषयी रूपी जाएगी।
- गृ-जल संवर्धन प्रक्रिया – जलीय स्थल सीटूल यात्राएँ बाटा बीक के अनुसार संकेतों में जाता है। जिसके अनुसार—
 - (a) दृष्टिकोण वाली जलीय क्षेत्र का क्षमा 40 लीटरों दृष्टिकोण जल का पुनरुत्थापन एवं पुनर्वायोग दिया जाता है।
 - (b) यात्राएँ बाटा नियांत्रण है अपनाई एवं उपलब्ध वार्षिकीय / वार्षिकीय जल विकारों के अन्तर पर गृ-जल नियांत्रण जलों की अनुसृति सीटूल उपलब्ध बाटा बीक द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। जलीय को ऐनवाटर हार्डिस्टेंस व्यवस्था दिया जाना प्रस्तावित है।
- 16. रेन बीट इन्हिलिंग व्यवस्था – रेन बीट इन्हिलिंग व्यवस्था की विवरण विकास/जानकारी प्रस्तुता दिया जाना प्रस्तावित है।
- 17. विस्तृत अनुसृति फ्लोट – प्रस्तावित कार्यक्रम उपलब्ध वार्षिकजन्म है तु 400 नियांत्रण विकारों की अवायवता होती है। विस्तृत की अनुसृति चलीएचडी बाटा विस्तृत व्यवस्था वाली नियमित विकास है तु 1. नीचे 600 के लीकेज बनाना का लीजी बोट वार्षित है।
- 18. क्लोइट्रेशन संकेती जानकारी – इतिहासिक विकास है तु जल संवर्धन के 1.072 हिन्दूपर (30.16 लीटरों) बीक में 1.785 नए क्लोइट्रेशन दिये जाने का प्रस्ताव है। जानियो का मत है कि क्लोइट्रेशन लीकेजों के संख्या रेटिंग है तु लीकेज का सेप्टम, बुक्सा है तु बैक्सिंग, खाट एवं नियांत्रण जल-जल की लिए 2 लीकेज का वर्तिकार व्यवस्था एवं समझता ज्ञाय का विकास वार्षित विस्तृत प्रस्ताव जारी किया जाना जानकारी है।
- 19. दृष्टिकोण का नियांत्रण—
 1. जल एवं वायु कार्डि गुणवत्ता संकेती जानकारी – वार्षिकजन्म 2021 से जलवायी 2022 के काम दिया जाता है। 10 नियांत्रणों के अंतर्गत 6 स्थानीय पर वार्षिकजन्म जल गुणवत्ता व्यवस्था, 3 स्थानीय पर गृ-जल गुणवत्ता व्यवस्था, 6 स्थानीय पर वार्षिकजन्म वायु व्यवस्था, 4 स्थानीय पर स्थानीय जल गुणवत्ता व्यवस्था एवं स्थानीय पर नियांत्रणों की नव्यते एवं विकास वार्षित विस्तृत व्यवस्था दिया जाता है।
 2. वार्षिकजन्म जारी की जानकारी है तु ओटोप्रावल असांग एवं दोसांग वार्षित विस्तृत व्यवस्था दिया जाता है।

ii. वायुदर्शिता परिसरी के अनुसार विष, वृक्ष, घास, का सान्धन लेवल-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPBC Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	25	29	60
PM ₁₀	50	60	100
SO ₂	8.9	10.9	60
NO _x	13.4	21.4	60

iii. परिवेशक जल के आवश्यकता जल वर्गीकरण की प्रक्रिया- इंडिपॉर्ट के Chapter-C Description of Environment में वर्णित होने वाले अनुसार परिवेशक जल, नदियां, सर्वान्, बांधीनेटर, लेट, आर्द्धनिम एवं अन्य ज्ञानप्रिय जलीय का सान्धन लेवल वर्गीकरण करना है।

iv. परिवेशक जलीय स्तर-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPBC Standard dB (A)
Day L _{dn}	49.8	59.8	75
Night L _{dn}	40.4	50.1	70

जी यह स्तर के विकल्पित सान्धन जल की बात है।

v. जी जलीय की प्रगति-

S.No.	Parameters	Baseline at project site ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Predicted GLC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Total GLC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1	PM _{2.5}	60	9.4	72.4
2	PM ₁₀	29	20.9	49.9
3	SO ₂	10.92	1.4	12.32
4	NO _x	21.37	1.6	22.97

vi. परिवेशक इसामक द्वारा प्रभावित (Flora) एवं जानवरी (Fauna) की सान्धनीय प्रभुता विषय का है।

17. वायुदर्शित पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परिवेशक प्रभावक द्वारा दी इंडिपॉर्ट (Corporate Environmental Responsibility) हेतु वर्णित की जाना विभाव से कर्ता प्रधान नियन्त्रण विभाग द्वारा दिया गया है।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
2,050	1%	20.5	Following activities at Village- Birkioti Pavitra Van Hutan Total	27,275 27,275

18. जी इंडिपॉर्ट के लालीत पर्यावरण की जाना विभाव, कर्म, नीम, जाम, आमूर, कदम आदि) कुआरेयल हेतु जन्मान प्रभावक अनुसार 500 नगर वीलो के लिए वर्षीय ₹2,500 करोड़ पर्यावरण की विषय वर्षीय ₹2,50,000 करोड़ जाहां के लिए वर्षीय ₹5,000 करोड़, फिरार्थ के लिए वर्षीय ₹75,000 करोड़ जाहां जी जाना विभाव की

लिए राशि 3,20,000 रुपये, इस प्रकार इन को मैं कुल राशि 1,67,500 रुपये तथा आगामी 4 को मैं कुल राशि 1,37,000 रुपये देंगे अतः वह यह का विषय प्रस्तुत किया गया है। वरिष्ठोंना इसापेक्षा इन दोनों प्रकारप्रति विषयोंने के सम्बन्धी रुपरूप विवरणोंके लक्षण ज्ञानका उम्मीद 2438, संकेत 425 होनेके सम्बन्ध में ज्ञानकामी प्रस्तुत की गई है। उभयों का यह है कि योग्य भूमि के अंतर्गत "प्रविष्ट का विषय" के तहत प्रस्तावित चूमि ज्ञानका उम्मीद 2438) का एक-तरफी जास्ती उल्लंघन (पृष्ठ-1, विषय-2) की दरि प्रस्तुत किया जाना अवश्यक है।

संगीत द्वारा समाज की सभ्यता के निष्प्रवाह निर्माण किया जाता है।

१. यर्लांग में सार्वित इकाईयों हेतु चालीसांच फार्मलन कोडला गंडल हुआ जाती सामर्थी जाती की वालव में जीव गई उपर्युक्ती की विस्तृत वापरकारी प्रत्यीक्षण एवं विवरण दर्शाता गंडल की प्राप्त बन उत्तम लिखा जाए।
 २. परिवोज्ञा की कुल जागत का विस्तृत विवरण प्रस्तुत लिखा जाए।
 ३. ऐन बीटर बार्डरिंग जागत की जांच की गणना परिषिक वापरकारी उत्तम लिखा जाए।
 ४. जाहांग जन से—आदेट प्रधान की एवं दूसरे वर्गहीन वर्गित उत्तम लिखा जाए।
 ५. जाहांग वरिष्ठ की गीता लिखे जाने काले वृत्तान्तीकरण की अक्षय १,७५५ रुपा दीनों के वृत्तान्तीकरण हेतु दीनों का दीपक बुद्धा हेतु कंपिंग जाम एवं विश्वासी जाव वज्र—जाहांग के लिए ६ दीनों का वर्णन वाटलवार एवं वामवार जाय एवं विवरण सहित विस्तृत उत्तम प्रस्तुत लिखा जाए।
 ६. सीड़ियांग के अतिरिक्त "सीड़ियांग जन लिखांग" की अक्षय छापान्तरित गुणि वृत्तान्तीकरण १५५५ रुपा दीनों काली वृत्तान्तीकरण (१ी-१, १ी-२) की दीनों प्रस्तुत लिखा जाए।

रुपरेखा समल पूर्ण जनकारी/दस्तावेज उपलब्ध किये जाने सकते अग्रणी लाभों
की ओरपरी।

ਤਾਜ਼ਗਤ ਏਕਾਈ ਦੀ ਜਨਮਿਆਦ ਦੀ ਜਾਸ਼ ਵਿਚਾਰ 28/09/2023 ਲੋ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੁਨੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ 04/10/2023 ਦੀ ਯਾਤਰਾ/ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

(b) विभिन्न की गणना के लिए दिनांक 12/10/2020

जानें तो दुसरा भवी इन्हीं जानावारी का अद्यतेकाल एवं परिवर्तन करने का यह नियम है।

- कांडीग कालीला, भर्तीसाठ पर्यावरण संसद्या एवज, कर्मीत नाम, राष्ट्राम नामांकितेन्दुट्टिकृष्ट घोषणात घोर एकांकलाल इत्या - 15,000 शेषिक टप्पे ग्रीष्म, कालीग काली - 3,000 शेषिक टप्पे ग्रीष्मां एव निवास फरिलाईन - 6,000 शेषिक टप्पे ग्रीष्मां ऐति जस एव वायु गामी नवीनीकरण विनाय 09 / 10 / 2023 की तारीखी नाही आ विवाह 30 / 04 / 2024 तक केली हो।

परिवोजना उत्तमक द्वारा लैम्प में नवाचित इलेक्ट्रोफ़ि द्वारा उत्तमीय परिवोजना उत्तमक बहुत द्वारा जाए गाम्ही गति की यात्रा में की गई कार्यकारी सी विस्तार जानकर एकीकृत वार्तालाल उत्तमक बहुत से डायर कर जानु

नहीं किया गया है। इस संकेत में कर्मियों का बताया है कि उचित जानकारी प्राप्ति किया जाना आवश्यक है।

2. परिवोजना की युवत लागत 47.5 करोड़ रुपये का असूत्र नियम प्रस्तुत किया गया है।
3. रेन बीटर हार्डिस्ट्रिंग व्यवस्था के संबंध में नवाचा कर जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
4. उद्योग का से-आउट फ्लाइट की दृष्टि एवं फॉर्म विभिन्न प्रस्तुत किया गया है।
5. उद्योग विभिन्न के ग्रीन फिल्टर जाने वाले युवाओंका के लिए 1,785 नए ग्रीन के युवाओंका हेतु याति 1,78,500 रुपये, जाव के लिए याति 1,78,500 रुपये, लैसिंग के लिए याति 88,260 रुपये, मिशनरी के लिए याति 2,44,780 रुपये एवं एस-एस-एसडी के लिए याति 2,47,100 रुपये, इस उद्योग प्रयोग करने में जाति 9,63,100 रुपये एवं जायाजी + जी में युवत याति 22,23,900 हेतु पठकवात व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
6. नीट-एलएस के उत्तरांत व्यविधि का नियम के उद्दृ प्रस्तुति जानकारीय गुण (जनावर जनक 2422) की वकालतीय (सी-1, फी-2) की छाति प्रस्तुत की गई है।

कर्मियों द्वारा नियम कानूनी जानकारी की विज्ञापन किया गया—

1. उद्योग में कर्मियों द्वारा उत्तीर्णता प्रयोगलय संस्कार एवं इस द्वारा जानी जानकारी जाती के प्रत्येक में जी गई कानूनीकी की विज्ञापन जानकारी जानकारीय प्राप्तीकारण संस्कार संकेत से प्राप्त कर एकाई अर्थात् एवं प्रत्योगतात्र में अनियन्त्री सभी की प्रस्तुत करने की जाती के अधीन ही जानकारीय जीवित की जाती जनावरों की जाती है।
2. ग्रेहकों की युवती औरप्रदल नियमित विवरोंनी जीवितीयक क्रम, जाम-विषयोंनी, ताहनील एवं जिला-महानगरपालिका जिला परिवहन नं. - 212, 213 एवं 214, जल संवर्धन - 6,280 एकड़ में उत्तरांति नियम युवत फौरनेट (सिस्टमरी),/ट्रॉफल लुपर फौरनेट (ट्रॉफलरी) जनका-1,00,000 ग्रीनट्रॉफ टन इतिहारे हेतु परिविक-03 में वर्ती जाती के अलावा जानी जानकारीय प्राप्तीकी दिए जाने की प्रस्तुत की गई।

इन जानीय कानूनीय प्रयोग प्रयोग संस्कार प्रयोगकरण (एस-एस-एस-एस), उत्तीर्णता की विज्ञापन सुचित किया जाए।

2. वेरही जानकारीनी जारी कर्ती होती (जी- जी जायाजी याजान), जाम-जानकारी, ताहनील-विषय, जिला-कलीशाखाजी-याटायाता (परिविकारक कर जानी जनक 1998) जीविताईं अलीहन - प्राप्तीजल जनक - एकाईए / सीजी / एमजाईए / टोसो / 2021, नियम 30/12/2021 द्वारा जी-जी जान हेतु अलीहन किया गया है। परिवोजना प्रयोगका द्वारा उपस्थुत जाकेन ऐ कर्मियों होने से इसमें नियम 06/01/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु नियमित किया गया। परिवोजना प्रयोगका द्वारा वर्ती जानकारी नियम 13/12/2023 को अंगताईय प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत का विवरण - यह पूर्व से संघरित युवा प्रयोग (जी-जी जान) जाता है। जायाजी जाम-जानकारी, ताहनील-विषय, जिला-कलीशाखाजी-याटायाता नियम

सारांश नम्बर का. ४०, ४१, ४२, ४३ एवं ४४, युल सोलफल-८८० लिटरर में है। यहां की अधिकृत संख्याएँ सम्पूर्ण-३२,२५८.८० लि. प्रतिवर्ष हैं।

एटामुकार परियोजना कारबाह को एमटीएसी, गोपीनाथ के नाम संख्या १८/११/२०२३ द्वारा प्रदर्शित किया गया।

मूल का विवरण -

(३) जारी की ४४वीं वित्त दिनांक २४/०१/२०२३:

प्रदर्शित किया हुआ की जारी वर्षाव भौमिका वर्णन है। जारी किया गया, प्रदर्शित कारबाह का उत्तराधिकार इस परियोजना का निम्न विवर चाहूँ गई:-

१. मूल का जारी परिवर्तनीय स्थिरत्वीकृत विवरण:-

- मूल में कूना वर्षाव (गोपी वर्णन) कारबाह कारबाह का. ४०, ४१, ४२ एवं ४३, युल सोलफल-८८० लिटरर, सम्पूर्ण-३२,२५८.८० लि. प्रतिवर्ष हैं। जारी की जारी परियोजना का उत्तराधिकार इस परियोजना का निम्न विवर चाहूँ गई:-

परियोजना प्रदर्शित किया गया है कि यहां जारी, परिवर्तन, यह जीव विवरण, स्थिरत्वीकृत विवरण एवं प्रदर्शित किया गया अधिकृत विवरण १८/०१/२०२१ अनुसार:-

"३४. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control; however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

जारीका अधिकृत विवरण परिवर्तनीय स्थिरत्वीकृत की जारी वार्ता दिनांक से दिनांक १८/०१/२०२३ तक ही होती है।

- परियोजना प्रदर्शित किया हुआ मूल में जारी परिवर्तनीय स्थिरत्वीकृत की कठी के प्रत्यक्ष में छोटी गाँड़ जारीकृती ही जानकारी जारीकृतात्मा सहित प्रदर्शित नहीं होती है। स्थिरत्वीकृत का यह है कि परियोजना प्रदर्शित किया गया रासायनिक साधनों, भास्तु जारबाह, यह एवं जालायु परियोजना जारबाह, यहां पर्याप्त मूल का परिवर्तनीय स्थिरत्वीकृत का यहां परियोजना प्रदर्शित करने का उत्तराधिकार जारी किया जाता आवश्यक है।
- जारीका वर्षाव (सम्पूर्ण सम्पादन), विवर-जारीकृतात्मा-जारबाह के द्वारा दिनांक ४४/ ग्रीन-६/२३८./२०२२ जारीकृतात्मा, दिनांक १४/१०/२०२२ द्वारा जारी उभाव पर अनुपार विवर वार्ता में किये गये उल्लेख जीव विवरण की जानकारी विवरणहृत है:-

वर्ष	उत्तराधिकार (लि.)
२०१७	१८,९००
२०१८	३२,०६०
२०१९	२८,८५५

2020	4,285
2021 (31 मार्च 2021)	निव.

समीक्षा का यह है कि नवं 2021 के अन्तर्गत इदूर पर उत्तराखण्ड की आनंदित वाहन की अधिकारी जानकारी वाली विभाग से उपलब्ध उत्तराखण्ड प्रस्तुत विवा वाहन अवासान है।

2. उत्तराखण्ड का आनंदित उत्तराखण्ड का — उत्तराखण्ड की संघर्ष में यात्रा प्रवासी वाहनों का दिनांक 20/10/2006 का अन्तर्गत उत्तराखण्ड पर प्रस्तुत विवा वाहन है।
3. उत्तराखण्ड योजना — यात्री यात्रा प्रस्तुत विवा वाहन है, जो उष्ण-तापालक (अग्नि प्रवासन), वित्त-वस्तीदावाजार-भाटापाता के इलायन इनाम 1818/वित्त/वीन-1/2016 बस्तीदावाजार, दिनांक 11/01/2017 द्वारा अनुमोदित है।
4. 800 मीटर की ऊँचाई में विवा वाहन — कार्यालय कल्मठा (अग्नि प्रवासन), वित्त-वस्तीदावाजार-भाटापाता के इलायन इनाम 804/वीन-6/वित्त/2022 बस्तीदावाजार, दिनांक 14/10/2022 के अनुसार आंदोलित वाहन के 800 मीटर के ऊपर अवस्थित 32 वाहनों, विवासन 42,887 हैं।
5. 200 मीटर की ऊँचाई में विवा वाहन आंदोलिक द्वारा/संरक्षण — कार्यालय कल्मठा (अग्नि प्रवासन), वित्त-वस्तीदावाजार-भाटापाता के इलायन इनाम 804/वीन-6/वित्त/2022 बस्तीदावाजार, दिनांक 14/10/2022 द्वारा यात्री उत्तराखण्ड पर अनुमार वाहन वाहन के 200 मीटर की ऊँचाई में बोर्ड की लांबीवाली द्वारा जीवी परिवर्त नहीं, नवायट, नवायर, नवायर, युवा, यांत्र लकड़ीव वाहनों, उत्तराखण्ड एवं एंटीकर आंदोलित द्वारा विवासन नहीं है।
6. भूमि एवं लौज का विवासन — भूमि एवं लौज की लालम वाहन की वाहन पर है। लौज गीत 10 वर्षीय वाहन दिनांक 22/08/2006 से 21/08/2016 तक विवासन है। लालमपाल लौज लौज 20 वर्षीय वाहन दिनांक 22/08/2006 से 21/08/2006 तक की वाहनी द्वारा विवासन की वाहनी है।
7. विस्तृत सर्व रिपोर्ट — वर्ष 2019 की विस्तृत सर्व रिपोर्ट (Annual Survey Report) की वाहनी प्रस्तुत नहीं है।
8. उत्तराखण्ड का आनंदित उत्तराखण्ड का — कार्यालय वस्तीदावाजार-भाटापाता, वित्त-वस्तीदावाजार के इलायन इनाम/वालीवाली/वालीवाली/24 बस्तीदावाजार, दिनांक 08/01/2022 से जीवी अन्तर्गत प्रवासन पर अनुमार आंदोलित द्वारा विकासन वाहन भूमि की वाहनी से 834 विवासी की दूरी पर है।
9. भाटापाता लौजवालों की दूरी — विवासन आंदोली एवं नवायर यात्रा-मुद्राला 4 किमी, अन्यतात यात्रा-मुद्राला 4 किमी दूरी पर विवासन है। लकड़ीव वाहनों 10 किमी, एवं लालमपाल 6 किमी दूर है। लालम 1.14 किमी दूर है।
10. वारिसिवलीय/जीवांशिक लौजवाली द्वारा — वारिसिवला प्रवासावक द्वारा 10 किमी, जी वारिसिवली जीवा, लकड़ीव वाहन, अन्यतात लौजवाली विवासन वारिसिवली जीवा यांत्रिक विवासन वारिसिवली वारिसिवली एवं वारिसिवली वारिसिवली द्वारा या वारिसिवली विवासन वारिसिवली जीवा वारिसिवली विवासन वारिसिवली द्वारा विवासन वारिसिवली विवासन वारिसिवली द्वारा विवासन वारिसिवली विवासन है।
11. उत्तराखण्ड एवं उत्तराखण्ड का विवासन — विवासन विवासन विवासन 3,91,872 रुपये, नवायरवाल विवासन 1,50,022 रुपये एवं विवासन विवासन 1,36,020 रुपये है। लौज की

7.3. भीटर की सीमा पट्टी (उत्तरांक के लिए लोनेशित होती) का क्षेत्रफल 2.488.38 वर्गमीटर है। अंगन कठोर मैनप्रूफ लिंग से उत्तरांक लिया जाता है। उत्तरांक की असंवित अवधिकाम बहारी 7.5 भीटर है। सीमा क्षेत्र में इसी पट्टी की भीटर 7.5 भीटर है। भीटर की घराई 7.5 भीटर एवं गोली 7.5 भीटर है। उदान की संभवित आयु 5 वर्ष है। लोन दोज में छक्कट संवित नहीं है एवं इसकी उत्तरांक का प्रस्ताव नहीं लिया गया है। सीमा दोज में फूलिंग एवं कट्टोल अवधिकाम नहीं लिया जाता है। उदान में यात्रा प्रदूषण नियंत्रण हेतु यह का लियकाम लिया जाता है। अंगन अवधिकाम उत्तरांक का लियका लियागुलाह है।

क्रम	असंवित उत्तरांक (इन)
प्रथम	17,067.72
द्वितीय	17,245.89
तृतीय	20,896.20
चौथी	31,343.48
पंचम	27,436.14

12. जल आनुप्रीति – परियोजना हेतु अवधिकाम जल की यात्रा 4 अवधिकाम प्रतिदिन होती है। उदान में जल की आनुप्रीति का भवित्व/स्थैतिक एवं संवित लिया से अवधिकाम प्रबोध यह प्राप्त कर प्राप्त होना आवश्यक है।
13. युआरोपन कार्य – सीमा क्षेत्र की सीमा में जली और 7.5 भीटर की पट्टी में 1800 यांत्र युआरोपन लिया जाएगा।
14. उदान की 7.5 भीटर की सीमा पट्टी में उत्तरांक – प्रलूबीकाम के दोजन परियोजना उत्तरांक द्वारा बताया गया है कि सीमा क्षेत्र की यात्रा और 7.5 भीटर की सीमा पट्टी का युल क्षेत्रांक 2.488.38 वर्गमीटर होता है, जिसमें से कुछ भाग दूरी से उत्तरांक है। जिसका प्रलूबीकाम लिया जाना संभव नहीं है। इस उदान यात्रा पर (Watercourse under-taking) प्रलूब लिया जाना आवश्यक है। प्रतिदिन 7.5 भीटर की सीमा पट्टी में उत्तरांक लिया जाना पर्यावरणीय संकेतकृति की यात्री का उत्तरांक है। जल धरियोजना उत्तरांक के लियका लियकागुलाह अवधिकाम कार्यकारी लिया जाना आवश्यक है। जल की संवित का यह है कि 7.5 भीटर की सीमा पट्टी में जित क्षयन यह युआरोपन द्वारा कर प्रोतोगारस्त भवित लानुप्रीति के साथ प्रलूब लिये जाने हेतु लियोकाम लिया जाये है।
15. प्रलूब जली क्षयन अनुसार उदान की संवित आयु 5 वर्ष है, जिसके कानूनान प्रलूबान लिया जा सकता है। अतः क्षयिति का यह है कि परियोजना उत्तरांक द्वारा अदान लियती है जिसकी यात्रा का अनुमोदित रूपांतर यानी प्रलूब लिया जाना आवश्यक है।
16. उत्तरांकीय है कि यहां अन्तर यांत्रिक या एवं उत्तरांक वर्गितीय अवधिकाम नहीं लियती हुआ एवं उत्तरांक अवधिकाम द्वारा द्वारा यानक यांत्रिकीय की यात्री की नहीं है। इसी उदान के बाद के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt

shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

यह नियम जोड़ी के अनुसार पर्यावरण सीच सेवा के संदर त.ज मीटिंग और सेवा जोड़ी के मुताबिक लिया जाना चाहिए है।

17. मानवीक एनजीटी.. विशेषज्ञ के, नई नियमी द्वारा पर्यावरण सीच सेवा के संदर त.ज मीटिंग और सेवा जोड़ी के मुताबिक लिया जाना चाहिए।

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease site exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा नियम लिये जाने वाली समिक्षा से निम्नलिखित नियम लिया गया है-

1. कार्यवीक्षण कर्तव्य (पर्यावरण भारत), विद्यु-वर्तीदब्बधारा-खट्टराया के अनुसार 03/रिय-४/ए.इ./2022 कार्यवीक्षण, दिनांक 14/10/2022 के अनुसार आवंटित खदान से 500 मीटर की दूरी अवधिका 32 घण्टा, दैनिक 62.500 ट्रॉफीया है। आवंटित खदान (प्राम-आवासीयी) का राखा 0.02 हेक्टेका है। इस खदान आवंटित खदान (प्राम-आवासीयी) की विलेवर कुल राखा 63.714 हेक्टेयर है। खदान की जीवा से 500 मीटर की दूरी में अधिकृत/संचालित खदानों का कुल सीधार 5 हेक्टेका से अधिक का राखाने विभिन्न होने के कारण यह खदान 'जी' कोडी की बाधी गयी।

2. गार्फान लीज सेवा के जारी और त.ज मीटिंग और सेवा जोड़ी जोग के द्वारा जाग में लिये गये राखानन के कारण इस होने के प्रभावों का मापदंश Measurement के संबंध में जावा लीज सेवा के अंदर नामांकित विषयकलापी के कारण राखान अनुसार नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों का इकाईयां आदि के लिये नामांकित उपायों की विवरणित करने साथौ संचालन, संचालनालय, भौमिकी तथा वर्गीकरण, इकाईयाँ गारफ, तथा राष्ट्रपुर बट्टा नगर, जिला - राष्ट्रपुर (प्रतिरक्षणद्वारा) को लिया गया।

3. प्रतिवर्षित त.ज मीटिंग जीडी लीज अद्यती में अधिय राखानन लिया जाना यादृच्छा जाने पर जीव राखाने परिवर्तना इकाईयां को विद्यु नियंत्रणालय विभागिक कार्यालयी लिये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा वर्गीकरण को एवं राखानन को इसी प्रतिवर्षी हेतु परिवर्तना विभाग राखान अद्यता नियंत्रण को विलापुराया आवश्यक बतायाही लिये जाने हेतु लेज लिया जाए।

4. जूँ में जावी गारिलायी वरीकूरी का पालन इकाईयां द्विविहृष्ट लीजिय आवासीय, आवास जावाकार, चर्याकार, जन और जलवायु परिवर्तन संचालन, तथा राष्ट्रपुर बट्टा नगर से प्रभावी जाने हेतु यह लिया जाए।

5. समिति द्वारा नियम लिये जाने वाली समिक्षा से इकाईयां 'जी' लीजियी जा सकने के कारण भाला जावाकार, चर्याकार, जन और जलवायु परिवर्तन संचालन द्वारा लिया, 2015 में उत्तरीपश्चिम राज्यों और लिम्बेर (टीडीओए) और ई-आई-ए/ई-एच-पी, नियोर जौन प्रोजेक्ट्स/एकटीविटीज विलेवरिंग इकाईयां बतायी जाना हुआ है। नीतिक्षिकालय, 2008 में वर्तित की गयी जा सकने वाली लीजिया

पर्यावरण विभाग की वार्ता संस्करण द्वारा अधिकारी द्वारा दिए गए निम्नलिखित बाबतों के बारे में जारी किया गया है।

- i. Project proponent shall inform SEMA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Collection and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC, Raipur.
- iii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- iv. Project proponent shall submit production detail from 01/04/2021 to till date from the mining department.
- v. Project proponent shall submit the revised quarry plan with reserve calculation.
- vi. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- vii. Project proponent shall submit the details of water source and NOC for usage of water from competent authority.
- viii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- ix. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xi. Project proponent shall submit the copy of panchams and photographs of every monitoring station.
- xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 03/08/2017.
- xiv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zones.
- xv. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery as much as possible & complete plantation alongwith photographs and incorporate in the EIA report.

- vii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5-meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- viii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

प्रारिकरण द्वारा बैठक में नियम – जलसंगत प्रदूषक का प्रारिकरण की दिनांक 26/03/2023 को संभाल 140वीं बैठक में नियम लिया गया। प्रारिकरण द्वारा नहीं ही अनुमति लिया गया। प्रारिकरण द्वारा नीट लिया गया कि परिवेशका प्रदूषक द्वारा अदान नियमी भी नियम का अनुमति लिया गया अनुमति नहीं लिया गया है।

प्रारिकरण द्वारा नियम जलसंगत संरक्षणीयी भी चरित्रीजनका प्रदूषक द्वारा अदान नियमी भी नियम का अनुमति लिया गया प्रदूषक लिये जाने के दबावी ही यथापुराक अनुमति लिये जाने ही प्रदूषक का एसईएसी, संरक्षणका यथापुराक लिये जाने का नियम लिया गया।

(३) समिति की 455वीं बैठक दिनांक 17/04/2023:

समिति द्वारा नहीं प्रदूषक यानकारी का अनुसीरेका एवं नवीनीय कर, जलसंगत संरक्षणीयी भी नियम लिया गया था कि परिवेशका प्रदूषक द्वारा अदान नियमी भी नियम का अनुमति लिया गया प्रदूषक लिये जाने सुधारें जानी कार्यवाही भी घाटगी।

एसईएसी, संरक्षणका द्वारा दिनांक 14/08/2023 के परिणाम से परिवेशका प्रदूषक द्वारा दिनांक 03/10/2023 की जानकारी/दस्तावेज प्रदूषक लिया गया।

(४) समिति की 456वीं बैठक दिनांक 12/10/2023:

समिति द्वारा नहीं प्रदूषक यानकारी का जलसंगत एवं योग्यता करने पर यथा यथा कि कार्यवाही प्रदूषक लिया गया है, जो संपुष्ट—संवाधक (खप), संचालनलघु, नीतियों तथा नियमों, नवा संघरू लाइन नवन के द्वारा दिनांक 6399/खनि/०२/२०२१, जल अनुसूचना/नं. ५००८/२०२१(1) नवा संघरू दिनांक 16/12/2021 द्वारा अनुमति दी गईहो अनुसार नियोजितलियका लिये ५,८०,२५० टन एवं नाईगेटल Road १,४७,८७७ टन है। योग्यता में नियोजितलियका लिये ५,८०,३५८ टन एवं नाईगेटल Road १,४७,८८० टन भी है। लीज की २५ वीं लीजी लिया पढ़ती (जालनका के लिए उत्तीर्णित देख) का लंबाई २,४६६.३८ लंबीताएँ है। जलन लाइट योग्यता लिये के जालनका लिया गया है। जालनका की उत्तीर्णित अविकलन गहराई ३८ फीट है। लीज की लीजी में कालव नकारिया नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रश्नाव नहीं लिया गया है। लीज लीज से छिपायें एवं लंबाई अविकलन नहीं लिया जाता है। योग्यता प्रदूषक द्वारा नकारिया का नियमन निम्ननुसार है:-

क्रम	प्रत्यक्षित राशनम् (₹)	क्रम	उद्देशित राशनम् (₹)
प्राप्ति	12,736.88	प्राप्ति	9,476.67
द्वितीय	11,646.91	द्वितीय	9,475.5
तृतीय	10,569.22	तृतीय	9,476.26
चतुर्थ	9,490.89	चतुर्थ	9,476.77
पंचम	8,481.35	पंचम	9,477.06

सभिति द्वारा नियां नियां अवश्य अवश्यिति से यूं ही नियित की जाती है। इस दिनांक 24/01/2023 में जी एक अनुसारा की अवश्य यह दीजो अव (लोक सुनाम) राहित जाती निये जाने की अनुसारा की गई की एक दुःः अनुसारा की जाती है। यह ही सभिति द्वारा नियित की एक जी याकृष्ण रहेगी।

एवं स्वाधीन परिवर्तन द्वारा अवश्य अवश्य अवश्यिति (एसईएसईएस), अवश्यिति को अवश्य अवश्य अवश्यिति निया गया।

3. गोदान दीन गोदान गोदान (जी- की दीनांत दीन), दीन-दीन, दीनीत व निया-गोदानी (गोदानीत व कानी दीनांक 2236)

गोदानीत आवेदन — उपर्युक्त नाम — एसईएसई/ गोदानी/ एसईएसई/ 411486/ 2022, दिनांक 20/12/2022 द्वारा परिवर्तनीय लोकृष्टि द्वारा आवेदन निया गया है।

प्रकाशन का नियां — एक प्रकाशन ऐत (गोदान गोदान) नाम है। यह नाम दीन-दीन, दीनीत व निया-गोदानी निया गोदान दीनांक 2236, युवा संघर्ष-436 उपर्युक्त में अवश्यिति है। उत्तराधिकारी से निया गोदान प्रकाशन है। नाम की अवश्यिति उत्तराधिकार दीनांक — 99,000 प्राप्तीटर दीनियां हैं।

गोदानीत गोदान गोदान की एसईएसई- अवश्यिति को द्वारा प्रकाशित हुए सुनित निया गया।

गोदानीत का नियां —

- (अ) सभिति की जाती है। दीनांक 25/01/2023:

प्रकाशन दीन की लोकांत गुरुता, अवश्यिति प्रतिविसी उपरिभास हुए। सभिति द्वारा नकीं, प्रकाशन गोदानीत का अवश्यिति एवं अवश्यिति करने का निया नियित की गई गई—

1. यूं में जाती परिवर्तनीय लोकृष्टि गोदानी नियां— इस नाम की यूं में परिवर्तनीय लोकृष्टि जाती गई की गई है।
2. दीन गोदान का अवश्यिति प्रथम यज्ञ — उत्तराधिकार के संक्षेप में दीन गोदान का दीनांक 43/01/2017 का अवश्यिति प्रथम यज्ञ प्रकाशित निया गया है।
3. नियांकित/ गोदानीत — उत्तराधिकार, गोदानीत नाम से प्राप्त प्रथम यज्ञ अवश्य यह नाम नियांकित/ गोदानीत का चाहिए है।
4. उत्तराधिकार गोदान — गोदानीत दीन अवश्य निया गया है, जी दीन-गोदान (लोकृष्टि दीन), निया-गोदान नाम गोदान से याकृष्ण दीनांक 848-850/ गोदानी/ एसईएसई/ 411486/ 2022-23 दीन-गोदान, दिनांक 20/12/2022 द्वारा अवश्यिति है।
5. 500 गोदान की परिवर्तनीय में निया गोदान — दीनीत दीन-गोदान (गोदानीत दीन), निया-गोदानी को द्वारा दीनांक 1811-सी/ गोदानी/ एसईएसई/ 2022 गोदानी, दिनांक

12/12/2022 की अनुसार आवेदित सदानं पर 800 मीटर के बीच अधिकतम अवधि या सदानी की संख्या निम्न है।

6. 800 मीटर की वर्गीय में लिखा जाएगेविक क्षेत्र/संचयनार्थ – भवानीक बोर्डर (जानिया साधा), लिखा-जानारी के द्वारा उल्लंक 1301-ए/स्ट्री/न.इ./2022 दस्तावेज़ दिनांक 12/12/2022 द्वारा यारी इमाल पर अनुसार सका सदानं पर 200 मीटर की वर्गीय में कोई भी सर्वजनिक क्षेत्र या सार्वजनिक संबंधित या अन्य एवं एकीकृत एवं या अनुसारी आवि अधिकारित क्षेत्र निम्न नहीं है।
7. एलओआई का लिखण – एलओआई की देवांत फैल के नाम पर है जो कार्यालय कलोडर (जानिया साधा), लिखा-जानारी के द्वारा उल्लंक 1302/स्ट्री/सिरिया/2022 दस्तावेज़ दिनांक 09/12/2022 द्वारा यारी की या लिखानी आवि 8 वाल होगा यह है।
8. डिस्ट्रीक्ट लवि रिपोर्ट – कर्ण 2019 की डिस्ट्रीक्ट लवि रिपोर्ट (District Survey Report) की छाँटी अनुसार की गई है।
9. अन्यत्युपीन सदानार्थी की दृष्टि – भवानीक आवारी नाम-दीनर 400 मीटर, कलोडर द्वारा-दीनर 1 लिंगी एवं अन्यान्य बुक्कर 12 लिंगी की दृष्टि पर लिखा है। अन्यत्युपीन सदानार्थी 12 लिंगी एवं सदानार्थी 14 लिंगी दूर है। सर्वेक्षण या सदानं पर 200 मीटर की दृष्टि एवं एकीकृत/युन लिखा नहीं है।
10. वर्तिनिविलीय/वैतरिविलीय भवेनालील क्षेत्र – अधिकारिता प्रसारक द्वारा 10 लिंगी जी वर्गीय में जारीविलीय सेवा, सार्वजनिक संबंधित प्रसारक लिखण की दृष्टि लिखिया जाएगी एवं या वर्तिनिविलीय भवेनालील क्षेत्र पर लिखा नहीं होना अतिरिक्त लिखा है।
11. अन्य सदान पर नदी के पाट की गोकर्ण एवं सदान की नदी तक से दृष्टि – भवानीक अनुसार सदान सदान पर नदी के पाट की गोकर्ण – अधिकारित 730 मीटर, अनुसार 652 मीटर तथा सदान सदान की गोकर्ण – अधिकारित 292 मीटर, अनुसार 277 मीटर एवं सदान सदान की गोकर्ण – अधिकारित 119 मीटर, अनुसार 174 मीटर गोकर्ण नहीं है। सदान की नदी तट के लिखाने से दूरी अधिकारित 134 मीटर, अनुसार 113 मीटर है।
12. सदान सदान पर ऐत की गोकर्ण – भवानीक अनुसार सदान पर ऐत की गोकर्ण – 3 से 4 मीटर तक या सदान की प्रसारित गोकर्ण – 3 मीटर गोकर्ण गई है। अनुनीतिक भवानीक सदान अनुसार सदान में गोकर्णेवत ऐत की गता – 80,000 प्रग्राहित है। ऐत उत्तरांन उत्तु प्रसारित सदान पर उपलब्ध ऐत उत्तरांन की गोकर्ण जानने की लिए, उत्तरांन उत्तरांन पर 5 गोकर्ण अनुसार यातांनी प्रसारित गोकर्ण का यापन कर, युग्मि लिंगिलक से प्रग्राहित आवारी प्रसार की गई है। इसके अनुसार ऐत की यापनांन गोकर्ण 220 मीटर है। ऐत की यापनांन गोकर्ण उत्तु प्रग्राहित की गया है।
13. सदान क्षेत्र में ऐत क्षेत्र के संभवता – ऐत सदान उत्तु 25 मीटर युग्म 25 मीटर के लिए लिंगुली एवं दिनांक 20/12/2022 को ऐत सदान के उत्तरांन सेवानाम (Levels) सेवान, एवं लग्नित लिखण से प्रग्राहित उत्तरांन गोकर्णप्रसार सहित जानकारी/उत्तरांन अनुसार लिखे गये हैं।

14. कॉर्पोरेट एंवारेनमेंट रिप्झर्टी (C.E.R.) – वरियोपता प्रकाशन द्वारा संचालित (Corporate Environment Responsibility) हेतु रिप्झर्टी की जानकारी विषय में यह उपलब्ध रिप्झर्टार द्वारा दिया गया है।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
Following activities at Nearby Village- Donar				
52.10	2%	1.04	Plantation in Village pond	1.000
			Total	1.000

15. शीर्षक के अंतर्गत वालाप या (जलगृ, बीच, गो, आम, कदम आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रसूत इनाम अनुसार 100 या फीस के लिए राशि 8,500 रुपये, फेलिंग के लिए राशि 60,000 रुपये, बाढ़ के लिए राशि 1,000 रुपये, रिहाई तथा रक्षा रक्षा-पक्षाव आदि के लिए राशि 10,000 रुपये, इस प्रकार प्रकल्प की मुख्य राशि 87,500 रुपये तथा अन्यानी 4 वर्षी में बाढ़, रिहाई एवं रक्षा-पक्षाव हेतु कुल राशि 45,000 रुपये हेतु वृक्षारोपण या का विषय प्रसूत दिया गया है। नीचें दी गयी है विवरित वृक्षारोपण प्रकाशन द्वारा जल विद्युत के सहमति वालांग उपयोगी रूपान् (जलाव एवं बोर्डर आदि) के संबंध में अनन्यानी प्रसूत दिया जाना आवश्यक है।

16. घुटारोपण वार्ष – यदी तरह या (जलगृ, जलगृ, आम, कदम, कदम एवं इन्हीं) वृक्षारोपण हेतु प्रसूत इनाम अनुसार 1,000 या फीस के लिए राशि 90,000 रुपये, फेलिंग के लिए राशि 60,000 रुपये, बाढ़ के लिए राशि 15,000 रुपये, रिहाई तथा रक्षा-पक्षाव के लिए राशि 35,000 रुपये, इस प्रकार युक्त राशि 2,20,000 रुपये इन्हीं की में एवं कुल राशि 1,86,000 रुपये अन्यानी 4 वर्षी हेतु वृक्षारोपण या का विषय प्रसूत दिया गया है। जल ही सहमति का यह है विवरों के बारे में वृक्षारोपण दिये जाने की इसे में बाढ़ की सीमा (Flood level) की घटन में जली हुये यदी के विनाश घुटारोपण (River Bank) दिया जाए।

नीचें दी गयी जलवाय उपयोगी के विषयानुसार विवर दिया गया यह है—

1. वायाकाम्भलिकारी, यस्ती से एवं जलवाय वायाकाम्भलिकारी की अन्यानी प्रसूत या प्राप्त का प्रसूत दिया जाए।
2. शीर्षक के अंतर्गत वालाप या जिसे यारे जली घुटारोपण हेतु जल विद्युत के सहमति उपयोगी उपयोगी रूपान् (जलाव एवं बोर्डर आदि) के संबंध में अनन्यानी प्रसूत दिया जाए।
3. खलीगाड़ जाली पुनर्वास नीचों के तहत जलनीव लोगों की सेवाया दिये जाने हेतु रुपये या (Motorized undertaking) प्रसूत दिया जाए।
4. वरियोपता प्रकाशन द्वारा इस जलवाय का वहन या प्रसूत दिया जाए जिसकी विशेष इस वरियोपता/वायाकाम्भलिका से संबंधित होई न्यायालीन प्राप्तव्य या उपर्याक्त दियी गी न्यायालीन नहीं हो।



5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस अपाय का नोटरी से संबंधित ग्राम पर प्रदूषित किया जाए कि उसकी विशेष संतुष्टि ग्रामपाल परिवार, इस और अन्यथा परियोजना के संबंध में अधिकारी का आवाज़ 804(3), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत बोही वर्तमान वा इकान्त संचित नहीं है।

एकलोक वर्तित जानकारी/दावाओंव द्वारा हीने उपलब्ध आगामी कालावधी की जाएगी।

ग्रामपाल एवं ईस्टर सौ. खालीसगढ़ की आवाज़ दिनांक 15/03/2023 के परिवेष में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इसकी विशेष संतुष्टि ग्रामपाली/दावाओंव द्वारा प्रदूषित किया गया।

(iii) समिति की बाबती कीव के दिनांक 13/10/2023:

समिति द्वारा नहीं प्रदूषित जानकारी का अवारोहन एवं सौचार्य करने पर जिस विषय पर है यह—

1. सार्वजनिक सम्पर्क, कारों सीधानकी उत्तराधि विभाग, विज्ञा-गविडार्दण के ग्राम ग्रामीण/मुख्य/वी. /4000 परिवार, दिनांक 09/09/2023 से जारी करायी गयी प्रभाव पर अनुसार आवेदित कोड का लोग की सीमा से 419 कि.मी. वी दूरी पर है।
2. सार्वजनिक पर्यावरणसमिति, ग्रामीण व्यवसाय, जनतारी के ग्राम ग्रामीण/मुख्य/वी. /2543 ग्रामतारी, दिनांक 09/09/2023 से जारी अनावृति प्रभाव पर अनुसार आवेदित कोड का लोग की सीमा से 419 कि.मी. वी दूरी पर है।
3. सीईआर की ग्रामीण जालाव का विशेष जारी वाले क्षुद्रांगण हीनु यान् यंगाल के सहन्ति उपरात ग्रामीण ग्राम (खाली ग्रामों 1882, सीकाल 058 (हिल्टेपर) तथा ग्रामीण ग्राम पर खाली ग्रामों 2354, सीकाल 1 हिल्टेपर में क्षुद्रांगण किया जायगा।
4. घट्टीसाल आठों पुरुषों नीति के तहत ग्रामीण लोगों की सोचारा विशेष जारी हेतु ग्राम पर (Notarized undertaking) प्रदूषित किया गया है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस अपाय का सम्पर्क पर (Notarized undertaking) प्रदूषित किया गया है। ऐसे उसकी विशेष इस परियोजना/दावाओंव से संबंधित योग्य न्यायालीन द्रष्टव्य देख की अवधारणा विशेष न्यायालीन में लिखा नहीं है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस अपाय का सम्पर्क पर (Notarized undertaking) प्रदूषित किया गया है कि उसकी विशेष मात्र जनकार परिवार, बन और अन्यथा परियोजना परिवार की अधिकृतना काला 804(3), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत बोही वर्तमान वा इकान्त संचित नहीं है।
7. गीड़आर कारों एवं नदी ग्राम में क्षुद्रांगण कारों के विनियोग एवं परिवेषक ग्राम वी-परियोजना जारी (ट्रैकटर/परिवेषक, यान् यंगाल के पहाड़ीसगढ़/परियोजना एवं जिस प्रशासन वा घट्टीसाल वर्तमान संस्थान वर्षाल के पहाड़ीसगढ़/परियोजना) नहिं किया जाना आवश्यक है। यान् ही गीड़आर एवं नदी ग्राम में क्षुद्रांगण का कारों पूर्ण विशेष जारी के जारीह गरिए गी-परियोजना की सात्यार्थीत ग्रामीण जाना आवश्यक है।
8. ऐसे उत्तरालय ग्रामपाल विशेष से एवं बराही का कारों लोडर द्वारा कठवा जाना आवश्यक है। जारी का कारों विशेष से एवं बराही काहन की कारों के हैं।

अत चर्चाई का कार्य विनियोग विभि से ही कराई जाए। यारी याहानी के नदी में दूषण की अनुमति नहीं होगी।

3. लीपीयोजना प्रस्तावक हाल तक बैठक की वहाँ तक प्रस्तावन की अनुमति नहीं है। अनुमतिहीन प्रस्तावन योजना में प्रस्तावन विषय यारी याहानी के लिए लोक विधायक द्वारा उत्पन्न करते हुए लोकसभी अधिकारी का समर्थन नहीं हिता गया है। याहानी कही नहीं है तब तुम्हारी विधायिका में सामाजिक 1.5 बीट्य गहराई की अवधि तेज का पुनर्वाप्त होने की संभावना है।

समिति द्वारा विधार विभाई उपराजन विधायिका से विनाशकारी विवेद लिया गया—

1. अनोनित चारान (याप-हील्ड) का लकड़ा 4.25 हेक्टेयर है। चारान की लीक से 800 बीट्य की घोगड़ी में फौलकू/संवालित याहानी का कुल लोकल 5 हेक्टेयर या दो गांवों का होने की कामना यह चारान की—२ लीकी की यानी जावी।
2. लीपीयोजना प्रस्तावक ऐत चारान लीक की आवासी 1.5 वर्ष में विनाश या उपराजन (Seasonal Gluey) करवेगा। ताकि ऐत की पुनर्वाप्त (Replenishment) बायां यारी आवासी, ऐत चारान का नहीं बदीता, सामीय कामयाई, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर उपराजन का नहीं की पक्की की गुणवत्ता पर ऐत चारान की उभाव की जानकारी प्राप्त हो जावी।
3. लीक लीक की जाल का विवाहाईन जारा—
 - i. ऐत चारान चारान कामों के लूह उपराजनानुभाव विधायिका विविध विविधों पर नहीं वे ऐत की जाल के लालों (Leaves) का नहीं कर, याकों औरतों उपराजन एवं आई-आई-ए एवं याहानीक जीत जाएंगी।
 - ii. योक्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर याह के ऐत चारान चारान कामों के लूह) इनी विविध विविधों में विविधिंग लीज लीक तथा लीज लीज के विवाहाईन एवं चारानाईन में 100 बीट्य तक तथा याकों लीज के बाहर, / नहीं तद (टीनों लीजों) तो 100 बीट्य तक के लोक में नहीं जाल के लालों (Leaves) का नहीं योग्य विधायिक विविध विविधों पर लिया जाएगा।
 - iii. युक्ती इकायर ऐत चारान उपराजन यानसून के लूह (याह के अंदर चारान/याह के द्वारा चारान) इनी विविध विविधों पर ऐत चारान के लेवल्स (Leaves) का यापन लिया जाएगा।
 - iv. ऐत चारान के लूह विधायिक विविध विविधों पर ऐत चारान के लेवल्स (Leaves) के यापन का कार्य याहानी ५ वर्ष तक विधाय लिया जाएगा। योक्ट-मानसून के अवधि विवाह 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं दी-मानसून के अवधि विवाह 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक विधायिक रूप से एवं आई-आई-ए एवं याहानीक जीत प्रस्तुत विषय यारीगी।
4. समिति द्वारा विधार विभाई उपराजन विधायिका से याहानी कोर लीक याह की—
श्री देवकांत योद्देश, याहानी छानांक 3774, छान-देवक, याहानी व जिला-चारानी, कुल लीक लोकल 4.25 हेक्टेयर में प्रस्तावन ऐत योग्य लीक का कुल 80 विविध लीजकल 5 ली ऐत चारान लीजिकल 1.5 बीट्य की गहराई तक सामित याहानी की योग्य लीजिकल 5 ली याहान लीज योग्य विधायिक विविधी, कुल कुल 44,980 योग्य लीजिकल योग्य लीज याहान लीज योग्य विधायिक विविधी, योग्य लीजिकल योग्य लीजिकल से याह की लीज की अवधि ऐत विधायिक-५ वे योग्य लीजिकल योग्य की अवधि लीज याहानी की याहानी। ऐत की युवाई भवित्व द्वारा (Mercurial) की जाएगी। विषय विविध (River Bed) वे याहानी का प्रयोग

- प्रतिक्रिया रहेगा। लौज क्षेत्र में निम्न जै सूची (Excavation pits) के संकेत पाइट तक तक का परिवहन ट्रैक्टर द्वारा द्वारा किया जाएगा।
3. सार्वभौमिक संग्रह सार्वजनिक मिशनोंट पारिवहन का 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं क्रिएटिव एवं एफेक्टिव पारिवहन की संघर्ष पारिवर्तन 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कार्यक्रम की पालन सुनिश्चित किया जाए।

इसके साथ ही पर्यावरण प्रबल अधिकार वारिकारण (एपीआईए) उत्तीर्णगढ़ को अदानुसार सुचित किया जाए।

4. ऐसी नकारी कारी लाईग छोड़न कारी (जी- औ तापाथंड आहुजा) पाय-नकारी कारी, चालीस-रिसा, रिसा-चालुर (वरिकारण का कारी क्रमांक 2004) अधिकारीकृत आवेदन - प्रयोग कार - एपीआईए/ जी-ी/ एपीआईए/ 270033 / 2022, दिनांक 02/08/2022 द्वारा उत्तीर्णगढ़ लौजमें हेतु आवेदन किया गया है।

इसका का विवरण - यह घूमी के संबंधित सूख पालन (पौरा खण्डि) कारण है। यहाँ पाय-नकारी कारी, चालीस-रिसा, रिसा-चालुर किया जाए और यहाँ जलमाता 280/18, सूख बोर्डर-0.404 हेक्टेयर में है। यहाँ की आवंशिक जलमाता 8,120 हेक्टेयर है।

अदानुसार परियोजना प्रस्तावक की एपीआईए, उत्तीर्णगढ़ के ज्ञान दिनांक 20/08/2022 द्वारा अनुमोदित हेतु सुचित किया गया।

विवरों का विवरण -

- (अ) नक्षीकृत वीर 437रो मैटक दिनांक 30/08/2022:

प्रभुद्युक्तिकाल हेतु जी तापाथंड आहुजा, बोर्डरार्टर वर्धिता हुए। नक्षीकृत द्वारा कारी का आवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निकाली गई गढ़-

1. घूमी में कारी पर्यावरणीय स्थीर्यकृति कारी विवरण -

1. घूमी में यूवा पालन गहरान जलमाता 280/18, सूख बोर्डर-1 एकड़ (0.404 हेक्टेयर), जलमाता-8,120 हेक्टेयर एवं जिस सारी वर्धिता जलमाता निकाल प्रविहार, रिसा-चालुर द्वारा पर्यावरणीय स्थीर्यकृति दिनांक 24/08/2017 की जारी की गई। यह स्थीर्यकृति जारी दिनांक से 5 दिन तक भी लागती हेतु रही थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा काराय गया है जारी संस्करण, पर्यावरण, जल और संतराय, परिवहन नियम, एवं नियमी द्वारा जारी अनिवार्य दिनांक 16/01/2021 अनुमात-

"p.s. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control.

however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Cleanse granted shall be treated as valid."

परियोजना अधीक्षण के अनुसार पर्यावरणीय स्थिति की जिम्मा वाली दिनांक से दिनांक 23/09/2022 तक ही होती।

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्ण में जली पर्यावरणीय स्थिति के रूप में प्रस्ताव में की गई कठोरताएँ वही जलवायी कठोरताओं परिस्थिति प्रस्तुत की गई है। समिति का यह है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत संरीकृत कार्यालय, बाल वाचक, पर्यावरण, इन एवं प्रदर्शन, परिवर्तन और सम्प्रदाय से पूर्ण में जाहि पर्यावरणीय स्थिति का प्रबल घटिकानन द्वारा उप्रस्तुत विषय जागरूक आवश्यक है।
2. नियोजित वार्षिक गुणवाना नहीं किया गया है।
 - iii. ग्रिफ की में दिये गए उल्लंघन की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। इस ग्राहक में इस्तमूलीकरण के दोनों परियोजना प्रस्तावक द्वारा कराया गया हि विवरण की में दिये गये जालनमन की प्रमाणित जलवायी जान करने के द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा घटित अधिकारी, विज्ञा-वार्षिक की दिनांक 28/09/2022 को अंतिम दिया गया है।
3. धन खंडकर का अनावृत्ति प्रमाण पत्र – उल्लंघन के संकेत में धन खंडकर अन्वयी का दिनांक 25/01/2012 का अनावृत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. जलवायी दोषकारी – जली जलन एवं जलवायी कठोरतर जलन प्रस्तुत किया गया है, जो नये संवादक (खानीजना), विज्ञा-वार्षिक की पु. ज्ञापन दिनांक 31/03(2)/2022/विज्ञा-4/प्रग. 42/2013 द्वारा, दिनांक 01/02/2017 द्वारा अनुरोधित है।
5. 500 मीटर की दूरी में दिया जाना – कार्यालय कठोरतर (खानीजन जाना), विज्ञा-वार्षिक की ज्ञापन दिनांक 18/03/विज्ञा/विज्ञा-4/2022 द्वारा, दिनांक 02/03/2022 के अनुसार अनोदित जलन से 500 मीटर की दूरी अवश्यकता जनायाएं, जोकाल 1.25 हेक्टेयर है।
6. 200 मीटर की दूरी में दिया जाना विभिन्न कीर्ति/कठोरताएँ – कार्यालय कठोरतर (खानीजन जाना), विज्ञा-वार्षिक की ज्ञापन दिनांक 21/04/विज्ञा/विज्ञा-4/2022 द्वारा, दिनांक 20/03/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार जलन जाना से 200 मीटर की दूरी में कोई भी सार्वजनिक कीर्ति नीति गोदार, अस्तित्व, संवाद, अन्वयन, स्वास्थ, पुराव, दौर्यालय, बांध एवं जल अनुरूप अधिक इतिवर्तित कीर्ति किया जाती है। तासात एवं इन्डिकेटर लाईन 200 मीटर की दूरी पर दिया गया है।
7. लीज का विवरण – लीज की जालीक जारी के बाय जाती है। लीज लीज 10 वर्ष अवधि दिनांक 14/02/2014 से 17/02/2024 तक की अवधि होती है। लीज का उत्तराधिकार दिनांक 24/11/2018 की भी जालीक जारीता के बाय जाता है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2022 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की जारी प्रस्तुत की गई है।

9. यह विवरण का अनुसारी इत्तम पत्र – जारीतय का नामकरणिकारी, का नाम अंग्रेज़, विला-जाप्युर के इत्तम अमृत/दत्तम/वा/1167 जाप्युर दिनांक 01/06/2023 की जारी इत्तम पत्र अनुग्रह आवृत्ति देख का दोष की सीमा में उपर्योग की दृष्टि पत्र है।
10. नहरवाही संवर्धनकारी की दृष्टि – निकटात्म अकारी इत्तम-नामकी 500 बीटर, एकल इत्तम-जनदबा 6.3 किमी एवं अव्याप्ति विशुद्ध 2 किमी की दृष्टि पर विषय है। अस्त्रीय इत्तमाग्नि 3 किमी, एवं यज्ञाग्नि 285 किमी दूर है। याकृत्तम नदी 16 किमी एवं विवरण नदी 20 किमी दूर है।
11. परिवेशविद्याय/वैदिकीयता गतिविधीय कीर्ति – परिवेशवाच इत्तमाग्नि द्वारा 10 किमी की परिवेश में अविवेकीय सीमा, अस्त्रीय इत्तम, अभ्यावध, कन्दीय इत्तम विवरण की द्वारा घोषित विविकासी वैल्युटेट उरिया, परिवेशविद्याय गतिविधीय कीर्ति या घोषित जैवविविधा कीर्ति नहीं होना उत्तिरेत विषय है।
12. इत्तम इत्तमा एवं इत्तम का विषय – विवेशविद्याय विषय 1.99500 इत्तम, नामकरण विषय 0.9500 इत्तम एवं विवेशविद्याय विषय 0.9500 इत्तम है। सीज की 7.5 बीटर की सीमा पद्धति (इत्तमाग्नि के लिए अविवेकीय कीर्ति) का संवर्धन 1.800 बीटरीटर है। अंग्रेज़ कार्य संघीय मैकानिकाल विषय की इत्तमाग्नि विषय है। इत्तमाग्नि की प्रस्तावित अधिकात्म गतिहाई 22 बीटर है। औंग्रेज़ इत्तम (तुक्का) की नीताई 2 बीटर एवं मात्रा 0.850 बीटरीटर है। देश की जातिहाई 1.5 बीटर एवं गीतिहाई 1.6 बीटर है। इत्तम की संवर्धन अनु 1046 कर्ति है। सीज की द्वारा इत्तम इत्तमाग्नि विषय जाना उत्तराधित नहीं है। लैक इत्तम की विविध एवं विवरण विषय जाना है। इत्तम में यानु इत्तम विवरण हेतु इत्तम का विवरण विषय जाना है।
13. अनुग्रह अनुरोधित जारी पत्रम् वे जीवाय इत्तमाक्षित मुख्य इत्तमाग्नि का उत्तराधित है एवं 10 कर्ति तक औंग्रेज़ भूता पत्रम् इत्तमाग्नि जाना है – 6.125 इत्तम इत्तमाक्षित (ROM) का इत्तमीकरण है। परंतु जीवाय इत्तमाक्षित इत्तमाग्नि योजना का विषय इत्तमीकरण नहीं है। अत जारीती का भत्ता है कि जीवाय इत्तमाक्षित भूता पत्रम् इत्तमाग्नि योजना का विषय जारी पत्रम् में उत्तराधित जारी हुई प्रकृता विषय जाना आवश्यक है।
14. इत्तम जारीती – विविधजना हेतु इत्तमाग्नि इत्तम की जाति 3 बीटरीटर छोटिया होती है। अनुरोधित जारी पत्रम् वैदिकीयता इत्तमाग्नि द्वारा जाना जाता है कि इत्तम की जारीती द्वारोहन के विषय से विषय जाएगा। इत्तम जारी जैवाय इत्तम अविवेकीय की जारीती द्वारा का प्रस्तुत विषय जाना आवश्यक है।
15. कृतारोपण कर्ति – सीज की सीमा में जारी औंग्रेज़ 7.5 बीटर की पद्धति में 255 नम कृतारोपण विषय जाएगा। जारीती का भत्ता है कि सीज की सीमा में जारी औंग्रेज़ 7.5 बीटर की पद्धति में कृतारोपण हेतु जीवी, विविध, जात एवं विवाही इत्तम एवं इत्तमाग्नि के लिए 6 कर्ति का प्रत्यक्ष्यन व्यवहार का विषय विशुद्ध प्रस्ताव सहित प्रस्तुत विषय जाना आवश्यक है।
16. इत्तम की 7.5 बीटर की जीवी सीमा पद्धति में इत्तमाग्नि – सीज की जारी औंग्रेज़ 7.5 बीटर की सीमा पद्धति में इत्तमाग्नि कर्ति नहीं विषय जाता है।
17. कौरिरिट पर्सोनलीय राजित्य (C.E.R.) – परिवेशवाच प्रह्लादक इत्तम सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु अनुग्रह विवरण प्रस्ताव प्रस्तुत



नहीं किया गया है। यांत्रिक का बना है कि “परिवर्तन” के लक्ष्य अधिकारी, नवीनीकरण, नीम, आम, अद्युत, औल आदि) सामग्री प्रसारण क्षमताएँ उत्पादन (उत्पादक विकास सहित) में वृद्धिकरण होता है। यांत्रिक सामग्री का उत्पादन उत्पादक विकास के लिए ५ वर्षों का प्रशासनिक व्यवस्था विभिन्न उत्पादन सहित प्रकृति किया जाना आवश्यक है।

15. इसका अनुसारित व्यापारी सामग्री प्राप्ति में ओवर बैंक (मुख्य) की ओटाई ३ बीटर एवं मात्र ३,५५० प्रतिशत की रकम व्यापारियों के अनुचित उत्पादन विकास किये जाने का उल्लेख है। इस संबंध में यांत्रिक का बना है कि परिवर्तन ओवर बैंक (मुख्य) की विकास नहीं किया जाएगा।
 16. यांत्रिक विकास की व्यापारित कर संवित कर्ता जाने हेतु गुरुवा का उत्पादन न छोड़े, विकास न करने एवं अन्य कारों ने उपर्योग नहीं किया जाने एवं इस विकास का उत्पादन प्रूतगताव द्वारा विकास जावा पत्र (Notarized undertaking) प्रकृति किया गया है।
 17. अपनी विकासी (मुख्य) की सीज बीज के २.५ बीटर बीड़ी यीवा बद्दी में १ बीटर की रुचाई तक रखने उत्पादन सीज उत्पादक विकासी (मुख्य) को सीज सीज की समीक्षा व्यव की भूमि जारी रखने के २५० / १० रकम २५५० हेक्टेक्टर में १ बीटर की रुचाई तक व्यापारित कर संवित कर्ता जाने वाला जावा पत्र (Notarized undertaking) प्रकृति किया गया है।
 18. गट्टोल व्यापारित जा कारी विकासीक लाईकैप द्वारा उत्पादन जाने वाला जावा पत्र (Notarized undertaking) प्रकृति किया गया है।
- यांत्रिक जावा उत्पादन व्यापारियों से विभागीय विवेद लिया गया है—
1. यूटी में जारी व्यापारियों व्यापारियों के जारी की वालन में जी वह उत्पादनीय की व्यापारियों से विवेद व्यापारित, वालन वालकार, व्यापारियों, वन एवं जलाशय व्यापारियों व्यापारियों वालन वालपुर अद्युत गया हो वालन व्यापारियों द्वारा कर प्रकृति किया जाए।
 2. यूटी में जारी व्यापारियों व्यापारियों के जारी के अनुलय व्यापारित वालन व्यापार उत्पादन करते हुए योंगी में गोलांगन (Plumbering) एवं योंगी के जाम का उत्पादन किया जाकर ओटीवालन व्यापारियों प्रकृति किया जाए।
 3. विवेद जारी में विवेद गये उत्पादन की अद्युत व्यापारियों छनिक विभान से व्यापारित वालकार प्रकृति किया जाए।
 4. व्यापारित उत्पादन जून वालन उत्पादन योजना का विवेद उत्पादनीय प्राप्ति में उत्पादन करते हुए प्रकृति किया जाए।
 5. वाल की व्यापारियों हेतु बीन्डल जावाया बीटर व्यापारियों की अनुचित जावा कर प्रकृति किया जाए।
 6. सीज सीज की यीवा में जारी कोष २.५ बीटर की बद्दी में उत्पादन के हुए योंगी, व्यापारियों, वाल एवं विवेद जावा उत्पादन के लिए ५ वर्षों का प्रशासन व्यव का विवेद विभिन्न प्रशासन व्यापारित प्रकृति प्रकृति किया जाए।
 7. गीड़जार का विभिन्न प्रशासन “परिवर्तन वन विवेद” के तहत (अधिकारी, वह यीवान, यीवा, आम, अद्युत, औल आदि) सामग्री प्रसारण के सामने उत्पादन व्यापारियों व्यापार (उत्पादक विकास सहित) में वृद्धिकरण हेतु योंगी, व्यापारियों, वाल एवं विवेद जावा

सर्व-वित्तीय को लिए के रूपी का प्रत्याख्यान जाए का विवरण विस्तृत प्रकाश दीजिए प्रस्तुत किया जाए।

8. गढ़वाली लील सेव की ओर बदल दृष्टिकोण लिए जाए एवं निमित्त वीची का समर्थनीय ऐट (Borrower's note) के उपरिकात सुनिश्चित लिए जाए जबकि इसका वापर (Notarised undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. नियोजित वित्तीय वीची की लालू स्थानीय लोगों को रोकार दिये जाने लिए उपर्युक्त वापर (Notarised undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. अखीलगढ़ आदर्श बुनियों की लालू स्थानीय लोगों को रोकार दिये जाने लिए उपर्युक्त वापर (Notarised undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. नियोजित प्रकाशक द्वारा इस वाहन का वर्चन पर प्रस्तुत किया जाए कि उसके विषय इस वियोजना/वाहन से संबंधित कोई व्यापकतावाले प्रकरण ईह के अंतर्गत किसी भी व्यापकलय में लिया नहीं है।
12. नियोजित प्रकाशक द्वारा इस वाहन का जीएस से संबंधित वाहन पर प्रस्तुत किया जाए कि उसके विषय भवत वाहन समावन, पर्यावरण वन और व्यापक वियोजन संबंधीय की अविस्तृत वाहन (आवा 804(8)) दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लिया नहीं है।

उपरोक्त वाचित जानकारी/वस्ताविक द्वारा हीन समर्थ आवामी कार्रवाई की जाएगी।

उपनिकाल एसडीएनी, उत्तीर्णगढ़ के आवन दिनांक 21/11/2022 के परिणेत्र में परियोजना वित्तीय वाहन दिनांक 08/03/2023 की जानकारी/वस्ताविक प्रस्तुत किया गया।

(५) नियित की जानी वेळा दिनांक 09/03/2023:

नियित द्वारा जारी प्रस्तुत जानकारी का उत्तीर्णगढ़ एवं विनियोग करने पर विनियोग यार्ड नहीं-

1. यहाँ में लालू पर्यावरणीय वीचीकृति की जाती के वासन में जी यह वार्तावाही की विभागीय ईस्ट एवं वीचीकृत वाहन समावन, भालू वाहनार, वर्धीवर्ष, वन एवं व्यापक वियोजन संबंधी, जहाँ वायपुर अटल नगर में आवेदन किया गया है। इस वीचीकृत वित्तीय वाहन द्वारा यहाँ में जारी पर्यावरणीय वीचीकृति की जाती के वासन में जी यह वार्तावाही की ईस्ट एवं वीचीकृत वाहन समावन, भालू वाहनार, वर्धीवर्ष, वन एवं व्यापक वियोजन संबंधी, जहाँ वायपुर अटल नगर की वासन वित्तीय वाहन द्वारा जीवों के वायव्य प्रस्तुत किये जाने वाला अनुरोध किया गया है।
2. नियित द्वारा यह बता कि इस जारी पर्यावरणीय वित्तीय वाहन द्वारा जारी पर्यावरणीय वीचीकृति की वासन इतिहेदन है ईस्ट एवं वीचीकृत वाहन समावन, भालू वाहनार, वर्धीवर्ष, वन एवं व्यापक वियोजन संबंधी, जहाँ वायपुर अटल नगर की वासन इतिहेदन वायव्य जीवों के वायव्य प्रस्तुत किये जाने वाला अनुरोध किया गया है, विनाशक वीचीकृत में इतिहेदन आज दिनांक तक लागाया है। नियित का बता है कि वालू वाहनार, वर्धीवर्ष, वन एवं व्यापक वियोजन संबंधी, उच्चार के अधिकार वीचीकृत वित्तीय वाहन (आवा 08/03/2023 के अनुसार ईस्ट एवं वीचीकृत वाहन समावन, भालू वाहनार, वर्धीवर्ष, वन एवं व्यापक वियोजन संबंधी, जहाँ वायपुर अटल नगर में जीवों की वाय-

में युर्जे में वार्ता पर्यावरण संीकृति के बाबन अधिकारीय हुए प्रस्तुताएँ पर्यावरण संबंधी खंडन से संलग्न लिया जाना आवश्यक है।

३. युर्जे में वार्ता पर्यावरण संीकृति के बाबन अधिकारीय प्रस्तुताएँ काठी हुए चीजों में संखेभूक्त (Numbering) एवं चीजों के बाबन का प्राप्तिशेष लिया जाना चौटीप्राप्ता सहित जानकारी प्राप्तुर नहीं लिया गया है। इस खंडन में विविधतर विवरण का उल्लंघन है। इस खंडन प्राप्त थोरे के ८ बाबन के चौटीप्राप्ता कर चौटीप्राप्ता सहित जानकारी प्राप्तुर लिया जाएगा।
४. वार्तालिय कालेक्टर (वार्तालिय ग्रामीण), विना—रामगढ़ के द्वायन द्वायन ५०३/वार्तालिय /१०८/२०२३ रायपुर, दिनांक ०६/०३/२०२३ द्वाय दिनांक चीजों में लिये गये जानकारी की जानकारी लिम्बानुसार है—

क्र.	दर्ता	उपलब्ध (रुप.)
१	०१ /०४ /२०१७ से ३१ /०३ /२०१८	२,७९६
२	०१ /०४ /२०१८ से ३१ /०३ /२०१९	७,६२६
३	०१ /०४ /२०१९ से ३१ /०३ /२०२०	६,६६७
४	०१ /०४ /२०२० से ३१ /०३ /२०२१	४,६६६
५	०१ /०४ /२०२१ से ३१ /०३ /२०२२	३,६०२

५. वार्तालिय प्रस्तावित युर्जे खंडन विवरण योजना का लियरना काठी वार्ता में जानकारी काठी हुई प्रस्तुर नहीं लिया गया है।
६. वार्तालिय के द्वाय वार्तालिय की योजना ८ वार्तालिय उपलियिं होती है। यह की वार्तालिय विवरण की योजना होती है। इस वार्तालिय संग्रह संस्कृत वीटर अधिकारीय की अनुच्छेदी योजना का प्रस्तुर लिया गया है।
७. दीज बीज की सीधा में याती और ७.५ बीटर की पहुंची में २५५ नग कुआठीप्राप्त लिया जाएगा। इस्तुत प्रस्ताव अनुसार चीजों के लिए याती २१,६६६ रुपये, वीटर की लिए याती ८२,२०० रुपये, बाट के लिए याती २,१६० रुपये, लिम्बार्ड की लिए याती १,२०,००० रुपये एवं वार्ता—वार्ता अटी के लिए याती १,५०,००० रुपये, इस प्रस्ताव वायन एवं में याती ३,८७,३५५ रुपये एवं वार्ताली ५ चाही में युर्जे याती ८,७३,६६६ हुए अनुसार योजना का लियरना प्रस्तुर लिया गया है।
८. वार्तालिय प्रस्तावका द्वाय चीईआर (Corporate Environment Responsibility) हुए प्रस्तुर अभ्यास द्वायत लिया गया है—

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
२९	२%	०.५६	Following activities at nearby, Village-Jalaho	
			Pavitra Van Himman	१२.४२
			Total	१२.४२

चीईआर की कार्यक्रम “वार्तालिय द्वाय लियरना” की तात्पर्य (अनुसार, बाट, वीटर, नीम, अम, कर्णी, अमृत, अमलालक, बदम आदि) कुआठीप्राप्त हुए प्रस्तुर प्रस्ताव

अनुमति द्वारा नए सीढ़ी को लिए राशि 42,700 रुपये, चौथीं को लिए राशि 44,800 रुपये, तीव्र को लिए राशि 4,320 रुपये, चूर्णक को लिए राशि 1,26,000 रुपये तथा ग्रन्थ-संग्रह आदि को लिए राशि 1,46,000 रुपये, इस प्रकार जलम की में कुल राशि 3,55,820 रुपये तथा जलमी 4 लाई में कुल राशि 1,83,432 रुपये हैं इन प्रकार जलम का विवरण अनुमति दिया गया है। परियोजना प्रकारक द्वारा दायर पंचायत उत्तरोत्तर के सभी उपराजपाल एवं बड़ा बाजार जलम (जलम नं. 563, जिल्हापाल द्वारा उत्तरोत्तर) की ओर से जलमकी प्रक्रिया की जहाँ है।

9. महाराष्ट्र लोक सीमा की ओर दायर जलम जुलाईमास लिये जाने एवं उपराजपाल की का समर्कारीय रेट (Survival rate) द्वारा अधिकृत उपराजपाल लिये जाने वाला जलम पर (Notarized undertaking) प्रक्रिया दिया गया है।
10. परियोजना प्रकारक द्वारा विनियोग कानूनीय विवर (Minerals Concession Rule) की तहत बाह्यकृत विवरों द्वारा लीकाराने का कार्य नुस्खिता लिये जाने वाला जलम वर्त (Notarized undertaking) प्रक्रिया दिया गया है।
11. अनीशांग आदर्श युनियन नीति के त्रै उपराजपाल सीमी को दोजावार लिये जाने हैं इन प्रकार जलम (Notarized undertaking) प्रक्रिया दिया गया है।
12. परियोजना प्रकारक द्वारा इस आदान का उपराजपाल (Notarized undertaking) प्रक्रिया दिया गया है जिसके विषय इस परियोजना/जलम की संबंधित कीमि न्यायालयीन प्रकारण देश के अलंकृत विभागीय विधायकमय में लिपित नहीं है।
13. परियोजना प्रकारक द्वारा इस आदान का नीटी की जानकारी का जलम पर (Notarized undertaking) प्रक्रिया दिया गया है जिसके विषय भाजत जलमार्ग, पर्यावरण, जल और जलाधार परियोजना विभाग की अधिकृतगता का जा. 804(अ), विनायक 14/03/2017 की अंतिमत कीदृष्टि जलमपाल का उपराजपाल लिपित नहीं है।

समिति द्वारा जलमय कार्यकारी से जिम्मानुसार विवेद दिया गया जहाँ—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय नीटीकृती को जलम अधिकृत घोषणे जाने हैं इन अनीशांग पर्यावरण जलम घोषणे को पर घोषित किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय नीटीकृती की जलम के अनुक्रम समिति जलमनुसार जुलाईमास जलमी हुए सीढ़ी में संख्यांकन (Numbering) एवं पीढ़ी के नम का उल्लेख दिया जाकर जलमनुसार सीढ़ी जलमकी प्रक्रिया दिया जाए।
3. जारीन अनीशांग जुला पर्यावरण उत्तरानन खोजना का विवरण जारी जलम में उल्लेख करती हुई प्रक्रिया दिया जाए।

उपरोक्त जारीन जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपराजपाल आदानी कार्यकारी की जारीगी।

उदानुसार इमई-१३ नी. अनीशांग नीटी की 462वीं वैठक विनायक 09/09/2023 के परिणाम में परियोजना प्रकारक द्वारा द्वारा विनायक 16/09/2023 की जानकारी/दस्तावेज प्रक्रिया दिया गया।

(म) नीटी की जारीगी वैठक विनायक 12/10/2023।

नीटी द्वारा जारी, जलम जानकारी का अक्षोक्तन एवं नीटीकृत जलमे पर निम्न नीटी यहाँ जहाँ—

1. परियोजना प्रकारक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय नीटीकृती की जलम की पालन में की गई जानकारी की जानकारी हैं इन प्रक्रिया दीक्षित कार्यालय, जलम जानकारी

परिवहन, जल एवं जलवायु परिवर्तन संकाय, जल राष्ट्रमुर अटल नगर में उत्पादन किया गया है। इस परिवर्तन संकाय का द्वारा पूर्ण में जारी पर्यावरणीय रोकथम की जाती के साथ ही की नई कार्रवाई की एवं विकास कीवित कारबोर्ड, जल राष्ट्रमुर अटल नगर में जलवायु परिवर्तन संकाय, जल राष्ट्रमुर अटल नगर में जलवायु परिवर्तन संकाय हीमें के सम्बन्ध प्रस्तुत किये जाने वाले अनुरोध किया गया है।

जलवायुपरिवर्तन संकाय पूर्ण में जारी पर्यावरणीय रोकथम की जाती के साथ ही जलवायु में की नई कार्रवाई की जल-उत्पादन जानकारी प्रस्तुत की नई है। जारीकर्ता द्वारा नीचे किया गया कि पूर्ण में समर्थन, जलवायुपरिवर्तन संकाय द्वारा जलवायु परिवर्तन संकाय, जल एवं जलवायु परिवर्तन संकाय, जल राष्ट्रमुर अटल नगर में जलवायु परिवर्तन संकाय, जल एवं जलवायु परिवर्तन संकाय की जित पर अधिक किया गया है, इस परिवर्तन में योगदान सभी हुआ है। जारीकर्ता जारा हीमें जल राष्ट्रमुर अटल नगर की जाएगी।

2. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय रोकथम की जाती के अनुरोध जिल्हालित जलवायुपरिवर्तन संकायका करते हुए यीसो में जालालेन (Numbering) एवं यीसो के नाम का जालालेन किया जानकर जोड़ीयालेन लहित जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जलवायुपरिवर्तन संकाय का कालन है कि जलालन प्राप्त होने के 6 नाम के भीतर जालालेन कर जोड़ीयालेन लहित जानकारी प्रस्तुत किया जाएगा। जारीकर्ता का काल है कि एकल जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. जलवायु प्रस्तावित युवा योग्य प्रत्यक्षन योजना का लिखन करारी ज्ञान में जलवायु करते हुये प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार—

काल	जलवायु प्रस्तावित जालालेन (हेक्टर)	काल	जलवायु प्रस्तावित जालालेन (हेक्टर)
ज्ञान	1,388	ज्ञान	1,780
ज्ञानीक	2,187.5	ज्ञान	1,780
ज्ञानीय	2,187.5	ज्ञान	1,382.5
ज्ञानी	1,875	ज्ञान	1,382.5
ज्ञानी	1,875	ज्ञान	1,382.5

4. जारीकर्ता एन.डी.टी., जिल्हालित हैं, नई दिल्ली द्वारा जलवायु प्राप्तेव जिल्हा पाला जलवायुपरिवर्तन, जल एवं जलवायु परिवर्तन संकाय, नई दिल्ली एवं ज्ञान (जलवायुपरिवर्तन संकायकोलान नं. 100 जीक 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को जारीत जारीत में जुलूम का से जिम्मालुम जिल्हालित किया गया है—
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEMA, as well as for disaster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

जारीकर्ता द्वारा किया जाने वाले जालालेन से जिम्मालुम जिल्हा किया गया—

5. जलवायुपरिवर्तन (जलवायुपरिवर्तन), जिल्हा—जलवायु को ज्ञान द्वारा 1883/क्र. फि./रिक-८/2022 राष्ट्रमुर दिनांक 02/03/2022 को अनुसार जारीकर्ता जारान से 500 मीटर की बीतार जालालेन 1, ज्ञान, ज्ञानाल 1.88 हेक्टेयर है। जारीकर्ता

खाद्यान (दाना-नाली खाद्यान) का औजाहत 0.00 हिस्टेंस है। इस प्रकार जांचेंटि खाद्यान (दाना-नाली खाद्यान) को वित्तवाय कीजात 2.284 हिस्टेंस है। खाद्यान की भीड़ से 500 ग्रॅम की भीड़ में बोलीकृत/तापांतिक खाद्यानों का कुल हीजात 0 हिस्टेंस या उसकी कम होने के काला यह खाद्यान भी-2 छोड़ी की जाती रहती।

३. पूर्व में जारी पर्यावरणीय बोलीकृति की जाती के अनुकान विभागीय खाद्यानुसार खाद्यानोंमें कठोर हुए गोंदों में नंबरिंग (Numbering) एवं गोंदों के नाम जैसे नंबरोंका लिया जाकर बोलीकृत खाद्यानों की एकई आईएस.एस.एस. खाद्यानाम्ब में अलगाव का सम से प्रयुक्त करने की जाती है अतीव पर्यावरणीय बोलीकृति की सकारी अनुसार की जाती है।
५. सभिति द्वारा वित्तवाय विभागीय उपराज खाद्यानीयों की आवेदक – ऐसीही नाली खाद्यान लाईस अटीन करारी (जी- भी दानाकर आनुसार) की दाना-नाली खाद्यान ताकीजी-वित्तवाय वित्तवाय की पार्ट ऑफ दाना अनांक 250/18 में वित्तवाय पत्रान (दाना चनिंग) वित्तवाय, कुल हीजात-0.434 हिस्टेंस, अनांक-2.167 टन प्रतिवर्ष हेतु वर्तिकॉइस-05 में विभिन्न जाती की अतीव पर्यावरणीय बोलीकृति वित्तवायों की अनुसार की रही। यहां ही यह अनुसार भविष्य में एकईएस.एस.एस. खाद्यानाम्ब की दानान अनांक 4612, दिनांक 13/09/2023 के परिवेष्य में आदान जाकर पर्यावरण, वर्ग और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई वित्तवायी नामांकन द्वारा पर यारी अनुसार प्रभावित होती।

दाना नालीय पर्यावरण प्रभाव अधिकारी प्रभावितान (एकईएस.एस.), अतीवानुसार वित्तवाय जारी करा।

६. विकासी विनांकों द्वारा जारी करारी (जी- भी अधिकार वित्तवाय, दाना-विनांकान, ताकीजी-वित्तवाय, वित्तवाय-वित्तवाय (विभिन्नात्मक का नाली अनांक 1882)) औनलाईन अटीवाय – पर्यावरण वर्ग- दानानांटे/ गोंदी/ एन्डलाईन/ 244460/ 2021, दिनांक 23/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय बोलीकृति हेतु आवेदन वित्तवाय यदा है। विभिन्नात्मक प्रभावावल द्वारा प्रस्तुत औनलाईन अटीवाय में विभिन्न द्वारा से दानान अनांक 01/01/2022 एवं दिनांक 27/08/2022 द्वारा जननकारी प्रस्तुत करने हेतु विभिन्न वित्तवाय यदा। परिवेष्याना प्रभावावल द्वारा विभिन्न जननकारी अनांक दिनांक 17/08/2022 एवं दिनांक 08/08/2022 को औनलाईन प्रस्तुत की रही।

दानान का वित्तवाय – यह अतीवित्तवाय दाना प्रभाव (वीक लूपित) खाद्यान है। उदान दान-विनांकान, ताकीजी-वित्तवाय, वित्तवाय-वित्तवाय वित्तवाय अनांक 1043/1, 1043/2, 1043/4, 1043/5, 1044/2 एवं 1044/4, कुल हीजात-2.142 हिस्टेंस में उत्पादित है। उदान की अतीवित्तवाय अनांक-82,500 टन प्रतिवर्ष है।

दानाना विभिन्नात्मक प्रभावावल की एकईएसी, अतीवानुसार द्वारा दिनांक 29/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु वित्तवाय जारी करा।

वित्तवाय का वित्तवाय –

- (अ) विभिन्नी की 450मी वित्तवाय दिनांक 28/11/2022-

प्रस्तुतीकरण हेतु भी अधिकार वित्तवाय विभिन्न वित्तवाय है। विभिन्न द्वारा जारी प्रस्तुत जननकारी का अवलोकन एवं परिवेष्यान करने पर विभिन्न विभिन्नी पाई गई-

१. पूर्व में जारी पर्यावरणीय बोलीकृति संकेती वित्तवाय – इस खाद्यान को पूर्व में पर्यावरणीय बोलीकृति जारी नहीं की गई है।

2. राम पंचम का अनापति इमान पत्र – इसका संलग्न में राम पंचम के विवरण-2 का दिनांक 03/05/2020 का अनापति इमान पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें इनका नोट किया गया है कि प्रस्तुत इमान पंचम की अनापति प्रमाण पत्र में उसका दिनांक 1943/3, 1943/4, 1943/6 का दर्शाया है। अतः आवेदित इसका में उसके अन्तर्भूत उसकी बात प्रस्तुत करते हुए इमान पंचम का अनापति इमान पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. आवेदित उसका उसकी बात प्रस्तुत करते हुए राम पंचम का अनापति इमान पत्र।
4. इसका लोकना – ज्ञाते इनमें विषय विषय और वार्षिकीय कीर्ति कर्ता जाईन द्वारा एक ज्ञाते लोकना प्रस्तुत किया गया है, जो ज्ञाने वालोंकी वार्षिकीय कर्त्ताओंके (जनित जाता) जिला-बस्ता बल्लंग लोकना के द्वारा दिनांक 02/10/2021 दिनांक 25/10/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. 300 ग्रीष्म की परिसीधि में विषय उदाहरण – वार्षिकीय कर्त्ताओं (जनित जाता) जगदलपुर, जिला-बस्ता के द्वारा दिनांक 2708/जनित/वारि. 4/13/2020-21/वारि./2021 जगदलपुर, दिनांक 02/12/2021 के अनुसार आवेदित उदाहरण के 300 ग्रीष्म की परिसीधि वार्षिकीय उदाहरणी की संख्या दिया गया है।
6. 200 ग्रीष्म की परिसीधि में विषय सार्वजनिक लोक/संस्कार – वार्षिकीय कर्त्ताओं (जनित जाता) जगदलपुर, जिला-बस्ता के द्वारा दिनांक 2708/जनित/वारि. 4/13/2020-21/वारि./2021 जगदलपुर, दिनांक 02/12/2021 द्वारा ज्ञाते प्रमाण पत्र प्रस्तुत उदाहरण की 200 ग्रीष्म की परिसीधि में ज्ञाते वार्षिकीय कर्त्ताओं द्वारा ज्ञाते वार्षिकीय कर्त्ताओं अस्वास, खूब, दूर, बड़ी, बात, एवं बहुत जाता, ऐसे सार्वान् एवं ज्ञाते अदि प्रतिक्रिया द्वारा दिया गया है।
7. एसओआई का विवरण – एसओआई की जीवन सिव्र के नाम पर है, जो वार्षिकीय कर्त्ताओं (जनित जाता) जगदलपुर, जिला-बस्ता के द्वारा दिनांक 1943/जनित/वारि.4/06/2020-21/वारि./2021 जगदलपुर, दिनांक 09/06/2021 द्वारा ज्ञाते की गई, जिसकी विषय ज्ञाते दियोंके से 1 वर्ष की अवधि रहा ही। वार्षिकीय एसओआई की जीवन सिव्र द्वारा संवाद-नामांव भीमियी रूप संनिवेश, नव राष्ट्रपुर अठन नाम के द्वारा का 3486/वारि. 02/वारि.-अनुमित्य/न.क्र.50/2017(3) नव राष्ट्रपुर, दिनांक 22/06/2022 द्वारा ज्ञाते की गई, जिसकी जीवन : ज्ञाते (जनित दिनांक 02/06/2022) की जाति देखा गया है।
8. ग्रृ-जनित – ग्रृ-जनित दिनांक 1943/5, जीवन जीवन, लोक देखा, जीवन लोक एवं ग्रृ-जनितके से ज्ञाते का है। इसका ही ग्रृ-जनितीयी का वास्तविक पत्र की जीवन प्रस्तुत किया गया है।
9. डिस्ट्रीक्ट वार्षीय रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट वार्षीय रिपोर्ट (District Survey Report) की जीवन प्रस्तुत की गई है।
10. जन विषय का अनापति प्रमाण पत्र – इसकीविवरण के लोकना विवरणमें इसका द्वारा यह कि जन विषय का अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त दिये जाने हुए जनसभासंस्थानीयी बल्लंग में वार्षिकीया इमानका हुआ दिनांक 10/12/2021 की पत्र संख्या किया गया है। ज्ञाते ही वार्षिकीय कर्त्ताओं (जनित जाता) जगदलपुर, जिला-बस्ता द्वारा जनसभासंस्थानीयी समाज का

मानव संसाधनों के विवर जो दिनांक 31/08/2022 वें पर्याप्त रिपोर्ट है। यहाँ में का बताया गया है कि लौज संग्रह से विकलानम् वापर होते की दृष्टि का उल्लेख करते हुए वह विवर का अध्यायित रूपान् पर इसका कर प्रत्युत्तम् रिपोर्ट आना चाहता है।

11. मानवसूची संरक्षणकी की दृष्टि – विकलानम् लौजी सम-हिन्दनांव 250 मीटर, अनुसूची साम-कार्यालय 6.6 लिंगी, एवं अन्यान्य साम-कार्यालय 6.6 लिंगी की दृष्टि पर रिपोर्ट है। पास्ट्रीय राजगार्ह 20 लिंगी, एवं राजगार्ह 19 लिंगी दूर है। याता 77 मीटर दूर है।
12. परिविहारिकीय/प्रौद्योगिकीय संवेदनसील सीञ्च – परियोजना प्रशासन का द्वारा 10 लिंगी की परिविहारिकीय सीञ्च, लौजीय वापर, अन्यान्य संवेदनसील विवरण सीई द्वारा प्रोत्तिप्रिय विविधकी वीज्युएटेक दरिघ, परिविहारिकीय संवेदनसील सीञ्च का प्रोत्तिप्रिय विवरण यही हीया प्रतिवेदित रिपोर्ट है।
13. रुपन संवेदन एवं रुपन का विवरण – विकलानम् लिंगी 4,28,400 टन, भव्यभैवत लिंगी 2,05,130 टन है। लौज की 7.5 मीटर गही लौज वडी (वालानम् के लिए दृष्टिविलित संवेदन) का क्षेत्रफल 6,930 वर्गमीटर है। लौज कार्य सेवी विविधाविक लिंगी से रुपनान् रिपोर्ट है। वालानम् की प्रशासनिक अधिकार्यगतीय 6 मीटर है। लौज सीञ्च में रुपनी लिंगी की घोटाई, 3 मीटर है। यह युल मात्र 16,488 प्रमाणित (स्वीत विवर सहित) है। रिपोर्ट में 8,800 प्रमाणित रुपनी लिंगी की 7.5 मीटर (प्रार्थना वालानम्) सीञ्च में विवरण दूसरोंसे दूसरे एवं एवं लौज रुपनी लिंगी की सहमती प्राप्त भूमि (रुपन का उभार 980/2, रुपन 0.03 हेक्टेयर) में संरक्षित कर भवितव्य रिपोर्ट है। वेष्ट की लंबाई 3 मीटर एवं घोटाई 3 मीटर है। रुपन की संन्दर्भित आवृ 11.5 वर्ष है। लौज सीञ्च में वालानम् का प्रतिवेदित रिपोर्ट जाना प्रशासित नहीं है। लौज हिंगर से द्वितीय एवं तीसरी लौजीय वालानम् रिपोर्ट हैं जो वह का विवरण रिपोर्ट है। लौज प्रशासित वालानम् का विवरण रिपोर्ट नहीं है।

क्रम	प्रशासित उल्लेखन [टन]
रुपन	7,600
प्रौद्योगिकीय	12,500
प्रौद्योगिकीय	26,600
रुपनीय	29,000
रुपन	62,500

14. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु वालानम् का जल की यात्रा 4 प्रमाणित प्रतिवेदित होगी। जल की आपूर्ति लौजीय के वालानम् से हो जाएगी। इस वालानम् प्राप्तान्यक वार्तावर लौजीयी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं रिपोर्ट है।
15. रुपानीमन कार्य – लौज सीञ्च की लौज में यारी 7.5 मीटर की घटी में 666 रुपानीमन रिपोर्ट है। इसका प्रशासन अनुमान यारी के लिए राति 49,780 रुपानी, यारीमन के लिए राति 1,82,800 रुपानी, यारी के लिए राति 11,250 रुपानी, सत-सताव आदि के लिए राति 2,76,000 रुपानी, इस इकाई युल राति 5,36,630 रुपानी यात्रा करने हेतु एवं युल राति 8,98,000 रुपानी अन्यानी यात्रा करनी हेतु प्रतिक्रिया जाय का विवरण प्रत्युत्तम् रिपोर्ट है।

16. वर्षान की 7.5 प्रति शतांशी पट्टी में उत्तमता - जिस तरह की यही और 7.5 प्रति शतांशी पट्टी में उत्तमता नहीं होती गया है।
17. कॉर्पोरेट एंविरोनमेंटल रिपोर्ट (C.E.R.) - एंविरोनमेंटल इकाई का एक विभाग (Corporate Environment Responsibility) है जो सम्पत्ति के सभी विभागों की उत्तमता अनुसार विभिन्न प्रकार प्रवृत्ति किया गया है।-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
44	2%	0.88	Following activities at Pawtha Van nirman	
			Total	14.73

18. सीईआर के अन्तर्गत "एंविरेट इन विधान" के तहत (प्राकृत, वन, वीज, जल, जलवायन, वेतन आदि) विभिन्नता है तथा प्रबल उत्तमता अनुमति 1,000 या यही के लिए तक 1,25,000 रुपये, जिसके लिए तक 1,25,000 रुपये, जल के लिए तक 13,500 रुपये, विविह वन वन-विवाह के लिए तक 2,66,000 रुपये इत्या प्रकार प्रधान तो ये कुल तक 5,43,300 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल तक 9,34,120 रुपये हैं तथा उत्तमता अनुमति द्वारा दिया गया है। सीईआर के तहत विविह वन हैं तथा उत्तमता अनुमति द्वारा दिया गया है। सीईआर के तहत विविह वन हैं तथा उत्तमता अनुमति द्वारा दिया गया है।
19. उपरोक्त विधी की 7.5 प्रति शतांशी (सीईआर अनुमति) वाले में विविह वन अनुमति की जानकारी इसके तहत अनुमति 990/2. लक्ष 0.43 (विविह) में संरक्षित कर बनायी रखिये जाने वाला उत्तमता विविह वन विविह वन को जाने हैं तथा विधी का अन्य दृष्टिकोण न बनाने, विधान न बनाने तथा अन्य कार्यों में उपरोक्त विविह वन की वाले वाले उत्तमता विविह वन (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. विविह वन अनुमति विविह वाले वाले उत्तमता विविह वन (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. अन्यान्यान्य आदान प्रदान वीची की उत्तमता अन्यान्य लोगों की उत्तमता विविह वाले हैं तथा उत्तमता विविह वन (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. बहुमिति लोग की जांच उत्तमता अनुमति विविह वाले एवं योगिता वीची का समर्थनीयता रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने वाला उत्तमता विविह वन (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. एंविरोनमेंटल इकाई का मिनरल्स कनेसेशन रिपोर्ट (Minerals Concession Report) की उत्तमता विविह वन मिनरल्स कनेसेशन विविह वाले उत्तमता विविह वन (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रकारक द्वारा जारी करा (Notified undertaking) जारी किया गया है कि उसके लिए इस परियोजना/परामर्श की तरही और स्थानान्वयन प्रकार ऐसे की अवधिक वित्ती वी स्थानान्वयन में लम्बा नहीं है।

25. परियोजना प्रकारक द्वारा जारी करा (Notified undertaking) जारी किया गया है कि उसकी लिए भासा जारी जारीकरण, धन और जलवाया परिवहन क्षेत्रों में अधिकृत वाहन अम (अ), दिनांक 14/03/2017 की अनुसार तर्फ सुलभता वाह जारी करा लम्बा नहीं है।

26. समिति का नाम है कि उसकी लीज के एवं नाम के द्वारा जुआलेखन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

समिति द्वारा जलवाया संवर्धनी के निम्नानुसार निम्नैव किया जाए या—

1. अधिकृत वाहनों में सुलभता जारी करने का उल्लेख करती हुये जान परामर्श का अनुचित इवान एवं प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज की लीज के निम्नानुसार एवं लीज की दूरी का उल्लेख करती हुये उन विभाग का अनुचित दूषण या जल द्वारा जल दूषकृत किया जाए।
3. जल की अधृती ऐसे संदर्भ जारी कीजा जाने की अनुसारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समिति जारीकरी/जारीकरण प्राप्त होने वाली अवधिकारी की जाएगी।

एवं अन्त एसटीएसी, उत्तीर्णक के ज्ञान दिनांक 20/01/2023 के अधिकृत में परियोजना प्रकारक द्वारा दिनांक 03/03/2023 की जारीकरी/जारीकरण प्रस्तुत किया गया।

(३) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 27/03/2023

समिति द्वारा नहीं, जारीत जारीकरी का अनुचित एवं वर्गीकरण करने पर जिम्मेदारी नहीं गई—

1. अधिकृत वाहन में सुलभता जारी करने का उल्लेख करती हुये जान परामर्श का अनुचित वाहन एवं जारीत नहीं की गई है।
2. जारीकरण एवं अनुचितकारी, जारीकरण वर्गार, जारीकरणके इनाम अमांड़/का. अम./1000 जगदलपुर दिनांक 09/03/2023 की जारी अनुचित इवान एवं अनुकरण अधिकृत लीज में प्रजाती अम-२ या, करदान-१ या एवं लीन्य-१ या एवं जल किया है। अधिकृत भूमि संतुलित वर्गीकरण की दूरी 0.720 किमी है। उल्लेख है।
3. जल की अधृती ऐसे संदर्भ जारी कीजा जाने की अनुसारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. एलओआर् जी की विद्या युक्ति वांगलानालय, जीमिती एवं जुमिती, नवा जावड़ झटल नगर के ज्ञान दिनांक 22/03/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी विवर + लाई (अधिकृत दिनांक 07/03/2023) की जारी ऐसे नहीं हैं; समिति का जारी की गई एलओआर् जी विद्या युक्ति जारी जारीकरण जारी किया जाना जाना चाहिए है।

समिति द्वारा जलवाया संवर्धनी के निम्नानुसार निम्नैव किया जाए या—

- आवेदित प्राप्ति में उल्लेखित समस्या कारणी का उल्लेख करते हुए इसे यथावत वह अनावश्यित प्रयोग पर प्रकृत लिया जाए।
- जल की आपूर्ति हेतु संचयन सामग्री की अवैधि प्रकृत लिया जाए।
- एनओएस की विधि नहीं संबंधित प्रकृत लिया जाए।

एवं उपर्युक्त संस्थित आवाहनी/दस्तावेज प्राप्त होने वायरत आवाहनी कार्यालयी की अनुमति।

उपर्युक्त एकटीकृती, उत्तरीनगर के इलाके दिनांक 29/08/2023 के वरिष्ठेत्रे में परिवर्तितव्य प्रकृतवाक द्वारा इस दिनांक 15/09/2023 की आवाहनी/दस्तावेज प्रकृत लिया जाए।

(iii) नामिति की आवाहनी दिनांक 12/10/2023:

नामिति द्वारा जारी आवृत आवाहनी का आवेदित एवं परिवर्तन लाने पर निम्न निमिति पर्याप्त है—

- आवेदित प्राप्ति में उल्लेखित समस्या कारणी का उल्लेख नहीं हुए इस चरणका विनाशकारी—३ का अनावश्यित प्रयोग पर प्रकृत लिया जाए है।
- जल की आपूर्ति हेतु संचयन सामग्री की अवैधि प्रकृत लिया जाए है।
- एनओएस की विधि नहीं संबंधित प्रकृत लिया जाए गया है।
- नामिति का मत है कि सीईआर एवं कृषीकार्य कर्त्ता के नामिटिविंग एवं वर्गीकरण हेतु वि-सदस्यीय नामिति (ट्रॉफिक्टर/प्रतीक्षिकी) साम संसाधन के परामिकारी/इतिमिति एवं वित्त प्राप्ति का उल्लेखन्य वर्धितव्य संख्यात व्यवस्था के परामिकारी/प्रतीक्षिकी) विभिन्न लिया जाना आवश्यक है। साम ही सीईआर एवं कृषीकार्य का कार्य तूर्ण विवेक जाने के बायरत विभिन्न वि-सदस्यीय नामिति से सामाप्ति करना आवश्यक है।
- नामीय एनओएस, विविध बैर, नई दिल्ली द्वारा सर्वेत पाल्स्ट्री विकल्प भवन भवन भवन, पर्यावरण, जल और संचयन परिवर्तन संबंधी, नई दिल्ली एवं अन्य (प्रतिरिक्षण एविलोक्षण नं. ५०८ ओर २०१८ एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को नामित आदेश में शुल्क रात्रि की नियमानुसार निर्दिष्ट लिया जाए है—
 - Providing for EA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEMA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - If a cluster or an individual house size exceed 5 ha. EA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

नामिति द्वारा लिया जाने वायरत आवाहनी की नियमानुसार निर्दिष्ट लिया जाए—

- पर्यावरण विवेदक (नामित आदेश) आवृत्तिपूर्व वित्त-दस्तावे के इलाके क्रमांक 2708/नामित/एसीए/13/2020-21/८५/२०२१ आवृत्तिपूर्व वित्त-दस्तावे के दिनांक 02/12/2021 की अनुमति आवेदित आदेश से ३०० मीटर की अवधि अवैधि आवाहनी की जाएगी लिया जाए। आवेदित आदेश (आम-विनाशक) का लोकाल २.१५ विट्टिया है। आदेश की दीर्घ से ३०० मीटर की अवधि में

स्वीकृत/कानूनी रूपानी का यूल लोगोंका एवं ग्रामीण का यात्री जन द्वारे की
जानकारी यह स्थान की ३ खंडी जी बही नहीं रही।

२. एलटीएम की ऐतिहासिक संस्थी दस्तावेज की एमटीएमएस, एलटीएम के
जानकारीका समय से प्रभुत्व अद्यतने की रूपी वे अधिन पर्यावरणीय स्वीकृति की कानूनी
अनुशंसा की रहती है।
३. अधिनीत द्वारा निश्चित नियमों द्वारा नियमिती के अनुदेश - नियम नियमाला
लाइन एटेंड जाती (जै- श्री अधिन पर्यावरणीय) की द्वारा नियमाला,
एलटीएम-एलटीएम, नियम-बहाल के जानकारी ज्ञानका १०४३/१, १०४३/२,
१०४३/३, १०४३/४, १०४४/१ एवं १०४४/४ में नियम यूल व्यवर (दीन नियम)
जानकारी, यूल लोगोंका-२१५२ एलटीएम, ज्ञानका-५२५३० टन अधिनीत द्वारा
पर्यावरण-०५ में अधिनीत जाती के अधिन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की
अनुशंसा की रहती है।

उच्च नायिक पर्यावरण उपाय जानकारी व्यवर (एमटीएमएस), एलटीएम को
जानकारी द्वारा दिया गया।

४. नियमी नियम व्यवहारी प्राकृति नियमित, द्वारा-पर्यावरण, एलटीएम-नियम, नियम-पर्यावरण
(एलटीएम का नायिक ज्ञानका १०४५)

अधिनीत जानकारी - यूल में प्रयोगश्ल नम्बर - एमटीएम/ श्रीजी/ आईएसी/०१६६८/१२२१, नियमाला ११/०३/२०२१ द्वारा दीक्षितात्मक द्वारा जानकारी दिया गया था।
जानकारी में प्रयोगश्ल नामा - एमटीएम/ श्रीजी/ आईएसी/०४७३६०/२०२२, नियमाला २८/११/२०२२ द्वारा एलटीएम स्वीकृति प्राप्त करने के लिए जानकारी
है एमटीएम द्वारा दिया गया है।

प्रयोगश्ल का नियम - पर्यावरण व्यवहार का यूल द्वारा द्वारा-पर्यावरण, एलटीएम-नियम,
नियम-पर्यावरण ज्ञानका ज्ञानका ५०५/१, ५०५/२, ५०५, ५०५, ५०५/१, ५०५/२,
५१०/१ एवं ५१०/३, यूल लोगोंका - ५.५२३ एलटीएम में उत्तमिति व्यवर अनुशंसा
प्राप्त (दीक्षितात्मक नियम १५० लीपीजी x १ नया) ज्ञानका - ८२.७०० टन अधिनीत,
इन्हेनियरिंग व्यवहारी श्रीजीएम (एमएस इंजीनियर/ नियमित) (१० टन x ३ नया) ज्ञानका -
२४.००० टन प्रतिशत एलटीएम प्राप्त प्राप्त (एमटीएम दीक्षिती श्रीजीएम) - ५.५
मेगावाट के पर्यावरणीय स्वीकृति है एवं जानकारी दिया गया है। इन्हेनियरिंग व्यवहारी द्वारा
दियी जानकारी का यूल ज्ञानका १० नयोंक होता।

एमटीएम/ एलटीएम के ज्ञानका ज्ञानका ५०५, नियमाला २८/०३/२०२१ द्वारा प्राप्त
श्रीजी की दीक्षिती का होने की जानकारी भास्तु जानकारी, यह और जानकारी पर्यावरण
व्यवहार का यूल अडेंस २०१५ में उत्तमित दीक्षिती द्वारा दीक्षित नियमित (दीक्षितात्मक) व्यवर
है एमटीएम/ दीक्षिती दीक्षित नियमित/ एलटीएम नियमित इन्हेनियरिंग
व्यवहारी ज्ञानका दीक्षिती दीक्षित नियमित, २००६ में उत्तमित व्यवहारी ३०० (ज्ञानका १५०) का दीक्षिती
दीक्षितात्मक (दीक्षित यूनानी व्यवहार) नियमित इन्हेनियरिंग इन्हेनियरिंग (दीक्षित एमटीएम-व्यवहार)
है एवं जानकारी दिया गया।

जानकारी पर्यावरण व्यवहार के एमटीएम/ एलटीएम के अन्य नियम २३/१२/२०२२ द्वारा प्राप्तुरीकरण है एवं दीक्षित दिया गया।

नियमी ज्ञानका नियम -

- (५) अधिनीत जी ५५५ी नियमाला २८/१२/२०२२:

प्रमुखीकरण हेतु भी कामों अवलम्बन की दौड़ी जी एवं पर्यावरण राज्यालय के सम में नियमी एवं कठीन लैसेटिकिंग प्राइवेट लिमिटेड, चाग्नुर की ओर से की जीवाल की अवधारणे पर्यावरण हुए। जीवाल द्वारा नहीं, उत्तम प्राप्तवायी का अवलोकन एवं परीक्षण करने का निम्न लिखि वाई गई-

१. नियमीकरण विभाग विभागालयी संबंधी घासारणी -

- नियमीकरण विभागी घास-पर्यावरण १.१ लिखि एवं उत्तम चाग्नुर ३५ लिखि की दूरी पर नियम है। नियमीकरण द्वारा बटोराम नियमा ३८ लिखि की दूरी पर नियम है। लगाई विभागालयी घास-पर्यावरण ४०.७ लिखि, की दूरी पर नियम है। राष्ट्रीय घासालय ५०० लिखि की दूरी है। जीवाली घुक्का आवाहन यथा २५ लिखि, एवं जीवाली घासालय कम १.५ लिखि की दूरी है।
- परियोजना इसाधारक द्वारा १० लिखि की परियोजने में अंतर्राज्यीय नीमा, राष्ट्रीय घासालय, अस्साहारा, बंदीप्रद्युष नियम की द्वारा लोकित विभिन्नली लैस्युटेक संग्रह, जातियोगितालीय संस्कृतालील के द्वारा लोकित जीवालीकृति के द्वारा नहीं होना पर्यावरण नियम है।
- २. खु-स्वप्रिय - यहीं में भूमि नियमी नदीन घासी काटकर प्राकृतिक लिमिटेड के द्वारा यह या। परियोजना इसाधारक द्वारा बहाया जाता है। यह भूमि नियमी विभागालयी में यथा वरियोजना कामालय नियमी नदीन घासालय प्राकृतिक लिमिटेड ने भूमि नियमी विभागालयी जीवाली नियमा यथा है। जीवाली का यह है कि भूमि संबंधी दस्तावेजी को उत्तम नियमा द्वारा अवलोकन किया जाना अवश्यक है।
- ३. नियमी दृष्टिकोण -

S. No.	Land use	Proposed Area (in Ha.)	Area (%)
1.	Bulidup Area	0.051	20.64
2.	Road and paved Area	0.33	5.50
3.	Green Belt	1.46	40.02
4.	Open Area	1.31	31.77
5.	Reservoir	0.054	1.21
6.	Parking	0.008	0.68
Total		4.123	100

४. नी-वर्तीयालय -

Raw Material requirement for Induction Furnaces Division				
S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Sources	Mode Of Transportation
A For Sponge Iron Plant:				
I.	Iron Ore	1,00,820	Odisha Iron Ore Mine & NMDC	By rail and road (through covered trucks)
II.	Coal	94,050	SECL Coal Mines	
III.	Lime Stone / Dolomite	0.135	Open market	By road through covered trucks
IV.	Refractory Material	600	Open market	By road through covered trucks
B For Steel Melting Shop				
I.	Sponge Iron	96,000	Captive production	Internally available /



			✓ Local Market	By road through covered vehicles
ii.	Pig Iron / CI scrap	12,247	Local Market	By road through covered vehicles
iii.	Melting Scrap	2,900	Captive Generation / Local Market	Internally available / By road through covered trucks
iv.	Ferro Alloys	198	Local Market	
v.	Aluminium	49.5	Open Market / Balco	
vi.	Ramming Mass	495	Open Market	By road through covered vehicles
vii.	Steel Sheet Former	490	Open Market	
viii.	LDI for Ladle Preheating	60	Open Market	
Raw Material requirement for Hot Charging Rolling Mill				
	Hot Billet	99,000	-	Internal transfer from own Induction furnace and OCM

5. उत्तराधिकारी संस्थाएँ व्यवस्था –

S. No.	Product	Facility	Capacity
1.	Sponge Iron	DRI kiln (190 TPD X 1 no)	62,700 TPA
2.	MS Billets	Induction Furnace with OCM (10 MT X 3 no's)	99,000 TPA
3.	Captive Power	WHFB with TG set	4.5 MW

6. नामुद क्रमांक विवरण व्यवस्था – डीएसटी लिल में नामुद क्रमांक विवरण द्वारा उपलब्धिकारी लिल में सभी 37 बील तथा विस्तीर्ण एवं 4 नम बील विवर स्थापित लिला जाना प्रस्तावित है। लील विवरण तथा में नामुद क्रमांक विवर के द्वारा नामुद बील तथा विस्तीर्ण स्थापित लिला जाना प्रस्तावित है। इन्हें लिला विवर की विवरण तथा विवरण में वर्णित हुए और अधिक/एकत्री विवर की वायर विवर की वायर से इस विवरण क्रमांक विवर स्थापित लिला जाएगा। इसका उपयोग विवरण के लिये विवरण का उपयोग 30 विस्तीर्ण/समान्य उपयोग के लिये हीना उपयोगित है। अनुचित रहने समाजीन विवरण द्वारा जल विवरण लिला जाएगा।

7. दूसरे अन्तर्गत अवश्यक व्यवस्था –

S. No.	Waste	Quantity (In TPA)	Method of Disposal
1.	Char Delechar	18,810	Sold to Cement Plant / Power Plant
2.	Benton Dust Ash	31,560	To be given for Brick making
3.	Kiln Ashes & Refractory Wastes	564	Given to refractory recycling units / Used in Brick making and low lying

			Notes
4.	Defective Billets	2,080	Used as melting in own plant/Gold outside Rolling mills
5.	Mill Scale	990	Used in Ferro Alloys as raw material sold to Ferro Alloys / Pellet Plants
6.	Slag from Induction furnace	12,127	Used in metal recovery units outside. Grounded slag will be used in Brick manufacturing unit
7.	Refractory & Ramming Mass Waste	245	Given to refractory recycling units / used in Fly ash brick making unit / landfill
8.	STP Sludge	08	Used for Composting and then applied for Green Belt

ii. दुर्घटना (Hazardous) वर्तमान स्थिति—

Type of Hazardous Waste	H. W. Category (as per HWM Schedule 1)	Quantity	Disposal
Waste Crude Oil	5.1	2 KCL/Hannum	Will be given to authorized recycler having authorization from competent authority.
ETP Sludge	36.3	25 TPA	Given to Cement Plants or used in Brick making. The sludge will not have any Toxic Chemicals. Mostly will be Calcium, Magnesium, Silica Hardness Salts and Iron Oxide.

iii. जल प्रदूषण व्यवस्था —

- जल प्रदूषण सह संकेत — पर्यावरण ट्रॉफ के 210 इन्सीटर प्रतिरिदिन (एप्पल आवान हैंड ले एनसीटर प्रतिरिदिन, एप्पला फोल्डर हैंड ले एनसीटर प्रतिरिदिन, कैपिटल बीज एसटी हैंड ले एनसीटर प्रतिरिदिन, एप्पल एप्पलोग हैंड ले एनसीटर प्रतिरिदिन, गोल्डमिंग एवं लिंकसिंग हैंड ले एनसीटर प्रतिरिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। अधिकतम जल की सामृद्धि पृ-जल की जाएगी। पृ-जल की संपर्किति हैंड लेन्डल एप्पल लीटर अंतीमी से अनुमति प्राप्त कर द्याया जाएगी।
- जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था — कैपिटल बीज एसटी के 18 एनसीटर प्रतिरिदिन दूषित जल नियन्त्रण होगा, जिसके उपयोग हैंड ले एनसीटर प्रतिरिदिन व्यवस्था का हैली ले / चूट्टी लाईकेटर टेक क्षमतियां किया जाना प्रस्तावित है। लक्ष्यानुसार जल की जलत लाईकेटर एवं एस/एस लाईकेटर में उपयोग किया जाएगा। जल आवान एप्पल एप्पल एवं आदि इनसीटर से वृत्तिशील उपलब्ध उपलब्ध दूषित जल को संखा कर पुनर्वृत्तिशील उपलब्ध जल में लाया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित परियोजना की उपलब्ध एसटी दूषित जल की जलत 2 एनसीटर प्रतिरिदिन होती है। जिसके उपयोग हैंड लेन्डल एप्पल लीटर लक्ष्यानुसार लीटर

द्वितीय ग्रहण क्षमता 10 मिलीट्रिय इलेक्ट्रिक ऊर्जा की उपलब्धि प्राप्त है। ऐसे नियन्त्रण की विधि सभी जारी हैं।

- घू-जल चयनीय उड़ान – पर्यावरण जल गैसों वायरल बाटर लोंग की अनुशासन सेवा जीव में आता है। जिसके अनुशासन –
 - (i) दूषण एवं कार्बन लाईनों की जल से कम से कम 40 लीटरों की जल का पुनरुत्थान एवं पुनरुत्थान जिका जाना है।
 - (ii) यात्रिया बाटर जिसकी हेतु अपनाई गई उचित या रेखांतर व्यवस्था / अवृत्तिनियन्त्रित जल जिकारी की आवास नग घू-जल जिकारी जाने की अनुशासन सेवा यात्रिया बाटर लोंग द्वारा दिये जाने का प्रत्यक्षण है। या यात्रियों को रेखांतर व्यवस्था बाटरका जिका जाना आवश्यक है।

10. प्रक्रमित जलार्ही हेतु प्रदूषण भार की वर्णना करनी जिकरन –

Stack Emissions details of all stacks (CONTROLLED)					
Stack attached to	Height	PM (TPA)	SO ₂ (TPA)	NO _x (TPA)	
Induction (96,000 TPA) 1 stack	33	2.57	-	-	
Sponge iron plant 62700 TPA (190 TPD x 1) 1 stack	57	17.11	171.07	67.02	
DG sets 2x600 KVA	10	0.57	0.03	11.40	
(UNCONTROLLED)					
Stack attached to	Height	PM (TPA)	SO ₂ (TPA)	NO _x (TPA)	
Induction (96,000 TPA) 1 stack	33	262.3	-	-	
Sponge iron plant 62700 TPA (190 TPD x 1) 1 stack	57	1,676	-	-	
DG sets 2x600 KVA	10	69.43	-	-	

11. ऐन लीटर इलेक्ट्रिक व्यवस्था – यहाँ वर्षित में जल की जली का ऐन लीटर 17.304 अनुशासन द्वितीय है। इन्हाँने ऐन लीटर इलेक्ट्रिक व्यवस्था की अनुशासन 5 नग जिकारी द्वि (लंबाई 3 मीटर लीबाई 3 मीटर एवं लंबाई 4 मीटर) जिमित जिका जाना प्रस्तुतित है। इन्हाँने ऐन लीटर इलेक्ट्रिक व्यवस्था व्यवस्था वर्षित वर्षित में पूरी अनुशासन की जिकारी जिका जानी। जली जिकारी गटखानी इस जारे जिमित जिका जानी है। इसमें जलाना मात्र में जली जल का जल हो सके।

12. जिकुड़ा अनुशासन लोंग – नरियोजना हेतु 11 मेंगाड़ी जिकुड़ा की आवश्यकता है, जिसमें से 4.6 मेंगाड़ी लंगियों वील फ्लाट से एवं तीन 6.6 मेंगाड़ी जिकुड़ा की अनुशासन अन्तीमनक जल जिकुड़ा जिकरन लंगी लंगियों से जिका जाएगा। इलेक्ट्रिक व्यवस्था हेतु 2 नग 360 कंडीए जलता का जीजी सेट ज्वारित जिका जाएगा।

13. घू-जलाना संबंधी जानकारी – छोटा वर्टिकल की जिकरन हेतु जल क्षेत्रका की 1.65 लिटर/प्रमाण (40.00 अनुशासन) सेवा में 4.125 नग जीजी सेवित जिका जाना प्रस्तुतित है। कृगिति का जल है। जिस उद्देश्य वर्षित की भीतर घू-जलाना जिकुड़ा जीजी एवं जल एवं जिकारी जला जला-जला की जिका 2 नग (20 वर्षित जीजी एवं जल की अनुशासन जल) का वर्टिकल जला जला जिकरन जिकुड़ा व्यवस्था वर्षित वर्षित जिका जाना आवश्यक है।

14. दूषणीय जिकर का जिकरन –

- प्रति वर्ष अमृत नदी पुण्याता संकेती प्राप्तवारी - आमिटीन वर्षों शिलायत 2020 से जलवारी 2021 के बाब्दे किया गया है। जलवारी 15 अक्टूबर 2021 से 14 नवम्बर 2021 के बाब्दे आमिटीन - अमृत नदी परिवर्तीन वर्षों किया गया है। 10 दिनोंमेंटर के अन्तर्भूत 6 जलवारी पर परिवर्तीय अमृत पुण्याता मापन, 6 जलवारी अमृत पुण्याता मापन, 6 जलवारी अमृत पुण्याता मापन, 7 जलवारी पर संकेती अमृत पुण्याता मापन 6 जलवारी पर विद्युति के अनुसे एकत्रित कर विस्तैरण किया गया है।
- इमार्केट भवी के परिवारी के अनुसार विश्व, एशिया, दक्षिण अमेरिका-

Concentration level ($\mu\text{g/m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g/m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g/m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g/m}^3$)
PM _{2.5}	17.5	35.8	60
PM ₁₀	49.9	80.5	100
SO ₂	5.6	12.2	60
NO ₂	7.8	28.8	80

- परिवोधन स्थल के असाधारण अमृती की पुण्याता- इमार्केट के Chapter-3 Description of sampling locations में दर्शाई गयी है अनुसार अमृतोदयन, अमृतोदयन, अमृतोदयन, अमृतोदयन, अमृतोदयन तथा का सामूहिक संग्रह भालीव नामक से कहा है।
- परिवोधन वर्षी वर्ष-

Noise Level - dB (A)			
Equivalent Noise Level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	49.1	50.8	70
Night L _{eq}	37.2	52.4	70

- अमृत नदी के विभिन्न भागों पर देखते हैं-
- दीर्घीयु की स्थान- आठी जलवारी / पालीद्वारा दीर्घी वहाँ की स्थानिक कर्तव्य द्वारा उत्तीर्ण अवधारण विस्तैरित अमृत की गई है। विस्तैरित अनुसार कर्तव्यमें 7940 दीर्घीयु विस्तैरित है। असाधारण परिवोधन अवधारण 4135 दीर्घीयु की वृद्धि होती है। असाधारण वहाँ 8.33% दीर्घीयु विस्तैरित एवं दीर्घीयु अनुसार (W.C. ratio) 0.80 होती है। विस्तैरित के उपरांत दीर्घीयु-परिवोधन / अनुसार के परिवोधन हेतु उदाहरण तथा की लोक विशेष अनुसार Prudential ग्राम (Very Good) की चीज़त है।
 - ओक सुपरार्ड रिपोर्ट 01/04/2022 दीर्घीयु एवं जलवारी - इस संस्थान कर्तव्यादा, अमृतोदयन-वित्ता, फिल्टर-पानपुर में संषेद हुई। ओक सुपरार्ड राजसीध बट्टाया कर्तव्य, अमृतोदयन-पानपुर संस्थान एवं जलवारी बट्टाया वित्ता-पानपुर की पान रिपोर्ट 23/03/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।
 - अनुसारीकरण के दीर्घीयु संशोधन द्वारा नीति किया गया है कि इन सुपरार्डों वे परावर्तीय विस्तैरिती इस इस उद्योग की स्थानान्तर का विशेष विषय किया गया है। जलवारी संशोधन का नीति है कि असाधारण अवस्थाके द्वारा जोक सुपरार्डों के दीर्घीयु उदाहरण एवं विभिन्न अनुसारों द्वारा उनको विस्तैरण की दिशा में विस्तैरित करने वाले उपाय के संकेत में राजसीध बट्टाया प्रयोग अनुसारी (bulletin form in english), में दर्श इन सामग्री-

के सुरक्षात्मक लाभोंका बारे में (Safety from In Hand) में भी प्रयोग किया जाना आवश्यक है।

17. कॉर्पोरेट एंविरोनमेंटल रिपोर्ट (C.E.R.) - पर्यावरण अभ्यास का शब्द (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति को इस रिपोर्ट के बारे में विभाग नियन्त्रकार नियुक्त उत्तम प्रयोग किया गया है-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
7500	2%	140	Following activities at nearby, Village-Bhurunda, Parsada, Belari & Jota	
			Eco Park Cum Oxyzone	140
			Total	140

सीएर के अन्तर्गत हुआ कर्म का विवरिति (प्रक्रिया, कठि वीरप, नीम, लाल, कल्पन, बेल आदि) हेतु चार प्राची का उत्तम, जीव, पुरावाहा एवं फैलावी के लिए इन्हाँ इसका अनुचार 1,000 मात्र घोषी के लिए राशि 5,00,000 रुपये, लालका के लिए राशि 1,04,200 रुपये, लाल के लिए राशि 30,000 रुपये, फैलावी के लिए राशि 1,00,000 रुपये, नियन्त्रक वाला वाम-वाम आदि के लिए राशि 2,40,000 रुपये, इस प्रकार इसके बारे में कुल राशि 16,98,000 रुपये हेतु (राशि 35,00,200 रुपये भी यह) प्रदर्शन करना का विकास प्रयत्न किया गया है। इस तरह यार्डों हेतु नुस्खा राशि 1,40,00,000 रुपये द्वारा दिया जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रदर्शन करना इस प्रकार जीव, पुरावाहा एवं फैलावी के व्यापकीय उपयोग के लिए विकल 0.4 हेक्टेयर (इति वाम) के संकेत में जानकारी प्रदृश्य की रखी है। यहाँ के कांडे में जानिती का नाम है जिस परियोजना प्रदर्शनका द्वारा इस प्रकार यानका के व्यापकीय उपयोग यान (जानकारी एवं विवरण सहित) एवं व्यापक उत्तमवार उत्तम के संकेत में जानकारी प्रदृश्य का नाम आवश्यक है।

18. समिति का नाम है जिस प्रियट्रॉफ आवादी वाम-परालया 1.1 किमी तक कालीते सेव बनावे जाने वाला उद्दर्श्यित (Undertaking) प्रदृश्य किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उत्तम उद्दर्श्यित से नियन्त्रकार नियंत्रण किया गया था-

1. कालीते इस प्रकार आवादी वाम-परालया 1.1 किमी तक कालीते सेव बनावे जाने वाला उद्दर्श्यित (Undertaking) प्रदृश्य किया जाए।
2. युनि टार्की उत्तमोंति को प्रदृश्य किया जाए।
3. प्रियट्रॉफ आवादी वाम-परालया 1.1 किमी तक कालीते सेव बनावे जाने वाला उद्दर्श्यित (Undertaking) प्रदृश्य किया जाए।
4. विनियोग की कुल संख्या का छोक-छप प्रदृश्य किया जाए।

८. उद्दीप परिवर्त के लीला द्रव्यानुपात हेतु लीला की विवरण, सारा एवं जिकाई तथा नस्त-नस्त को लिए ह कर्ता (जो परिवर्त लीला दर के अन्तर्गत का प्रत्यापन व्यय का विवरण लिखता रहता है वे भी यह) सहित प्रमुख लिखा जाए।
९. बासु प्रकृति विवरण हेतु लिखने की आवश्यक वज्राच भवित जानकारी डाक्युमेंट की जाए।
१०. प्रतिवेदन की शी-एडिटिंग / डीवर्टर्स की परिवर्तन से बीचीपु. से नुष्ठि होने की विविहीन वापु द्रव्यानुपात (भीड़म्, एक्सो, एवं एन्टी) की भवा में होने वाले वरिष्ठान की जानकारी प्रकृति लिखा जाए।
११. उन्नतीकरण के लीला समिति द्वारा नोट लिया जाय कि जब सूनवाई में ज्ञानीय विवरणियों द्वारा इस उद्दीप की व्यापन का विवरण लिया गया है। लीलोंका ज्ञानानुकूल लीला लीला सूनवाई के द्वीपन उल्लेख के विवरण बुद्धि एवं उनकी विवरणानुपात की लिखा ने लिखे जाए वाले द्रव्य की वज्रा में जानकारीका द्रव्य अंतर्गत (fabular form in english) में एवं जब जानकारी के सुनिश्चितानुसार जानकारीका द्रव्य अंतर्गत (fabular form in hindi) में भी प्रकृति लिखा जाए।
१२. बीट्रीजर (Corporate Environment Responsibility) की अन्तर्गत याम प्रकाशन वज्राच के कानूनी जानकारी व्यापारीय ज्ञान (जानकारी एवं लीलोंका जाहिर) एवं इनके जानकार (लीला, सुन्मुदा एवं बेलारी) ज्ञान के संबंध में जानकारी प्रमुख लिखा जाए। ज्ञान की जानकार (प्रत्यापन, लीला, सुन्मुदा एवं बेलारी) सीईआर कार्य का विवरण द्रव्यानुपात लिखें (भीड़म्) प्रकृति लिखा जाए।

उपरोक्त विवरण जानकारी/द्रव्यानुपात प्रका होने वाली वापरानुसारी कार्यकारी की जाएगी।

उदानुपात एम्बीएसी, जानीसामग्री के द्वारा दिनांक 22/02/2023 के परिवेदन में विविहीन वज्राच द्रव्य दिनांक 20/03/2023 की जानकारी/द्रव्यानुपात प्रकृति लिखा जाए।

(iii) जानिती की 400वीं बैठक दिनांक 10/05/2023:

जानिती द्वारा नहीं प्रकृति जानकारी का व्यापारीकरण एवं परिवेदन लाली पर लिख जानिती पढ़ी जाए—

१. जाम प्रकाशन का अन्तर्गत द्रव्यानुपात करने हेतु कार्यदेन लिया जाया है, जो प्रतिवेदनीय है। इस संबंध में विविहीन वज्राच द्रव्यानुपात प्रका (Metabolized understanding) प्राप्ति लिया जाया है, जिसके अनुसार "विविहीन वज्राच" में वज्राच का कार्य याम प्रकाशन से एक्सोटीक ज्ञान होने की वज्राच की प्राप्ति की लिखा जाती है। जिस याम प्रकाशन की एक्सोटीक हो जानेवाला में वज्राच द्वारा लिखा जानेवाला का कार्य प्राप्ति की लिया जातेगा।" का जालीक है।

जाम की विविहीन वज्राच द्रव्यानुपात का कार्य है जि पर्यावरण और सौन्दर्य वज्र की वज्राच द्रव्यानुपात की वज्राच द्रव्यानुपात हेतु वा वा वज्राच द्रव्यानुपात वज्र की वज्र एवं वज्र अंतर्गत वज्राच द्रव्यानुपात की वज्राच द्रव्यानुपात की वज्राच द्रव्यानुपात हेतु जाम प्रकाशन की एक्सोटीक एवं अंतर्गत वज्र की वज्राच द्रव्यानुपात हेतु वज्राच द्रव्यानुपात की वज्राच द्रव्यानुपात की वज्र नहीं हो सकती ताकि विविहीन वज्राच द्रव्यानुपात की वज्र नहीं लिखा जा सकता है।



प्र०: गहरी परिवर्तनीय स्थिति का बात है जिसे हम अनुभव किया जाता है। इस संबंध में चरित्रिका का बता है कि उत्तराखण्ड में लकड़ीकारों का सम्बन्धित वर्ष अनुभवित प्रश्नों का प्रश्न बना चुका है।

2. भूमि मेंदान नंदन संस्टटन प्राइवेट लिमिटेड को याद याद है। इस हेतु भूमि लकड़ी की—1. प्रश्नों का बना है। भूमि की देशहीन नंदन काली पालकों प्राइवेट लिमिटेड को गहरी नंदन संस्टटन प्राइवेट लिमिटेड को याद याद चरित्रिका किया जाता है। इस नामांकन का दोस्त हेतु "दायरा अनुभवित पर्याप्त" प्रश्न बना जाता है। इस द्वारा भूमि कालाहीन सभी दस्तावेज उन्नत किया जाता है।
3. चरित्रिका प्रस्तावना द्वारा इस आजाद का उत्तम यथा (Optimized undertaking) उन्नत किया जाता है कि "चरित्रिका की उत्तमता को याद द्वारा चरित्रिका के अनुभव वाले अपेक्षित जारीता-संतुष्टि से प्रत्यक्ष याद तक उत्तमण । जिसके द्वारा चरित्रिका उत्तम यी उत्तमाधित है) को ॥ यीटर की आरक्षीयी सेवा कामगी द्वारा उत्तम जारीता तथा उत्तम रक्षा-रक्षण यी किया जातेगा। यह कार्य प्रस्तावना स्थिति एवं याद एवं याद अविभिन्न की उत्तम उत्तमप्रस्तावना उन्नति स्थिति की यातारा द्वारा किया जायेगा तथा संतुष्टता उपलब्धि को दूरी रखने का विषय की दूरी कर दिया जायेगा।"
4. विविधोंग की सुन आगत दा बोइ—अप प्रश्नों किया जाता है जिनके अनुसार—

Particulars	Amount (In lakh Ru.)
Land and Site development	300
Building and Civil	1,100
Plant and Machinery	4,800
Misc. Fixed Assets	150
Electrical Installation	350
Pre and Pre-Operatives	150
Contingencies	150
Total	7,600

5. चरित्रिका द्वारा द्वारा दीन देवट को यादी हुई दी—आइट याद उन्नत किया जाता है। यादु यादों परिवर्त के दीवार युक्त उत्तम दी—यादी, योग्यिता, याद एवं योग्यता तथा रक्षा-रक्षण के लिए ८ लाई (८० उत्तम जीवन दर की अवधि फटु) का अदरक्षण यथा का विस्तृत उन्नत प्रस्ताव (डी.पी.एस.) उन्नत नहीं किया जाता है।
6. यादु उन्नत कियाना हेतु योग्यी दी—यादी यादना यादित उत्तमता उन्नत किया जाता है। योग्यी अनुभाव कियी ही यादी की यादना उपर अनुभाव के अग्रणी दीयोग्यी यादों (३५,००० टन उत्तमता के अधार पर) तथा यादी कीयोग्यी यादना (०.५ उत्तमता) की यादा के अधार पर योग्यी दी—यादी की यादना उत्तमता यादित की जायदा दी—यादी नहीं यह है। युद्धों अविभिन्न युद्धकालीन योग्यता में किसी अवधि के द्वितीय दी—यादी के कारण योग्यानुभाव ३५ लीटर यादी की योग्यी यादी है।
7. संघ जायन में चार्टिक्युलेट बैंक का उत्तमता ३० उत्तमता/सामान्य धनवीट से कम रही जाने से चार्टिक्युलेट बैंक उत्तमता की मात्रा १७.११ टन प्रतिलिंग तथा इच्छावान योग्यता में चार्टिक्युलेट बैंक का उत्तमता ३० उत्तमता/सामान्य धनवीट से कम रही जाने से चार्टिक्युलेट बैंक उत्तमता की मात्रा २५३ टन प्रतिलिंग होगी। इसकी का बता है कि उत्तमता चरित्रिका के दी—योग्यिता / योग्यता के परिवर्तन में दी—यादी दी—यादी से परिवर्तीय यादु युक्तता (प्र०.

एवं एसओ० एवं एमओ०) की जगत में हीने काले परिवर्तन हो चुके हैं। अहिन
ज्ञानकारी प्रश्नावाल विषय ज्ञाना आवश्यक है।

iii. जन सुनवाई में क्षमावीय विभिन्नता इस इस बदलाव की स्थापना का विषय
विभिन्न प्रकार के समाजिक प्रदूषणों के कारण था। इस प्रश्नावाल के दीर्घाव
पुस्तक कम की विषय सुनवाई/विचार प्रश्नावाल विषय थे ही—

- i. सदीय की स्थापना की यात्रा बदूषण होगा।
- ii. जल का वर्णन एवं जल बदूषण होगा।
- iii. सदृशी पर अध्यात्मन से दृष्टिकोण होगी।
- iv. वृत्ति पर प्रबोध पड़ेगा।
- v. स्वास्थ्य पर प्रबोध पड़ेगा।
- vi. जल-ज्ञा का उन्नतिशील इनाम एवं ज्ञान विषय ज्ञाना आवश्यक है।
- vii. सीईआर के द्वारा विकास करने विषय ज्ञाना आवश्यक है।
- viii. विभिन्नता की ज्ञान एवं सभीकृत ज्ञानों के लोगों को ही सेवनार विषय
ज्ञाना आवश्यक है।

लौक सुनवाई के दीर्घाव उद्दार्थ यह विभिन्न सुदृशी के विश्वासन की विषय में
परिवर्तन ज्ञानावाक की ओर वी विभिन्न डीपिएचि/कॉम्प्लेट का काम
निष्ठावाल है—

- i. विभिन्नता में विभिन्न उद्दार्थ परिवर्तन उद्दीपिता की दृष्टि ज्ञानावाक के
उद्देश्य कालों का विषय ज्ञाना प्रश्नावाल है, जिसमें कानून बदूषण विषयमें
ही दृष्टिकोण, वीग विषय, विभिन्नता, विभिन्न गतीय, विभिन्न गतीय आदि
ज्ञाना-आवश्यक परिवर्तन ज्ञानी का भी प्रस्ताव है।

परिवर्तनता में विभिन्न उद्दार्थ कांट के विभिन्न वाले युए की गई का
उपयोग कर जलसूखा-आवाही के द्वारा विद्युत ज्ञाना प्रश्नावाल है। तीव्र
संघर्ष उद्दार्थ विभिन्न से उद्दार्थ हीमें वाले युए का विभिन्नता होगा। ज्ञानावाक
दृष्टिकोण के उपयोग से विभिन्नता वाली ज्ञाना युक्त विभिन्न विभिन्न कला
प्रस्तावित है।

परिवर्तनता में जाटीयुलेट ऐवर इनीजन (युजवा जाटार्न) को
विभिन्न प्रवर्तित ज्ञाना-आवश्यक/समान्य धनकीटर के उद्दार्थ एवं धराकर ज्ञाना-
विभिन्नता/ज्ञानावाक विभिन्नता एवं ज्ञाना है। जिस हीतु 4 लीला की
दृष्टिकोण उद्दार्थ उद्दार्थ के विषय विभिन्न का प्रस्ताव है। इस हीतु जीनसार्वान
विभिन्नतीय विभिन्नता की ज्ञानावाक ही जी कि वीडीवीडी/सीवीडीडी काले की
जूँका ज्ञाना। तीव्र परिवर्तनता की ज्ञानावाक के लोक में यात्रा युक्त ज्ञाना बदूषण
विभिन्नता वाली की ज्ञानावाक ही ज्ञाना। इस हीतु दृष्टिकोण में विभिन्नता वाली की
जूँका ही उद्दार्थ जाटीयुलेट वालों के उद्दार्थ हीतु विभिन्नता ज्ञानावाकी उपयोग का
प्रस्ताव दिया गया है। तीव्र परिवर्तनता की ज्ञानावाक के लोक में ज्ञाना युक्त ज्ञाना
होगा।

- i. परिवर्तनता हीतु जल का जीव युक्तिवाल होगा। परिवर्तनता उद्दार्थ कीनीय
भूमिका जल विभिन्नता की ज्ञानावाक जीक जीन में ज्ञाना है। कैन्टीय भूमिका
जल प्रतिक्रियन से विभिन्नता ज्ञानावाक प्राप्त की गई है। उद्दार्थ उसके समस्त
जाती वाल ज्ञानावाक विषय जानेगा। कैन्टीय भूमिका जल प्रतिक्रियन के विषय

मिट्टी के अनुसार एवं वात्र संरक्षित किया जाता है। परियोजना द्वारा परियोजना वाले तथा अन्यतर के क्षेत्र में संरक्षित का नियमित किया जाता है। नियमित संरक्षण की विधि होती है। वह जो उपयोग भूमि की सीलन ऐसू आवश्यक होता, विन ऐसू कठोर संरक्षित बहुतिंग किसी दूषक का उपयोग किया जाता है।

- iii. परियोजना में उपयोग होने वाले जाहीरी से दुरुदृष्टियों से वापर हेतु नियम दिये जाते हैं – वाली का ऐसा उपयोग होता जो अनियन्त्रित होता। जाहीरी की आवाहन-आवाहन या शुरुआती जाहीरी वाला हेतु विकास एवं प्रोत्साहित किया जाता है। वही जो आवाहन में वापर वाला भूमि अधिकारियों द्वारा। उक्त उपयोग जाहीरी के उपयोग की प्रतिमिकता की जाती है। उभी साथम इनका परियोजना किया जाता है। नहीं जीव की विचारित रखने हेतु जाहीरी वाली का समय समय एवं प्रोत्साहित किया जाता है। याहीरी में उपयोग एवं उक्त मिल अनियन्त्रित होता।
- iv. परियोजना में हुएनी के तहत पर्याप्त उपयोग की आवाहन का उपयोग है। विभागीय परियोजना के आवश्यक लोक में वापर उपयोग होता है। वह उपयोग के जाहीरी जाहीरी के नाम पर्याप्त उपयोग वाला शूल नियम के उपर्यन्त आवश्यक होता है। तो उपयोग जाहीरी हेतु कृषि की सहायता करता है। इसका परियोजना के आवश्यक के तृप्ति को उपयोग वाला उपयोग जाहीरी की युवाओं युवाओं वाला जाहीरी के उपयोग शूल मिलने हेतु प्रतिक्रिया तथा अवृत्तिम उपयोग जाहीरी है। विभिन्न कृषि और उपयोगी की सहायता प्रदान करता है।
- v. उद्योग वा उपयोग की साथ परियोजना में आवाहन जाने वाले वापर उपयोग उपयोग जाहीरी एवं सीईआर वाला सीईआर की आवश्यक की वापर उपयोग पर व सीईआर उपयोग वापर होता है। वह परियोजना की उपयोग होने वाले वापर वापर जाहीरी एवं आवश्यक उपयोग की विधि में शुभार होता।
- vi. उद्योग वा उपयोग विधि जाहीरी हेतु से आवश्यक अनुसन्धान उपयोग किया जाता है। उद्योग द्वारा पर्यावरण उपयोग हेतु कठोर जाहीरी का अनुसारण किया जाता है तरीके जाहीरी वाले जाहीरी दुरुप्रभाव नहीं पढ़े। पूर्ण जाहीरी के वापर उपयोग वाली जाहीरी हेतु कठोर उपयोग वाली जाहीरी का वापर उपयोग है। जिससे आवश्यक की वापर उपयोग के प्रयोग वापर होते हैं।
- vii. वापर जाहीरी प्रत्यावरण परियोजना के पर्यावरण विभिन्न हेतु पर्यावरण, वह एवं जाहीरी परियोजना वापर की नाम सार्वत्र विभेद अवलोकन जानिति के द्वारा है अट्टे ए नीटिनिधित्व 2008 के अन्तर्गत जारी दीजीएस. के अनुसार विभिन्न है अट्टे ए, हेतु हो जाती है। तरीके जाहीरी जाहीरी हेतु जाहीरी वापर जाहीरी की एनओसी जी आवश्यकता नहीं है। परियोजना वापर जाहीरी की पूर्ण परियोजना वापर जाहीरी की एनओसी आवश्यक है।
- viii. सीईआर का उपयोग वापर, वह एवं जाहीरी परियोजना की वापर सार्वत्र विभेद अवलोकन जानिति के दिलानिदेश के अनुसार किया जाता है। इस हेतु परियोजना में सीईआर का उपयोग पर्यावरण के उपयोग है।

साम-परामर्श, साम-कुल्युग, राम-विलासी एवं राम-जीता में द्वारा पार्श्व अधिकारीजन नियोग दिया जाना प्रत्यापित है। विवाह काला कुल 145 लाख कम्पौड़ रुपये किया जाना प्रत्यापित है।

७८. नियोग दियोजनार्थी को लोगों की अवादि पर आवादिय लोगों को अवश्यकतानुसार दियाजार हेतु प्रत्यापिता दी जावेगी।

७९. **सीईआर (Corporate Environment Responsibility)** के अंतर्गत साम परामर्श जीता, कुल्युग एवं विलासी में कुलारोपण दिये जाने वाले रामार्थ रामार्थी पर प्रबूद्ध किया गया है। पाल्यु प्रबूद्ध रामार्थी पर में कुलारोपण दिये जाने वाले स्वाम का वासना छमोंक एवं रामार्थ का उत्तरोत्तर नहीं है। साम की राम लंबायत वरहवा नम वी सहभागी पर प्रबूद्ध नहीं किया गया है। अधिकि का नहीं है कि लाली राम परामर्शी से कुलारोपण दिये जाने वाले स्वाम का वासना छमोंक एवं रामार्थ का उत्तरोत्तर वाली हुए सहभागी पर प्रबूद्ध किया जाना आवश्यक है। एवं प्रस्तावित वार्षी में (मुख्य-मुख्य से घासार) कुलारोपण दिये जाने तथा आगामी ५ वर्षों में कुलारोपण (५० अधिकारी वीडेन दर से आवाद वाली का घटकावन अवय का विकल्प विस्तृत प्रस्ताव (सीईआर) सहित प्रबूद्ध किया जाए।

उपर्युक्त द्वादश उत्तरांशी के विवरणार्थ नियोग दिया जाए यह—

१. संवित साम परामर्श का अनावर्तित प्रस्ताव पर प्रबूद्ध किया जाए।
२. चुक्तीय वरितम के भीतर कुलारोपण हेतु वीडी, वैकिंग, साम एवं विलासी राम राम-रामार्थ के लिए ६ वर्षी (५० अधिकारी वीडेन दर से आवाद वाली का घटकावन अवय का विकल्प विस्तृत प्रस्ताव (सीईआर) सहित प्रबूद्ध किया जाए।
३. प्रस्तावित विकल्पना के लै-वर्टिकल / ग्रीष्मांशु के परिवहन वी वी.ए. में वृद्धि होने से परिवर्तीय वायु कुलारोपण (वी.ए.ए., एवं एन.ओ.) की वाता में होने वाले परिवर्तीय हेतु वी एल सी सहित आनंदकारी प्रबूद्ध किया जाए।
४. **सीईआर (Corporate Environment Responsibility)** के अंतर्गत प्रस्तावित वार्षी में (मुख्य-मुख्य से घासार) कुलारोपण दिये जाने तथा आगामी ५ वर्षों में कुलारोपण (५० अधिकारी वीडेन दर से) हेतु वीडी, वैकिंग, साम एवं विलासी राम राम-रामार्थ के लिए ५ वर्षी का घटकावन एवं सम्बन्धित विकल्प विस्तृत प्रस्तावल दियोर्ट (सीईआर) प्रबूद्ध किया जाए। साम की लाली राम परामर्शी से कुलारोपण दिये जाने वाले स्वाम का वासना छमोंक एवं रामार्थ का उत्तरोत्तर वाली हुए सहभागी पर प्रबूद्ध किया जाए।

चुक्तीय वरितम आनंदकी/दक्षायेज प्रस्ता द्वारा उत्तरांश आगामी कर्वाचारी की जाएगी।

तदनुसार एकांशीकी, चुक्तीयार्थ के आवाद दिनांक ०४/०८/२०२३ के वरितम वी परिवर्तीजना प्रस्तावक द्वारा इसा दिनांक १५/०९/२०२३ की आनंदकी/दक्षायेज प्रबूद्ध किया जाए।



(न) समिति की बातों के बारे में दस्तावेज़ 12/10/2023:

समिति द्वारा नवाचौर उत्कुल जानकारी का आवश्यकता एवं परिणाम लेने का विषय सिफारिश करती गई—

1. उद्दीप की जानकारी के संबंध में इस प्रधानमंत्री परिषद (PMO) का दिनांक 07/08/2023 का अनुच्छेदी प्रभाव पर प्रस्तुत किया गया है।
2. उद्दीप परिषद के भीतर कृषाणीय हेतु खेती (खेती, वीपल, नीम, आम, अद्युत, जामुन, अनाजलाल, कदम आदि) हेतु उत्कुल जानकारी अनुसार 4,160 नम् खेतों के लिए राशि 20,75,000 रुपये द्वारा किया जाना बहुत नहा है। इस उद्दीप के समिति का भवा है कि उद्दीप परिषद के भीतर कृषाणीय हेतु खेती, खेतीग, जार एवं शिखरी तथा रस्त-जाल के लिए 6 लाई (60) अधिकार जीवन दर की अन्य पर्यु का घटकात्मक द्वारा का विवरण विस्तृत प्रकाश (ही-वीआर) सहित प्रस्तुत किया जाना जावेगा है।
3. बाटों जाहाजी/स्लॉटेशन की बहनी की समीक्षा जनों द्वारे दुर्भिक अवासन लियोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 7.5M की दौड़ी द्वारा दर्शायी गयी अनुपात कम्पनी 43.8 प्र० की दौड़ी है। अवधार एवं 8.337.8 प्र० की दौड़ी द्वारा दर्शायी गयी अनुपात (M/C ratio) 0.55 होती, जो जिसकी "जी" (अवधार) के अनुपात जाता है। जी-स्लॉटेशन/ स्लॉटेशन के परिषद हेतु सहज नारी की सोन केरिंग सम्पत्ति वाक्य (Good) के भीतर है।
4. बीड़ीआर, जी उत्तरी "झुको पर्वत इम औलीजोन" के उद्धर (खेती, वीपल, नीम, आम, अद्युत, जामुन, कदम आदि) कृषाणीय हेतु प्रस्तुत प्रकाश अनुसार 600 नम् खेतों के लिए राशि 6,70,000 रुपये, खेतीग के लिए राशि 2,00,000 रुपये, शिखरी के लिए राशि 3,00,000 रुपये, रस्त-जाल के लिए राशि 2,40,000 रुपये, सहज नारी के लिएकम के लिए राशि 5,00,000 रुपये तथा जार के लिए राशि 2,40,000 रुपये, इस प्रकार इसकी जी दूर्लभता राशि 20,80,000 रुपये तथा जाहाजी 4 लाई में एकल राशि 14,42,000 रुपये हेतु घटकात्मक द्वारा का विवरण प्रस्तुत किया गया है। अनियोजना उत्कुल द्वारा इस प्रधानमंत्री की जानकारी (उत्कुल 1 एकल), इस प्रधानमंत्री उत्कुल 1 एकल) एवं इस प्रधानमंत्री की जानकारी (उत्कुल 1 एकल) को उत्कुल जानकारी उपलब्ध रखने (उत्कुल 1 एकल) के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई है।

समिति द्वारा विचार कियी गयी उत्कुल सम्बन्धी की विवाहनुसार विवेद किया गया—

1. उद्दीप परिषद के भीतर कृषाणीय हेतु खेती, खेतीग, जार एवं शिखरी तथा रस्त-जाल के लिए 6 लाई (60) अधिकार जीवन दर की अन्य पर्यु का घटकात्मक द्वारा का विवरण विस्तृत प्रकाश (ही-वीआर) सहित प्रकाश की एकल-अद्युत-कृषाणीयमात्र में अनियोजनी द्वारा संप्रस्तुत करने की जाती के अधीन ही वर्णनशील स्थीरकृति की जानकारी अनुसार की जाती है।
2. बाटों नए लैनेकी जाहिं लिमिटेड, इम-फारम, गोवीन-फिल्म, विज-जामुन फिल्म जानकारी अनुसार 505/1, 505/2, 506, 507, 508/1,

४०८/२, ४१०/१, एवं ४१०/२, कुल संग्रहालय — ५.१३३ रुपौलियर में प्रस्तुतित वर्षा
आवरण घोट (प्रीमियम) विलम ७०० लीपीडी x १ रुप.) कमत — ६२,७०० रुप
प्रीमियम, इनकम्सन एनीम विल लीपीडी (एमएस इंग्लॉड/विलेट्स) (१० रुप x ३
रुप) कमत — ३०,००० रुप प्रीमियम, लीपीडी घोट विल लीप रिकवरी
विलेट्स) — ५.२ ग्रेग्वाट हेट्रु चर्चिटेट-०८ में वर्णित गति के अधीन सही
वर्धीविश्वासीय वर्णीयति दिए जाने की अनुमति दी गई।

मान्य सार्वजनिक प्रबन्ध आवास विभाग (एसटीआरएस), अस्सीकार की
तात्पुरतावाल सुनित विल जारी।



(दृ. राकेश चतुर्वेदी)

मान्य सार्वजनिक

विल विलेट्स वृत्त्यालय विभाग
प्रभाग



(निंबाळकर)

अधिकारी

मान्य सार्वजनिक विलेट्स वृत्त्यालय विभाग
प्रभाग

सेवा दीक्षाता की पर्याप्तता की जिसकी अपेक्षा बहुत कम है। इसी पार्ट और साथ ही उनके 450, युवा दीक्षाता - 45 संस्कृत में शोध का युवा 40
दीक्षाता दीक्षाता में भी ऐसे उत्तमतम् याम-दीक्षाता यामील-प्राची,
यिता-यतीदायाता-यायापाण (प्राची) में उत्तमतम् भी ऐसे उत्तमतम् यामा 44,100 यामील
दीक्षाता ऐसे उत्तमतम् यायापाण यतीकृषि में भी उत्तमतम् यायी रहे

यह वर्णितवीक्षणीय स्थैतिकि निष्पत्तिविहित कला के अधीन ही आ रही है। इस इन कला को
मुक्त रूप से पढ़ा जाये तथा कम्प्रेशन से प्राप्त करना सुनिश्चित फिल्म जगत्।

१. एक सांतोषजनक सीमित ग्रन्ड कट्टे के नियंत्रण की जरूरत से पांच वर्ष तक की अवधि होता है।
 २. सांतोषजनक सेवा ग्रन्डिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन, 2010 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2010) एवं इन्फ्रोरिंग एवं मॉनिटरिंग गाइडलाइन एवं सेवा ग्रन्डिंग, 2020 (Infrastructure & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार प्राप्त युक्तिशाली दिया जाए।
 ३. इन्फ्रोरिंग एवं मॉनिटरिंग गाइडलाइन की दो ग्रन्डिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत ६० दिनों के अंदर सेवा ग्रन्डिंग दिया जाए।
 ४. एक अधिकारी (ग्रन्डिंग गट्टी) द्वितीय – परियोजना प्रशासक द्वारा ग्रन्ड के अन्तर्गत १.५ वर्ष में विस्तृत ग्राम अध्ययन (Station Study) कारबोगा, जाहि रेत के पुनर्वासन (Repopulation) कामकाज की अवधि, रेत वाल्वनन का नदी नदीवाल, ग्रन्डिंग ग्रामपाली, जीव एवं शूल जीवी पर उभाव तथा नदी के पानी की सुरक्षा पर ऐसे अध्ययन की जाही जनकाली उपलब्ध ही रहे।
 ५. अधिकारी द्वारा प्रशासक द्वारा लीज की भूमि प्रदेश द्वारा का ग्रन्ड पटल (प्री-अधिकारी द्वारा दाता, व्यापार का द्वारा व्यवस्था अवधि एवं देखाता रहित अध्ययन की याचकीयता उपलब्ध) समाप्त जाए।
 ६. लीज की जाही कोनी तथा सीधा जाईन के बाद में ग्रन्ड के अन्तर्गत आवश्यक है जाहि लीज की नदी में रपट ग्रन्डिंगोर हो जाए।
 ७. अदि ग्रन्ड का ग्रन्डिंग द्वारा असिस्टेंट ग्रामीण ग्रामटर में है, तो उस ५०० ग्राम की भौतिक सीमित ग्रन्ड का ग्रन्ड रक्का इंस्टीट्यूट से अदिक होता है तो पर्यावरण सीमित याच नहीं होती।
 ८. नाईमिंग प्रक्रिया अनुसार ऐसे अध्ययन की ५० फ़ैलोवर के कुल ६० अधिकारी द्वारा से अदिक नहीं होता। ऐसे ५० अधिकारी द्वारा में अध्ययन नहीं होता दिया जाएगा। ऐसे अध्ययन ग्राम से १.५ लीटर गहराई तक ही दिया जाएगा, जहाँ अदिक नहीं। इनी प्रक्रिया अध्ययन की रेत का अधीक्षण अध्ययन ४४,१०० वार्क्सीटर प्रतिघण्ठे के अदिक नहीं होता।
 ९. याचनीय एन्डोर्सी के अदेश दिनांक २८/०२/२०२१ के अनुसार पट्टेदार द्वारा नाईमिंग अध्ययन एवं सांतोषजनक सीमिति के जारी का यात्रा सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रशासक को याचनीय विशेषज्ञ विद्युत जरूरत होता है।
 १०. ऐसे अध्ययन प्रक्रिया कर्त्ता के ग्रन्ड संपर्ककार्यालय नियंत्रित दिक्ष विद्युतों का नदी में ऐसा ही ग्राम के जारी (Levels) का जीव तर उसकी अवधि अध्ययन द्वारा दर्शाया जाए।

१०. अस्थीसंग्रह को प्रयुक्त किये जाएँ। पोर्ट-बाग्नाइ (Port-Bagne) / बाग्नाइ वाह में ऐसा संस्करण प्रयोग करने के लिए इसी रिप रिप्पुल्स में वार्डिंग लीज संतुलित करने के लिए एक अपलॉडिंग एवं अलगावट्रैम में 100 फीट तक तथा बाग्नाइ लीज के बाहर / नदी तक (जोनों तक) से 100 फीट तक के लिए नदी सतह के सतह (Ground) का वही दूरी रिप्परिप्पिंग रिप रिप्पुल्स पर किया जायेगा। इसी प्रकार ऐसा बाग्नाइ एपरेशन वाग्नाइ के दूरी (ईच वाह के अंतिम संस्थान / जून के प्रथम संस्थान) इसी रिप रिप्पुल्स वाह वेल रखता के लियत्रैम (Levee) का बाग्नाइ किया जाएगा। ऐसा संस्थान की दूरी रिप्परिप्पिंग रिप रिप्पुल्स वेल रखता के लियत्रैम (Levee) का बाग्नाइ का बाहरी आगामी ५ वर्ष तक नियंत्रण किया जाएगा। पोर्ट-बाग्नाइ को अपलैड रिपायर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं ग्री-बाग्नाइ की अपलैड अपार्ट 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनियंत्रित रूप से एकई आईएए अस्थीसंग्रह को अमूल रिप रिप्पें।
११. ऐसा वह युद्धार्थ एवं घटाई अभियोग हाता (Machinery) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए रिप्पी उपकरण संग्रह (Machinery) अहि का एपरेशन नहीं किया जाएगा। रिपर केबल में आदि बहुमील का आंतर अधिकारित होगा। लीज संतुलित की लियत ऐसा युद्धार्थ गढ़वे (Excavation pits) से लोडिंग भार्ट तक वेल का परिवाह ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
१२. ऐसा का उत्तरानन तंत्रज्ञ रिप्पीर, लीजार्डिंग एवं चार्पिंग लीज में की किया जाएगा। ऐसा उत्तरानन की अधिकाराम वहताई बहुमील में 1.5 फीट अवधार अंतरान तंत्र तक वही लगभगी सतह से 1 फीट अवधार होनी में से जो इस हो, तो अधिक नहीं होनी। ऐसा का उत्तरानन रिप्पी में युनिवरिले में बहुमील के भीतर नहीं किया जाएगा। अनुसार २ फीट खोदाई तक की ऐसा नहीं ताजा त्रावणी रीफ को उपा लीज वाहा आवश्यक है।
१३. ऐसा उत्तरानन नहीं उठी हो कम से कम ७५ फीट अपार्ट अपार्ट की लीजार्डिंग के १० प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा। लाइट नहीं उठी का बाग्नाइ न हो। रिप्पी वी पुरिया, रामार्हेन, बोर, एनीकर, यस उपकार उत्तरानन एवं अन्य स्थानीय कारबाहारी से उत्तरानन के अपलॉडम में अनुसार ८०० फीट तथा बाग्नाइ उत्तरानस्ट्रीम में अनुसार २५० फीट सुरक्षित होने भीज्जा जाना अनियंत्रित है।
१४. ऐसा सुरक्षित रिप जाए तो ऐसा उत्तरानन के बहुमील नहीं जल का तेंट, टर्पिली एवं जल बहाव के स्वरूप एवं जोरीपूर्ण रिप्पीर प्रवाह में पहुँचे।
१५. ऐसा सुरक्षित रिप जाए तो उत्तरानन तंत्रज्ञ लीज में किया जाए रिपरी तथा रिपार्टी आवा-बाह के संतुलित एवं लीज-जन्मु उत्तरानन हेतु निर्दो न हो। कामुकी के उत्तरानन इकाईयों / लीजों का संतुलन आवश्यक है। आवा-इन लीजों के अन्त यात्र ऐसा उत्तरानन नहीं किया जाए।
१६. ऐसा उत्तरानन एवं घटाई / घटिकार रिप के साथ ही किया जाए। ऐसा कार्य संतुलित के साथ नहीं किया जाए। तारि में अनी उत्तरानन कार्य यात्रों की रिपरी में अनियंत्रित उत्तरानन के रिप्पुल्स रिपरार्टर आवंत्रित ही जायेगी।
१७. अंग्रेजीना उपकारक हाता के उत्तरानन रिपिंग इभारी यहा लीजिंग / अनार्डिंग अहि से उत्तरानन होने वाले कामुअटिय रहट उत्तरानन के रिपरार्टर हेतु उत्तरानन एवं उत्तरानन रिपरार्टर अवश्यक होने वाले रिपरार्टर अपार्ट उपार्ट उपार्ट की उपार्ट उत्तरानन अवश्यक होता जाए। ऐसा उत्तरानन लीज में अनियंत्रित जन्मु की गुणवत्ता भला उपकार, उपकार, जाए।

का लोप करने का विवरण संकल्पना नहीं दिया हुआ अतिरिक्त बजाए जा सकता नहीं होनी चाहिए।

18. यह का परिवर्तन आवश्यकता का उपयोग बनाता है ताकि दूर भवित्व में विषय छाप, लाभि ऐसा बदल जी बदल नहीं हो। खासियत का परिवर्तन कर और बदलने की कमता की अवधि नहीं बना सुनिश्चित दिया जाए।

19. वास्तविकता में इनी घटनाएँ न हो, यह सुनिश्चित दिया जाए।

20. असंगीता ने आवाल पर वास्तविकता द्वारा कर्ता 2023-24 में गठित के काटा की सेवाने ऐसे लोक लोक के अनुकूल अद्युत, जातुन, बहु, वीम, लाल, गीरु, जाम, इमारी, गीरा आदि जून असंगीत असंगीतों के बीच 1,200 वर्ष पौरी का रोपण करी तट पर दीर्घि दिया जाए। सेवन की सुनिश्चित बदलने के लिये उपयुक्त एवं संरक्षित वास्तविकता (जैसा लोटीवार तथा डी बाब का वास्तविक) दिया जाए। 6 फीट की 6 फीट अवधि वाले पौरी का ही सेवन दिया जाए। असंगीत असंगीत काटने के बीच दिया जाए। दीर्घि पौरी की सुख्ता एवं रक्षा-वास्तविकता 6 लंबी तक काटने का वास्तविकता लीने वाली आवाल का उपयोग वाले प्रस्तुत दिया जाए। दीर्घि पौरी की सुख्ता एवं रक्षा-वास्तविकता 6 वर्षी तक काटने का वास्तविकता वाली वास्तविकता वाला बनेगा।

21. दीर्घि दिये जाने वाले पौरी में गोलाकरण (Goulobenting) एवं पौरी के बाय का वास्तविक काटने वाले लोटीवास्तविक असंगीत असंगीत के साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर वास्तविकता वाली दिया जाएगी।

22. सुख्तीप्रद वा रक्षा-वास्तविकता 6 वर्षी तक सुनिश्चित बनाने वाले युवा पौरी की असंगीत (Mortality replacement) दिया जाए।

23. यहाँ वाले युवाओं की युवा द्वारा दीएस (Differential Global Positioning System) वाले एवं लोटीवास्तविक असंगीत दियोंट में समर्थित वाली युवा सुख्तीप्रद वास्तविकता काटना एवं एकाइजांडरी, लोटीवास्तविक की दीर्घि दिया जाए।

24. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) द्वारा नियन्त्रित असाल पर काटने वाली वास्तविकता दीर्घि दिया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
27.36	2%	0.54	Following activities at Village- Riwadhi Plantation at Village Pond Total	0.75

25. सीईआर के तहत वास्तविकता वाली द्वारा दीर्घि दिया जाए। सीईआर के उपरोक्त प्रस्तावित वार्षी के बारे में युवा द्वारा संबोधित एवं प्राप्ति के वायदानी इतिहास इतना कम असंगीत दियोंट में समर्थित वाली युवा द्वारा दीर्घि दिया जाए। सीईआर वार्षी की वास्तविकता सुनिश्चित बनाने वाली वास्तविकता होगी। असंगीत वास्तविकता होने पर वास्तविकता वाली दिया जाएगी।

26. सीईआर के अधीन तालम की जांच को लेकर कुत्तारेका (जाम, कट्टवार, बासुन आदि) हेतु उन्नुत प्रस्ताव अनुसार यूप्ल ५० नग जिला में १० लाख रुपये पूर्वी तालम की जांची गई अनिवार्य है। यांत्र ४० नग जीवी के लिए जांचि ४,००० रुपये, बोकिंग के लिए जांचि ६,००० रुपये, तालम की लिए जांचि २,००० रुपये, लिंबाई तालम जांच-तालम आदि के लिए जांचि १५,००० रुपये इस प्रस्ताव अनुसार जांचे वे यूप्ल जांचि २७,००० रुपये तालम जांचानी ४ लाई में यूप्ल जांचि ४८,००० रुपये हेतु प्रतिवार जांच वा जिला प्रभुता जिला नगा है। परियोजना प्रस्ताव द्वारा याम पंचायत उपराजीक के जांचानी प्राप्तिक यामपंचायत अनुसार (जामार जांच ३०२, बोकिंग १६३४ लिंबाई) के लाला में जांचानी प्रभुता प्रस्ताव अनुसार जांचे पूर्वी जांची।
27. सीईआर एवं कुत्तारेका जांच के लिंबाईरिए एवं बोकिंग हेतु डि-पर्सनल जांचिंग (लिंबाईरिए/बोकिंग) याम पंचायत के प्रशासिकारी/इतिनिष्ठि एवं जिला प्रशासन या उच्चीसंघ यामपंचायत अनुसार के प्रशासिकारी/इतिनिष्ठि) जांचिंग जिला जांच। जांच में सीईआर एवं कुत्तारेका का जांचे पूर्वी जिले जाने की उपलब्ध गतिश डि-पर्सनल जांचिंग से जांचानी करवा जाए।
28. जांच में लिंबाईर दल/अधीकारी जिलेका हेतु स्थल पर आई तथा उन्हीं जांचन/सदांग/महादा के जिलावाले की साथ-जांच सीईआर की जांच आपको द्वारा करतये गई जांची का जिलेका भी अनिवार्य जांच से करना आपकी जिम्मेदारी होगी।
29. परियोजना प्रस्ताव द्वारा सीईआर की जांच अनुसारि जांच करना जल्दी जांचे जाए तथा वह पर्यावरणीय वर्तीमानी को जिलावाले की जांचानी की जाएगी।
30. परियोजना प्रस्तावका जांचीनी / याम जांचन की जिलावाली भवित्वानी एवं उन्हा संस्थानी से ऐसा उल्लङ्घन आपके जाने की पूरी आवश्यक कर्ती अनुसारिना जांच करेगा। परियोजना प्रस्तावका द्वारा जांच एवं याम इन्द्रजल जिलेका तथा पर्यावरण जांचन हेतु याम-याम पर बैंड/याम जांचन, संनीय इन्द्रजल जिलेका बैंड/जांचीनायद इन्द्रजल कंस्ट्रक्शन यामजल द्वारा जांची जिलावाली / यामीनिष्ठि का प्रस्ताव गुरुभित्वक जिया जाए।
31. जांचीनायद गोपन जांच जिला, २०१८, याम जांचन द्वारा ऐसा उल्लङ्घन हेतु जांची अधीकारी दिनीक ३/३/२००६ की जांचानी/जांची एवं उद्दनुवार जांची जिला जिलेकी अनुसारित उल्लङ्घन योजना एवं पर्यावरणीय इन्द्रजल योजना का याम गुरुभित्वक जिया जाए।
32. जांच स्थल पर यहि कंधित अभियंक जांचे एवं जांचानी जाती है तो ऐसी अभियंको की जांचाना भी उपर्युक्त यामपंचायत प्रस्तावका द्वारा की जाएगी। आपकीन यामपंचायत आपकी जांचानीजांची की जांच में ही जाकरी है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात दृष्टावा जाएगी।
33. अभियंको के लिए यामन जांच यह यामपंचायत जिलेका गुरुभित्वक योजना रायबंद आदि जीवी यामपंचायत प्रस्तावका द्वारा की जाए। जांच ही नहीं में याम मूल जिलेका अधिकारी याम यामपंचायती के लिंबें, लिंबाईक आदि का जिलेका इतिवार्ता जीना। जांची एवं यामी जांच की जांचाना का याम जांच जाए।
34. अभियंको का याम-याम का अनुसूयेकानल हेतु जांचेसे कामया जाए।
35. उल्लङ्घन की उद्दनीय, जांचे होने एवं अनुसारित उल्लङ्घन योजना के अनुसार अभियंक योजना में जिली भी उल्लङ्घन का उपर्युक्त एसडीआरएट यामीनायद / याम जांचन, पर्यावरण, याम और यामपंचायत योजना याम यामीनी की पूरी अनुसारि के जिला यामी जिला जाए।

36. इस परिवर्तनीय स्थिरता की जांच करने का आवश्यक नियमी स्थिरता अवधि अपरिवर्तित पर अंतिकाल दर्शाने का नहीं है। एवं वह इस परिवर्तनीय स्थिरता नियमी गणना को युक्तवाच बहुताम अवधि अंतिकाल अवधि दर्शाता है। इसका इस परिवर्तनीय बास्तवी / नियमों के उल्लंघन के द्वारा अंतिकाल दर्शाता है।
37. एसडीआईएए, अलीगढ़ परिवर्तन संख्या की दृष्टि से, अंतिकाल की कठोरता में परिवर्तन गणना नियमित्येवं जारी के सांतोषदात्र करा जो वास्तव में करने की दशा में नियमी भी नहीं हो सकता। नियम करने अवधि एवं नहीं जोकरने अवधि उल्लंघन / नियमावधि के गान्धी की ओर वास्तव करने का अंतिकार युक्तिवाल रखता है।
38. अंतिकाल का उल्लंघन उ परिवर्तन गणना करने के लिए जो विधि परिवर्तन दर्शाता है, इस परिवर्तनीय स्थिरता प्राप्त होने के 7 दिनों से भी बाहर इस अवधि की गृहण प्रक्रिया करेगा कि परिवर्तन को अवधि परिवर्तनीय स्थिरता हो जाए है। एवं परिवर्तनीय स्थिरता प्राप्त की अंतिकाल अवधि के जारी विविध परिवर्तन, अलीगढ़ परिवर्तन संख्या अपदस्त्र में अलीगढ़ दिन उपलब्ध है। जारी की दृष्टान्त अवधि करना वालकार, परिवर्तन, वन और उल्लंघन अंतिकाल गणना, जो नियमों एवं एसडीआईएए, अलीगढ़ परिवर्तन की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी दिया जा सकता है।
39. परिवर्तनीय स्थिरता में दी गई जारी के पास होने की गई जांचार्ही की अवधि विषेष अलीगढ़ परिवर्तन संख्या अपदस्त्र, जो वायपुर अटल वन, विल-वायपुर, लोटीय कालीन, अलीगढ़ परिवर्तन संख्या अपदस्त्र, वायपुर, एवं एसडीआईएए, अलीगढ़ परिवर्तन संख्या अपदस्त्र कालीन, वालकार, परिवर्तन, जो दी उल्लंघन परिवर्तन अपदस्त्र, जो वायपुर अटल वन को प्रोत्तित किया जाए। अलीगढ़ लोटीय कालीन, वालकार, परिवर्तन, वन एवं उल्लंघन परिवर्तन अपदस्त्र, जो वायपुर अटल वन द्वारा परिवर्तनीय स्थिरता में जारी जारी के पास होने की जांचार्ही की जाएगी।
40. एसडीआईएए, अलीगढ़, जो वालकार, परिवर्तन, वन एवं उल्लंघन परिवर्तन संख्या, नई नियमों/एसडीआई संख्या कार्यालय, वालकार, परिवर्तन, जो एवं उल्लंघन परिवर्तन संख्या, जो वायपुर अटल वन/विलीय अपदस्त्र विवरण की/अलीगढ़ परिवर्तन संख्या अपदस्त्र के विवरणों/अंतिकालियों को जारी के अनुग्रहन की जांच में दी जाने वाली नियमित्येवं होने पूरी गहरायी रुदान किया जाए। परिवर्तन गणना वालकार द्वारा नियमित्येवं जारी का अनुग्रहन जारी नहीं जाने वाले वह परिवर्तनीय स्थिरता नियमों की जा जाएगी।
41. अंतिकाल का उल्लंघन परिवर्तन संख्या अपदस्त्र एवं उल्लंघन वालकार द्वारा की गई जारी जो अभियार्थी करने से पास होते हैं। वे जारी छल (प्रदूषण नियवन वन विवरण) अंतिकाल, 1974 वायपुर (अपदस्त्र नियवन एवं नियन्त्रण) अंतिकाल, 1981 परिवर्तन (विवरण) अंतिकाल, 1988 वायपुर इन्हों तहत बहुत गई नियमी परिवर्तनालय अंतिकाल (प्रदूषण वायपुर एवं सीमावाल संख्या) नियम, 2008 (वन वायपुर) वायपुर लोक दायित्व विवा अंतिकाल, 1991 (वन वायपुर) के अंतिकाल नियमित्येवं की जा जाएगी है।
42. प्राप्तवित परिवर्तन के बारे में एसडीआईएए, अलीगढ़ में उल्लंघन विवरण में दी गई भी विवरण अवधि अवधि दर्शाने की दशा में एसडीआईएए, अलीगढ़ को दुप्रा नवीन वायपुरवाली लोहित स्थिरता किया जाए, ताकि एसडीआईएए, अलीगढ़ परिवर्तन संख्या पर विवरण करने जारी की उल्लंघनता अवधि नहीं जारी नियमित्येवं करने वाला विवरण हो जाए। वायपुर में दी गई भी विवरण अवधि अवधि उल्लंघन एसडीआईएए,

कानूनीता / जाता वालार, कर्मियां, उप और उच्चाधिकारीय संसदीय अधीक्षणी की कुल अनुमति के लिए नहीं लिए जाएँ।

43. कानूनीता परिवर्तन संसदीय अधिकार विभागीय सीमिती की तरीं को जाती हैं कानूनीता परिवर्तन/कानूनीता विभाग में 30 दिनों की अवधि के लिए उपलब्ध करेंगी।
44. कानूनीतीय सीमिती के लिए अधिकार विभाग द्वारा इकानुसार एवं 2010 की बात 16 में लिए गए जातानी अनुमान, 30 दिन की जाता अवधि में की जा सकती है।

जाता वाला, एम्सीएसी


-जाता वाला, एम्सीएसी

वैश्वीन सुखार गोदान योगी (जी- श्रीमती बाबी लाल)

जी पर्सनल एक्सार नंबर 2742, कुल शेषकल - 5 इंचेंस में जीवन का कुल 40 अधिकार सेवकल में ही वैष्णवन, राम-सुखार, रामगील-आरा, विला-वामपुर (उत्त.) में वासनी से ऐसे उत्तराखण्ड क्षेत्र 45,000 घनमीटर प्रदीप्ति द्वारा उत्तराखण्ड स्थिति
में दी जाने वाली है।

वह पर्यावरणीय स्थिरता विभागीय गोदान की जीवन की जीवन है। जीवन की की व्याप्ति ज्ञान से यहां जीवन का कार्य ही वाला कार्य है जीवन की व्याप्ति विभाग जाए।

1. वह पर्यावरणीय स्थिरता विभाग गोदान की जीवन की जीवन की जीवन है।
2. गोदानीय सेवक गोदान विभागीय गोदानादि, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इन्फोर्मेंट एवं वीरिटी गोदान गोदान, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) की अनुसार वाला कुमितिका विभाग जाए।
3. इन्फोर्मेंट एवं वीरिटी गोदानादि की गोदान वाइरिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) की वाय 40 अधिकार क्षेत्र में उत्तराखण्ड की वाय विभाग जाना कुमितिका विभाग जाए।
4. गोदान कार्यक्रम (विभागीय गोदान) विभाग - विभागीय प्रस्तावक ऐत ज्ञान की जीवन में जीवनी 1.5 की में विभाग वाद कार्यक्रम (Assessment Study) करायें। ताकि ऐत वी प्रभावक (Impacts) वाद की जीवनी, ऐत उत्तराखण्ड का नदी, नदीराज, नदीनीय वनस्पति, जैव एवं सूक्ष्म जीवों पर उत्तराखण्ड की जीवन की गोदान की व्याप्ति विभाग वाद ऐत उत्तराखण्ड की जीवन की जीवन वाली वाली जाना ही जाए।
5. विभागीय प्रस्तावक द्वारा लीज दीज के मुद्दा प्रैवा हार पर गोदान गोदान (वीरिटी वाद वाम, ज्ञान का कीवकल आसार एवं विभागीय वाइरिंट, उत्तराखण्ड की जीवन स्थिरता आवधि) लगाया जाए।
6. लीज दीज के वासी लोगों जीवन जीवन जीवन की जीवन में लीजेट के जीवन वाला वाला वाला हो जाए।
7. वाहि ज्ञान स्थिरता विभाग द्वारा अधिकारित विभीत उत्तराखण्ड में है, जीवन 40 गोदान की वीरिट लीज दीज जीवन में वाय विभागीय विभाग हो जाए।
8. गोदानीय वाला अनुसार विभाग उत्तराखण्ड दीज एवं इन्फोर्मेंट की कुल 40 अधिकार शीरकान में अधिक जीवन होगा। ऐत 40 अधिकार कीज में उत्तराखण्ड नहीं विभाग जाएगा। ऐत वाला जावनन सारांह की 1.5 वीरिट गोदानीय जीवन ही विभाग जाएगा, जहांकी शीरिक नहीं। इसी प्रकार ज्ञान की विभाग विभाग उत्तराखण्ड 45,000 घनमीटर प्रदीप्ति की अधिक जीवन होगा।
9. वामनीय एवं वीरिटी की जारी दिनांक 26/02/2021 के अनुसार वर्द्धित द्वारा विभागीय वाला एवं पर्यावरणीय स्थिरता की जीवन का वाला कुमितिका विभाग जाने हेतु विभागीय प्रस्तावक की पर्यावरण विभागीय विभाग जाना होगा।
10. ऐत उत्तराखण्ड जारी करने के पूर्व उपर्युक्तानुगार विभागीय विभाग विभागीय पर नहीं में विभागीय जीवन के लाई (Levels) का जीवन एवं एकीकृत उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड जाएगा।

१०. अर्थीतानन्द को बाहुदा किये जाएं। शेष-यात्रामूलक/वरावर सह में ऐसे उत्तरानन्द प्राप्त करने के लिए इसी रिकॉर्ड में बाहुदीय सीज के तथा तीव्र हीड़ के अपनाई एवं उत्तरानन्दीय में ५०० मीटर तक तथा उनमें सीज के बाहर / नदी तट (जीनी झोट) से ५०० मीटर तक के हीड़ में वही उत्तर के साथ (Levee) का भी यही युवा निर्मिति रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। इसी ग्राहार ऐसे उनमें उत्तरानन्द सनस्कृत के दूरी (एक महा के अंतिम उत्तरान्द/यून के अध्यम उत्तरान्द) इसी रिकॉर्ड में लिखा जाएगा (Levee) का यापन लिखा जाएगा। ऐसे सभी के दूरी निर्मिति रिकॉर्ड में लिखा जाएगा (Levee) के यापन का कारण आगामी ५ वर्षों तक निर्मित रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। शेष-यात्रामूलक के अंतिम रिपोर्ट २०२३, २०२४, २०२५, २०२६, २०२७, २०२८ एवं शेष-यात्रामूलक के अंतिम रिपोर्ट २०२४, २०२५, २०२६, २०२७, २०२८, २०२९ तक अविवाची रूप से एकत्रित होए अर्थीतानन्द को उत्तरानन्द रिकॉर्ड जारी कीं।

११. ऐसे लौ सुखाई एवं गहरा अधिकारी द्वारा (Ministry) की जाएगी। इस उत्तरानन्द के लिये किसी उपकरण की ओर (Machinery) अद्वितीय तथा उपर्योग यही लिखा जाएगा। निकॉ बैंक में भारी बाहुदी का द्वितीय प्रतिविवित रहेगा। सीज की ओर में निकॉ रेत सुखाई रेप्लि (Excavation plan) द्वारा निर्मित रूप से उपरिवर्तन द्वारा दूसरी द्वारा लिखा जाएगा।
१२. ऐसे का उत्तरानन्द कोशल निर्मिति, नीतिगति एवं प्रौद्योगिकी की लिखा जाएगा। ऐसे उत्तरानन्द की अधिकारीमूलक गहराई समझ से १.५ मीटर उत्तरानन्द की ओर उत्तरानन्द के ५ मीटर बीचकर दौड़ी के से जो रेत हो, उसे अधिक नहीं होनी। ऐसे का उत्तरानन्द निर्माण की परिस्थिति में उत्तरानन्द के नीचे नहीं लिखा जाएगा। न्यूनतम २ मीटर बीचकर तक की ऐसे नदी तक (एक दीक्षा) के उपर भीड़ जाना अनावश्यक है।
१३. ऐसे उत्तरानन्द नदी तटी से कम से कम ७.५ मीटर उत्तरानन्द की लीकाई के १० प्रतिशत की दूरी पर भी अधिक ही उत्तरानन्द ही लिखा जाएगा, तटीके नदी तटी का जापन न ही। किसी भी पुरिया, बदलावें, बांध, दूरीकरण, या उपरिवर्तन एवं अन्य उत्तरानन्द कोशलगती से उत्तरानन्द के अपनाईयों में न्यूनतम ५०० मीटर तक उत्तरानन्दीय में न्यूनतम २५० मीटर सुरक्षित कोशल द्वारा लिखा जाना अनिवार्य है।
१४. एह न्यूनिकॉ लिखा जाए कि ऐसे उत्तरानन्द के उपरिवर्तन वही यात्रा का निर्देश, उत्तरानन्दीय एवं उत्तर बहाव के स्वरूप एवं कोशल निर्मित रूपान्वय वा पर्याप्त।
१५. एह न्यूनिकॉ लिखा जाए कि उत्तरानन्द कोशल वही हीड़ में लिखा जाए जिसी तरह लिखाई आस-यात्रा के लोक एवं वर कोई भी जीव-जन्म उत्तरानन्द द्वारा निर्धारित न हो। कानूनी के उत्तरानन्द इकलौती / दोनों तरफ उत्तरानन्द आवायक है, आस-इन लोकों के जाक यात्रा यों उत्तरानन्द नहीं लिखा जाए।
१६. ऐसे उत्तरानन्द दूरी गहराई / उपरिवर्तन दिन के समय ही लिखा जाए। यह कार्य अद्वितीय के समय नहीं लिखा जाए। लाप्ति में अद्वितीय उत्तरानन्द वार्षि जाने की लिखति में उत्तरानन्द उपरिवर्तन के लिखत्य लिखान्नुसार वार्षिकी ही जारी ही।
१७. उत्तरानन्द उपरिवर्तन द्वारा ऐसे उत्तरानन्द लिखेगा इमारी यात्रा अंतिम / अन्तिमीय अद्वितीय से उत्तरानन्द होने वाले अपूर्वितिव इसे उत्तरानन्दीय के लिखेगा ऐसे उत्तरानन्द उपरिवर्तन द्वारा एवं उत्तरानन्द उपरिवर्तन के लिखेगा अपूर्वान्तर उत्तरानन्दीय उत्तरानन्द की जाए। ऐसे उत्तरानन्द लोक में उत्तरानन्द द्वारा की गुणवत्ता भावा संकेत, पर्याप्तता,

वह और जो यह परिवर्तन संभव, वह दिल्ली द्वारा अधिकृति करनी से अलग नहीं होनी चाहिए।

18. ऐसा का परिवर्तन तात्पर्यिति अथवा अन्य उपकरण संभव से इसे हुए बदल दी जिसे याद रखने से बहुत नहीं होते। उनिये का परिवर्तन कर ले बाहरी की समस्या से अलग नहीं करा जाना सुनिश्चित भिन्न जाए।
19. प्रत्यक्षन केंद्र में खाने प्रयोग कर ली, यह सुनिश्चित भिन्न जाए।
20. प्रबलिक्षण को संभव पर सदाचार प्रत्यक्षन द्वारा करी 2023-24 में नवीनीत से कठा को देखने हुए सीज बीब के अनुचार अनुचार, अनुचार, बहु, वीपल, वीर, कर्ण, शीघ्र, अम, इमली, भीमस जटि अन्य स्थानीय प्रबलिक्षण के बूल 1,000 वर्ष पौरी का गोपनीय करी तो फिर सीज भिन्न जाए। सीज को सुखित रखने के लिए अनुचार एवं वर्षाचार व्यवस्था (जिसे कर्तिवार तात्र की बाह का उपयोग) भिन्न जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले घीरी का दी देख भिन्न जाए। उपरोक्त गुणांकों प्रयोग करी में पूर्ण भिन्न जाए। सीज घीरी की सुखाए एवं रक्ष-रक्षाव आगामी 5 वर्षी तक कठने का उत्तमाधिक्षिण से बाही आशय का साध पर इन्हुन भिन्न जाए। सीज घीरी की सुखाए एवं रक्ष-रक्षाव आगामी 5 वर्षी तक कठने का उत्तमाधिक्षिण से बाही आशय का साध पर इन्हुन भिन्न जाए।
21. लोकिंग भिन्न जाने के सीधे नंबर्स में संख्यांकन (Numbering) एवं लोंग के नाम का उत्तमोत्तम करते हुए फोटोग्राफ़िक संहित जनसत्ता अधिकारी भिन्न जाने के साथ जड़ा करो। ऐसा नहीं करने पर वर्षावाले घीरी भिन्न सीधे जाननी।
22. गुणांकन का रक्ष-रक्षाव आगामी 5 वर्षी तक सुनिश्चित करी हुए घीरी की अद्वितीयान्वित (Mortality replacement)- भिन्न जाए।
23. भिन्न जाने गुणांकन की गुणी हुए सीजीपीएस (Differential Global Positioning System) की एवं फोटोग्राफ़िक अधिकारी भिन्न जाने में समर्थित करते हुए उत्तमाधिक्षिण प्रयोग संभव गर्नाल एवं एकाई अवृद्धि एवं उत्तमाधिक्षिण को उत्तिष्ठ भिन्न जाए।
24. सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) द्वारा विभानुचार प्रकार का अपै पर्यावरण प्रकार योग्यता के अन्वेषण भिन्न जाए।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
51.15	2%	1.023	Following activities at, Village- Karudi	
			Plantation at Village pond	1.30
			Total	1.30



28. सीईआर के द्वारा प्रसिद्धि करनीशी 20 नवंबर में अधिकारी का कार्य पूर्ण प्रसिद्धि करना आम लकड़ी से कार्यपूर्ण प्रसिद्धि करना तो अधिकारी निवास में समर्पित करने कुण्ड इमुग दिया जाए। सीईआर कर्तव्य की लकड़ी का समर्पित करना आम लकड़ी की समर्पित करने की विभिन्नता होगा। कुलनीयम असहजता होने का बताया गया सीधीति निवास की जांची।
29. सीईआर के लालच का लकड़ी की लकड़ी प्रसिद्धि (अम. करहर, जग्मुक आदि) हेतु प्रसिद्धि प्रसिद्धि अनुसार कुल 20 नवंबर निवास से 20 नवंबर कुर्स पूर्ण की लकड़ी की जांची और अधिकारी है। ऐसे 20 नवंबर की की लिए तकि 6,000 रुपये, लालच की लिए तकि 7,500 रुपये, लकड़ी के लिए तकि 2,500 रुपये, निवासी तक रक्ष-लकड़ी आदि की लिए तकि 25,000 रुपये इत्य प्रसिद्धि असहजता की विवरण रक्ष-लकड़ी तक जागती 4 लाई के कुल तकि 50,000 रुपये हेतु प्रसिद्धि असहजता का लिए प्रसिद्धि दिया जाए है। परियोजना प्रसिद्धि द्वारा आम लकड़ी कुर्स (दुट्टेल) के साथसाथी करनात योग्य लकड़ी (आमा इमीक 243, लेक्सन 1.07 लिंकेज) के साथ से आमनाशी प्रसिद्धि अनुसार कार्य पूर्ण करे।
30. सीईआर एवं प्रसिद्धि द्वारा लकड़ी की विभिन्नति हेतु ग्री-खीय लालची उपरकार्ड/इतिहासिक/ आम लकड़ी के विभिन्नति/विभिन्नति एवं निवास प्रसिद्धि का लालचीसाथ वर्णित करना लकड़ी की विभिन्नति/विभिन्नति लालच दिया जाए। सभी ही सीईआर एवं प्रसिद्धि द्वारा लकड़ी की कार्य पूर्ण लिए जाने की उपस्थिति ग्री-खीय लालची से सामाजिक जागरा जाए।
31. नवंबर की निवास यत्न/अधिकारी निवास हेतु लकड़ी पर आई, एवं उन्हें लकड़ी/योग्य/पद्धति के निवास के योग्य-लकड़ी सीईआर की लकड़ी लालच कराये गये कार्यी का निवास की अधिकारी का कार्य असहजती निवासकी होती।
32. परियोजना द्वारा द्वारा सीईआर के द्वारा प्रसिद्धि द्वारा करना जारी रखे जाने का योग्यतर्थीय सीधीति को निवास करने की लार्कड़ी की जाएती।
33. परियोजना प्रसिद्धि लकड़ी / योग्य लकड़ी के निभानी, भवहसी एवं अन्य लकड़ीनी से ऐसा लकड़ीना असहजता करने की पूर्ण अवधारणा तकी अनुसारी लकड़ी करेगा। परियोजना प्रसिद्धि द्वारा यत्न हेतु प्रसिद्धि निवास तक पर्यावरण लकड़ी हेतु समय-समय पर केंद्र/आम सरकार केंद्रीय प्रसिद्धि निवास की/ ग्रामीणालय पर्यावरण लकड़ी द्वारा जारी निवासी / योग्यतर्थीय का योग्य सुनिश्चित दिया जाए।
34. प्रसिद्धि द्वारा ग्री-खीय लालच निवास, 2018, योग्य लकड़ी द्वारा हेतु उत्कृष्णन हेतु जारी अधिकारी निवास 2/3/2000 के लालचानी/लाली एवं अनुसार जारी निवास निवासी, अनुसारी उत्कृष्णन योजना एवं योग्यतर्थीय प्रसिद्धि द्वारा जारी योग्य सुनिश्चित दिया जाए।
35. कार्य लकड़ी पर योग्य लकड़ी द्वारा एवं उन्हाँनी जाती ही ही ऐसी विभिन्नति की अवधारणा की उपरक्ति अवधारणा परियोजना प्रसिद्धि द्वारा की जाएती। अवधारणा अवधारणा अवधारणा की काम वी ही जाकरी है, जिसे परियोजना द्वारा ही योग्यता द्वारा जारी।
36. विभिन्नति के लिए योग्य लकड़ी द्वारा एवं उन्हाँनी जाती ही ही ऐसी विभिन्नति की अवधारणा की उपरक्ति अवधारणा परियोजना प्रसिद्धि द्वारा की जाएती। सभी ही नवी में टालेट आदि ही अवधारणा परियोजना प्रसिद्धि द्वारा की जाएती। सभी ही नवी में योग्य निवासी, अवधारणा लालच लालची के पैकेट, विभिन्नति आदि का निवासी योग्यतर्थीय दिया जाए। नक्षे एवं नवी योग्य लालची लालच लालची जाए।

संस्थान) लगा लोक वार्तिक द्वारा अधीक्षित, २०१ (क्रम संख्या) के अधिक
विवरित ही जा सकती है।

४१. प्राचीनकाल परिवेशकों के बारे में एसडीएसईएस, उत्तीर्णदृष्टि में प्रकृति विभाग में
कोई भी विभाग इसका परिवर्तन होने की दशा में एसडीएसईएस, प्राचीनकाल की
पुरानी वर्तीन वास्तविकता को उचित रूपित रिक्त छोड़ देता, ताकि एसडीएसईएस, प्राचीनकाल
इस पर विभाग कर रही की उपयुक्तता इसका नहीं जाती विवरित करने वाला
रिक्त हो जाए। उदाहरण में कोई भी विभाग इसका प्रबन्धन एसडीएसईएस,
उत्तीर्णदृष्टि / भवता संवर्धन, प्राचीनकाल, वन और जलव्यवस्था विभाग वाला नहीं
रिक्ती की पूरी अनुभवी की विभाग नहीं रिक्त हो जाए।
४२. उत्तीर्णदृष्टि वालीवाला संस्थान पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके द्वारा
प्राप्तिकाल, वित्त-प्रबन्धन एवं उद्योग केन्द्र एवं विभाग/उत्तीर्णदृष्टि वालीवाला में
अ विभाग की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
४३. उत्तीर्णदृष्टि के विभाग अधीन नेतृत्व द्वारा द्वीपसूल की वापास, नेतृत्वात
द्वीप द्वीपसूल एवं २०१० की वापास १५ में दिए गए प्राचीनी अनुसार, ३० दिन की
वापास अवधि में की जा सकती।


वापास वापास, एसडीएसईएस


वापास, एसडीएसईएस

**ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR PROPOSED SINGLE
SUPERPHOSPHATE (50% TRIPLE SUPER PHOSPHATE) (TSP) CAPACITY
1,00,000 TONNES / YEAR, PLOT NO. 212, 213 & 214, AREA 5.288 ACRE OF
MILASHRI TULSI PHOSPHATE LIMITED, BIRKONI INDUSTRIAL AREA,
VILLAGE - BIRKONI, TEHSIL - BOSTAR - DISTRICT - MAHABANUJHO**

This environmental clearance is being issued under following conditions therefore read these conditions very carefully and ensure the strict compliance of the same.

I. Statutory Compliance:

- i. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).
- ii. The Company shall strictly comply with the rules and guidelines under Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals (MHAC) Rules, 1989 as amended time to time. All transportation of Hazardous Chemicals shall be as per the Motor Vehicle Act (MVA), 1988.
- iii. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.
- iv. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

II. Air Quality Monitoring and Preservation:

- i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1996 vide G.S.R. 805(E) dated 28/12/2017 as amended from time to time, and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these systems from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
- ii. The project proponent shall comply with the environment norms for Pesticide Industry as notified by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, vide G.S.R. 466 (E), dated 13.6.2011 under the provisions of the Environment (Protection) Rules, 1996.
- iii. National Emission Standards for Organic Chemicals Manufacturing Industry issued by the Ministry vide G.S.R. 805(E) dated 21st July, 2010 and amended from time to time shall be followed.
- iv. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
- v. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$, in reference to PM emission, and SO_2 and NO_2 , in reference to SO_2 and NO_2 emissions, fluoride emissions normal within and outside the plant area, covering upwind and downwind directions and connected to SPCB and CPCB online server.

- iii. The project proponent shall provide adequate control systems to achieve norms on total fluoride (gaseous and particulates) in Material Handling and Rock phosphate mill shall be carried out in closed buildings. Cyclone separator alongwith bag filter will be provided in the boiler with stack height of minimum 30 meter. Venturi scrubber, Cyclone separator and multi-stage fluoride scrubber will be provided in the SIFT/STP scrubbing unit to efficiently scrub the vent gases from the plant with stack height of minimum 40 meter. All the transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for spraying of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. Project proponent shall provide necessary arrangements for all oxides of sulphur emissions. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency. Ventilation shall be provided if any hydrocarbon or toxic vapours will be accumulate. Project proponent shall provide leakage detection system with alarm facility to rectify any toxic gases leakage without any delay. Project proponent shall also provide PPE's to the workers. As per proposal submitted emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit: -

Particulate Matter	50 mg/m ³ (Thirty Milligram per Normal Cubic Meter)
--------------------	---

The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

- iv. To control source and the fugitive emissions, suitable pollution control devices shall be installed to meet the prescribed norms and/or the NAAQG. The gaseous emissions shall be dispersed through stack of adequate height as per CPCB/SPCB guidelines.
- v. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (DECB) along with tri-monthly monitoring report.
- vi. Sufficient number of mobile or stationary vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.
- vii. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.
- viii. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.
- ix. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed-circuit cameras (CCTV) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

- i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of effluent (Neutralization system). Treated water shall wholly be reused in the process. Sewage Treatment Plant shall be provided for treatment of domestic effluent. After treatment from STP, water shall be used for plantation purposes. Silica liquor or fresh STP water shall be used for plantation purposes.

- settled silica will be used as a filter in the product to attain required quantity and HgSiF₆ will be reused for acid dilution. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R. 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.
- i. Project Proponent shall use non-explosive storage tank to prevent spillage of methanol and formaldehyde. The Project Proponent shall ensure that no spillage of raw material, chemicals, products etc. under any circumstances. If any failure during operation shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made.
 - ii. The storage of toxic/hazardous raw material shall be bare minimum with respect to quantity and inventory. Quantity and days of storage shall be submitted to the Regional Office of Ministry and CPCB along with the compliance report.
 - iii. The solvent management shall be carried out as follows: (a) Reactor shall be connected to chilled brine condenser system. (b) Reactor and solvent handling pump shall have mechanical seals to prevent leakages. (c) Solvents shall be stored in a separate space specified with all safety measures. (d) Proper earthing shall be provided in all the electrical equipment whenever solvent handling is done. (e) Entire plant shall be flame proof. The solvent storage tanks shall be provided with breather valve to prevent losses. (f) All the solvent storage tanks shall be connected with vent condensers with chilled brine circulation.
 - iv. Project Proponent shall ensure only authorized persons shall operate material handling chemicals, equipments etc.
 - v. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.
 - vi. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raigar Atal Nagar, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.
 - vii. Catchment drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run-off.
 - ix. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.
 - x. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.
 - xii. The project proponent shall used the maximum surface water.

IV. Noise Monitoring and Prevention

- i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raigar as a part of six-monthly compliance report.
- ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 70 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

- i. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.
- ii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

VI. Waste Management

- i. Used oil if any shall be given to authorized recyclers / agencies.
- ii. Hazardous waste shall be disposed off as per the Hazardous & Other Wastes (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016 as amended from time to time.
- iii. Hazardous chemicals shall be stored in non-reactive tanks. Coal Ash from Boiler shall be sent to Brick Manufacturer unit.
- iv. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.
- v. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.
- vi. The project proponent shall install filter press for dry disposal of sludge received from ETP (if any) and shall used the waste as manure in plantation.

VII. Green Belt

- i. Green belt shall be developed in an area not less than 50.16% (1.073 Ha) of the total plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. Greenbelt shall inter alia cover the periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. Project proponent shall ensure that plantation will be done within 1 year.
- ii. The project proponent shall prepare GHG's emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. Human Health Issues

- i. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
- ii. The Project Proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen working in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
- iii. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

- ii. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

X. Corporate Environment Responsibility

- i. Project proponent shall made CER fund as follows :-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)		CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
			Particulars		
2,050	1%	20.5	Following activities at, Village- Bhirkoti		
			Pavlo Nimman	Van	27.275
			Total		27.275

- ii. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned gram Panchayat.
- iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / Forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stakeholders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEMA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.
- iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly go to the head of the organization.
- v. Action plan for implementing EMR and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur / SEMA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.
- vi. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

XI. Additional Conditions

- i. Project proponent shall not disturb the livelihood of habitats, depends on forest based products.
- ii. Project Proponent shall provide personal protective equipments like gloves, aprons, respirator, face shield etc.
- iii. Project proponent shall form a tripartite committee (Representative of Industry, Representative of District administration/CBCC and Member of Gram panchayat) which will monitor the compliance of Green belt within the premises, Corporate Environmental Responsibility activities etc.

- iii. The EC shall be granted subject to the conditions that the emission level shall not exceed the prescribed limit notified by Central Pollution Control Board failing which this EC shall deemed to be cancelled.
- iv. No additional land shall be acquired for the project.
- v. Local persons shall be given necessary training and employment during development and operation of the plant. The project proponent shall ensure skill development of local people.
- vi. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.
- vii. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30-days from the date of receipt.
- viii. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environmental clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.
- ix. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely: PM₁₀, SO₂, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.
- x. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.
- xi. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.
- xii. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.
- xiii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMF report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.
- xiv. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.
- xv. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- xvi. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory or not fulfilled.

- vii. SEIAA, Oshiwara shall reserve the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.
- viii. The Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer(s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.
- ix. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.
- x. Any appeal against this EC shall be with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 19 of the National Green Tribunal Act, 2010.
- xii. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

Member Secretary, SEAC

Chairman, SEAC

मेलमी दोनों गांव नाड़िन (प्रौ.- वी ईक्यावल गांव)

को सम्पन्न क्रमांक 2774, कुल क्षेत्रफल - 4.95 हेक्टेयर में गांव का कुल 60 परिवार गोपनीय हैं जो बैत उत्तराखण्ड, राम-दोनों अधीनियम विभाग-घटनाक्री (एम) में नहानदी के द्वारा उत्तराखण्ड क्षेत्र 44,550 घटनीय इक्षितर्थ ऐसु ग्रामीण परिवर्तन स्थीरणीय में दी गयी गति

यह ग्रामीणीय स्थीरणीय नियमिति गति को अधिक की तरफ छोड़ दिया गया तथा काफ़ी से यातन करना सुनिश्चित नियम जाए।

1. यह ग्रामीणीय स्थीरणीय गति यहाँ के नियादन की तात्पर्य से पांच वर्ष का तो अधिक होने वेष्ट होती।
2. ग्रामीणीय गति नाड़िन ईक्यावल नाईकलाई-एम. 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईक्योसीमेंट एवं नीतिशील ग्रामीणीय गति गति नाड़िन एम. 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) की अनुसार यातन सुनिश्चित नियम जाए।
3. ईक्योसीमेंट एवं नीतिशील नाईकलाई-एम. 2016 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) की तरह 60 परिवार द्वारा मार्ग नियम यातन सुनिश्चित नियम जाए।
4. याद रखना नियमीकरण कर्त्ता नियम - परियोजना प्रशासन द्वारा यातन क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में नियम यातन अध्ययन (Station Study) करवाया, ताकि तेह के प्रभावकरण (Proportionment) काफ़ी तारी आवश्यक, तेह यातन का नदी, नदीत्तर, ग्रामीण उत्तराखण्ड, वीव एवं गुजराती या ग्रामीण तारी के यानी जी युक्तवाला एवं वेष्ट उत्तराखण्ड के इनाह की तारी जानकारी प्राप्त हो जाए।
5. नीतिशील प्रशासन द्वारा लीज द्वारा के गुजराती इक्षित द्वारा पर यातना यातन (वीव यातन का नदी, यातन का गोपनीय अस्तित्व एवं वेष्टावाला गति, यातन की नाड़ि, स्थीरणीय उत्तराखण्ड) जानकारी जाए।
6. लीज द्वारा के यानी योनों तारा गोपनीय लाइन के तारा में लीजेंट के यानी यातना वायव्यक है ताकि लीज द्वारा नहीं में यातन सुनिश्चित हो जाए।
7. यही यातन सुनिश्चित नियम द्वारा अस्तिशील नियमी उत्तराखण्ड में है, अगला 500 मीटर के भीतर स्थीरत तेह यातनी का कुल वकार 3 हेक्टेयर से अधिक नहीं हो सकता वायव्यक स्थीरणीय यातन नहीं होती।
8. अस्तिशील यातन उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड लीज 4.95 हेक्टेयर की कुल 60 परिवार गोपनीय से अधिक नहीं होता। तेह 40 हेक्टेयर द्वारा में यातन सुनिश्चित नहीं होता जाएगा। तेह का यातन का तारा तारा से 1.5 मीटर गहराई तार की नियम याएगा, यानी अधिक नहीं। इसी उत्तराखण्ड के तेह का अस्तिशील यातन 44,550 घटनीय इक्षितर्थ से अधिक नहीं होता।
9. ग्रामीणीय एवं गोपनीय के अद्यत दिनांक 28/02/2021 के अनुसार यातन द्वारा यातनीय यातन एवं ग्रामीणीय स्थीरणीय की तारी का यातन सुनिश्चित कराये जाने होने वायव्यक यातन यातन वायव्यक नियमज्ञ नियुक्त करना होता।
10. यह यातन सुनिश्चित यातन के गुरु यातनीकानुसार नियमित योग नियुक्ती पर नहीं में रेत की तारी (Leverage) का तारी यातन, तारकी आवश्यक तारावाल एक्सी-आइट।

8. अस्तीकरण की जागूर लिये गए। योगत-प्रभासून (अन्धकार/वर्षा) में ऐसा उत्तराखण्ड प्राचीन कामों के दृष्टि इसी विकासिती में वर्तमान सौजन्य को उत्तराखण्ड के अवस्थाओं एवं आवश्यकताओं में ५०० बीटर तक का वानन सौजन्य के बाहर / नदी का (दोनों ओर) भी ५०० बीटर तक के सौजन्य की वालह के स्तरों (levels) का जो यह दृष्टि विकासित विकासिती पर लिया जाएगा। इसी अवधार ऐसा उत्तराखण्ड प्राचीन प्रभासून के दृष्टि (भूमि भूमि के अधिक समाज/भूमि के अधिक समाज) इसी विकासिती पर ऐसा कालह के लेवल्स (Levels) के साथ का जारी जारी हो जो तक विवेक लिया जाएगा। योगत-प्रभासून के लालकुड़ी विवाहार २०२३, २०३४, २०३५, २०३६, २०३७, २०३८ एवं ग्री-प्रभासून के जारी जारी जारी २०२४, २०३५, २०३६, २०३७, २०३८, २०३९ एवं अधिकारी जारी करने वाली जारी जारी जारी जारी जाएगी।
9. ऐसा की जुड़ाई एवं जारी रखियो जाए (Manually) ही जाएगी। इस जारीजारी की लिये विकासी उत्तराखण्ड योग्यता (Machinery) अद्वितीय एवं उपयोग नहीं लिया जाएगा। विकास विकास में जारी जारी का जोड़ा विकासित रहेगा। जीवन कीर्ति में लिया ऐसा जुड़ाई जारी (Excavation plus) ही अधिक प्राप्ति तक ऐसा का विवेकानन्द द्वारा द्वारा लिया जाएगा।
10. ऐसा का उत्तराखण्ड कीजन विकासित, विकासित एवं विकासित दीर्घ में ही लिया जाएगा। ऐसा उत्तराखण्ड की उत्तिकरणम् वहाँकी जालह से १.५ बीटर अवधा वर्तमान जल सतर की जारी जारी जारी है। १.५ बीटर शोधकर दीर्घी में भी जो जल हो, वो अद्वितीय नहीं होगी। ऐसा उत्तराखण्ड विकासी वीं विकासिती में जल जल के जीवे जही लिया जाएगा। न्यूजार्म २. १.५ बीटर जीवांगु जल की ऐसा नदी जल (जारी रीत) की जगत जीवा जाना अवश्यक है।
11. ऐसा का जुड़ाई एवं जारी रखियो जाए (Manually) ही जाएगी। इस जारीजारी की लिये विकासी उत्तराखण्ड योग्यता (Machinery) अद्वितीय एवं उपयोग नहीं लिया जाएगा। विकास विकास में जारी जारी का जोड़ा विकासित रहेगा। जीवन कीर्ति में लिया ऐसा जुड़ाई जारी (Excavation plus) ही अधिक प्राप्ति तक ऐसा का विवेकानन्द द्वारा द्वारा लिया जाएगा।
12. ऐसा का उत्तराखण्ड कीजन विकासित, विकासित एवं विकासित दीर्घ में ही लिया जाएगा। ऐसा उत्तराखण्ड की उत्तिकरणम् वहाँकी जालह से १.५ बीटर अवधा वर्तमान जल सतर की जारी जारी जारी है। १.५ बीटर शोधकर दीर्घी में भी जो जल हो, वो अद्वितीय नहीं होगी। ऐसा उत्तराखण्ड विकासी वीं विकासिती में जल जल के जीवे जही लिया जाएगा। न्यूजार्म २. १.५ बीटर जीवांगु जल की ऐसा नदी जल (जारी रीत) की जगत जीवा जाना अवश्यक है।
13. ऐसा उत्तराखण्ड नदी जलों के जल से कम से कम ७.५ बीटर अवधा नदी की जीवांगु के १० विकासित की दृष्टि जो भी अद्वितीय शोधकर वीं लिया जाएगा, वहाँके नदी जलों का जल न हो। जिसी जी दुलिया, रटापंडेय, जांड, एनीकट, जल प्रदाय अवधान एवं जल्दी जलावनकों की जालह की अवधा विकासी विकासिती में न्यूजार्म २५० बीटर जल जालन जालनकी जालन में न्यूजार्म २५० बीटर जुर्मिला दीर्घ प्राप्ति जाना अनिवार्य है।
14. ऐसा जुर्मिला लिया जाए जो ऐसा उत्तराखण्ड की जालन नदी जालन का एवं उपर्युक्त एवं जल जालन की जालन पर कीर्ति विकासित प्रभाव न हो।
15. ऐसा जुर्मिला लिया जाए जो उत्तराखण्ड कीजन जाली जाल में लिया जाए विकासी जाल जिसकी अवधा-जाला की जाल पर जीवांगु भी जीवांगु-जाल उत्तराखण्ड द्वारा लिया न हो। जालुड़ी की जालनकी जालनकी जालन का संख्या अवधानक है, अतः इन जालों के जल पान ऐसा उत्तराखण्ड नहीं लिया जाए।
16. ऐसा उत्तराखण्ड एवं जीवांगु / विवेकानन्द दीर्घ के समय ही लिया जाए। यह काली रखियो के समय नहीं लिया जाए। रखियो में अधिक उत्तराखण्ड जाये जाने की लियो वे विवेकानन्द विवेकानन्द का विवेकानन्द विवेकानन्द की जाएंगी। ऐसा उत्तराखण्ड कीर्ति में विवेकानन्द विवेकानन्द विवेकानन्द का विवेकानन्द विवेकानन्द की जाए। ऐसा उत्तराखण्ड कीर्ति में विवेकानन्द विवेकानन्द विवेकानन्द की जाए।
17. विवेकानन्द विवेकानन्द द्वारा ऐसा उत्तराखण्ड विवेकानन्द विवेकानन्द का जाल जीवित / अवधानक अद्वितीय ही जापान होने वाली विवेकानन्द विवेकानन्द के विवेकानन्द द्वारा विवेकानन्द विवेकानन्द विवेकानन्द जाल विवेकानन्द अवधा जान विवेकानन्द विवेकानन्द की जाए। ऐसा उत्तराखण्ड कीर्ति में विवेकानन्द विवेकानन्द विवेकानन्द विवेकानन्द की जाए।

कर और यह बहु परिवर्तन संभव है, जब दिल्ली द्वारा अधिकारियों का नामी नहीं होनी चाहिए।

18. ऐसे यह खेड़ीहान लागतारियों अपने अन्य उपयुक्त विधायक से कई बड़े कानूनों को लिया जाए, ताकि ऐसे वाहनों को बहुत ज्यादा भिटे। खगोल का परिवर्तन यह यह वाहनों को बहुत ज्यादा से अधिक ज्यादा भता जाना सुनिश्चित किया जाए।

19. उत्तराखण्ड में जलवि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

20. उत्तराखण्ड की जलायात यह जलायात प्रबंधन द्वारा कर्म 2023-34 में नवीनीकृत के बदल की जीकरण हेतु लीज लीज की अनुमति अनुमति, वायुम, वह, वीवर, नीर, वर्षा, गीज, आग, इमारी, भीनक आदि अपने जलायात प्रबंधनीयों को कुल 1,500 नए जीवी का दोषण ज्यादा सह यह संवित किया जाए। जीवन की सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त एवं अन्यथा जलायात (जिसे जलायात जल की बाह का प्रयोग) किया जाए। 6 फीट से 6 फीट तक तक यह जीवी का ही दोषण किया जाए। जलायात जलायात प्रबंधन कर्म में दूर्ल किया जाए। संवित जीवी की सुखा एवं जल-जलायात जलायात 5 वर्षी तक जलायात का उत्तराखण्डीय कोने जलवि जलायात का जलवि यह प्रदूषण किया जाए। संवित जीवी की सुखा एवं जल-जलायात जलायात 5 वर्षी तक कर्म का उत्तराखण्डीय जलवि जलायात का रहेगा।

21. संवित किये जाने वाले जीवी में संखायकन (Numbering) एवं जीवी के नाम का उत्तराखण्ड कर्म के दूर्ल पोलोइडल संवित जलायाती अधिकारियों के बाय जला कर्म। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण नवीकृति किया की जा सकती।

22. जलायात का जल-जलायात जलायात 6 वर्षी तक सुनिश्चित करने के दूर्ल जीवी की अप्रियताप्रिया (Mortality replacement) किया जाए।

23. जीवे को जलायात की पुरी हेतु जीवी गो-एस. (Differential Global Positioning System) कर्म एवं जलायात प्रबंधनीय कियोंट में संवित करने के दूर्ल जलायात प्रबंधन कोने जलायात एवं एक-जाए-एए, अद्वितीय को छोड़ किया जाए।

24. शीर्षक (Corporate Environment Responsibility) हेतु जिम्मायुक्त जलायात का एवं जलायात प्रबंधन जोखना की जारीत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
Following activities at Nearby Village- Dhaner				
62.10	2%	1.24	Plantation	1.209
			Village pond	
			Total	1.209

25. शीर्षक के जल-जलायात कर्मायाती 6 वर्षी तक के दूर्ल जीवी के दूर्ल जलायात प्रबंधन करनी के बारे दूर्ल उपयोग जावित जल-जलायात में जलायात प्रबंधन प्रयोग करने जलायाती कियोंट में संवित करने के दूर्ल जलायात किया जाए। शीर्षक कर्म की जलायात सुनिश्चित करना जलायात उत्तराखण्डीय होगा। जलायात जलायात होने पर पर्यावरण नवीकृति किया की जारीगी।

28. सीईआर द्वारा नियंत्रित ग्राम (जामुर, लौपाल, लौग, जाम, कालांड आदि) कुलांडेला हेतु प्रत्येक प्रशासन अनुसार 100 वर्ग वर्गों के लिए राशि 6,500 रुपये, लौपिला के लिए राशि 6,000 रुपये, खाड़ वे लिए राशि 4,000 रुपये, लिंगाई ग्राम लौ—लखव आदि के लिए राशि 10,000 रुपये, इस प्रकार इन ग्रामों में कुल राशि 77,800 रुपये रहता जाता है। 4 वर्गी में ग्राम, लिंगाई लौ—लखव हेतु कुल राशि 65,000 रुपये हेतु घटकवाल व्यव का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। परियोजना प्रशासनक द्वारा इन विवरणों के उल्लंघन व्यवाधीन व्यवायाच्च व्यव (जामुर अनुसार 1992, सीजनल 0.50 हेक्टेयर) के साथ वे यावतीसे अनुसृत प्रशासन अनुसार कार्य पूर्ण करें।
29. सीईआर एवं कुलांडेला ग्राम के अंतिमिति एवं वर्तमान हेतु फि-फॉर्म समिति (अंतिमिति/प्रतिमिति), ग्राम पञ्चायत के पदाधिकारी/प्रतिपादित एवं वित्त प्रशासन या उल्लंघनाग्रह परियोजना संस्थान कर्तव्य के पदाधिकारी/प्रतिपादित) गठित किया जाए। याम से सीईआर एवं कुलांडेला का कर्तव्य यूनि लिंगे जाने के जनवाह नियंत्रि फि-फॉर्म समिति से जलायित कराया जाए।
30. यम वे नियंत्रण वाल/अधिकारी नियंत्रण हेतु स्वतं पर जाए, तब उन्हें जामुर/लौपाल/लौग/कालांड के नियंत्रण के समय—समय सीईआर की तहत अपनी द्वारा करायी गयी कार्यी का नियंत्रण वे अधिकारी सम से कराया जायते जिम्मेदारी होती।
31. परियोजना प्रशासनक द्वारा सीईआर के तहत प्रशासित कर्तव्य कराया गयी पाये जाने पर परावर्तनीय सीईआर के वित्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
32. परियोजना प्रशासनक सदस्यित केंद्र / ग्राम ग्रामों के विभागों, मण्डलों एवं अन्य प्रशासनीय से ऐसा उल्लंघन कराये जाने के बाहर जावायक कार्यी अनुसंधित प्राप्त करेगा। परियोजना प्रशासनक द्वारा यम एवं याम प्रशासन नियंत्रण व्यव कर्तव्य संस्थान हेतु समय—समय पर केंद्र/ग्राम समिति, केंद्रीय प्रशासन की ओर से उल्लंघनाग्रह परियोजना संस्थान मण्डल द्वारा जानी नियंत्रित / वार्गिकीकरण का पालन नुसन्दिध किया जाए।
33. उल्लंघनाग्रह ग्रीन लिंग वित्त, 2016, यम जामुर द्वारा ऐसा उल्लंघन हेतु जानी जानीसुनना दिनीक 2/3/2006 के प्रशासनीय/जारी एवं अनुसृत ग्रामी नियंत्रित उल्लंघन कीजन्न एवं परावर्तनीय प्रशासन दोजना का पालन नुसन्दिध किया जाए।
34. कर्तव्य नियंत्रण पर यादि कीमित कर्तव्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे कीमितों के अन्तर्गत की उपरित व्यवस्था परियोजना प्रशासनक द्वारा की जाएगी। अवशीच व्यवस्था अल्लानी उल्लंघनाग्रही के काम में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सकते हैं।
35. कर्मिकी के लिए तानन लौग पर लौपिला वित्तिकालीन तुरिया, भैंसाल हायसेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रशासनक द्वारा की जाए। तानन द्वी नदी में यम भूर वित्तव्यन् अथवा जामुर जानी के ऐक्ट लौपिला कर्मिकी का वित्तिका प्रतिक्रियत लेता। नदी एवं नदी जल की उपयोग का व्याप्ति रखा जाए।
36. उल्लंघन की जाकनीक, कर्तव्य को एवं इस उल्लंघन कीजन्न के अनुकूल विविध शोजनों में वित्ती भी प्रशासन का परियोजन एकपूर्वानुषु एवं उल्लंघनाग्रह / ग्राम समिति, परावर्तन, यम और उल्लंघन परियोजना संस्थान, नई लिंगों की यूनि अनुसंधि के वित्त नहीं किया जाए।

36. इस पर्यावरणीय स्टीमूली को जारी करने का आग्रह नियंत्री पर्यावरण अधिकारी सम्पर्कित एवं अधिकारी दर्शनीय कर नहीं है। एवं वह पर्यावरणीय स्टीमूली नियंत्री सम्पर्कित को गुरुवारान् बहुधाने उद्योग पर्यावरण अधिकारी को अविवादित अवधारणा करना चाहता है। एवं एवं स्थानीय वास्तुओं / नियंत्रों को उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
37. एसईआईएए, अस्ट्रीलियान् पर्यावरण संसाधन की दृष्टि से, परिवेशवान् की सम्पर्कित है पर्यावरण अधिकारी नियंत्रित जारी के संशोधन एवं वे पालन एवं बर्तने की दस्ता में नियंत्री भी जारी में संकेतन/नियंत्रण करने के लिया नहीं जारी अवधारणा वास्तुओं / नियंत्रों को और वास्तु बर्तने का अधिकार कुप्रियता सहित रखता है।
38. परिवेशवान् प्रसारक न्यूनतात् उ स्थानीय सम्बाद एवं जारी में, जो कि परिवेशवान् के लिये आवा—जावा व्यापक काम से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्टीमूली द्वारा हीमो के 7 दिनों के बीच इस अवधारण की गुरुवा प्रसारित कीता जिसे परिवेशवान् को उन्होंने पर्यावरणीय स्टीमूली प्राप्त हो गया है। एवं पर्यावरणीय स्टीमूली वास की प्रतिष्ठी अवधारण जारी करित संकेतनम्, अस्ट्रीलियान् पर्यावरण संसाधन सम्बन्ध में अवधारण हेतु प्रयत्नम् है। वास की इसका अवधारण वास उत्तरार्द्ध, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबलपूर्वक, जारी दिल्ली एवं एसईआईएए, अस्ट्रीलियान् की वेबसाइट pariveshi.nic.in पर भी दिया जा सकता है।
39. पर्यावरणीय स्टीमूली के जी गई जारी के वालन हेतु वही वाही कलंकाही की अंतर्गत नियंत्री अस्ट्रीलियान् पर्यावरण संसाधन वासवार, वन राष्ट्रपुर अटल नगर, नियंत्रा—जावापुर, शोरीय कार्यालय, अस्ट्रीलियान् पर्यावरण संसाधन सम्बन्ध, जावापुर, एवं एसईएए, अस्ट्रीलियान् एवं एस्ट्रीलियान् कार्यालय, वासत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संबलपूर्वक, वन राष्ट्रपुर अटल नगर को देखित दिया जाए। एस्ट्रीलियान् कार्यालय, वासत उत्तरार्द्ध, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संबलपूर्वक, वन राष्ट्रपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्टीमूली में घातक जारी के वालन की नामिटारीय की जाएगी।
40. एसईआईएए, अस्ट्रीलियान्, वासत उत्तरार्द्ध, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संबलपूर्वक, वन राष्ट्रपुर अटल नगर, नियंत्री—एस्ट्रीलियान् एवं जलवायु परिवर्तन संबलपूर्वक, वन राष्ट्रपुर अटल नगर/कोन्वीय प्रदूषण नियंत्रण एवं/अस्ट्रीलियान् पर्यावरण संसाधन वासवान के देखभावों/अविवादितों को जारी के अनुप्राप्ति के वालों में जी जारी जारी कलंकाही दिल्ली पुरी वाहीयोंके प्रदान दिया जाए। परिवेशवान् प्रसारक द्वारा नियंत्रित जारी का अनुप्राप्ति करता गयी जारी जारी पर पर्यावरणीय स्टीमूली नियंत्रण की जा सकती।
41. परिवेशवान् प्रसारक अस्ट्रीलियान् पर्यावरण संसाधन सम्बन्ध एवं वासवार द्वारा दी गई जारी का अविवादित काम जी वासवान करेगा। जी जारी वास (प्रदूषण नियंत्रण एवं नियंत्रण) अविवादित, 1994 वास (प्रदूषण नियंत्रण एवं नियंत्रण) अविवादित, 1995, वासवान (संसाधन) अविवादित, 1996 वास उन्होंने उक्त वासवान जी नियंत्री परिवर्तन संबलपूर्वक अविवादित (प्रदूषण वासवान एवं वासवान संसाधन) नियंत्रण, 2000 (वास संवादित), वास लोक वासवान जी नियंत्री अविवादित, 1991 (वास संवादित) की अद्दीन नियंत्रित की जा जाएगी है।
42. वासवान परिवेशवान् के जारी में एसईआईएए, अस्ट्रीलियान् ने जास्त नियंत्रण में कीर्ति भी नियंत्रण अधिकारी परिवर्तन होने की दस्ता में एसईआईएए, अस्ट्रीलियान् को पुनः नवीन जानवाली नहिं दूरित दिया जाए, ताकि एसईआईएए, अस्ट्रीलियान् इस एवं नियंत्रण कर जारी की जलवायुप्राप्ति अधिकारी नवीन जारी नियंत्रित करने काम नियंत्रण से जुड़ी। जलवायु में कीर्ति भी नियंत्रण अधिकारी उन्होंने एसईआईएए,

प्रतीकार / भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नहीं
मिलनी की पूरी अनुमति के लिए नहीं लिया जाए।

43. प्रतीकार प्रतीकार संसद गवर्नर नामिनीराम शेष्ठी को इसी को जलवायु परिवर्तन,
जल-व्यवाहर एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/कालीनपाल कालीन में
30 दिन की अवधि के लिए उद्दिष्ट करें।
44. जलवायु परिवर्तन को विश्व अधीक्षण नेतृत्व द्वारा दृष्टिकोण के अन्तर्गत
योग द्वारा दृष्टिकोण एक 2010 की घटा 10 में दिए गए उपलब्धी अनुमति, 30 दिन की
कालीन अवधि के लिए जा रही है।

भारत सरकार, राष्ट्रपक्ष संघीय

भारत, राष्ट्रपक्ष संघीय

ਭੇਟੀ ਮਹਾਂ ਲਾਗੇ ਜਾਣੁਨ ਸ਼ੀਨ ਕਾਚੀ (੩) - ਦੀ ਸਾਰਾਂਦ ਆਖਾਰੀ
ਲੋ ਪਾਂਡ ਅੰਮ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ੧੯੦੯/੧੦, ਕੁਝ ਸੀਜ਼ ਕੋਈ ੦.੫੫੫ ਲਿਟਰ, ਪਾਂਡ-ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ,
ਤਾਪਮਾਤਰਾ-ਵੀਨਾ, ਪਿਸ਼-ਗਾਪਨ ਵੀ ਕੁਝ ਪਲਾਵ (ਹੈਂਡ ਕਾਨੀਏ) ਸ਼ਾਸਤਰੀ - ੨.੧੬੭ ਲਈ
ਚਲਿਆਂ ਹੋਏ ਸਾਂਚੇਲੀਂ ਲੀਨੀਂ ਵੀ ਦੀ ਪਾਂਨੀ ਕਾਚੀ ਹੈ।

यह वर्णनात्मक रूपीकृति विश्लेषित करी के अद्यत दो ता एवं है। अतः इन करी को
मात्र व्याप दो पदा करी तथा कम्बरी से चाला करना सुनिश्चित विषा चाहए।

1. यह पर्यावरणीय स्त्रीलूपी अविकलन घटकान सेतुकला (सीज होड) 0.406 किलोग्राम अविकलन घटकान, एवं इन घटकान लिमिट द्वारा कृषि क्षेत्र वास्तविक घटकान घटकान का अविकलन घटकान 2.50 टन स्त्रीलूपी से उत्पन्न नहीं होता। जीव सेतु की शीमाओं का वीक्षण घटकान घटकान वक्ता गुणवत्ता अवास जाए।
 2. यह पर्यावरणीय स्त्रीलूपी विभिन्न में रासायनिक, प्राकृतिक घटकान के घटकान घटकान 1473, दिनांक 13/09/2023 के विभिन्न में बाहर सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली से भवनीकरण घटकान होने पर स्त्री अनुसार प्रभावित होती।
 3. लाई खदान खांग लिमिट द्वारा अविकलन लिमिट वक्ता में है, जो पर्यावरणीय स्त्रीलूपी भवन नहीं होती।
 4. पर्यावरणीय प्रस्तावक द्वारा खदान से घटकान घटकान एवं घोटू दूषित घटकान (घटकी लोड डो), के उत्पादन और उचित एवं वर्तीना व्यवस्था लिमिट जाए।
 5. पर्यावरणीय स्त्रीलूपी की विभाग भवन घटकान के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, घटकान द्वारा जारी हुआ है, नोटिफिकेशन, 2006 (खटा लाईटिंग) के घटकान के लालू खोती।
 6. घटकानीय रनबीटी की आदेत दिनांक 26/02/2021 के अनुसार चार्टरार द्वारा घटकान घटकान घटकान एवं पर्यावरणीय स्त्रीलूपी के लालू का घटकान सुनिश्चित करने पर जारी हुए पर्यावरणीय प्रस्तावक घटकान विभाग के नियुक्त करना है।
 7. स्त्रीलूपी विभिन्न एवं खदान के घटकान लिमिट भी घटकान के दूषित घटकान के लिमिट नहीं अधिक साझी घटकान घटकान में लिमिट भी स्त्रीलूपी में विभागित नहीं लिमिट जाए, स्त्रीलूपी द्वारा घटकान द्वारा घटकान होने हेतु पूरक्षायीन लिमिट जाए। घोटू दूषित घटकान की उपचार के लिए स्त्रीलूपी द्वारा एवं स्त्रीलूपी की व्यवस्था की जाए एवं घटकान के लिमिट नहीं अधिक साझी घटकान घटकान में लिमिट भी स्त्रीलूपी में विभागित नहीं लिमिट जाए। दूषित घटकान एवं वर्षायी घटकान का जाल अवास में न लिमिट देने हेतु भी व्यवस्था दी जाए। घटकानीय दूषित घटकान की घटकान घटकान घटकान, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, खदान, नई दिल्ली द्वारा अविकलन भवन के अधिक स्त्रीलूपी पर्यावरण घटकान घटकान द्वारा अविकलन घटकान (जो भी वासी हो) के अनुसार सुनिश्चित लिमिट जाए।
 8. अग्रि चार्टर घटकान घटकान वक्ता व्यवस्था के लिमिट (after ceasing mining operations) घटकान सेतु घटकान लिमिट भी घटकान सेतु जो कि उनकी घटकान घटकान विभिन्नियों के घटकान घटकान (disturbed due to their mining activities) होते हैं, घटकान से-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं घटकान का घटकान घटकान होने लिमिट तभी लिमिट जाएगा, जिसके बाद घटकान, घटकान विभिन्नियों जो भी अग्रि जो घटकान होते हैं उपर्युक्त हों। विभिन्नियों

प्रकाशक द्वारा जालम प्रक्रियाएँ से अनुभिति प्राप्ति जल्दीज जालम एवं जाह के बीच प्रस्तुत किया जाए।

9. मू-जल के उपरोक्त (यदि लिया जाता हो तो) ऐसे कम्पीज मू-जल लोहे से कालान सामग्री करने के लिए अनुभिति प्राप्त की जाए।
10. लिस्टी लिस्टी / बीट / याहौट लोहे से चार्टिंग्लॉट बेटर जलजीवन की जाह 20 लिस्टीजाह / जालान्य यानीटर के कम सुनिश्चित लिया जाए। इन्हर, यानी, द्वाराजन जालजीव (यदि कोई हो) ने यापु प्रदूषण लिस्टन ऐसु बहु एकलटुलान लिस्टन के जाल उपर जाल का बेंग लिस्टन कालायित लिया जाए। यानीज जलजीवन लिस्टीजीयों के लिखित संस्कृती से जालन्य कधुलितिज बहु जलजीवन का लियेकान प्रभावी एवं लियेकान सूप से लिया जाए। यहुज महन, रेत, संबहन संब, भरहु एवं जान्य बहु यानीज लिस्टीजी बहु बहुन्येन्ट कम जावेकन लिस्टन एवं जल लियेकान की व्यवस्था की जावन इराजा जालन्य संबहन / यानीज सुनिश्चित लिया जाए। लियेकं लियेक बीज का लियेक सुनिश्चित लिया जाए।
11. याहनी, यानी एवं जान्य प्रक्रिया से जलन्य यापु प्रदूषण को वयोवस्था संबहन लियेकान, 1988 एवं यापु लियेकान लियेकान यापु लियेकान) लियेकान, 1989 के जल लियेकान जालानी के अनुसूच रहा जाएगा। जलजीवन लीज में लियेकानीज यापु जी गुणकात्म याला संबहन की वयोवस्था, यन और जल कापु परिवर्तन यालान्य, नई लिस्टी जाह अनियुक्त जालानी से अधिक नहीं होनी चाहिए।
12. लीज संब के जाही जलक लोही नई रक बीट की लीज सही यहुती में कोई बहु का एवं / यानीज नहीं लिया जाए तथा इस यहुती में यानीज लिया जाए।
13. जलजीवन प्रक्रिया की दीरान छारही नई जाली लियेकी (टीज सोहीज) का जालाय जलजीवन ऐसु जलजीवन में य आपने जाली जुमि के युक्त लहान ऐसु जाली जालान लियेकान की लियेक (सोहिलाईज) बहने में लिया जाए। जाली लियेकी (टीज सोहीज) को लीज संब के जाह प्रबुद्ध से यानीज बहने की अनुसूची नहीं होनी।
14. औलखड्हन एवं अनुखड्होगी/लिस्टी अगोय लियेक (बीट लीज) को युक्त से लिए सुनिश्चित जलन पर यानीज लिया जाएगा। इस प्रकार के यानीज संबों को उपरि प्रबुद्ध से सुनिश्चित रहे जाएं ताकि यानीज प्रबुद्ध जाह-जाह की जुमि एवं लियेक प्रभाव य जाल सके। यापु जी लजाई 3 बीटर तथा सोलेप 28 लिस्टी की अधिक न हो। औलखड्हन यापु का जाल लोकने द्वारु यानीज तरिके से यानीज लिया जाए।
15. यही तरु यानी जी औलखड्हन एवं अनुखड्होगी/लिस्टी अगोय लियेक (बीट लीज) को जलन के यानीज बहने यहुती में पुनरावल लियेक लियेक; ऐसु यानीज लिया जाए ताकि जुमि का भूल उपरोक्त जाला यानीज लियेक यानीज सुनिश्चित लिया जाए।
16. पीयोजना उत्तमक द्वारा यह सुनिश्चित लिया जाए कि यानीज प्रक्रिया से यानीज लियेक लीज संब के आह-पाह की जाली जल जालोंी में प्रवाहित न हो। इसी लोकने द्वारु यानीज बीट तथा यानीज संब में लियेक लीज / यानीज लीज जी यानीज अवश्यक सूप से ली जाए।
17. यानीज का यानीजहन यानीजहनी कालई यानीज की लिया जाए, ताकि यानीज यानीज से यानीज नहीं लिये। यानीज का यानीजहन कर रहे यानीजों की जामता से अधिक नहीं यानीज सुनिश्चित लिया जाए।

18. ग्रॉप्सर (Corporate Environment Responsibility) द्वारा नियुक्त भवान पर्यावरण प्रबोधन संस्था की अंतिम रिपोर्ट जारी करें।

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spend	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
Following activities at nearby, Village-Jalsho				
25	2%	0.50	Pavitra Van Nimaa	12.42
			Total	12.42

19. श्रीड्डीजार के लल्लु नियोगित कार्यालयी 25 नगर में अविद्यार्थी जमीन की दूरी रिपोर्ट जारी। श्रीड्डीजार के एवरेज इकाई कार्यालयी की दूरी दूरी उपचार नियोगित द्वारा फ्रेंचाइजी कर्तव्यों द्वारा दिया जाए कर अविद्यार्थी नियोगित में नियोगित कर्तव्यों दूरी रिपोर्ट रिपोर्ट जारी। श्रीड्डीजार कर्तव्य की लल्लु नियोगित कार्यालयी आपका प्रबोधन प्रबोधन द्वारा होगा। दूरीरोपण उपचार द्वारा दूरी दूरी नियोगित की जावेगी।
20. श्रीड्डीजार के जलवाया "पर्यावरण का नियोग" की तरह (अवलोकन, बदल, वीपल, नीय, आम, कर्तव्य, जलमूल, अप्लानियन, लकड़ी आदि) नुकानोपान हेतु प्रबोधन प्रबोधन अनुसार 67% जल
वायों के लिए राशि 43,700 करों, जलसेवा के लिए राशि 44,800 करों, जलवाया की लिए
राशि 4,320 करों, जियाई के लिए राशि 1,20,000 करों तथा राह-रखार आदि के
लिए राशि 1,48,000 करों, इस प्रबोधन प्रबोधन की में जुल राशि 8,83,432 करों हेतु प्रबोधन जलवाया का नियोग द्वारा
जारी हो 4 करों में जुल राशि 8,83,432 करों हेतु प्रबोधन जलवाया का नियोग द्वारा
जलवाया कर्तव्य द्वारा जलवाया 565, जीवकल 0.231 लेवेल्स के संबंध में प्रबोधन
प्रबोधन अनुसार कर्तव्य दूरी करें।
21. श्रीड्डीजार एवं नुकानोपान कर्तव्य की नियोगित एवं नियोगित हेतु डि-प्रोजेक्ट नियोगित^{प्रोजेक्टफॉर्म/इक्सिजेनि}, जाम पंचायत की पदविकर्तव्य/प्रतिनिधि एवं नियोग द्वारा जलवाया का
नियोगित एवं नियोगित जलवाया कर्तव्य की पदविकर्तव्य/प्रतिनिधि वर्तित नियोग जारी।
जाम ही श्रीड्डीजार एवं नुकानोपान कर्तव्य की दूरी दूरी नियोगित कर्तव्य की जलवाया नियोग
डि-प्रोजेक्ट नियोगित कर्तव्य जारी।
22. जल भी नियोगित द्वारा/अविद्यार्थी नियोगित हेतु जल पर जलवाया जल दूरी
जलवाया/जलवाया/जलवाया की नियोगित की जलवाया-जलवाया श्रीड्डीजार के तरह अपको द्वारा
कर्तव्य दूरी जलवाया का नियोगित कर्तव्य की अविद्यार्थी कर्तव्य की जलवाया जलवाया जलवाया।
23. जलवायान हेतु नियोगित दूरी (जलवाया जलवाया 2.5 लीटर दीक्षा करें), हील रीस, ओलालाली
जलवाया आदि में जलवाया जलवाया की 200 दूरी का संघर्ष नुकानोपान दूरी रिपोर्ट जारी।
हील जलवाया का नियोगित जलवाया जलवाया जलवाया दूरी की जगह दूरी जलवाया की अनुसार
रिपोर्ट जारी।
24. जलवायान की जलवाया पर जलवाया प्रबोधन द्वारा जलवाया 2020-21 में जीव दूरी की अनुसार
जलवाया, वीपल, नीय, कर्तव्य, जीव, आम, दूरी, अनुसार, जीव जलवाया आदि अन्दर जलवाया
नियोगित की 100 नग दूरी का जीव दूरी (जुल 366 नग दूरी) जलवाया की जूते दूरी में
रिपोर्ट जारी। जीव दूरी की जूते जलवाया दूरी जलवाया (जलवाया

पोर्टेल द्वारा की जाने जरूरी ही जाति का संख्योग) दिया जाए। अब उपलब्ध नहीं होने वाला है जो इसमें संख्यित दाता पंजीयता द्वारा दियी गई है औ उपलब्धतानुसार इसका दिया जाए। ५ फीट से ८ फीट तक जाति को ही दीया दिया जाए। उपलब्ध सुधारेवाला प्रथम की में पूरी दिया जाए। सुधारेवाला नहीं करने पर जाति पर्सनलीज मरीजूडि दाताना दिलत की जा सकती है।

२५. संखित दिये जाने वाले दीयों में संख्यापन (Numbering) एवं दीयों के नाम का संख्या जाने हुये पोर्टेलामा आदित जाताहारी जातान इतिहायन के बाबा जाना जावे।
२६. भृत्यानिंग लीवर दीव के ऊंचार एवं बाहर जातान सुधारेवाला दियों जाने एवं संखित दीयों का संख्याकृति रेट (Burndown rate) ५० श्रीमान सुभित्यिता दिया जाए। जाति की सुधारेवाला का जन-जनान आवाजी ५ वर्ष तक सुभित्यिता कुछ हुई गुण दीयों को इतिहायिता (Mortality replacement) दिया जाए।
२७. दीये जाने सुधारेवाला की गुणी हेतु जी-जी-पी-एस (Differential Global Positioning System) से १०० पोर्टेलामा आवाजारिक दियोंट में उपलब्ध करने हुये अवैश्वान नवाचारन जातान एवं एम-डी-जाई-ए-ए, अवैश्वानक को दिलत दिया जाए।
२८. परिवेशन इसामक द्वारा ७.५ बीहर प्रतिवर्षित दीव में उपलब्धि जाए एवं ली-डी-जाए की जाता इसावित कार्य करना नहीं जाये जाने पर उपीकरणीय दीयूडि को दिलत दिये जाने की जावेही की जाएही।
२९. परिवेशन से जिन-जिन जाती से पटुलिटिय जाट उत्तराखण होगा, उन जाती पर नियमित जात दिलकार की व्यवस्था दिया जाए।
३०. परिवेशन प्राचारामक द्वारा दिलतक कन्सेन्शन दियम (Minerals Commission Rule) की जाता जावेही दिलतों द्वारा जीवानाम का कार्य सुभित्यित दिया जाए।
३१. परिवेशन इसामक द्वारा जातान, भीतर, बहर, नहीं जाता एवं अन्य जात दिलतों की संख्या एवं संख्यान दिया जाए।
३२. परिवेशन इसामक द्वारा जानि इदूरता के नियम ऐतु जावेयक संघर्ष दिया जाए। जानि का जात जावेनन दीव में दिन के समय ५५ DBP, एवं राति के समय ५५ DBA) से अधिक जानी होना चाहिए। ऐतु जानि जासे जीवों में काम करने जासे अग्रिमों को इसामक/जात जावेदि इदूरता दिए जाएं एवं समय-जात जात दिलिलताहीन जीव एवं अव्यायवाला अनुसार उनका उचितार भी कराया जाए।
३३. लीज दीव के ऊंचार जावित/ प्रत्यावित जात एवं लीज जीवा (एक माह का स्टोरेज कीविटी सहित) जानाया जाए।
३४. जातान की छोटे-छोटे दुखों दिलती दिलतों को उनके से जीकने हेतु परीक्षा एवं सहन जावेना दिया जाए। येट द्विलिंग जातान जाये प्रदूषक दिलेवन व्यवस्था जावावित दिलिंग दिया जाए, जिससे जाट का उत्तराखण नियायक में रहे।
३५. उत्तराखण द्रविणा घू-जात जात के जात जावेना इदूरता में जी जाएही एवं जावेनन द्रविणा घू-जात जात के नींवे दिली भी परिवित्यि में नहीं दिया जाए।
३६. उत्तराखण की द्रविणा इस इकार सुभित्यिता की जाए जि जावीय दिया उपलब्धितों एवं जी-जी-जन्मजी एवं द्रुतजात न हो। जीव में यांवे जाने वाले इव्युलिक जी-जन्मजी उपलब्धितों का जामुनिया संख्या जावेना दर्जिया होगा।



37. वरिष्ठोंनक प्रसारणका द्वारा गीत लिखिया का उत्तरान्मुखीयमध्ये गीत लिखिया थिया। 2016 के प्रकाशनी, अनुसूचित उत्तरान्मुखीयमध्ये गीतका द्वारा वर्णियनीय प्रसारण गीतका के अनुसार लिया जाए। गाईन एकट 1952 के प्रकाशनी का फलन लिया जाए।
38. कार्य सदृश पर विभिन्न विभिन्न कार्य पर समाचार जाते हैं तो ये भी विभिन्न के अन्तरान् द्वारा सुनाया है। यहिं प्रवर्णन वरिष्ठोंनक प्रसारणका द्वारा वी जाएगी। अनुसूचिय वर्णनवा अस्पष्टीय संरक्षणाती तो समाचार में ही साझी है। लिये वरिष्ठोंनक यौगिकों की प्रवर्णन जाताया जा सकते।
39. विभिन्नों की लिए सामग्री सदृश पर सामग्री प्रसारण लिखियनामीय गुणित, नीतिहास दायरों विभिन्न की समग्री परिष्ठोंनक प्रसारणका द्वारा वी जाए।
40. विभिन्नों का समय—समय पर आवास्तीतानाल हैंसा लिखियन गीतान् आवश्यक है।
41. उत्तरान्मुखीय गीतान्, कार्य ही एवं उनुसूचित उत्तरान्मुखीय गीतका के अनुसार विभिन्न लिखियन्, लिखियन् उत्तरान्मुखीय विभिन्नों की बातों एवं अनीतिहास लिखियन है, ऐ लिखी वी इतार का विभिन्नों एवाईआईएए प्रवर्णनीय / प्रवर्णनीय वन और जलवायु वरिष्ठोंन गीतान्, भास्तु कामकार की यह अनुसूची की विषय वी लिया जाए।
42. इस प्रवर्णनीय लिखियों को जानि करने का आवश्यक विषयी विभिन्नान् अपना कान् लगायित पर अविभाग दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह प्रवर्णनीय लिखियों लिखी लिखी जान्दिता की गुणान् परिष्ठोंन अवश्य विभिन्नान् विभिन्नों के अनिवार्य अपना गीत, गीत एवं उत्तरान्मुखीय गीतान् / विभिन्नों के उत्तरान्मुखीय हैंसु अधिकृत कराता है।
43. एवाईआईएए, उत्तरान्मुखीय प्रसारण संख्या की दृष्टि से, वरिष्ठोंनका वी लगायेता से विभिन्न अपना विभिन्नियत गीतों के संतोषान्वाद समाचार में जाता न रहते वी इस ने लिखी वी जाते में लक्षण/निवेदन करने वालक नहीं जाते जोकरे गीतान् अवश्यक / विभिन्नान् की गीतान् को और गीतान् करने का अविभाग सुनिश्चित जापता है।
44. वरिष्ठोंनक प्रसारणका अनुसार 2 समाचार समाचार गीतों में जो ऐ वरिष्ठोंनका हीत की आव—प्राप्ता अवश्य रूप से प्रसारित हो, उत्तरान्मुखीय लिखियों प्राप्ता होने को 7 लिखी वी विभाग इस अपना गीतान् गीतान् उत्तरान्मुखीय लिखियों विभिन्नों की प्रवर्णनीय लिखियों द्वारा ही नहीं है एवं वरिष्ठोंनक प्रवर्णनीय लिखियों पर वी विभिन्नीय गीतान्, उत्तरान्मुखीय अपनीनका संख्या अवश्यक है उत्तरान्मुखीय हैंसु उपलब्ध है। समाचार ही गीतान् अवश्यक एवं एवाईआईएए, उत्तरान्मुखीय वी विभिन्नियत प्रसारण समाचार पर वी लिया जा जाता है।
45. प्रवर्णनीय लिखियों में दी गई गीतों के वालन हैंसु की यह कार्यकारी वी अर्थ विभिन्न लिखियों उत्तरान्मुखीय प्रवर्णनीय गीतान् अवश्यक, अटत नहन् कान्दीय वापर्णिय संख्यान् प्रवर्णन संख्या अवश्यक, रायपुर, एवाईआईएए, उत्तरान्मुखीय एवं एवाईकृत लिखियों वापर्णिय, उत्तरान्मुखीय वन एवं जलवायु वरिष्ठोंन विभिन्नान्, भास्तु समकार, रायपुर की विभिन्न लिया जाए।
46. एवाईकृत संवीकृत कार्यान्वय, वरिष्ठोंनक पर एवं जलवायु वरिष्ठोंन मानवान्, भास्तु समकार, रायपुर द्वारा वरिष्ठोंनीय लिखियों में जाता गीतों की वालन की मौमिटारिंग वी जाएगी। इस हैंसु वरिष्ठोंनक प्रसारणक द्वारा समय—समय पर अवश्यक विष्य एवं रातामेजी एवं जांचेवान का यून सेवा एवाईकृत लिखियों वापर्णिय, प्रवर्णन, वन एवं जलवायु वरिष्ठोंन संख्यान्, भास्तु समकार, रायपुर की विभिन्न लिया जाए।
47. एवाईआईएए, उत्तरान्मुखीय प्रवर्णन, वन और जलवायु वरिष्ठोंन संख्यान्, भास्तु समकार / एवाईकृत लिखियों कान्दीय वापर्णिय, प्रवर्णन, वन एवं जलवायु वरिष्ठोंन मानवान्, भास्तु समकार, रायपुर / कान्दीय उद्योग विभिन्न गीतों/उत्तरान्मुखीय प्रवर्णन संख्यान्

प्राप्ति के विवरणों/अधिकारीयों को जारी के अनुसार संक्षेप में यह जाने जाए।
विवरणों का अनुसार संक्षेप प्रदान किया जाए। विवरणों का अनुसार द्वारा विवरणों
का अनुसार संक्षेप करना नहीं पाए जाने पर वर्णितवाची वर्णना की जा
सकती है।

45. परिवेश का प्रभाव अलीगढ़ वर्णन का संक्षेप एवं यह वास्तव वास्तव द्वारा दी
गई जारी का अनिवार्य समय के प्रदान करें। ये जारी फल (उद्योग विवरण जा
निधान) अधिकारी, 1974 का पुस्तक (उद्योग विवरण जा निधान) अधिकारी, 1991,
एवं विवरण (जनसंख्या) अधिकारी, 1999 जारी द्वारा दीये गये विवरणों, विवरणों
और जन्म अधिकारी (प्रथम एवं दीनांक संबलन) नियन, 2010 जारी लोक विविध वीक्षा
अधिकारी, 1991 (विवरण संक्षेपिता) के जीवन विवरणों की जा सकती है।
46. प्रश्नावित विवरणों के बारे में एसडीआरएट, अलीगढ़ में उन्नत विवरण में लोड
की विवरण अवधि वर्णित होने की जाता है एसडीआरएट, अलीगढ़ की पुनर
नवीन जानकारी सहित सूचित विवरण जाए, ताकि एसडीआरएट, अलीगढ़ द्वारा यह
विवरण कर जाती है एवं उन्नत विवरण जारी करने वाला विवरण से सही।
विवरण में लोड की विवरण अवधि उन्नत एसडीआरएट, अलीगढ़ / एवं विवरण
का और जानवार वर्णित विवरण, जारी संवाद की घटी अनुमति के बिना नहीं
किया जाए।
47. अलीगढ़ वर्णन संक्षेप संक्षेप वर्णितवाची वर्णनों की इति को जनके क्षेत्र
कानूनीय, विषय-व्यवाह एवं जारीग केन्द्र एवं कानूनीय/सहीलदार कानूनीय में जो
विवरण की अवधि के बिना उदारीकृत करें।
48. वर्णितवाची वर्णनों के विवरण जीवन की दृष्टिकोण के रूपांतरण वीक्षा
द्विभास एवं 2010 की वार्ष 16 में विवरण वाचानी अनुसार 30 दिन की जमाय
अवधि में यह जारी करेंगी।

सदस्य वर्णन, एसडीआरएट,


अवधि, एसडीआरएट,

सेवा विभाग सहित बटोल कार्यी (दो- और अधिक दो) की समाज अधिकार 1043/1, 1043/2, 1043/4, 1043/5, 1044/2 एवं 1044/4, गुरु लीला सेवा 2.142 ईकेटर, राम-विनायक-गुरुलीला-बकायार, विला-बकायर में बूना पत्तर (प्रैन लॉनिंग) इलाजन - 62,500 टन प्रतिवर्ष हुए पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली राशि।

यह पर्यावरणीय स्वीकृति विनियोजित कार्यों के लिए दी जा रही है। यह इन कार्यों की बहुत ज्ञान से पूरा कर्त्तव्य इसके लिए जास्ती सुनिश्चित लिया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अविवाहित इलाजन के लिए इलाज (लीला सेवा) 2.142 ईकेटर ज्ञान और लीला सेवा, राम-विनायक-गुरुलीला-बकायार, विला-बकायर में बूना पत्तर (प्रैन लॉनिंग) इलाजन - 62,500 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीला सेवा की वीचली का लीगलाइन बालाकर पर्यावरणीय सुनारे लगाया जाए।
2. यह उदान लॉनिंग लिमिट इलाज इलाजन में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति जास्त नहीं होती।
3. वरियोजना प्रशासक द्वारा ज्ञान से उत्पन्न जल एवं गोलू दूषित जल (यदि कोई भी) की उत्पादन की उमित एवं वर्णन जास्त लिया जाए।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की विला ज्ञान इलाज के पर्यावरण, जन और जलवाया परिवर्तन, मंडलाय द्वारा जाए ई-आईए. नोटिफिकेशन, 2006 (जन संरक्षण) के प्रभावों के तहत होती।
5. जननीय एनजीटी. के जारी दिनांक 20/02/2021 के अनुसार इलाजन द्वारा नार्थनिंग ज्ञान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति की जारी का जल सुनिश्चित करते जाने हुए वरियोजना प्रशासक को पर्यावरण लियोगा नियुक्त जाना है।
6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं ज्ञान से उत्पन्न जिली वी प्रकार से दूषित जल को जिली नहीं ज्ञान जाती ताकि उस जलों में जिली वी परिस्थिति में विस्तारित नहीं लिया जाए। अग्रिम इलाज में ज्ञान जूलारीका हुए प्रूफलैबोन लिया जाए। परिमु दूषित जल से उत्पादन की जिली जल एवं जल को जिली नहीं ज्ञान जाती ताकि उस जलों में जिली वी परिस्थिति में विस्तारित नहीं लिया जाए। दूषित जल एवं वर्षायाम का जल ज्ञान में एवं जिली में हुए जल की जानकारी जल से उत्पन्न जल की जूलारीका ज्ञान जाता जाए, पर्यावरण, जन और जलवाया परिवर्तन, जनजाति, जन्म जिली द्वारा अविस्तृत यात्रा अवलोकन व पर्यावरण संबंध द्वारा अविस्तृत यात्रा (जो यो जलों हैं) के अनुसार सुनिश्चित लिया जाए।
7. खनी पद्धति द्वारा ज्ञान संचालन वर्द जलों की उत्पादन (after coating mining operations) ज्ञान होने द्वारा जिली वी जल की जो जि उनकी ज्ञान नार्थनिंग के कर्मण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी जि-ज्ञानिंग (re-grassing) की जाएगी एवं यही का जूलारीका इलाज लिया जाए जाएगा। जिससे यह जात, जनजातियों, जीवों आदि के उत्पादित हुए जलवाया हो। वरियोजना प्रशासक द्वारा ज्ञान प्राप्तिकरी से अनुसारित नार्थन वर्देजर यात्रा एवं यह के बीच अनुसार लिया जाए।

8. यू-पाल की घटनों (यादि जिसा जात हो तो ऐसु गंभीर यू-पाल की जांचने अल्प करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए)।
9. जिनी जिनी / ईट / खट्टर सीते के पर्टिक्युलर फेल उत्तरार्थ की जाता हो जिसीजाम / समाज इकाईयों से उस सुनिश्चित किया जाए। अहम रूपीन् दृष्टिकोण खोइटो (यादि भीड़ हो) में वसु इन्हें निरोधन हेतु बहु बहु एकलीजान जिस्तम के जब याता रहता जाता थे जिस्तर जापित किया जाए। यांगिज उत्तरार्थ जातिशिष्यों की जिमिज सीतों से उत्तरार्थ ज्ञानित बहु उत्तरार्थ का जियज्ञ जापानी एवं जियमित जाप से किया जाए। यहौं जारी, ईट, संदर्भ सेव, जारी एवं जान बहु एकलीजान जिन्होंनी बहु छाईनेमें जम जाइजन जिस्तम एवं जब जिक्कार की जावस्ता की जाकर इसका बहु संवादन / संवाद गुरुशिष्यत किया जाए। जिस दैरिंग बीत सा जियम सुनिश्चित किया जाए।
10. यहनी उन्नन एवं अन्य दृष्टियों से उत्तरार्थ वसु इन्हें को जातिशिष्य, 1988 एवं वायु (प्रदूषण जिक्कार जाप जियज्ञ) जातिशिष्य, 1991 के जात जियशिष्य मनों की अनुकूल रहा जाएगा। सुन्ननन कीर्ति में पर्विक्षीय वायु की गुणवत्ता जाप जावार के यांगिजान, जन झीर जल वायु परिवर्तीन मंजूलाय, नई जिन्ही द्वारा जातिशिष्य मनों से अधिक नहीं होनी जाएग।
11. लौज कीर के जानी तक छोड़ी गई ईट बीट जी जीकी वहाँ में कोई फैल का जन / जावारन नहीं किया जाए तथा इस घटाँ में गुआरोपण जिया जाए।
12. उत्तरार्थ दृष्टिया के दौरान हातों वाई जानी जिन्होंनी (टीप सीड़िल) का जावारोंग उत्तरार्थ हेतु घम्फोंग ये न जाने जानी भूमि के पूर्ण रहान हेतु जावा बहानी औरवार्द्धन की जिया (संटोकिजाईज) लगाने में किया जाए। जावानी जिन्होंनी (टीप सीड़िल) को लौज हीर के बहु पूर्वक से जावारित जाने की जनुरति नहीं होगी।
13. औरवार्द्धन एवं अनुपर्याप्ती/जिन्ही अव्याप्त जियत ईट बीट की घृणा से घृणे के जिक्कीत खल यह जावारित जिया जाएगा। इस उत्तरार्थ के जावारन जानों की जातिशिष्य जावार से सुरक्षित रहे जाएं ताकि जावारित वहाँ आज-जावा जी भूमि यह जियशिष्य ज्ञान न जात जाए। जाप की उत्तरार्थ उ बीट तथा जावाप ज्ञ जिन्ही की अधिक न हो। औरवार्द्धन जाप का जात जीकने हेतु जियशिष्य जारी की गुआरोंगा जिया जाए।
14. जारी जाक संस्क ही औरवार्द्धन एवं जान अनुपर्याप्ती/जिन्ही अव्याप्त जियत ईट बीट की जावार के जावारोंग जान कीरों में जावारित न हो। इसे जीकने हेतु जावार ईट तथा जाप जीर में जिल्लेग बीत / जावारोंग जून की जावारोंग जान की जाए।
15. यांगिज का जियिहन जिक्केवाली रहाहाँ बहुन से जिया जाए, ताकि यांगिज बहुन के बहुर नहीं भिरे। जियिज का जियिहन जन सहे जहाँनी की जावा से यांगिज नहीं भहु जाना गुरुशिष्यत जिया जाए।
16. योइंगर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु जियागुलार उत्तरार्थ पर जारी नवीनजन उत्तरार्थ दौरान दौरान की जागरूत जिया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
44	2%	0.88	Following activities at Havira Van nagar	14.73 Total 14.73

16. गीड़जार के लगत नियमित कार्यकारी दूर माह में अनिवार्य सभा के बूरे फिल जाए। गीड़जार के लगत नियमित कार्य के कार्य बूरे उपर्युक्त नियमित दास कानून से अनिवार्य लाइसेंस दाता का अधिकारी नियंत्रण में नियमित करते हुए प्रदूषित किया जाए। गीड़जार कार्य की सामग्री कुनिशियल कानून अधिका उत्तराधिकार होता। युवाओंपाल अनावस्था होने पर वर्द्धित स्तरियति नियमित की जाती।
17. गीड़जार के अन्यतो लाइसेंस का नियंत्रण के तहत (आकला, बहु, वीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेस आदि) युवाओंपाल हेतु प्रदूषित अनुसार 1,800 नग बौद्धी के लिए याति 1,36,800 कार्ये, छोड़िया के लिए याति 1,33,000 कार्ये, खान के लिए याति 13,500 कार्ये, लिंगाई लगत रक्ष-रक्षण के लिए याति 2,80,000 कार्ये हुए प्रकार प्रथम के में युत याति 5,44,300 कार्ये एवं अनावस्था 4 दर्ती में युत याति 8,34,120 कार्ये हेतु प्रदूषित अनुसार यात्रा का नियमित प्रदूषित किया जाए है। गीड़जार के लगत पर्याप्त कानून (विकला अनावस्था 1000, हीनकल 5 रुपये) के संबंध में प्रदूषित अनुसार याती पूरी करें।
18. गीड़जार एवं युवाओंपाल कार्य के नियमितीय एवं पर्याप्तता हेतु फि-फ्लोय बौद्धी (ट्रैक्टर/प्रतिशिविति, यात्रा पर्याप्तता के नियमितीय/प्रतिशिविति एवं नियमित प्रशासन का प्रतीकाण्ड लाइसेंस लंगटीय यात्रा की नियमितीय/प्रतिशिविति) यात्रित किया जाए। यात्रा की गीड़जार एवं युवाओंपाल का कार्य पूरे नियंत्रण कानून के समरूप यात्रित फि-फ्लोय बौद्धी की नियमित कराया जाए।
19. यह भी नियमित दूसरे/अधिकारी नियमित हेतु यात्रा पर कार्ये एवं उनी यात्रान्/यात्रीन्/पद्धति के नियमित के यात्रा-यात्रा गीड़जार के तहत अधिके युवा जनकर्मी यात्रे कार्यों का नियमित एवं अनिवार्य कानून जानकी नियमितीय होती।
20. यह भी नियमित दूसरे/अधिकारी नियमित हेतु यात्रा पर कार्ये एवं उनी यात्रान्/यात्रीन्/पद्धति के नियमित के यात्रा-यात्रा गीड़जार के तहत अधिके युवा जनकर्मी यात्रे कार्यों का नियमित एवं अनिवार्य कानून जानकी नियमितीय होती।
21. यह भी नियमित दूसरे/अधिकारी नियमित हेतु यात्रा पर कार्ये एवं उनी यात्रान्/यात्रीन्/पद्धति के नियमित के यात्रा-यात्रा गीड़जार के तहत अधिके युवा जनकर्मी यात्रे कार्यों का नियमित एवं अनिवार्य कानून जानकी नियमितीय होती।
22. यात्रानन एतु नियमित दूसरे (याती दूसरे 7.5 वीपल बीमा कीजे), हीन बौद्ध, बीमाकर्त्ता युवा यात्रि एवं युवाओंपाल की 600 युत यात्रा यात्रा युवाओंपाल युत किया जाए। यात्रान की सुरक्षित रखाने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त यात्राना (यात्रा कानूनीय यात्रा की बहु अवधा ही यात्रे का उपयोग) किया जाए। यात्रा यात्रान की होने की दृष्टि में नायमित यात्रा पर्याप्तता दूसरा नियमित दूसरे में संयोजितानुसार युवाओंपाल किया जाए। 5 वीपल से 6 वीपल जंगली यात्रे याती का ही लेपन किया जाए। यात्राना

- कृषीरोपण इवाच कर्म में दूरी लिया जाए। कृषीरोपण वर्ती करने पर आर्थिक वर्धीताएँ संभवतः निरसा की ओर सकती हैं।
24. शोधित लिखे जाने वाले ग्रन्थों में कृषीरोपण (Agriculturing) एवं ग्रन्थों के नाम का उल्लेख करने हुए फोटोग्राफ़िक सहित जानकारी प्राप्तन अधिकारियों के साथ लिया जाए।
25. ग्राहीगी ग्रन्थ शीर्ष की ओर एवं बाहर लालन कृषीरोपण लिखे जाने एवं शोधित ग्रन्थों का सम्पादित रेट (Bureaucrat rate) 90 अधिकारियों कृषीरोपण लिया जाए। लालन की कृषीरोपण का नव्य-नव्यव लानामी 5 वर्षों तक सुनिश्चित करने हुए कृषी ग्रन्थों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) लिया जाए।
26. लिखे गए कृषीरोपण की गुणी हेतु भौजी गोपनीय (Differential Global Positioning System) से एवं फोटोग्राफ़िक अधिकारियों लिखे जाने में समर्थित करने हुए उत्तीर्णगढ़ वर्धीताएँ निरसा लालन एवं एसडीआरएए एस्ट्रीक्यूलर की प्रेरित लिया जाए।
27. अधिकारियों प्रकाशक द्वारा 7.5 वीठर प्रतिक्रिया क्षेत्र में प्रसारित करने हुए जीईआर के तहत प्रसारित ग्रन्थ कल्पना नहीं लाये जाने पर जानकारीय संभालिती को निरसा लाने की कार्यवाही की जाएगी।
28. अधिकारियों ने जिन-जिन क्षेत्रों को प्रयुक्तिरित करना जानकारी हीना, ताजे खाली पर लिया जाता हिस्तकार की व्यवस्था लिया जाए।
29. अधिकारियों प्रकाशक द्वारा नियन्त्रण करनेवाला नियम (Minerals Concession Rule) को तहत वाराण्सी नियन्त्रण द्वारा सीधाकरण कर कर्तव्य सुनिश्चित लिया जाए।
30. अधिकारियों प्रकाशक द्वारा ताजात, पंचांग, ग्रन्थ, नदी, नदी एवं अन्य जल नियन्त्रण के संख्याएँ एवं सांख्यिक लिया जाए।
31. अधिकारियों प्रकाशक द्वारा ग्रन्थी प्रदूषण को नियन्त्रण हेतु अवासानक लागत लिया जाए। इसी का तार दूषकारण शीर्ष में दिन के लागत 15 DDUK एवं रात्रि के लागत 10 DDUK से अधिक नहीं होना चाहिए। दैन इसी तरीके द्वारा शीर्ष में तार लाने वाले अधिकारियों को दूषकारण/पक्ष आदि प्रदूषण लिए जाएं एवं लागत-समय का लिंकिंगसर्वीय जीव एवं अवासानक अनुसार उपलब्ध लायावार भी लगाया जाए।
32. दैन द्वारा हेतु अंदर कर्तव्य / प्रसारित ग्रन्थ पर ये विना (एक मह का संतुलित कर्तव्यिकी सहित) लानाया जाए।
33. ग्रन्थ के स्टॉ-स्टॉट दूकर्तो (स्टॉट रोक्स) को उड़ने से नोकरी हेतु पर्याप्त एवं स्वस्थ व्यवस्था लिया जाए। ये दो डिसिन ग्रन्थों का प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था अधारित लिया जाए, जिससे उनके कर उत्तराधिकार लियने में लाभ हो।
34. यात्रानन अधिकार भू-जल कार के उपर असाधुरा इवाच में जीव जालगान अधिकार भू-जल संवर की नीते लियी गी परिस्थिति में नहीं लिया जाए।
35. यात्रानन की अधिकार इस प्रकाश सुनिश्चित की जाए कि यात्रीन नियत व्यावसायियों एवं जीव-जनशुद्धी पर दृष्टिमुख न हो। शीर्ष में याते जाने वाले प्राकृतिक जीव-जनशुद्धी, व्यावसायियों का सम्बुद्धि संख्याएँ लायक घायित होना।
36. अधिकारियों प्रकाशक द्वारा ग्रन्थ लाभित का उत्तराधिकार एस्ट्रीक्यूलर ग्रन्थ लाभित लियम् 2016 के द्वारानी, अन्तर्भूति उत्तराधिकार ग्रन्थाना एवं व्यावसायिय प्रबंधन लाभित का अनुसार लिया जाए। यहाँने एकट 1000 के द्वारानावी का प्राप्तन लिया जाए।
37. व्यावसायिक वर्ष वर्षीय व्यावसायिक अधिकार ग्रन्थों पर समाये जाते हैं तो ऐसे अधिकारों के अधार पर यह सुखा हेतु व्यवस्था व्यवस्था व्यवसायिक व्यावसायक दूकर्ता की जाएगी।

- आवासीय व्यापका उपकारी गोपनीयों के बाय में ही समझी है, जिनमें परिवहन एवं
होने के व्यापक उद्देश्य आवासीय व्यापक है।
36. अग्रिमी के लिये समान साथ वा व्यापक विभिन्नताओं सुधार, व्यापक उपकार
एवं व्यापक परिवहन का उद्देश्य द्वारा दी जाए।
37. अग्रिमी का समष्टि-समय पर उपकृत्यान्त इत्य सर्विकाम करना उद्देश्य है।
38. उपकार की उपकारीता, कार्य के लिये एवं अनुसंधान व्यापक योजना के अनुसार वार्षिक
योजना, जिसमें व्यापक, व्यापक की नाम एवं अग्रिमी विभिन्नता है, में जिसी से
प्रकार का विभिन्न एवं अन्तर्भूत उत्तीर्णान / व्यापक, काम और व्यापक
परिवहन व्यापक, व्यापक सख्तान की कृति अनुसारि के लिया नहीं किया जाए।
39. इस पर्यावरणीय कीदूरी की जांच करने का आवासीय विभिन्न व्यापक अधिकारी
समझति पर अधिकार दर्शने का नहीं है एवं वह एवं पर्यावरणीय कीदूरी के
विभिन्न समझति की नुस्खाने परिवहने आवासीय व्यापकार्दि के अधिकारी अधिकारी
सेवा, एवं एवं व्यापकीय व्यापक / विभिन्न करने उद्देश्य अधिकारी व्यापक / विभिन्न
के नामकी को और व्यापक करने का अधिकार सुधारि रखता है।
40. एवं एवं, उत्तीर्णान व्यापक संस्थान की कृदिष्ट से, परिवहन की समझता में
विभिन्न अधिकार विभिन्न विभिन्न की व्यापक उपकार वा करने की दशा में जिसी
में जांच में जांचेन / विभिन्न करने उद्देश्य एवं जोड़ने अधिकारी व्यापक / विभिन्न
के नामकी को और व्यापक करने का अधिकार सुधारि रखता है।
41. परिवहन प्रकारका न्यूनता एवं व्यापकीय समझान करनी में, जो कि परिवहन को जो
आप-प्रति व्यापक रूप से प्रसारित है, व्यापकव्यापक संस्थाने की उद्दिष्टी के
भीतर इस आवासीय की न्यूनता प्रकारित करेना कि परिवहन की पर्यावरणीय कीदूरी
इस ही नहीं है एवं पर्यावरणीय कीदूरी पर की परिवहन व्यापक, उत्तीर्णान
पर्यावरण संस्थान व्यापक में उत्तीर्णान हेतु उपलब्ध है। जांच ही इसका अवलोकन एवं
ई-एवं-एवं, उत्तीर्णान की वेबसाइट parivahan.nic.in परी भी किया जा सकता है।
42. पर्यावरणीय कीदूरी में ही नहीं जांच के पालन हेतु की वह उत्तीर्णान की अधिक
विभिन्न उत्तीर्णान व्यापक संस्थान व्यापक, उत्तीर्णान कार्यालय उत्तीर्णान
पर्यावरण संस्थान व्यापक, उत्तीर्णान एवं उत्तीर्णान जीवीय
कार्यालय, व्यापक, वा एवं उत्तीर्णान व्यापक, व्यापक व्यापक, व्यापक को
उपरित्त किया जाए।
43. उत्तीर्णान जीवीय व्यापक, पर्यावरण, वा एवं उत्तीर्णान व्यापक, व्यापक सख्तान,
उत्तीर्णान द्वारा व्यापकव्यापक संस्थाने में प्रदल जांच की मनिटिंग की जाएगी।
इस हेतु परिवहन प्रकारका द्वारा उपलब्ध-जांच पर उत्तीर्णान विभिन्न वाहन उत्तीर्णाने एवं
जांचन का पूरी लेट उत्तीर्णान जीवीय कार्यालय, पर्यावरण, वा एवं उत्तीर्णान
व्यापक, व्यापक वा उत्तीर्णान जीवीय को देंगी किया जाए।
44. एवं एवं, उत्तीर्णान, पर्यावरण, वा एवं उत्तीर्णान व्यापक व्यापक, व्यापक सख्तान,
उत्तीर्णान द्वारा व्यापकव्यापक संस्थाने में प्रदल जांच की मनिटिंग की जाएगी।
इस हेतु परिवहन प्रकारका द्वारा उपलब्ध-जांच उपलब्ध-जांच पर उत्तीर्णान विभिन्न वाहन
उत्तीर्णाने एवं उत्तीर्णान जीवीय कार्यालय, पर्यावरण, वा एवं उत्तीर्णान
व्यापक, व्यापक वा उत्तीर्णान जीवीय को देंगी किया जाए।
45. एवं एवं, उत्तीर्णान, पर्यावरण, वा एवं उत्तीर्णान व्यापक व्यापक, व्यापक सख्तान,
उत्तीर्णान द्वारा व्यापकव्यापक संस्थाने में प्रदल जांच की मनिटिंग की जाएगी।
इस हेतु परिवहन प्रकारका द्वारा उपलब्ध-जांच उपलब्ध-जांच पर उत्तीर्णान विभिन्न वाहन
उत्तीर्णाने एवं उत्तीर्णान जीवीय कार्यालय, पर्यावरण, वा एवं उत्तीर्णान
व्यापक, व्यापक वा उत्तीर्णान जीवीय को देंगी किया जाए।
46. एवं एवं, उत्तीर्णान, पर्यावरण, वा एवं उत्तीर्णान व्यापक व्यापक, व्यापक सख्तान,
उत्तीर्णान द्वारा व्यापकव्यापक संस्थाने में प्रदल जांच की मनिटिंग की जाएगी।
इस हेतु परिवहन प्रकारका द्वारा उपलब्ध-जांच उपलब्ध-जांच पर उत्तीर्णान विभिन्न वाहन
उत्तीर्णाने एवं उत्तीर्णान जीवीय कार्यालय, पर्यावरण, वा एवं उत्तीर्णान
व्यापक, व्यापक वा उत्तीर्णान जीवीय को देंगी किया जाए।

47. पर्यावरण विभाग के प्रतीकानुसार पर्यावरण संबंध मनमूल एवं शोषण कानून द्वारा दी गई सती का अधिकारी जन से पहले करेता। ये कर्ता जल (जलवायन विभाग द्वारा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 द्वारा जलवायन विभाग द्वारा नियंत्रण अधिनियम, 1991, पर्यावरण (कानून) अधिनियम, 1995 द्वारा बुनियोदय कानून से नियंत्रण, चरित्रावलय और समय अधिनियम (प्रत्येक एवं जीवविवर लोकान्) विधा, 2016 द्वारा लोक वाचिल दीर्घ अधिनियम, 1995 (या यांत्रोडित) के अधीन विनियोग की जा सकती है।
48. प्रभावशिक्षण परियोजना के बारे में एसटीआईएस, प्रतीकानुसार में कोई भी विवरण आवश्यक परिवर्तन होने की दस्ता में एसटीआईएस, प्रतीकानुसार की पुनर्नीति जानकारी नहिं सुनित लिया जाए, ताकि एसटीआईएस, प्रतीकानुसार इस परिवर्तन के सती की उपयुक्तता अथवा नवीन सती विनियोग करने वाले विनियोग से जाते; यद्यानि वे कोई भी विवरण जानना दुनिया एसटीआईएस, प्रतीकानुसार / पर्यावरण एवं और जलवायन परिवर्तन में ज़रूरी, भवति कानून की यूं अनुमति के लिया जाए।
49. प्रतीकानुसार पर्यावरण संबंध मनमूल पर्यावरणीय सीमांकुश की प्रति को उनके संचालक कानूनी विधि-व्यवाय एवं नियोग तंत्र एवं कानूनादार कानूनीता में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदीर्घीत करेगा।
50. पर्यावरणीय सीमांकुश के विनाश अपील विभाग दीन ट्रीमूलाल की जानकारी विवरण दीन ट्रीमूलाल एवं 2010 की वार्ता 16 में लिए गए जानानी अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में जी ज्ञानेवी।


रामेश वार्मा, एसटीआईएस,


रामेश वार्मा, एसटीआईएस,

**ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR PROPOSED DILKULN
(SPONGE IRON) OF CAPACITY 11X100 TPD - 11,000 TONNES / YEAR,
INDUCTION FURNACE WITH COKE OVEN INGOT/BALLET SUBSIDIY OF
CAPACITY 90,000 TPA CPP (WIRE BASED) - 4.5 MW DE
MJS MANDAN SME ENTERPRISE PRIVATE LIMITED**

This environmental clearance is being issued under following conditions. Therefore read these conditions very carefully and ensure the strict compliance of the same.

I. Statutory Compliance:

- i. The project proponent shall obtain Consent to Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).
- ii. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water or from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.
- iii. The project proponent shall obtain authorisation under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2010 as amended from time to time.

II. Air Quality Monitoring and Prevention:

- i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at present stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R. 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time, and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
- ii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
- iii. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common & criterion parameters referred to the main pollutant released (e.g. PM₁₀ and PM_{2.5}, in reference to PM emission, and SO₂ and NO_x, in reference to SO₂ and NO_x emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions and connected to SPCB and CPCB online server.
- iv. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. ESP with dust extraction system of adequate capacity and high efficiency shall be installed sponge iron (11X100TPD) units. Height of the chimney for both stack shall not be less than 57 meter to ensure that particulate matter emission less than 30 mg/m³ all the time. Movably suction hood strength baffle shall be provided in 2000. Height of the chimney for both stack shall not be less than 30 meter to ensure that particulate matter emission less than 30 mg/m³ all the time. The project proponent shall install lime dosing unit before the stack inlet to control the sulphur dioxide emission. Project proponent shall install dust extraction system with bag filters in vibrating screen. Feeding point, coal handling plants and coal transfer points. All the conveying system, blower point, junction point etc. shall be covered through GI sheets. Adequate provision shall be made for spraying of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. For controlling fugitive dust, regular spraying of water in vulnerable areas of the plant shall be ensured. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangements shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are

rectified to achieve the desired efficiency. As per proposed submitted estimate of pollutants from any point source shall not exceed the following limit:-

Particulate Matter	30 mg/m ³ (Thirty Milligram per Normal Cubic Meter)
--------------------	---

Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

- v. Project proponent shall install continuous emission monitoring system in the stack and connected with the CPCB/SPCB server.
- vi. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CCECB) along with site monitoring report.
- vii. Sufficient number of mobile or stationary vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, tools, regularly.
- viii. Recycle and reuse iron ore fines and such other fines collected in the pollution control devices and vacuum cleaning devices in the process.
- ix. The project proponent shall use mechanically covered tank trucks / tippers vehicles for transportation of raw materials.
- x. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.
- xi. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed-circuit cameras (CCTV) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.
- xii. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials like scrap and sponge iron, Ferro Alloys etc.

11. Water Quality Monitoring and Preservation

- i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of effluent (neutralization system). The ETP shall have acid proof lining to avoid any chance of under ground water contamination. Sludge generated from effluent treatment plant shall be transferred to sludge drying beds and disposed off as per the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2008 as demanded from time to time. BSRBT based sewage treatment arrangement shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R. 277(E) dated 31st March 2013 as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.
- ii. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.
- iii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Raipur, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CCECB) along with site monitoring report.

- v. Standard drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.
- vi. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.
- vii. The project proponent shall make efforts to minimise water consumption at the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.
- viii. The project proponent shall used the maximum surface water.

IV. Noise Monitoring and Prevention

- i. Noise level survey shall be carried out per the prescribed guidelines and report in the report shall be submitted to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Raipur And Raigarh, Raigarh as a part of six-monthly compliance report.
- ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 70 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

- i. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.
- ii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

VI. Waste Management

- i. The project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Ash generated from DRI unit shall be given to brick manufacturer. ChaiDholchar generated from DRI unit shall be given to cement plant/powder generation unit. Kiln Ascent & Refractory Waste shall be given to refractory recycling units / Used in Brick making and low lying areas. Defective bricks will be recycled and used in own plant. Slag from Induction furnace shall be used in metal recovery units/penchvali. Ginned slag will be used in Brick manufacturing unit. Tie and City sludge shall be given to coal for recycling / agencies engaged in construction activities/given to nearby Piler plant units.
- ii. Used refractories shall be recycled as far as possible.
- iii. Waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed off as per the Hazardous & Other Wastes (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.
- iv. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.
- v. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.
- vi. The project proponent shall moist filter press for dry disposal of sludge received from STP and shall used the waste as manure in plantation.

VII. Green Belt:

- i. Green belt shall be developed in an area not less than 40.52% (1.66 hectares) of the total plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. Greenbelt shall inter alia cover the periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. Project proponent shall ensure that plantation will be done within 1 year.

- i.** The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VII. Public Hearing & Human health issues

- i.** The project proponent shall strictly follow the timelines so as to disseminate the information raised during Public Hearing.
- ii.** Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
- iii.** The project proponent shall carry out Heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zones and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
- iv.** Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The Housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- v.** Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. Corporate Environment Responsibility

- i.** The project proponent shall comply with the provisions of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi CER rule F.No. 23-485/2017-MU dated 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility. Project proponent shall make CER fund as follows:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
7000	2%	140	Following activities at nearby Village-Bhansuda, Pansada, Belari & Jata	
			Eco Park Cum Oxyzone	140
			Total	140

Development of "Pavitravan Nirmal" at gram panchayat in Village- Bhansuda, Pansada, Belari & Jata as dense and religious plantation. Estimate cost of the plantation is around Rs. 140 Lakhs.

- ii.** The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned principal of the respective schools and concerned gram Panchayat.
- iii.** The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / CESAA, Chittorgarh as a part of six-monthly report.
- iv.** A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the Head of the organization.

- v. Action plan for implementing ESRP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raigar-Atal Raigar, Raigar / SAIWA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Comptroller Report.
 - vi. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.
 - vii. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants of and shall be implemented.

© 2009 Pearson Education, Inc.

- i. Project proponent shall also follow the guidelines of SOP issued by CPCB in this matter and shall obtain authorization of Hazardous Waste disposal as per the Hazardous & Other Wastes (Management And Transboundary Movement) Rules, 2016 as amended from time to time.
 - ii. Project proponent shall not disturb the livelihood of habitats, depends on forest based products.
 - iii. This ECI shall be granted subject to the conditions that the emission levels shall not exceed the prescribed limit notified by Central Pollution Control Board failing which the ECI shall deemed to be canceled.
 - iv. No additional land shall be acquired for this project.
 - v. Local persons shall be given employment during development and operation of the plant.
 - vi. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for the project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.
 - vii. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponent to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
 - viii. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.
 - ix. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely, PM₁₀, SO₂, NO_x (constant levels as well as stack emissions) in critical sectors/parameters (if any), indicated for the project and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.
 - x. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environment conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change or environment clearance portal.
 - xi. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-I to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as well as SOAIA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, concerning the land development needs and start of production/operation by the project.
 - xii. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.
 - xiii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the ISEA / EIA report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.
 - xiv. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SOAIA, Chhattisgarh.

- viii. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and strict action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
 - ix. SEIAA, Orissaiganj may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.
 - x. SEIAA, Orissaiganj reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.
 - xi. The Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer(s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.
 - xii. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.
 - xiii. Any appeal against the EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.
 - xiv. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

Member Services: 8283

Chittara, 864